

प्रधानमंत्री ने कहा

## सीने से उतर गया गुलामी का बोझ

जनसत्ता ब्यूरो  
नई दिल्ली, 2 सितंबर।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को कोच्चि में भारत के पहले स्वदेश निर्मित विमानवाहक पोत 'आइएनएस विक्रान्त' का जलावतरण किया। इसके साथ ही भारत उन चुनिंदा देशों की फेहरिस्त में शामिल हो गया है, जिनके पास ऐसे बड़े युद्धपोतों के निर्माण की घरेलू क्षमताएं हैं। मोदी ने छत्रपति शिवाजी महाराज से प्रेरित नौसेना के नए निशान (ध्वज) का भी अनावरण किया। उन्होंने कहा कि आज देश ने भारत ने गुलामी के एक निशान, 'गुलामी के एक बोझ' को सीने से उतरा दिया है। प्रधानमंत्री ने कहा, 'विक्रान्त विराट है, विहंगम है, विशाल है। विक्रान्त विशिष्ट है, विक्रान्त विशेष भी है। विक्रान्त केवल एक युद्धपोत नहीं है। यह 21वीं सदी के भारत के परिश्रम, प्रतिभा, प्रभाव और प्रतिबद्धता का प्रमाण है।'

प्रधानमंत्री मोदी ने कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड (सीएसएल) में स्वदेश निर्मित जहाज को नौसेना के बेड़े में शामिल किया। इस जहाज का नाम नौसेना के एक पूर्व जहाज 'विक्रान्त' के नाम पर रखा गया है, जिसने 1971 के भारत-पाकिस्तान युद्ध में अहम भूमिका निभाई थी। उन्होंने विमानवाहक पोत की कुछ विशेषताओं के बारे में भी बात की। उन्होंने इसे 'फ्लोटिंग एअरफील्ड, एक तैरता हुआ शहर' के रूप में वर्णित किया। उन्होंने कहा कि आइएनएस विक्रान्त में जितनी विजली पैदा होती है उससे पांच हजार घरों को रोशन किया जा सकता है।

इस मौके पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और नौसेना प्रमुख एडमिरल आर हरि कुमार, केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान, मुख्यमंत्री पिनरई विजयन, जहाजरानी मंत्री सर्बानंद सोनोवाल और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल भी इस कार्यक्रम में शामिल हुए।

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि वह आइएनएस विक्रान्त को मराठा योद्धा छत्रपति शिवाजी को समर्पित करते हैं। उन्होंने कहा, 'आज दो सितंबर, 2022 की ऐतिहासिक तारीख को, इतिहास बदलने वाला एक और काम हुआ है। आज भारत ने, गुलामी के एक निशान, गुलामी के एक बोझ को अपने सीने से उतरा दिया है। आज से भारतीय नौसेना को एक नया ध्वज मिला है।' उन्होंने कहा, 'भारतीय नौसेना के झंडे पर अब तक गुलामी की पहचान बनी हुई थी। लेकिन आज से छत्रपति शिवाजी से प्रेरित होकर नौसेना का नया ध्वज समुद्र और आसमान में लहराएगा।' नौसेना ने पहले कहा

बाकी पेज 8 पर

विशाल, विराट, विहंगम

## विक्रान्त



कोच्चि में शुक्रवार को विमानवाहक पोत आइएनएस विक्रान्त को नौसेना के बेड़े में शामिल किए जाने के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी।

-संबंधित खबर पेज 8

थरूर ने निर्वाचन सूची सार्वजनिक करने की मांग की

जनसत्ता ब्यूरो  
नई दिल्ली, 2 सितंबर।

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शशि थरूर ने पार्टी के केंद्रीय चुनाव प्राधिकरण के प्रमुख मधुसूदन मिश्री को पत्र लिखकर उनसे अखिल भारतीय कांग्रेस अध्यक्ष पद के आगामी चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल की सूची प्रकाशित करने की मांग की है। सूत्रों ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। ऐसी खबर है कि असम के सांसद प्रद्युत बोरदोलोई ने भी मिश्री को पत्र लिखकर निर्वाचन सूची सार्वजनिक करने की मांग की है। उन्होंने ऐसे समय में पत्र लिखे हैं जब निर्वाचन सूची सार्वजनिक करने की मांग दिन-प्रतिदिन जोर पकड़

## छेड़छाड़ का विरोध करने पर महिला को चलती ट्रेन से फेंका, मौत

चंडीगढ़, 2 सितंबर (एजेंसी)।

हरियाणा के फतेहाबाद में टोहाना स्टेशन के पास छेड़छाड़ का विरोध करने पर एक व्यक्ति ने 32 वर्षीय महिला को चलती ट्रेन से धक्का दे दिया। इस कारण कथित तौर पर महिला की मौत हो गई। अधिकारियों ने शुक्रवार को यह जानकारी दी।

उन्होंने बताया कि घटना महिला के नौ साल के बेटे की मौजूदगी में हुई। राजकीय रेलवे पुलिस (जीआरपी) ने कहा कि महिला टोहाना जाने के लिए रोहतक के लखन माजरा के पास से यात्री ट्रेन में सवार हुई थी। जीआरपी के एक अधिकारी ने बताया कि घटना गुरुवार रात की है। जीआरपी थाना, हिसार के एसएचओ नरेश कुमार ने

बेबाक बोल

भाग दरबारी



आज जब कांग्रेस में संगठनात्मक चुनाव का एलान हो गया है तो देखना होगा कि चिट्ठी-क्रांति करने वाला समूह चुनाव में भाग लेता है या चुनावी प्रक्रिया खट्टी है

पेज 7

दिल्ली से टोहाना जा रही ट्रेन में हुई वारदात महिला के नौ वर्षीय पुत्र की मौजूदगी में हुई घटना।

कहा कि महिला अपने बेटे के साथ यात्रा कर रही थी। उन्होंने कहा, 'यात्री ट्रेन दिल्ली से टोहाना जा रही थी और महिला और उसका बेटा लखन माजरा से उसमें सवार हुए थे।' कुमार ने कहा कि अधिकांश यात्री पिछले स्टेशन पर ट्रेन से उतर चुके थे और घटना के दौरान ज्यादातर डिब्बे खाली थे। उन्होंने कहा कि टोहाना स्टेशन पर महिला का पति उनका इंतजार कर रहा था। अधिकारी

बाकी पेज 8 पर

## तीस्ता सीतलवाड़ को अंतरिम जमानत

सुप्रीम कोर्ट ने पासपोर्ट जमा कराने का निर्देश दिया

जनसत्ता ब्यूरो  
नई दिल्ली, 2 सितंबर।

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को सामाजिक कार्यकर्ता तीस्ता सीतलवाड़ को अंतरिम जमानत दे दी। तीस्ता 2002 के गुजरात दंगों के संबंध में मामले दर्ज करने के लिए कथित रूप से फर्जी दस्तावेज बनाने के आरोप में 26 जून से गुजरात पुलिस की हिरासत में हैं। प्रधान न्यायाधीश उदय उमेश ललित, न्यायमूर्ति एस रवींद्र भट और न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया की पीठ

बाकी पेज 8 पर



अहमदाबाद में मेट्रोपालिटन मजिस्ट्रेट कोर्ट में पेशी के दौरान तीस्ता सीतलवाड़।

न्यायाधीशों ने कहा, तीस्ता एक महिला हैं। वे दो महीनों से हिरासत में हैं और जांच तंत्र को सात दिनों की अवधि के लिए हिरासत में पूछताछ का लाभ भी मिला है।

उनके खिलाफ कथित अपराध 2002 से संबंधित हैं और अधिक से अधिक 2012 तक संबंधित दस्तावेज पेश करने की मांग की गई थी।

तीस्ता 2002 के गुजरात दंगों के संबंध में मामले दर्ज करने के लिए फर्जी दस्तावेज बनाने के आरोप में 26 जून से गुजरात पुलिस की हिरासत में थीं।

## ट्विटर ने जानबूझकर देश के कानून की अवज्ञा की : केंद्र

बंगलुरु, 2 सितंबर (एजेंसी)।

केंद्र सरकार ने कर्नाटक उच्च न्यायालय से कहा है कि ट्विटर ने जानबूझकर भारत के कानूनों का पालन नहीं किया और उसकी अवज्ञा की तथा देश की सुरक्षा में इस सोशल मीडिया मंच की कोई भूमिका नहीं है। इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (एमईआईटीवाई) ने गुरुवार को ट्वीट हटाने और अकाउंट ब्लाक करने से जुड़े सरकारी आदेशों के खिलाफ ट्विटर की ओर से दायर याचिका का विरोध करते हुए उच्च न्यायालय के समक्ष अपनी आपत्तियों के संबंध में पेश 101 पन्नों के बयान में यह दलील दी।

-पूरी खबर पेज 8

## सागर व भोपाल में चार चौकीदारों की हत्या के मामले में आरोपी गिरफ्तार

भोपाल, 2 सितंबर (भाषा)।

मध्य प्रदेश पुलिस ने राज्य के सागर एवं भोपाल शहरों में पिछले पांच दिन में चार चौकीदारों की हत्या करने के मामले में शुक्रवार को एक युवक को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इसकी जानकारी दी। पुलिस ने बताया कि गिरफ्तार किए गए युवक की पहचान शिव प्रसाद धुर्वे (18) के रूप में उसके आधार कार्ड से हुई है। उन्होंने बताया कि उसने सागर शहर में तीन चौकीदारों और भोपाल में एक चौकीदार की हत्या की है।

उन्होंने बताया कि घटना के वक्त ये चारों चौकीदार ड्यूटी पर थे और सो रहे थे। पुलिस ने बताया कि उसने शुक्रवार को गिरफ्तारी से

कुछ घंटे पहले भोपाल में चौकीदार की हत्या कर दी थी। सागर के पुलिस अधीक्षक तरुण नायक ने कहा कि 18 साल और आठ महीने के धुर्वे ने चार हत्याओं को कबूल करते हुए कहा कि वह सोशल मीडिया से प्रभावित था और प्रसिद्ध होने के लिए उसने इन घटनाओं को अंजाम दिया। धुर्वे की मानसिक स्थिति के बारे में पूछे जाने पर नायक ने कहा कि वह सामान्य प्रतीत होता है। नायक ने कहा कि यह 'साइको किलर' मामला नहीं है। इससे पहले राज्य के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि चार चौकीदारों की हत्या के आरोपी धुर्वे को सागर पुलिस ने भोपाल में शुक्रवार तड़के मोबाइल फोन की लोकेशन के आधार पर गिरफ्तार किया।

नया निशान

औपनिवेशिक पहचान वाली लाल धारियां हटाई गईं

## भारतीय नौसेना को मिला नया ध्वज

जनसत्ता ब्यूरो  
नई दिल्ली, 2 सितंबर।

भारतीय नौसेना को शुक्रवार को नया ध्वज मिला। नए ध्वज में क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर लाल धारियों को हटा दिया गया है जिसे 'क्रास आफ सेंट जार्ज' कहा जाता है। यह औपनिवेशिक युग की याद दिलाता था। नए ध्वज में अशोक स्तंभ को दिखाया गया है। नौसेना के मूल मंत्र को भी शामिल किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को कोच्चि में नया ध्वज और चिह्न, राष्ट्र को समर्पित किया।

ब्रिटिश शासन से लेकर गणराज्य के प्रतीक तक यह झंडा सदियों में विकसित हुआ है। यह



नए ध्वज में प्रतीक शिवाजी महाराज की मुहर पर आधारित।

ध्वज अनिवार्य रूप से एक विशेष डिजाइन वाला झंडा होता है, जो जहाजों या नौसैन्य बल की पहचान और राष्ट्रीयता को दर्शाता है,

खासकर गहरे समुद्र में। ध्वज के 'फलाई' क्षेत्र में जुड़वां सुनहरी सीमाओं के साथ एक अष्टकोणीय आकार शामिल किया गया है, जो शिवाजी महाराज की मुहर से प्रेरित है। नौसेना द्वारा जारी एक वीडियो के अनुसार, नीले अष्टकोणीय आकार में एक लंगर के ऊपर राष्ट्रीय प्रतीक को शामिल किया गया है जो दृढ़ता को दर्शाता है। यह नौसेना के आदर्श वाक्य 'शं नो वरुणः' के साथ एक ढाल पर लगाया गया है, जिसका अर्थ है: 'हमारे लिए शुभ हो ओह वरुण'। अष्टकोणीय आकार आठ दिशाओं का प्रतिनिधित्व करता है जो भारतीय नौसेना की बहु-दिशात्मक पहुंच और बाकी पेज 8 पर

### विघ्नहर्ता

## आपको हमेशा

## समृद्धि प्रदान करें।

**कार लोन**  
ईएमआई  
**₹1,556**  
प्रति लाख से शुरू

**पर्सनल लोन**  
ईएमआई  
**₹1,868**  
प्रति लाख से शुरू

**गोल्ड लोन**  
ईएमआई  
**₹3,134**  
प्रति लाख से शुरू

**शून्य**  
प्रोसेसिंग शुल्क

क्यूआर कोड स्कैन करें

सहायता के लिए, 1800 1234 पर कॉल करें या bank.sbi विज़िट करें

हमें यहां फॉलो करें

75  
आजादी का  
अमृत महोत्सव



# जनसत्ता

## क्लासीफाइड

### व्यक्तिगत

I, Virender Singh Malhan So Shri Cap. Rishal Singh Malhan Ro RZ-122, X-Block, New Roshan Pura, Najafgarh, New Delhi 110043 here by inform that Virender Singh Malhan and Vijay Singh Malhan are the same person.

050203634-1 I, Neha Sareen Trivedi W / o Abhinav Trivedi, R / o Flat No1201,Tower - 7, Omaxe The Nile Sector -49,Gurugram, Haryana-122018, have changed my daughter's name from Shanaya Trivedi to Keemaya Trivedi.

050203609-1 his is to inform that in my service records the name of my daughter Sheetal is wrongly mentioned as Shital. Hari Ram Gurjar service no 300739M,Rank AV, unit-4 Rajput c/o 56APO Res. Village-Patredhi Dhani Biharipur Wali, Tehsil- Kotputli Patredhi, Dist Jaipur - Rajasthan 303107

0606094140-1 I,Vinod Sharma W/O Jai Bhagwan R/o H.No-592/18, New Tara Nagar, Sonipat, Haryana-131001 have changed my name to Vinod.

0604630108-2 I,Vandana Chugh W/O Sandeep Kumar R/o 267/13 SF-5, Techman Moti Appt. Sector-1, Vaishali Ghaziabad, have changed my name to Vandana for all purposes.

0604630101-2 I,VAISHALI GARG,W/O PIYUSH GARG D/O,ASHOK KUCHHAL, R/O,417 STARLITE APARTMENT SECTOR-14 EXTN,ROHINI DELHI-85 HAVE CHANGED MY NAME VAISHALI GUPTA.

0604630243-2 I,Udaya Chand Yadav,S/o Kehar Singh Yadav,H.No.24, Old Khaira-Road Najafgarh, Delhi-110043, have changed my name to Uday Chand.

0604630203-9 I,Surender Singh Latwal, R/O RZ-13A,Old Rajapuri,Uttam Nagar,New Delhi-110059,Have Changed my Minor-Son's Name Aditya Singh to Aditya Singh Latwal.

I,Shiv Prakash Avana,S/O Lakhi Ram,R/O, H.No-3448,Gali No.1,Hansa Puri Main Road,Tri-Nagar,Delhi-110035,have changed my name to Shiv Prakash.

I,Shaheed S/O Abdul Razaque,R/O,A-533, J.J.Colony Ph-2,Nangoli Delhi-110041, have changed my name to Mohd Shahid.

I,Sarita Agarwal,W/O Pawan Kumar Agarwal R/O GD-Block, H.No.24,Pitam Pura,Delhi-88,hereby declare that Sarita Agarwal,Sarita Agarwal and Sarita all are the names of same & one Person.

I,Sandeep Chugh S/O Ram Parkash R/O 267/13 SF-5, Techman Moti Appt. Sector-1, Vaishali Ghaziabad, have changed my name to Sandeep Kumar for all purposes.

I,SATISH S/O SH KIRORI MAL, R/O,A-164, 2ND-FLOOR MEERA BAGH PASCHIM VIHAR DELHI-87 HAVE CHANGED MY NAME TO SATISH GARG.

I,Reena Singh W/O Late Amarjeet Chopra R/o-86 Pkt-9, Sector-21, Rohini Delhi-110085, changed my name to Reena Chopra.

I,Ravindra Ram Rajoi Sakhare,S/O Sh.R.G. Sakhare,R/O,B-84,Vikas Vihar,Vikas Nagar,Uttar Nagar,Delhi-110059,declare that my name has been wrongly-written as Ravindra Sakhare in my minor son's Ankit Sakhare School-Records and his Identity Proof Documents.The actual-name of mine is Ravindra Ram Rajoi Sakhare,for all purposes,Which may amended accordingly.

I,Rajeev Kumar/Rajeev Kumar Gupta,S/O Prem Chand Gupta,R/O, Flat.No-143,SFS-Flats-Golden Jubilee- Apartment Pkt-10, Sec-11, Rohini,Delhi-110085,have changed my name to Rajeev Gupta.

I,Ujjwala Sharma D/o Dayanand Sharma R/o-158, Sharda Niketan, Pitampura, Delhi-110034 have changed my name to Kanan Sharma for all purposes.

I,RAJ BALA W/O SATISH GARG,D/O SATYA NARAYAN JINDAL,R/O,A-164,2ND FLOOR, MEERA BAGH PASCHIM VIHAR DELHI-87,HAVE CHANGED MY NAME TO RAJ BALA GARG.

I,Purnima Singh D/o Vinod Kumar R/o B-10/50,Block-B Pocket-10 Sector-18 Rohini Delhi-110089,changed my name to Purnima.

I, Ruby Sharma, W/O Sh. Lakhbir Singh Chauhan R/o 1050C, Gali No.10, 3rd Floor Govindpuri, Kalkaji, New Delhi-110019 confirm that I have changed my name from Ruby Sharma to Ruby Chauhan after my marriage to Lakhbir Singh Chauhan on 27-02-2002. Ruby Sharma & Ruby Chauhan is same person. Now I will use my name as Ruby Chauhan for all future purposes.

I,Anil Kumar Nagar from 3/406,2nd floor,Vasundhara, Ghaziabad as mentioned in my Aadhaar was known with both Anil Nagar and Anil Kumar Nagar.In future I will be known for Anil Kumar Nagar,for all purposes.

I,Deepati Batra,W/O-Vikram Batra, Address- A7/2,Ground Floor, Vasant Vihar New Delhi 110057, Changed my name to Deepati Mahajan Batra.

I,Ruby Sharma, W/O Sh. Lakhbir Singh Chauhan R/o 1050C, Gali No.10, 3rd Floor Govindpuri, Kalkaji, New Delhi-110019 confirm that I have changed my name from Ruby Sharma to Ruby Chauhan after my marriage to Lakhbir Singh Chauhan on 27-02-2002. Ruby Sharma & Ruby Chauhan is same person. Now I will use my name as Ruby Chauhan for all future purposes.

### व्यक्तिगत

I,Pankaj Kumar Sharma S/o,Irwin Pritam Singh R/O-D-12,2nd Floor, Jangpura, A-B,south Delhi-14,have only changed my name to David Singh, not my religion.

I,Palwe Bharati Pralhad,W/O Rajendra Athale,R/O,H.No-E-22, G/F, Avantika Sector-1,Rohini, Delhi-110085,have changed my name to Bharti Athale.

I,PUJA VISHWAKARMA,D/O OM PRAKASH VISHWAKARMA, R/O,FLAT.NO-005,TOWER-C1,SUPERTECH LIVINGSTON, CROSSING-REPUBLIC, GHAZI-ABAD,UTTAR PRADESH-201016,have changed my name to POOJA VISHWAKARMA, for all future purpose.

I,PRABHUJOT SINGH,S/O JASBIR SINGH R/O,A-55, AMAR COLONY,LAJPAT NAGAR-4, DELHI-110024,has changed my name to PRABHUJOT SINGH ANAND.

I,Manoj Kumar,S/O Sh.Darogji Shah,R/O-254 -255,S/F Back-Side Om-Vihar Sector-1A,Uttam-Nagar,New-Delhi-110059,That I,have changed the name of my-minor son aged about 8-Years,from Daksh Kumar to Daksh Kumar Gupta,for all future purposes.

I,Manish Gupta,S/O.Sh.Mohan Gupta R/o.102, LGF,Kailash Hills,East of Kailash,New Delhi-110065,have changed my minor Son's Name Ayaan Gupta to Mivaan Gupta for all purposes.

I,MD Shahabuddin Siddiqui, S/O MD Rafique Alam,R/O Plot No-40,Block-A, Sector-8, Dwarka,New Delhi-110077, Have Changed my Name to MOHD Shahabuddin Siddiqui.

I,Lila Vati Gupta,W/O-Brajendra Kumar Gupta,R/O-H.No.409, Sector-9A,Gurugram, Haryana,inform you that my,name was wrongly-written as Neelam Gupta in the documents of my,daughter Prachi Gupta.My correct name is Lila Vati Gupta. Please make the changes in school and councils records.

I,Kulvinder Singh,S/O Nazir Singh R/O,D-1/47-48,Ground Floor,Sector-16,Rohini Delhi-110086,have changed my name to Kulvinder Singh Pandher.

I,Kuldeep Kumar,S/O-Hari Kishan Gupta R/O-341/1C,Gali No.2,Shalimar Park,Bhola nath nagar,Shahdara Delhi-32,have changed my name to Shiv Prakash.

I,Shaheed S/O Abdul Razaque,R/O,A-533, J.J.Colony Ph-2,Nangoli Delhi-110041, have changed my name to Mohd Shahid.

I,Sarita Agarwal,W/O Pawan Kumar Agarwal R/O GD-Block, H.No.24,Pitam Pura,Delhi-88,hereby declare that Sarita Agarwal,Sarita Agarwal and Sarita all are the names of same & one Person.

I,Sandeep Chugh S/O Ram Parkash R/O 267/13 SF-5, Techman Moti Appt. Sector-1, Vaishali Ghaziabad, have changed my name to Sandeep Kumar for all purposes.

I,SATISH S/O SH KIRORI MAL, R/O,A-164, 2ND-FLOOR MEERA BAGH PASCHIM VIHAR DELHI-87 HAVE CHANGED MY NAME TO SATISH GARG.

I,Reena Singh W/O Late Amarjeet Chopra R/o-86 Pkt-9, Sector-21, Rohini Delhi-110085, changed my name to Reena Chopra.

I,Ravindra Ram Rajoi Sakhare,S/O Sh.R.G. Sakhare,R/O,B-84,Vikas Vihar,Vikas Nagar,Uttar Nagar,Delhi-110059,declare that my name has been wrongly-written as Ravindra Sakhare in my minor son's Ankit Sakhare School-Records and his Identity Proof Documents.The actual-name of mine is Ravindra Ram Rajoi Sakhare,for all purposes,Which may amended accordingly.

I,Rajeev Kumar/Rajeev Kumar Gupta,S/O Prem Chand Gupta,R/O, Flat.No-143,SFS-Flats-Golden Jubilee- Apartment Pkt-10, Sec-11, Rohini,Delhi-110085,have changed my name to Rajeev Gupta.

I,Ujjwala Sharma D/o Dayanand Sharma R/o-158, Sharda Niketan, Pitampura, Delhi-110034 have changed my name to Kanan Sharma for all purposes.

I,RAJ BALA W/O SATISH GARG,D/O SATYA NARAYAN JINDAL,R/O,A-164,2ND FLOOR, MEERA BAGH PASCHIM VIHAR DELHI-87,HAVE CHANGED MY NAME TO RAJ BALA GARG.

I,Purnima Singh D/o Vinod Kumar R/o B-10/50,Block-B Pocket-10 Sector-18 Rohini Delhi-110089,changed my name to Purnima.

I, Ruby Sharma, W/O Sh. Lakhbir Singh Chauhan R/o 1050C, Gali No.10, 3rd Floor Govindpuri, Kalkaji, New Delhi-110019 confirm that I have changed my name from Ruby Sharma to Ruby Chauhan after my marriage to Lakhbir Singh Chauhan on 27-02-2002. Ruby Sharma & Ruby Chauhan is same person. Now I will use my name as Ruby Chauhan for all future purposes.

I,Anil Kumar Nagar from 3/406,2nd floor,Vasundhara, Ghaziabad as mentioned in my Aadhaar was known with both Anil Nagar and Anil Kumar Nagar.In future I will be known for Anil Kumar Nagar,for all purposes.

I,Deepati Batra,W/O-Vikram Batra, Address- A7/2,Ground Floor, Vasant Vihar New Delhi 110057, Changed my name to Deepati Mahajan Batra.

I,Ruby Sharma, W/O Sh. Lakhbir Singh Chauhan R/o 1050C, Gali No.10, 3rd Floor Govindpuri, Kalkaji, New Delhi-110019 confirm that I have changed my name from Ruby Sharma to Ruby Chauhan after my marriage to Lakhbir Singh Chauhan on 27-02-2002. Ruby Sharma & Ruby Chauhan is same person. Now I will use my name as Ruby Chauhan for all future purposes.

I,Manoj Kumar,S/O Sh.Darogji Shah,R/O-254 -255,S/F Back-Side Om-Vihar Sector-1A,Uttam-Nagar,New-Delhi-110059,That I,have changed the name of my-minor son aged about 8-Years,from Daksh Kumar to Daksh Kumar Gupta,for all future purposes.

I,Manish Gupta,S/O.Sh.Mohan Gupta R/o.102, LGF,Kailash Hills,East of Kailash,New Delhi-110065,have changed my minor Son's Name Ayaan Gupta to Mivaan Gupta for all purposes.

I,LMD Shahabuddin Siddiqui, S/O MD Rafique Alam,R/O Plot No-40,Block-A, Sector-8, Dwarka,New Delhi-110077, Have Changed my Name to MOHD Shahabuddin Siddiqui.

I,Lila Vati Gupta,W/O-Brajendra Kumar Gupta,R/O-H.No.409, Sector-9A,Gurugram, Haryana,inform you that my,name was wrongly-written as Neelam Gupta in the documents of my,daughter Prachi Gupta.My correct name is Lila Vati Gupta. Please make the changes in school and councils records.

### व्यक्तिगत

I,BHAVITA BHUPENDRA MODI,W/O NAKUL SACHDEVA R/O-FLAT.No.440 MANDAKINI-ENCLAVE ALAKNANDA DELHI-110019,HAVE CHANGED MY NAME TO BHAVITA MODI.

I,Ashek Kumar Tuteja,S/O Pari Ram Tuteja,R/O,2310,Bawana-Road Padam Dham-Colony Mandi-Extension Narela, Delhi-110040,have changed my name to Ashok Tuteja.

I,PUJA VISHWAKARMA,D/O OM PRAKASH VISHWAKARMA, R/O,FLAT.NO-005,TOWER-C1,SUPERTECH LIVINGSTON, CROSSING-REPUBLIC, GHAZI-ABAD,UTTAR PRADESH-201016,have changed my name to POOJA VISHWAKARMA, for all future purpose.

I,Anjeet Singh S/O Om Parkash Malik R/O-254 -255,S/F Back-Side Om-Vihar Sector-1A,Uttam-Nagar,New-Delhi-110059,That I,have changed the name of my-minor son aged about 8-Years,from Daksh Kumar to Daksh Kumar Gupta,for all future purposes.

I, ZUBAIDA KHATOON W/O MOHD NADIM r/o E-281, 4th floor, Budh Nagar, J.J. Colony, Delhi-110012 declare that my date of birth has been wrongly written as 09/06/2002 in Aadhaar no. 77154526889. My correct date of birth is 09/06/2004.

I, VICKAS ZADOO, S/O SHIBEN KRISHEN, R/O- D D Flat no-47-B, D G-2, Vikasपुर West Delhi-110018 have changed my name to VIKAS ZADOO for all purposes.

I, Shradha W/O Sunil Kumar Choubey R/O.Flat No.-503, Aristo Tower, 34 Pavillion, Supertech, Sector-34, Noida, Gautam Budh Nagar, UP-201301 have changed my name to SHRADHA CHOUBEY for all future purposes.

I, Seema Kumari W/O Rajesh Kumar Raghav R/O H.No: 286, Gali No.13, Laxman Vihar, Phase-2, Gurgaon, Haryana, have changed my name to Seema Singh for all Purpose.

I, Sanjay Sharma S/O Bisha Sharma R/O Janta-Flat No.68, Pocket-1, Block-A, Madipur, Paschimpuri, New Delhi-110063,have changed my minor daughter's name Jahnvi Sharma to Jhanvi Sharma.

I, Sangita Pathak W/O Navin Tripathi R/O 243, Main Market, Badarpur, Delhi-110044, have changed my name to Sangeeta Tripathi.

I, Roseline Boje Thakuri D/o Raju Boje r/o 195, G/F, Humayunpur, Safdarjung Enclave, Delhi-110029 have changed my name to Roseline Boje.

I,Faruq H/O Alla Banda R/O,H.No-810, P-4 Block,Sultan Puri,Delhi-110086,have changed my name to Farukh Khan.

I, Reena Mittal W/O Sandeep Mittal R/O G-27/236 Sector-3 Rohini Delhi have changed my name as Reena permanently

I, Ravinder Singh S/O Sunder Singh R/o 3, PWD Colony Session Marg, Karnal, Haryana-132001, have changed my minor daughter's name from Vaishnavi Gusan aged 14 years to Yashika forever

I, Ramesh Kumar Kadian,S/O-Dilbagh Singh,Resident of Flat.No.322, Sector-A-6, Pocket-1, Narela, Delhi-110040, have changed my name RAMESH KUMAR, to RAMESH KUMAR KADIAN,for future,purposes. RAMESH KUMAR is wrong in my passport.

I, Rajesh Kumar Goyal,S/O-Bishan Swaroop Goyal,R/O-28,Samman Bazar Lane, Bhogal Jangpura,New Delhi-110014,have changed my minor,daughter name,from Aanya Goel,to Aanya Goyal,for all purposes.

I, Raj W/O Late Mr Vikesh Kumar R/O H.No.-37A, Kamla Nagar, Delhi, North Delhi, Delhi-110007 have changed my name to Raj Ahuja for all future purposes.

I,Omkar Yadav S/O Lala Ram Yadav R/O 993P Upper Ground Floor Sector-10 Gurgaon, Haryana-122001 have changed my name as Onkar Nath Singh Yadav permanently

I, Niharika Tewari R/o Flat 8120, Tower 8, Mahagun Mowers, Gaur City2, Sector 16C, Noida, 201309 have changed my name to Niharika Tiwari

I, Narendar Singh Matta, alias Narinder Singh, S/O- Late Chuni Lal, R/O-2/11, Double Street, Jangpura Extension, New Delhi-110014, have changed my name, from Narinder Singh Matta, alias Narinder Singh, to Narendar Singh, for all purposes.

I, Naresh Chander Joshi S/o Sadanand Joshi R/o 228/14, Kharsa No-14/14, Gali No-29, Chandan Vihar, Kamal Pur Majra Burari, Delhi-110084, declare That name of mine and my father has been wrongly written as Naresh Chandra Sharma and Sadanand Sharma in my ESIC CARD and EPF Records DLCPM/26887/1127250 and name of mine and my father has been wrongly written as Naresh Chand Sharma and Sadanand Sharma in my LIC Policy and SBI Bank Account and name of mine and my father has been wrongly written as Naresh Chand Sharma and S N Sharma in my ESIC Licence NO-DL01 20010093588. The actual name of mine and my father are Naresh Chander Joshi and Sadanand Joshi, which may be amended accordingly.

I,ABHINAV SEMMAL S/O HARI BALABH SHARMA R/O HOUSE NO-283 GR GARDEN -1, CHIPYANA BUZURG GREATER NOIDA, Sector-22, Gautam Budh Nagar, UP-201009 have changed my name to ABHINAVA SEMMAL 0070802197-1

I, RITA W/O Anil Kumar Singh R/o 388/1, First Floor, Shakti Khand-1, Indirapuram, Ghaziabad-201014 have changed my name to Rita Singhal for all purposes

I, RUBY SHARMA, W/O SH. LAKHIBIR SINGH CHAUHAN R/O 1050C, GALI NO.10, 3RD FLOOR GOVINDPURI, KALKAJI, NEW DELHI-110019 CONFIRM THAT I HAVE CHANGED MY NAME FROM RUBY SHARMA TO RUBY CHAUHAN AFTER MY MARRIAGE TO LAKHIBIR SINGH CHAUHAN ON 27-02-2002. RUBY SHARMA & RUBY CHAUHAN IS SAME PERSON. NOW I WILL USE MY NAME AS RUBY CHAUHAN FOR ALL FUTURE PURPOSES.

I, Anil Kumar Nagar from 3/406, 2nd floor, Vasundhara, Ghaziabad as mentioned in my Aadhaar was known with both Anil Nagar and Anil Kumar Nagar. In future I will be known for Anil Kumar Nagar, for all purposes.

I, Deepati Batra, W/O Vikram Batra, Address- A7/2, Ground Floor, Vasant Vihar New Delhi 110057, Changed my name to Deepati Mahajan Batra.

I, Ruby Sharma, W/O Sh. Lakhbir Singh Chauhan R/o 1050C, Gali No.10, 3rd Floor Govindpuri, Kalkaji, New Delhi-110019 confirm that I have changed my name from Ruby Sharma to Ruby Chauhan after my marriage to Lakhbir Singh Chauhan on 27-02-2002. Ruby Sharma & Ruby Chauhan is same person. Now I will use my name as Ruby Chauhan for all future purposes.

I, Ruby Sharma, W/O Sh. Lakhbir Singh Chauhan R/o 1050C, Gali No.10, 3rd Floor Govindpuri, Kalkaji, New Delhi-110019 confirm that I have changed my name from Ruby Sharma to Ruby Chauhan after my marriage to Lakhbir Singh Chauhan on 27-02-2002. Ruby Sharma & Ruby Chauhan is same person. Now I will use my name as Ruby Chauhan for all future purposes.

### व्यक्तिगत

I, Narender Kumar Gupta S/O Rameshwar Dass Gupta R/O NS-7 Upper Ground Floor, Miya Wali Nagar,Sunder Vihar, Punjabi Bagh Delhi have changed my name as Narender Gupta permanently

I, Lokesh S/O Sanjay R/O Village Jhijnajuli (234) Sonipat Haryana-131103 have changed my name to Sangam for all future purposes.

I, Lakshya Chopra S/O Sumet Chopra R/O-E-15, Mansarovar Garden, N.Delhi-15, have changed my name to Lakshya Chopra.

I, Hema Devi w/o Sh. Vijay Singh Bisht r/o E-184, Gali No. 3, West Vinod Nagar, New Delhi-92 have changed my name from Hema Devi to Hansi Devi for all future purposes.

I, Kusum Devi W/O Bhupendra Singh Rawat R/O 687-A, Munirka Village Delhi-67, declare that my nickname is Pooja Singh. Kusum Devi & Pooja Singh is one and the same person. Hereafter I will use my name Kusum Devi for all purposes.

I, Jagdish Kumar Nagpal S/O Lachman Dass Nagpal R/O 73C, BW-Block, Shalimar Bagh, Delhi have changed my name to Jagdish Nagpal for all purposes.

I, GAURAV CHADDA, S/O HARISH CHADDA, R/O- 141 SF, Ashiyana Green, Ahinsha Khand-2, Indirapuram, Ghaziabad, Uttar Pradesh-201014 have changed my name to GAURAV CHADHA for all purposes.

I, Bhupinder Kaur Chadha,W/O-Narender Singh,R/O-2/1, Double Storey Jangpura Extension,New Delhi-110014,have changed my name,from Bhupinder Kaur Chadha,to Bhupinder Kaur,for all purposes.

I, Ajiit Kaur W/O Malkheet Singh R/O,J-65, Gali.No.-1, Swaroop Nagar, Delhi-110042, have changed my name to AJEET KAUR for all future purposes.

I, Abdul Wakif,S/O Gulam Nabi,R/O-1019, Rajan Street,Farash Khana, Delhi-110006,have changed my name to Abdul Waqif,for all purposes.

I, KUNAL KWATRA, S/O SUNIL KUMAR, R/O-H No- 150A, Near Masjid, Mundka Village, West Delhi-110041 inform that KUNAL KWATRA and KUNAL both are same and one person.

I, Sonal Kalra S/o Sh. Subhash Chander Kalra R/O H.No.407, Dhakka Johar, Behind Parmanand Colony, Nirankari Colony, North West Delhi,Delhi-110009 have changed my name to Sahil Kalra for all purposes.

I, Saakir Ahmed,S/O Khurshid Ahmed R/O,H.No-283-284, Block-P-P, Sultan Puri Delhi-110086,have changed my name to Sakir 0040630197-5

I Krishna Nand Sharma S/o Late Sh. Keshwa Prasad R/O C.No.1803, Gali No.5, Shiv Mandir, Sangam Vihar, Wazirabad, Timarpur, North Delhi, Delhi-110054 have changed my name to Krishna Nand Rai for all purposes.

I Jai Kumar S/O Hari Ram Borkar R/O-1/144, Budh Vihar, Phase-1, Delhi, 110086 have changed my name to Jai Kumar Borkar for all future purposes.

I Jai Krishan, R/O. House No 6 and 7, 2nd floor, Pocket 11, Sector 22 Rohini New Delhi 110086,Have Changed My Name From Jai Krishan To Jai Krishan Jha For All Purposes.

I, Hitherto Known As Anuj,S/O Suraj,Residing At,H.No.38, Shastri Park,Phool Bagh Colony,Ibrahmipur Ext. Gali No.1,Alipur North-West,Delhi-110036,Have Changed My Name And Shall Hereafter Be Known As Anuj Basyal.

I,Devendra S/O Amar Singh R/O Village- Duka, Post- Khadi, Tehsil- Ashta, Distt- Sehore, Madhya Pradesh-466116, have changed my name to Hirdesh Mewada

I,Thinley Tharchin S/O L.C. Bhutia R/O/H.No.8, Block.No.4/Old Camp,Tibetan Colony,Majnu ka Tila,New Aruna Nagar,Delhi-54,have changed my,name to Thinley Tharchin Bhutia for all.Purposes.

I,ABHINAV SEMMAL S/O HARI BALABH SHARMA R/O HOUSE NO-283 GR GARDEN -1, CHIPYANA BUZURG GREATER NOIDA, Sector-22, Gautam Budh Nagar, UP-201009 have changed my name to ABHINAVA SEMMAL 0070802197-1

I, RITA W/O Anil Kumar Singh R/o 388/1, First Floor, Shakti Khand-1, Indirapuram, Ghaziabad-201014 have changed my name to Rita Singhal for all purposes

I, RUBY SHARMA, W/O SH. LAKHIBIR SINGH CHAUHAN R/O 1050C, GALI NO.10, 3RD FLOOR GOVINDPURI, KALKAJI, NEW DELHI-110019 CONFIRM THAT I HAVE CHANGED MY NAME FROM RUBY SHARMA TO RUBY CHAUHAN AFTER MY MARRIAGE TO LAKHIBIR SINGH CHAUHAN ON 27-02-2002. RUBY SHARMA & RUBY CHAUHAN IS SAME PERSON. NOW I WILL USE MY NAME AS RUBY CHAUHAN FOR ALL FUTURE PURPOSES.

I, Anil Kumar Nagar from 3/406, 2nd floor, Vasundhara, Ghaziabad as mentioned in my Aadhaar was known with both Anil Nagar and Anil Kumar Nagar. In future I will be known for Anil Kumar Nagar, for all purposes.

I, Deepati Batra, W/O Vikram Batra, Address- A7/2, Ground Floor, Vasant Vihar New Delhi 110057, Changed my name to Deepati Mahajan Batra.

I, Ruby Sharma, W/O Sh. Lakhbir Singh Chauhan R/o 1050C, Gali No.10, 3rd Floor Govindpuri, Kalkaji, New Delhi-110019 confirm that I have changed my name from Ruby Sharma to Ruby Chauhan after my marriage to Lakhbir Singh Chauhan on 27-02-2002. Ruby Sharma & Ruby Chauhan is same person. Now I will use my name as Ruby Chauhan for all future purposes.

I, Ruby Sharma, W/O Sh. Lakhbir Singh Chauhan R/o 1050C, Gali No.10, 3rd Floor Govindpuri, Kalkaji, New Delhi-110019 confirm that I have changed my name from Ruby Sharma to Ruby Chauhan after my marriage to Lakhbir Singh Chauhan on 27-02-2002. Ruby Sharma & Ruby Chauhan is same person. Now I will use my name as Ruby Chauhan for all future purposes.

I, Ruby Sharma, W/O Sh. Lakhbir Singh Chauhan R/o 1050C, Gali No.10, 3rd Floor Govindpuri, Kalkaji, New Delhi-110019 confirm that I have changed my name from Ruby Sharma to Ruby Chauhan after my marriage to Lakhbir Singh Chauhan on 27-02-2002. Ruby Sharma & Ruby Chauhan is same person. Now I will use my name as Ruby Chauhan for all future purposes.

I, Ruby Sharma, W/O Sh. Lakhbir Singh Chauhan R/o 1050C, Gali No.10, 3rd Floor Govindpuri, Kalkaji, New Delhi-110019 confirm that I have changed my name from Ruby Sharma to Ruby Chauhan after my marriage to Lakhbir Singh Chauhan on 27-02-2002. Ruby Sharma & Ruby Chauhan is same person. Now I will use my name as Ruby Chauhan for all future purposes.

### व्यक्तिगत

मैं, आशिमा पुत्री श्री प्रमोद तंवर, निवासी डब्ल्यू जेड-908, नारायणा रिज रोड, नई दिल्ली-110028 ने भविष्य के सभी उद्देश्यों के लिए मेरा नाम आशिमा से बदलकर आशिमा तंवर कर दिया है।

सर्व विदित हो कि मैंने (मनीष गुप्ता पुत्र स्वो बीकेएन गुप्ता निवासी-91, समर विहार कॉलोनी, आलमबाग, लखनऊ) अपने पुत्र का नाम Arav Gupta से बदलकर Aravv Gupta रख दिया है। अतः भविष्य में उसे सम्मत अभिलेखों व दस्तावेजों में Aravv Gupta के नाम से ही जाना व पहचाना जाये।

मैं, शंकर प्रसाद सिंह S/O स्वर्गीय सरयुग सिंह निवासी, ग्राम- छोट्टी परसहा, वार्ड नंबर-2, पो.-परसहा, थाना-परसहा, जिला-खगड़िया (बिहार) पिन-851212 ने अपना नाम शंकर प्रसाद सिंह से शंकर सिंह शायच पत्र 3649 तिथि 27 अगस्त 2022 के सभी उद्देश्यों के लिए बदल दिया है।

I, Navin Chander S/O M.R. Tripathi R/O 243, Main Market, Badarpur, Delhi-110044, have changed my name to Navin Tripathi.

I,JESMIN KAUR LAMBHA alias JASMINE LAMBA D/O Charanjit Singh Lamba R/O A-24, Naraina Vihar, Delhi-110028 have changed my name to JASMINE LAMBA for all purposes.

I Anurag Nagpal s/o Joginder R/o Y-3C, 2nd floor Lohamandi Naraina New Delhi 110028 have lost my Original Allotment letter, Position letter for the above mentioned property. If found contact 9315304900

### खोया-पाया

I Anurag Nagpal s/o Joginder R/o Y-3C, 2nd floor Lohamandi Naraina New Delhi 110028 have lost my Original Allotment letter, Position letter for the above mentioned property. If found contact 9315304900

I Anurag Nagpal s/o Joginder R/o Y-3C, 2nd floor Lohamandi Naraina New Delhi 110028 have lost my Original Allotment letter, Position letter for the above mentioned property. If found contact 9315304900

I Anurag Nagpal s/o Joginder R/o Y-3C, 2nd floor Lohamandi Naraina New Delhi 110028 have lost my Original Allotment letter, Position letter for the above mentioned property. If found contact 93



# सिद्धू मूसेवाला के पिता को लारेंस गिरोह ने दी जान से मारने की धमकी

चंडीगढ़, 2 सितंबर (जनसत्ता)।

पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला को मौत के घाट उतारने के बाद अब गैंगस्टरों ने उनके पिता को निशाने पर ले लिया है। लारेंस गिरोह ने अब मूसेवाला के पिता बलकौर सिंह को जान से मारने की धमकी दी है।

लारेंस गिरोह के शूटर के नाम से भेजी मेल में कहा गया है कि मूसेवाला के पिता बलकौर सिंह लारेंस और जग्गू भगवानपुरिया की सुरक्षा व्यवस्था पर कुछ न कहें। इसमें यह भी कहा गया है कि मूसेवाला के कातिल शूटर जगुरुप रूपा और मनप्रीत मन्नु का एनकाउंटर भी उनके ही दबाव में हुआ है। धमकी का पता चलते ही पंजाब पुलिस ने खुफिया तौर पर इसकी जांच शुरू कर दी है।

## बेटा खो चुका हूँ, अब उसे इंसाफ दिला कर रहूंगा:बलकौर

शूटर एजे लारेंस के नाम से यह धमकी सिद्धू मूसेवाला की ई-मेल आईडी पर भेजी गई है। इसे सोपू गुप से चेतावनी बताया गया है। धमकी देने वाले ने लिखा - सुनो सिद्धू मूसेवाला के बाप, लारेंस, जग्गू भगवानपुरिया हमारे भाईयों की सुरक्षा को लेकर अगर कुछ बोलेंगे तो पता भी नहीं लगेगा। तुझे मार कर चले जाएंगे। तू और तेरा बेटा इस देश के मालिक नहीं हो। जो तुम चाहोगे, उसे सुरक्षा मिलेगी। तेरे बेटे ने हमारे भाईयों को मरवाया और हमने तेरे बेटे को मार दिया। हम भूले नहीं हैं मनप्रीत मन्नु और जगुरुप रूपा का फर्जी एनकाउंटर हुआ है। तुम्हें भी नहीं

भूलना चाहिए क्योंकि यह सब तेरे दबाव में हुआ है। सौ बात की एक बात, अगर तू ज्यादा बोला तो तेरा हाल सिद्धू से ज्यादा भयानक होगा।

इस पर मूसेवाला के पिता का भी जवाब आ गया है। उन्होंने कहा कि मेरे बेकसूर बेटे को मार दिया गया। मेरे पास अब खोने को कुछ नहीं है। मैं किसी की धमकी से नहीं डरता। मैं सिद्धू को इंसाफ दिलाकर रहूंगा। मैं चुप नहीं बैठूंगा।

सिद्धू मूसेवाला के पिता कई बार गैंगस्टर लारेंस और जग्गू भगवानपुरिया की सुरक्षा का मुद्दा उठा चुके हैं। बलकौर सिंह ने कहा कि जो कानून आम आदमी के लिए बने, उसका फायदा गैंगस्टर उठा रहे हैं। लारेंस और जग्गू पर इतने परचे दर्ज हैं, फिर भी उन्हें सुरक्षा दी जा रही है।

# शिरोमणि अकाली दल में लागू हुआ 'एक परिवार, एक टिकट' का नियम

सुखबीर बादल ने विधानसभा चुनाव के लिए जारी किए नए नियम

चंडीगढ़, 2 सितंबर (जनसत्ता)।

पंजाब में विधानसभा चुनाव के बाद अपनी ही पार्टी के निशाने पर चल रहे शिरोमणि अकाली दल प्रधान सुखबीर सिंह बादल ने संगठन के लिए नए नियमों का ऐलान करते हुए सत्ता का लक्ष्य निर्धारित कर दिया है।

अकाली दल में अब एक चुनाव में एक परिवार के एक ही सदस्य को टिकट मिलेगी। कोई भी जिला प्रधान चुनाव नहीं लड़ेगा। सुखबीर बादल ने शुक्रवार को चंडीगढ़ स्थित पार्टी मुख्यालय में बैठक में बाद यह घोषणा की। सुखबीर ने यह भी साफ किया कि अकाली दल किसी की जायदाद नहीं है। सौ साल पहले यह पंथ को बचाने के लिए बना था। अकाली दल पंजाब का है। अकाली दल में अब कोई एक

प्रधान लगातार दो बार रह सकता है। तीसरी बार इस पद पर आसीन होने के लिए उसे बीच में एक टर्म यानी पांच साल के लिए ब्रेक लेनी होगी। सुखबीर ने कहा कि अकाली दल में संसदीय बोर्ड का गठन किया जाएगा। बोर्ड तय करेगा कि चुनाव के वक्त किस क्षेत्र से कौन सा बेहतर उम्मीदवार होगा। पार्टी के जिला या यूथ प्रधान और राज्य इकाई के नेता सिर्फ पूर्ण सिखों को बनाया जाएगा। पार्टी का जिला प्रधान चुनाव नहीं लड़ेगा। अगर चुनाव लड़ना है तो उससे पहले जिला प्रधान का पद छोड़ना होगा। पंजाब के 117 विधानसभा क्षेत्रों में 50 प्रतिशत सीटें 50 साल से नीचे के युवाओं को दिए जाएंगे। युवा अकाली दल के लिए आयु सीमा तय की जाएगी। अब 35 साल से नीचे वाला ही इसका सदस्य बनेगा।

# अंबाला में हेरोईन की तस्करी के आरोप में चार गिरफ्तार

अंबाला, 2 सितंबर (जनसत्ता)।

अंबाला पुलिस ने गत रात्रि शास्त्रीनगर के पास दो महिलाओं सहित चार लोगों को 1 किलोग्राम हेरोइन सहित काबू किया है। हेरोइन की क्रीम करीब पाँच करोड़ बतानी जा रही है। पुलिस के मुताबिक आरोपी दिल्ली से हेरोइन खरीदकर अंबाला में सप्लाय कर रहे थे। आरोपियों को 3 दिनों के पुलिस रिमांड पर लिया गया है।

पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि डेहा कॉलोनी की अंजली, रेखा और अनवर हेरोइन सप्लाय करने का धंधा करते हैं और वे किराए की रिवफ्ट में दिल्ली से हेरोइन लेने गए हुए हैं। थोड़ी देर तक शाहाबाद की तरफ से वापस डेहा कॉलोनी की तरफ जाएंगे। पुलिस ने शास्त्री कॉलोनी कट पर नाकाबंदी करके आरोपियों को काबू कर लिया। पुलिस द्वारा गाड़ी में बैठी अंजली व रेखा के पर्स की तलाशी लेने पर 300-300 ग्राम हेरोइन बरामद हुई। अनवर की जेब से 400 ग्राम हेरोइन बरामद हुई।

# पंचकूला की रेहड़ी मार्केट में लगी आग से प्रभावित दुकानदारों से मिले मुख्यमंत्री



पंचकूला, 2 सितंबर (जनसत्ता)।

हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आज पंचकूला के सेक्टर-9 स्थित रेहड़ी मार्केट में गुरुवार रात लगी आग से प्रभावित दुकानदारों से मुलाकात की। उन्होंने घटना पर दुःख जताया और कहा कि इस दुख की घड़ी में हरियाणा सरकार दुकानदारों के साथ खड़ी है। मुख्यमंत्री ने सरकार की ओर से सभी प्रभावित करीब 100 दुकानदारों को 25 हजार रुपए प्रारंभिक राहत प्रदान करने की घोषणा की। वहीं मुख्यमंत्री व्यापारी क्षतिपूर्ति बीमा योजना के जरिए प्रभावित दुकानदारों की वित्तीय सहायता का भरसा दिया। उन्होंने कहा कि नुकसान का आकलन करने के बाद दुकानदारों की वित्तीय सहायता की जाएगी।

मनोहर लाल ने कहा कि व्यापारियों के हितों की

रक्षा के दृष्टिगत सरकार द्वारा समय-समय पर कदम उठाए जाते हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा व्यापारियों और दुकानदारों के लिए मुख्यमंत्री व्यापारी क्षतिपूर्ति बीमा योजना चलाई जा रही है। इसके तहत उनकी संपत्ति का नुकसान होने पर उन्हें बीमा प्रदान किया जाता है। योजना के तहत व्यापारी का सामान चोरी होने और आग लगने से नुकसान आदि के मामले में उन्हें वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

उल्लेखनीय है कि गुरुवार रात्रि पंचकूला के सेक्टर-9 की रेहड़ी मार्केट में भयंकर आग लग गई थी। आग की चपेट में कई दुकानें आईं। दुकानों में रखा सामान आग की भेंट चढ़ गया। अग्निशमन विभाग ने कई घंटों की कड़ी मशकत के बाद आग पर काबू पाया लेकिन तब तक दुकानदारों का काफी नुकसान हो गया था।

# एसआईटी करेगी चर्च में हुई तोड़फोड़ की जांच

चंडीगढ़, 2 सितंबर (जनसत्ता)।

पंजाब के तरनतारन स्थित चर्च में तोड़फोड़ की घटना के बाद ईसाई समुदाय जहां सुरक्षा की गृहारा लगाते हुए हाईकोर्ट में शरण में पहुंच गया है वहीं पंजाब पुलिस ने चर्च में तोड़फोड़ व आगजनी की घटना की जांच के लिए एसआईटी का गठन कर दिया है। फिरोजपुर रेंज के आईजी एसआईटी का नेतृत्व करेंगे। तरनतारन के चर्च में आधी रात को कुछ अज्ञात हमलावरों ने प्रभु योशू र मां मरियम को खूबी का सिर तोड़ दिया। वहां खड़ी पादरी की कार को आग लगा दी थी। उन्होंने चौकीदार को बंधक बनाकर इस वारदात को अंजाम दिया। यह पूरी वारदात वहां लगे सीसीटीवी में कैद हो गई।

घटना के बाद मुख्यमंत्री भगवंत मान ने डीजीपी को जांच के आदेश दिए थे। डीजीपी गौरव यादव और ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के एडीजीपी बी.चंद्रशेखर ने फिरोजपुर रेंज के आईजी की अगुआई में एसआईटी बना दी है। जिसमें तरनतारन के एसएसपी और एसपी इन्वेस्टिगेशन को मंत्र रखना गया है। शुक्रवार को डीजीपी ने बताया कि एसआईटी पूरे घटनाक्रम की जांच करेगी। एसआईटी चाहे तो किसी दूसरे आफसर को भी अपने साथ शामिल कर सकती है।

इस बीच ईसाई समाज पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट पहुंच गया है। नेशनल क्रिश्चियन लीग ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। उन्होंने तरनतारन के चर्च में तोड़फोड़ और कार फूंकने का हवाला दिया। जिसके बाद ईसाई भाईचारे और चर्चों के लिए सिक्किमिटी की मांग की है।

# हरियाणा में 870 पीजीटी शिक्षकों की तबादला सूची फिर से जारी

चंडीगढ़, 2 सितंबर (जनसत्ता)

हरियाणा में शिक्षकों के तबादले शिक्षा विभाग के गले की फांस बन गए हैं। पहली तबादला सूची में ढेरों खामियां होने के कारण शुक्रवार को सरकार ने नए सिरे से 870 पीजीटी अध्यापकों की तबादला सूची दोबारा जारी कर दी है।

हरियाणा में अध्यापकों की आनलाइन तबादला मुहिम करीब दो माह से विवाद का कारण बनी हुई है। तबादलों की सूची जारी होने के बाद अध्यापकों ने सुगम संपर्क पोर्टल पर अपनी ढेरों आपत्तियां दर्ज करवाईं। इन आपत्तियों के अनुसार सरकार द्वारा हालही में अध्यापकों की तबादला सूची जारी की गई थी। जिसमें कई स्कूल ऐसे थे जहां नौवीं से 12वीं कक्षा तक 200 बच्चे होने के बावजूद अंग्रेजी अनिवार्य विषय का अध्यापक नहीं दिया गया। कई स्कूल ऐसे थे जहां छात्र संख्या कम होने के बावजूद जरूरत

से अधिक अध्यापकों को तैनात कर दिया। सरकार द्वारा जारी पहली तबादला सूची में पता चला कि अधिक अंक होने के बावजूद कई अध्यापकों को कोई भी स्कूल आवंटित नहीं किया गया। अध्यापकों की मैरिट को दरकिनार कर कम अंक वालों को स्टेशन दिए गए। हरियाणा सरकार के दावों के बावजूद संस्कृति मॉडल स्कूल में से अधिकतर स्टॉफ का तबादला कर दिया गया। विभाग ने अपने स्तर पर साक्षात्कार लेकर तबादलों में कई स्कूल ऐसे भी मिले जहां कक्षा 6 से 12 तक विज्ञान विषय को पढ़ाने के लिए कोई भी अध्यापक नहीं है। इस उदात्पटक के चलते शिक्षा विभाग ने अपने स्तर पर जांच करवाई तो अध्यापक संगठनों के दावों को सही पाया गया। जिसके चलते विभाग ने शुक्रवार को नए सिरे से 870 अध्यापकों की दूसरी तबादला सूची जारी करके विभागीय खामियों को दूर करने का प्रयास किया है।

# दुष्यंत चौटाला ने नागरिक उड्डयन विभाग के अधिकारियों को फटकारा

चंडीगढ़, 2 सितंबर (जनसत्ता)।

हरियाणा के उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने नागरिक उड्डयन विभाग की विभिन्न परियोजनाओं में हिलाई बरतने वाले अधिकारियों की फटकार लगाते हुए अपनी कार्यशैली में सुधार करने के निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने प्रदेश की विभिन्न हवाई पट्टियों के विस्तार को लेकर केवल वर्तमान परिप्रेक्ष्य ही नहीं बल्कि अगले 20 वर्षों का विजन लेकर चलें जिससे कि उड्डयन क्षेत्र में हरियाणा एक रोल-मॉडल बन सके।

उपमुख्यमंत्री, जिनके पास नागरिक उड्डयन विभाग का प्रभार भी है, ने शुक्रवार को विभाग के विभिन्न प्रोजेक्ट्स की जानकारी ली। इस अवसर पर नागरिक उड्डयन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव अंकुर गुप्ता, सलाहकार के.मकरंद पांडुरंग, उपमुख्यमंत्री के ओएसडी कमलेश भादु के अलावा विभाग के अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। दुष्यंत चौटाला ने अधिकारियों से विभाग की पिछली बैठक में दिए गए निर्देशों का हवाला देते हुए एक-एक

अधिकारी से जवाब तलबी की। उन्होंने भिवानी, नारनौल, करनाल तथा पिंजौर हवाई पट्टियों के भविष्य में विस्तार की योजना के लिए अतिरिक्त जमीन के लिए प्रबंध करने बारे पूछा।

इस अवसर पर अधिकारी कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए जिस पर उन्होंने खिंचाई करते हुए कहा कि इस विस्तार के लिए ई-भूमि पर जमीन के लिए आवेदन क्यों नहीं मांगे गए हैं। उपरोक्त हवाई पट्टियों की आवश्यकता अनुसार उन्होंने तुरंत ई-भूमि पर जमीन की डिमांड को अपलोड करने के निर्देश दिए। उन्होंने उक्त प्रोजेक्ट्स के साथ स्काई-ड्राइविंग व अन्य एडवेंचर स्पोर्ट्स के लिए प्लान तैयार कर कार्रवाई करने के निर्देश दिए।

उपमुख्यमंत्री ने हिसार में बन रहे अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा में निर्माणार्थीन हवाई पट्टी व अन्य आधारभूत ढांचे को लेकर अधिकारियों से जानकारी ली और हिसार-बरवाला रोड के वैकल्पिक रोड बनाने की प्रक्रिया में तेजी लाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इस अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा के पूरा होने के बाद पूरे प्रदेश में विकास को गति मिलेगी।

RELEVANT PARTICULARS	
1. Name of the corporate debtor	AUTOCOP (INDIA) PRIVATE LIMITED
2. Date of incorporation of corporate debtor	18 <sup>th</sup> September, 1991
3. Authority under which corporate debtor is incorporated / registered	Registrar of Companies - Mumbai
4. Corporate identity number / limited liability identification number of corporate debtor	U74999MH1991PTC063312
5. Address of the registered office and principal office (if any) of corporate debtor	Plot No. F- 14, Ambad MIDC, Nashik (Maharashtra) 422010
6. Insolvency commencement date of the corporate debtor	16 <sup>th</sup> March, 2022. The Copy of the Order Received by Interim Resolution Professional on 21 <sup>st</sup> March, 2022
7. Revised Date of invitation of expression of interest	3 <sup>rd</sup> September, 2022
8. Eligibility for resolution applicants under section 25(2)(h) of the Code is available at:	<a href="http://autocopinodia.com">http://autocopinodia.com</a>
9. Norms of ineligibility applicable under section 29A are available at:	<a href="http://autocopinodia.com">http://autocopinodia.com</a>
10. Last date for receipt of expression of interest	14 <sup>th</sup> September, 2022
11. Date of issue of provisional list of prospective resolution applicants	23 <sup>rd</sup> September, 2022
12. Last date for submission of objections to provisional list	28 <sup>th</sup> September, 2022
13. Date of issue of final list of prospective resolution applicants	8 <sup>th</sup> October, 2022
14. Date of issue of information memorandum, evaluation matrix and request for resolution plans to prospective resolution applicants	28 <sup>th</sup> September, 2022
15. Manner of obtaining request for resolution plan, evaluation matrix, information memorandum and further information	Resolution Applicant may contact the Resolution Professional at the Contact Details mentioned against Serial No. 21 for obtaining Request for Resolution Plan, Evaluation Matrix, Information Memorandum and any further Information if required.
16. Last date for submission of resolution plans	27 <sup>th</sup> October, 2022
17. Manner of submitting resolution plans to resolution professional	In the electronic form on the email id <a href="mailto:madan.vaishnawa@icai.org">madan.vaishnawa@icai.org</a> or in Password Protected Pen Drive or through speed post or hand delivery in sealed envelope at the address given in Serial no. 21.
18. Estimated date for submission of resolution plan to the Adjudicating Authority for approval	As soon as approved by Committee of Creditors (COC)
19. Name and registration number of the resolution professional	Madan Bajarang Lal Vaishnawa (IBBI/IPA-001/IIP-P02011/2020-21/13052)
20. Name, Address and e-mail of the resolution professional, as registered with the Board	Madan B Vaishnawa Address: 341-704 Kalpataru Sriшти Sector 3 Mira Road (East) Thane (MS) 401107 Email Id: <a href="mailto:madan.vaishnawa@icai.org">madan.vaishnawa@icai.org</a>
21. Address and email to be used for correspondence with the resolution professional	Madan B Vaishnawa Plot No. F- 14, Ambad MIDC, Nashik (Maharashtra) 422010 Email Id: <a href="mailto:circ.autocop@gmail.com">circ.autocop@gmail.com</a>
22. Further Details are available at or with	Madan B Vaishnawa Plot No. F- 14, Ambad MIDC, Nashik (Maharashtra) 422010 Email Id: <a href="mailto:circ.autocop@gmail.com">circ.autocop@gmail.com</a> Website: <a href="http://www.autocopinodia.com">www.autocopinodia.com</a>
23. Date of publication of Amended Form G	3 <sup>rd</sup> September, 2022

For: AUTOCOP (INDIA) PRIVATE LIMITED SD/ CA Madan B Vaishnawa Interim Resolution Professional IBBI/IPA-001/IIP-P02011/2020-21/13052 405 - 407, Hind Rajasthan Building, DS Phalke Road, Dadar (E), Mumbai - 400014.

आधुनिक रेल डिब्बा कारखाना, रायबरेली				
भारत के राष्ट्रपति की ओर से उप मुख्य यांत्रिक इंजीनियर/शैल, आधुनिक रेल डिब्बा कारखाना, रायबरेली द्वारा निम्नलिखित कार्य के लिये एकल पैकेट प्रणाली आधारित खुली निविदा सूचना सं.: एमसीएफ/आरबीएल/टेंडर/सामग्री की आपूर्ति के साथ एलएस टूफ का निर्माण और फिटमेंट/2022-23/सीए/17 दिनांक: 30.08.2022, आईआरडीपीएस के पोर्टल <a href="http://www.ireps.gov.in">www.ireps.gov.in</a> के माध्यम से आमंत्रित की जाती है:- कार्य का नाम: कार्य के दायरे के अनुसार सामग्री की आपूर्ति के साथ एलएस टूफ का निर्माण, फिटमेंट और बेल्डिंग, कार्य की अनुमानित लागत (₹): ₹ 44,59,692.00, निविदा प्रपत्र का मूल्य (₹): ₹ 3,000, अमानत राशि (₹): ₹ 89,200.00 (₹ नवासी हजार दो सौ) मात्र, कार्य की अवधि: शैड्यूल के अनुसार, कार्य समाप्त की अवधि: 12 माह, निविदा बंद होने की तिथि एवं समय: दिनांक 22.09.2022 को 15:00 बजे। नोट: (1) निविदा सूचना, एलजीबिलिटी क्राइटेरिया, टर्मस एवं कंडीशन IREPS वेबसाइट <a href="http://www.ireps.gov.in">www.ireps.gov.in</a> पर निविदा प्रपत्र में उपलब्ध है।				
उप मुख्य यांत्रिक इंजीनियर/शैल				
भारत के राष्ट्रपति की ओर से उप मुख्य गुणवत्ता प्रबंधक, आधुनिक रेल डिब्बा कारखाना, रायबरेली द्वारा निम्नलिखित कार्य के लिये खुली ई-निविदा सूचना संख्या M-300-MCF-ISO-Greenco-22, दिनांक 30.08.2022 के माध्यम से एकल पैकेट प्रणाली पर आधारित खुली ई-पोर्टल के तहत भारतीय निविदा <a href="http://www.ireps.gov.in">www.ireps.gov.in</a> के माध्यम से आमंत्रित की जाती है:- कार्य का नाम: आधुनिक रेल डिब्बा कारखाना, रायबरेली, उत्तर प्रदेश-229120 में कार्य क्षेत्र के अनुसार, प्रीनको रॉटिंग सिस्टम/प्रीनको इंडस्ट्रीज इकाई के दस्तावेजीकरण, कार्यन्वयन और प्रमाणन के लिए सीआईआई-प्रीनको फेसिलिटेटरों का अधिग्रहण, कार्य की अनुमानित लागत (₹ में): ₹ 8,61,400/-, अमानत राशि (₹ में): ₹ 17,300.00, निविदा प्रपत्र का मूल्य (₹ में): ₹ 2,000.00 मात्र, कार्य समाप्त की अवधि: 36 माह । • निविदा प्रपत्र जमा करने की अवधि: दिनांक 08.09.2022 से 30.09.2022 तक । • निविदा बंद होने की तिथि एवं समय: दिनांक 30.09.2022 को 15:15 बजे तक । • निविदा खुलने की तिथि एवं समय: दिनांक 30.09.2022 को 15:30 बजे से । • निविदा सूचना, एलजीबिलिटी क्राइटेरिया, टर्मस एवं कंडीशन इंडियन रेलवेज IREPS वेबसाइट <a href="http://www.ireps.gov.in">www.ireps.gov.in</a> पर निविदा प्रपत्र में उपलब्ध है। नोट: (1) निविदाकार अपनी मूल/संशोधित निविदा को निविदा बंद होने की तिथि एवं समय तक जमा कर सकते हैं। इस निविदा के लिए पूर्व प्रकाशित मैनुअल आफर प्रक्रिया अनुमेष नहीं है और यदि कोई मैनुअल ऑफर प्राप्त होता है तो उस ऑफर पर विचार नहीं किया जाएगा। (2) निविदा प्रपत्र का मूल्य का भुगतान केवल ऑनलाइन नेट बैंकिंग द्वारा प्रधान वित्त सलाहकार/आधुनिक रेल डिब्बा कारखाना, रायबरेली के पक्ष में अथवा IREPS पोर्टल पर उपलब्ध गैरवै मुभतान प्रक्रिया के द्वारा स्वीकार किया जाएगा। डिमांड ड्राफ्ट, बैंकर्स चेक, जमा रसीद एवं फिक्स्ड डिमांड रसीद इत्यादि द्वारा भुगतान मान्य नहीं है।				
उप मुख्य गुणवत्ता प्रबंधक				
ई-इवेंट्स/इंड्रस्ट्री टेंडर नोटिस सं. 35/ईटी/2022-23 दिनांक: 30.08.2022				
क्र.सं.	निविदा सं.	माल का विवरण	मात्रा	नियत तिथि
01	03221524	एलएम माडर्निंग इक्विस यूएनईक्यू एगिल (3.2 x 19 x 25.4) एल = 1.8	21650 नग	27.09.2022
		एलएम माडर्निंग इक्विस यूएनईक्यू एगिल (2.5 x 35 x 55) एल = 1.8	6918 नग	
02	03221596	एलएम इन्वेंट डक्ट फॉर पीसी (एलएचबी)	159 नग	02.11.2022
03	06221072	पीयू बेसड वेट आन वेट पेन्ट अल्मीनेकल एक्सटेंडिबल पेंटिंग सिस्टम फॉर एलएचबी कोचेज	330 सेट	10.10.2022
04	04221166	डोर अरंजमेंट (आरएच एण्ड एलएचबी)	396 सेट	20.09.2022
05	06221050F	सप्लाय एण्ड अफीकेशन ऑफ अडोशन प्रोमोटींग प्राइमर (इंटीसीए पराईमर) फॉर इंटीरियर एण्ड एक्सटिरियर ऑफ एलएचबी कोचेज	141236 लीटर	26.09.2022
06	05221392	500 के.बी.ए., 750 वोल्ट, 3 फेज डीजल अल्टरनेटर सेट फॉर एलएचबी पावर कार	229 सेट	23.09.2022
		हार्नेस ऑफ अंडरफ्रेम एंड रूफ अरंजमेंट फॉर एलएचबी इंडोजी एलएफसीडब्ल्यूसी ट्रायप कोचेज	17 सेट	
07	05221282G	हार्नेस ऑफ अंडरफ्रेम एंड रूफ अरंजमेंट फॉर एलएएसएलआरडी ट्रायप कोचेज	17 सेट	28.09.2022
		हार्नेस ऑफ अंडरफ्रेम एंड सुपर स्ट्रक्चर अरंजमेंट फॉर एलएओजी कम्पाईन्ट एलएचबी इंडोजी हाई कैपैसिटी पारसेल वैन कोचेज	26 सेट	
<b>शुद्धि पत्र</b>				
01	28/ईटी/2022-23 दिनांक: 05.08.2022	टेंडर नं. 06221084	निविदा खुलने की तिथि: 29.08.2022 स्थान पर तिथि 09.09.2022 पड़े।	
Website Address: <a href="http://www.ireps.gov.in">www.ireps.gov.in</a> & <a href="http://www.mcf.indianrailways.gov.in">www.mcf.indianrailways.gov.in</a> उप मुख्य सामग्री प्रबंधक/शैल				
आह्वान की सेवा में मुस्कान के साथ				

MOREPEN LABORATORIES LIMITED	
CIN: L24231HP1984PLC006028	
Regd. Off.: Morepen Village, Nalagarh Road, Baddi, Distt. Solan, H.P. - 173 205, INDIA Tel.: +91-1795-266401-03, 244590, Fax: +91-1795-244591	
Corp. Off. : 2nd Floor, Tower C, DLF Cyber Park, Udyog Vihar-III, Sector 20, Gurugram, Haryana-122016, INDIA	
Tel: +91 124 489 2000, E-mail: <a href="mailto:investors@morepen.com">investors@morepen.com</a> , Website: <a href="http://www.morepen.com">www.morepen.com</a>	
NOTICE OF 37 <sup>TH</sup> ANNUAL GENERAL MEETING, E-VOTING INFORMATION AND BOOK CLOSURE	
Notice is hereby given that the 37 <sup>th</sup> Annual General Meeting ("AGM") of the members of Morepen Laboratories Limited ("the company") will be held on <b>Tuesday, 27<sup>th</sup> September 2022 at 12:30 p.m.</b> through Video Conferencing/Other Audio Visual Means ("VC"/ "OAVM") in compliance with all the applicable provisions of the Companies Act, 2013 and the rules made thereunder ("the Act") and Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, as amended, ("Listing Regulations") read with applicable circulars issued by Ministry of Corporate Affairs and Securities and Exchange Board of India ("SEBI"), to transact the ordinary and special businesses, as set out in the notice calling AGM.	
<b>Notice of AGM:</b> The notice together with the Annual Report for the financial year 2021-22 has been sent in electronic mode to members whose e-mail addresses are registered with the company/ Registrar & Share Transfer Agent ("RTA")/ Depositories and hard copies of notice along with Annual Report has been sent to those members who have requested for the same. The notice of the AGM together with the Annual Report is also available on the website of the company at <a href="http://www.morepen.com">www.morepen.com</a> , websites of the Stock Exchanges i.e., BSE Limited and National Stock Exchange of India Limited at their respective websites viz., <a href="http://www.bseindia.com">www.bseindia.com</a> and <a href="http://www.nseindia.com">www.nseindia.com</a> and on the website of National Securities Depository Limited ("NSDL") at <a href="http://www.evoting.nsdl.com">www.evoting.nsdl.com</a>	
<b>Book closure period:</b> Pursuant to Section 91 of the Act, notice is also hereby given that the Register of Members and Share Transfer Books of the company will remain closed from <b>Wednesday, 21<sup>st</sup> September 2022 to Tuesday, 27<sup>th</sup> September 2022 (both days inclusive)</b> for the purpose of AGM.	
<b>Voting:</b> Pursuant to Regulation 44 of the Listing Regulations read with Section 108 of the Act and the relevant rules made thereunder, the company has availed the services of NSDL to facilitate the members to exercise their right to vote by remote e-voting and e-voting at AGM. The detailed process for participating in the remote e-voting and e-voting at AGM is available in the notice of the meeting. The members of the company holding shares in either physical or dematerialized form as on <b>Tuesday, 20<sup>th</sup> September 2022</b> , being the cut-off date, may cast their vote electronically by remote e-voting. Additionally, the company is providing the facility of voting through e-voting system during the AGM, detailed procedure for e-voting is provided in the notice of the AGM.	
The remote e-voting period will commence on <b>Friday, 23<sup>rd</sup> September 2022</b> at 9.00 a.m. and end on <b>Monday, 26<sup>th</sup> September 2022</b> at 5:00 p.m. The results of voting would be declared as stipulated under the relevant rules and will also be posted on the website of the company, stock exchanges and NSDL.	
We hereby state that:	
a) remote e-voting shall not be allowed beyond <b>Monday, 26<sup>th</sup> September 2022</b> after 5:00 P.M.	
b) the facility for e-voting by the members, who have not voted through remote e-voting, shall be available at the AGM.	
c) a member may participate in the AGM even after exercising his/her right to vote through remote e-voting but shall not be allowed to vote again at the AGM through e-voting during the AGM.	
d) a person, whose name is recorded in the Register of Members or in the Register of Beneficial Owners maintained by the Depositories as on the cut-off date only shall be entitled to avail the facility of remote e-voting as well as e-voting at the AGM and the voting rights of the members shall be in proportion to their shares of the paid up equity share capital of the Company as on the cut-off date.	
e) any person, who acquires shares of the company and becomes a member of the company after sending of the notice and holding shares as of the cut-off date, may obtain the login ID and password by sending a request at <a href="mailto:evoting@nsdl.co.in">evoting@nsdl.co.in</a> . However, if he/she is already registered with NSDL for remote e-voting then he/she can use his/her existing user ID and password for casting the vote.	
Members are also requested to refer frequently asked questions ("FAQ") for shareholders and e-voting user manual for shareholders available at the downloads section of NSDL at <a href="http://www.evoting.nsdl.com">www.evoting.nsdl.com</a>	
In case of any query or issue regarding e-voting or grievance connected with the facility for voting by electronic mode/ attending AGM through VC/OAVM, the concerned person may contact to Ms. Pallavi Mhatre, Assistant Manager, NSDL at <a href="mailto:evoting@nsdl.com">evoting@nsdl.com</a> / 1800-1020-990 / 1800-2244-30 or Mr. Deepanshu Rastogi, Assistant Manager, MAS Services Limited at <a href="mailto:info@masserv.com">info@masserv.com</a> / 011-26387281/82/83.	
<b>For Morepen Laboratories Limited</b>	
<b>Sushil Suri</b> (Chairman & Managing Director)	
<b>DIN: 00012028</b>	
<b>Date: 2<sup>nd</sup> September 2022</b>	
<b>Place: Gurugram, Haryana</b>	



## लाहौल से दो लाख रुपए चुराने वाला चोर झारखंड से गिरफ्तार

कुल्लू, 2 सितंबर (जनसत्ता)।

लाहौल स्पीट पुलिस ने दो लाख रुपए लेकर फरार हुए चोर को 1,850 किलोमीटर दूर झारखंड में पकड़ लिया है। यह शातिर चोर उमेश 17 जून को केलंग में एक होटल से अपने मालिक के दो लाख रुपए से भरे बैग को लेकर भाग गया था। पुलिस ने झारखंड के गांव दतरी जिला लुहरदगा से उसे गिरफ्तार किया और उससे

1,83,000 रुपए भी बरामद कर लिए हैं।

प्राप्त जानकारी कुल्लू निवासी सुभाष चंद ने केलंग थाने में पैसे चोरी होने की शिकायत दर्ज करवाई थी। सहायक उप निरीक्षक मलकीत सिंह की अगुआई में पुलिस जवान अजय कुमार, विजय कुमार, रजत डोगरा की टीम दिल्ली व झारखंड के लिए रवाना हुए। लाहौल स्पीट पुलिस झारखंड पुलिस के सहयोग से 30 व 31 अगस्त को आरोपी को झारखंड के दतरी से पकड़ने में सफलता हासिल की।

## धर्मशाला के खनियारा में बादल फटने से तबाही

## इंद्रनाग मंदिर के ऊंचाई वाले इलाके कटई में फटे थे बादल

सुभाष मेहरा

धर्मशाला, 2 सितंबर।

धर्मशाला के इंद्रनाग मंदिर के ऊंचाई वाले इलाके कटई में शुक्रवार बाद दोपहर बादल फटने से आए मलबे ने एशिया में स्लेट खनन के लिए मशहूर खनियारा गांव में तबाही मचा दी। धौलाधार पर्वत शृंखला के तहत धर्मशाला के इस ऊपरी क्षेत्र में आसमान से थोक में बरसा पानी खनियारा से मोहली को जोड़ने वाले घुरलू पुल को अपने साथ बहा ले गया है जबकि पंद्रह से बीस घर क्षतिग्रस्त हुए हैं तो चार छोटी दुकानें नक्शों से गायब हो गई हैं। इसके अलावा बाढ़ ने दो पुलों को ढहने के कगार पर पहुंचा दिया है।

जानकारी के मुताबिक इंद्र नाग से नीचे

खनियारा के गली मोहल्ले के बाहर और सड़कों पर खड़ी स्कूटी, बाइक और कार जीप समेत पच्चीस गाड़ियां भी बह गई हैं। धर्मशाला में आज, शुक्रवार सुबह से ही रूक रूक कर बारिश हो रही थी। बीच में थोड़ी देर थमने के बाद दोपहर खंडीता की उपरी पहाड़ियां गहरे काले घने बादलों से घिर गईं और उसके बाद खनियारा के लोगों की आस्था के केंद्र बारिश के देवता इंद्र नाग मंदिर के आसपास जमकर बारिश हुई और बाढ़ जैसे हालात बने। इसके



बाद जल प्रलय के रूप में कुदरती आपदा ने खनियारा गांव और साथ लगते इलाके में कहर बरपा दिया। हालांकि इससे कोई यहां

कोई जानी नुकसान तो नहीं हुआ अलबत्ता खनियारा गांव को जोड़ने वाली विभिन्न गलियों पर बनी तकरीबन एक दर्जन पुलिया ध्वस्त हो चुकी हैं तो बिजली ट्रांसफार्मर को काफी नुकसान पहुंचा है।

पहाड़ से नीचे की ओर आए टनों के हिसाब से मिट्टी और चट्टानी मलबे के साथ घुटनों तक दलदल ने पुरातन और पारंपरिक शैली के इन कच्चे मकानों के अलावा पक्के घरों की दरो-दीवारों भी कमजोर कर दी है। इस बीच घटना की सूचना मिलते ही दमकल कर्मी, पुलिस और गृह रक्षा जवानों के साथ जिला प्रशासन मौके पर है और नुकसान का जायजा ले रहा है।

Himachal Pradesh Public Work Department INVITATION FOR BIDS (IFB)							
1. The Executive Engineer, Shimla Division No-III, HPPWD, Shimla-3 on behalf of Governor of H.P invites the item rate bids, in electronic tendering system, from the eligible class of contractors registered with HPPWD, for the work as detailed in the table.							
Sr. No.	Name of Work	Estimated Cost	Starting date of downloading Bid	EMD	Cost of Tender	Time	Deadline for submission of bid
1	Special repair to Govt. Degree College Sangjull, (SH:- Providing and Fixing polypropylene reinforced roofing and rain water pipes, painting and distemping etc.)	Rs. 12,05,537/-	07-09-2022	Rs. 24,110/-	Rs. 500/-	One Month	13-09-2022
The bidders are advised to note other details of tenders from the department website www.hptenders.gov.in. The Executive Engineer reserves the right to accept/reject any tender/application without assigning any reason.							
3712/HP "HIM SUCHANA AWAM JAN SAMPARK"							

HIMACHAL PRADESH PUBLIC WORKS DEPARTMENT Telephone No. 01970233116 E-mail ID: ee-deh-hp@nic.in INVITATION FOR BIDS (IFB)						
The Executive Engineer Dehra Division HPPWD Dehra H.P. on behalf of Governor of H.P invites the item rate bids, in the electronic tendering system from the eligible class of contractors registered with HPPWD for the works as detailed in the table.						
Sr. No.	Name of work	Estimated Cost (Rs.)	Starting date for downloading Bid	Earnest Money	Deadline for submission of Bid.	
1	C/o Masroor to Gariar road in km 0/00 to 3/00 (SH:- P/L 30 mm thick Bituminous Concrete with Paver Finisher on km. 0/00 to 0/500) OTMNP	Rs. 8,06,936/-	14.09.2022 10.00 AM.	Rs. 16000/-	20.09.2022 (6.00 PM)	
2	C/o link road from Harizan Basti to Didu in Km. 0/00 to 1/100 (SH:-C/o 2.00 mtr culvert at RD 0/615, 3.00 mtr span culvert at RD 0/435).	Rs. 17,37,399/-	14.09.2022 10.00 AM.	Rs. 35000/-	20.09.2022 (6.00 PM)	
3	C/o link road Gugga Mandir to Harizan Basti G.P. Haripur in Km. 0/00 to 1/500 (SH:- C/o 3.00 mtr span RCC slab culvert (Skew) at RD 0/105, V-Shape drain at RD 1/225 to 1/320 & Wire Crate wall Km. 0/055 to 0/090 and 0/120 to 0/215).	Rs. 22,27,524/-	14.09.2022 10.00 AM.	Rs. 45000/-	20.09.2022 (6.00 PM)	
4	Restoration of rain Damages on Bangoli ka Talab to Bhatoli Phakoran via Rour Dibber road Km. 0/00 to 3/00 (SH:- C/o R/Wall from RD 1/815 to 1/836 in RHS & V-Shape Drain from RD 1/725 to 1/905 in LHS).	Rs. 7,59,748/-	14.09.2022 10.00 AM.	Rs. 15000/-	20.09.2022 (6.00 PM)	
5	A/R & M/O on Talai to Kuru in Km. 0/00 to 1/675 (SH:- P/L BC in Km. 0/500 to 1/00).	Rs. 5,46,000/-	14.09.2022 10.00 AM.	Rs. 11000/-	20.09.2022 (6.00 PM)	
The bidders are advised to note other details of tender form the department website www.hptenders.gov.in. Date of opening of tender 21.09.2022.						
Executive Engineer, Dehra Division H.P.PWD, Dehra, Pin No. 177101. Tel. No. 01970-233116, e-mail:- ee-deh-hp@nic.in on behalf of Governor of Himachal Pradesh --HIM LOK SAMPARK--						
3707/HP						

## NOTICE INVITING TENDER HP.PWD KANGRA

Sealed item rate tenders on form 6 & 8 are invited by the Executive Engineer, Kangra Division, HP: PWD, Kangra at Shahpur on behalf of the Governor of Himachal Pradesh from the approved and eligible contractors/firms enlisted in HPPWD in the appropriate class for the work mentioned below on 26.09.2022 up to 10-45 A.M. and will be opened on the same day at 11-00 A.M. in the presence of intending contractors or their authorized representatives. The tender forms can be obtained from his office on cash payment (non-refundable) on any working day from 23.09.2022 to 24.09.2022. The applications for the issue of tender forms will be received latest by 22.09.2022 up to 12.00 PM. The applications for issue of tender forms accompanied with enlistment letter/or renewal letter and the earnest money in the shape of National Saving Certificates/Saving Account/Time deposit Account in any of the Post Office in Himachal Pradesh duly pledged in favour of Executive Engineer, Division, HPPWD, Kangra at Shahpur.

The conditional tenders and the tenders received without earnest money will summarily be rejected. The offer of the tender shall be kept open for 120 days.

**Work No. 1:** C/o Shahpur Darini road (SH: C/o 1.00 mtr. Span RCC slab culvert at RD 0/455) Estimated Cost: Rs. 122653/-, Earnest Money: Rs. 25000/-, Time Limit: Two Months, Cost of Tender: 350/-.

**Work No. 2:** Restoration of rain damage on HarneraBranj/SidhpurKhabbalsawana.Tatwani road km. 0/0 to 7/0 (SH: C/o R/Wall with Pusta at RD 7/080 to 7/098.50) Estimated Cost: Rs. 451398/-, Earnest Money: Rs. 9050/-, Time Limit: Three Months, Cost of Tender: 350/-.

**Work No. 3:** Restoration of rain damage on HarneraMohadChattriPehad road km. 5/0 to 10/500 (SH: C/o wing wall & Toe wall and 900mm Dia Hume Pipe at RD 5/020) Estimated Cost: Rs. 397339/-, Earnest Money: Rs. 7950/-, Time Limit: Three Months, Cost of Tender: 350/-.

**Work No. 4:** Restoration of rain damages on Dohab to Kurella road km. 0/0 to 4/500 (SH: C/o R/Wall at RD 0/680 to 0/695 R/S) Estimated Cost: Rs. 308155/-, Earnest Money: Rs. 6200/-, Time Limit: Three Months, Cost of Tender: 350/-.

**Work No. 5:** Restoration of rain damage on Charri to Bhitlu road km. 0/0 to 5/780 (SH: C/o R/Wall at RD 4/240 to 4/252) Estimated Cost: Rs. 258278/-, Earnest Money: Rs. 5200/-, Time Limit: Three Months, Cost of Tender: 350/-.

**Work No. 6:** Restoration of rain damages on link road from Oddar to Lanjhani road km. 0/0 to 3/100 (SH: C/o U-Shape drain at RD 2/000 to 2/140) Estimated Cost: Rs. 292249/-, Earnest Money: Rs. 5850/-, Time Limit: Two Months, Cost of Tender: 350/-.

**Work No. 7:** R/O R.D. link road Bhalari (Rehlu to Bhanala) 0/0 to 1/500 (SH: C/o 2.00 mtr. Span RCC Slab culvert at RD 0/220) Estimated Cost: Rs. 430781/-, Earnest Money: Rs. 8650/-, Time Limit: Three Months, Cost of Tender: 350/-.

**Work No. 8:** Restoration of rain damage on Shahpur Kiarichattrer road km. 0/0 to 8/500 (SH-C/o R/Wall at RD 3/810 to 3/875) Estimated Cost: Rs. 254383/-, Earnest Money: Rs. 5100/-, Time Limit: Three Months, Cost of Tender: 350/-.

**Work No. 9:** C/o link road from Charri to Ghera road km. 0/0 to 8/555 (SH: C/o R/Wall at RD 5/260 to 5/285) Estimated Cost: Rs. 267848/-, Earnest Money: Rs. 5400/-, Time Limit: Two Months, Cost of Tender: 350/-.

**Work No. 10:** Restoration of rain damages on Chambi Dharamshala road (MDR-45) km. 0/0 to 7/800 (SH: C/o R/Wall at RD 4/075 to 4/095) Estimated Cost: Rs. 453887/-, Earnest Money: Rs. 9100/-, Time Limit: Three Months, Cost of Tender: 350/-.

**Work No. 11:** C/o Mini Secretariat Building at Shahpur Distt. Kangra (HP) (SH: C/o R/Wall and B/Wall/Deposit work) Estimated Cost: Rs. 463512/-, Earnest Money: Rs. 8300/-, Time Limit: Three Months, Cost of Tender: 350/-.

**Work No. 12:** C/o link road from Chhatr Shiv Mandi to BrahalKhad at km. 0/0 to 1/500(2022-307-2502/10) (SH: C/o R/Wall at RD 0/450 to 0/460 and P/L interlocking tiles at RD 0/400 to 0/479) Estimated Cost: Rs. 499140/-, Earnest Money: Rs. 10000/-, Time Limit: Three Months, Cost of Tender: 350/-.

**Work No. 13:** C/o 10.37 mtr. Span Bridge Over BandlaNallah on BandlaGehar road (SH: C/o R/Wall) Estimated Cost: Rs. 499895/-, Earnest Money: Rs. 10000/-, Time Limit: Two Months, Cost of Tender: 350/-.

**Work No. 14:** C/o 10.37 mtr. Span Bridge Over BandlaNallah on BandlaGehar road (SH: C/o both side approaches and C/o road) Estimated Cost: Rs. 313488/-, Earnest Money: Rs. 6300/-, Time Limit: Two Months, Cost of Tender: 350/-.

**Work No. 15:** C/o RaitiKohlaBallar road (SH: C/o R/Wall at RD 6/850 and protection work for 6.00 mtr. Span RCC Slab Culvert at RD 6/850) Estimated Cost: Rs. 494772/-, Earnest Money: Rs. 9900/-, Time Limit: Three Months, Cost of Tender: 350/-.

**Work No. 16:** AMP of Shahpur Sub Division Dohb to Kurella road (SH: - P/L 30mm thick Bituminous concrete in km. 4/000 to 4/250) Estimated Cost: Rs. 250500/-, Earnest Money: Rs. 5000/-, Time Limit: One Month, Cost of Tender: 350/-.

**Work No. 17:** C/o link road Uperla Dibber to Manai (SH:P/L Tarring) Estimated Cost: Rs. 235600/-, Earnest Money: Rs. 4550/-, Time Limit: One Month, Cost of Tender: 350/-.

**Work No. 18:** Restoration of rain damages on Chhatr to Pehad road km. 0/0 to 3/780 (SH: C/o R/Wall at RD 2/735 to 2/755) Estimated Cost: Rs. 241603/-, Earnest Money: Rs. 4850/-, Time Limit: Two Months, Cost of Tender: 350/-.

**Work No. 19:** Restoration of rain damage on Dohab to Kurella road (SH: -C/o R/Wall at RD 0/745 to 0/770(L/S) & Berm) Estimated Cost: Rs. 199940/-, Earnest Money: Rs. 4000/-, Time Limit: Two Month, Cost of Tender: 350/-.

**Work No. 20:** C/o link road LapianaBoharPacklahri road &Pritam Nagar to Kiari road (1990-307029666/68) (SH:P/L Cement Concrete Pavement at RD 1/130 to 1/250) Estimated Cost: Rs. 488118/-, Earnest Money: Rs. 9800/-, Time Limit: Three Months, Cost of Tender: 350/-.

**Work No. 21:** C/o Pucca Path a/w protection wall from House of Bansil Lal to Mehar Chand Thehar (KANGRA/YOZNA/SDP/1975-XI-YEAR 2020-21) (SH:P/L interlocking tiles) (Deposit work) Estimated Cost: Rs. 207045/-, Earnest Money: Rs. 4150/-, Time Limit: Two Months, Cost of Tender: 350/-.

## TERMS &amp; CONDITIONS:

- The contractors/firms should be registered as or/dealer under GST Act 2017.
- The intending contractors/firms shall have to produce the copy of latest enlistment and renewal enlisted in HPPWD.
- If any of the date mentioned above happened to be Gazetted Holiday the same shall be processed on next working day.
- The contractor should quoted the rates of all the items in the tender both in figures and in words failing which tender is likely to be rejected.
- The copy of Employees Provident Funds (EPF Number) should be attached with the application.
- The Executive Engineer reserves the right to accept/reject any tender/application or all tenders without assigning any reason.

3747/HP

--HIM SUCHNA AVAM JAN SAMPARK--

## बढ़ी में बिना लाइसेंस दवा बनाने वाली आर्य फार्मा के परिसरों में छापा, नकली दवाओं का जखीरा बरामद

शिमला, 2 सितंबर (जनसत्ता)।

जिला सोलन के बरोटीवाला में दवा निरीक्षकों के दो दलों ने साई रोड बढ़ी के गांव धर्मपुर में मैसर्स आर्य फार्मा के परिसरों में छापेमारी कर नकली दवाओं का जखीरा बरामद किया है। छापेमारी के दौरान पता चला है कि इस कंपनी के पास फूड लाइसेंस है और दवा निर्माण का कोई लाइसेंस नहीं है। दवा निर्यंत्रकों ने दौधियों के खिलाफ बिना लाइसेंस के दवाओं का निर्माण करने व नकली दवाओं को बनाने के लिए ड्रग्स एंड कास्मेटिक अधिनियम की धारा 18 सी, 18 ए, 17 बी, के तहत मामला दर्ज किया है। छापेमारी के दौरान मेकलियोडस फार्मा के डी 3 प्लस के 25 हजार 485 कैप्सूल, डी 3 मौक्स के 5,310 कैप्सूल, इस फर्म के

## एक किलो 38 ग्राम चरस समेत महिला गिरफ्तार

कुल्लू, 2 सितंबर (जनसत्ता)।

बंजार पुलिस टीम ने नाकाबंदी के दौरान एक महिला से एक किलो 38 ग्राम चरस बरामद की है। महिला की पहचान कुल्लू के सैज के रेला स्थित गांव शरण की रुक्मी देवी के रूप में हुई है। पुलिस टीम को गुप्त सूचना मिली थी कि थाटीबीड सड़क में चरस तस्करी हो रही है। इसी आधार पर पुलिस टीम ने योजना तैयार की। टीम जब भीयाली पहुंची तो वहां एक महिला को देखा। महिला पुलिस को देखकर घबरा गई शक के आधार पर जब पुलिस टीम ने महिला की तलाशी ली तो उसके कब्जे से एक किलो 38 ग्राम चरस बरामद हुई।

## योगेश्वर शर्मा की कहानी 'मंडकू का ढाबा' और 'भूत' का मंचन

मंडी, 2 सितंबर (जनसत्ता)।

हिमाचल सांस्कृतिक शोध संस्थान न नाट्य मंडल के कलाकारों द्वारा हिंदी के वरिष्ठ कहानीकार योगेश्वर शर्मा दो कहानियों 'मंडकू का ढाबा' व 'भूत' का सफलतापूर्वक मंचन किया गया। अकादमी की सचिव सीमा शर्मा ने बताया कि योगेश्वर शर्मा अपनी रचनाओं में पूरी तरह से रच बस जाते हैं और उसके हर शब्द में वे अपनी गहरी संवेदना और ईमानदारी बरतते हैं। जो इनकी कहानियों के माध्यम से सटीक बैठती है।

उन्होंने कहा कि 'मंडकू का ढाबा' कारोना काल में हुए मानवीय संवेदनाओं की शून्यता को दर्शाता है। जिसमें मंडकू

## बुनावी पैंतरे

बढ़ी में 26 करोड़ की परियोजनाओं के उद्घाटन और शिलान्यास

## अब रेवड़ियां बांटने में जुटी जय राम सरकार!

शिमला, 2 सितंबर (जनसत्ता)।

चुनावों से ठीक पहले जाते-जाते रेवड़ियां बांटने में इन दिनों जय राम सरकार जुटी है। आज, शुक्रवार को मुख्यमंत्री ने विधानसभा क्षेत्र के बढ़ी में हिमाचल प्रदेश के अस्तित्व के 75 वर्ष के उपलक्ष्य में आयोजित प्रगतिशील हिमाचल स्थापना के 75 वर्ष समारोह क मौके पर 26 करोड़ रुपए की 13 विकासत्मक परियोजनाओं के उद्घाटन और शिलान्यास किए जबकि बढ़ी में एसडीएम कार्यालय खोलने की घोषणा भी की।

इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि 2017 में कार्यभार संभालने के तुरंत बाद वर्तमान राज्य सरकार ने राजनीतिक प्रतिशोध की परंपरा को पूरी तरह समाप्त कर

## पांच साल में भाजपा ने कुछ नहीं किया और हमारी गारंटियों पर उठा रही सवाल : कांग्रेस

शिमला, 2 सितंबर (जनसत्ता)।

प्रदेश की जनता को दी गई दस गारंटियों पर मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर और भाजपा नेताओं की ओर से सवाल उठाए जाने पर कांग्रेस ने उनको आड़े हाथों लिया है। एआइसीसी मीडिया और प्रचार विभाग के अध्यक्ष पवन खेड़ा और एआइसीसी सोशल मीडिया की चेयरपर्सन सुप्रिया श्रीनिते ने आज, शुक्रवार को राजधानी में आयोजित शिमला में एक साझे संवाददाता सम्मेलन में कहा कि मुख्यमंत्री पांच साल की सरकार की अपनी सरकार का लेखा जोखा और हिसाब किताब देने की बजाए कांग्रेस की गारंटियों पर सवाल उठा रहे हैं। उन्होंने कहा कि जय राम सरकार को जनता को यह हिसाब-किताब देना चाहिए कि उन्होंने बीते पांच सालों में हिमाचल में क्या किया? कांग्रेस की सरकार

## मंत्रिमंडल की बैठक में हमारी मांग पर फैसला नहीं हुआ तो करेंगे आंदोलन: जल रक्षक

मंडी, 2 सितंबर (जनसत्ता)।

प्रदेश के जलरक्षक संघ ने कहा है कि यदि पांच सितंबर को होने वाली मंत्रिमंडल की बैठक में उनकी मांगों पर फैसला नहीं हुआ तो वह आंदोलन की राह पर चलने को मजबूर होंगे। संघ का कहना है कि वह काफी लंबे समय से सरकार के समक्ष अपनी मांग रखते आ रहे हैं पर अभी तक उनकी प्रमुख मांगों पर कोई गौर नहीं किया गया है।

संघ के प्रदेश अध्यक्ष जवालु राम का कहना है कि 10 अगस्त को मुख्यमंत्री और जल शक्ति मंत्री ने शिमला विधानसभा में कहा था उनकी सभी मांगें पूरी नहीं की जा सकती इसलिए एक मांग पूछी थी। इस पर जल रक्षक महासंघ के पांच सदस्य शिमला विस बुलाए गए तो जल रक्षक महासंघ के सदस्यों ने मुख्यमंत्री व जल

दिया। उन्होंने कहा कि पहले राज्य को टोपी के रंग के आधार पर भी राजनीतिक रूप से विभाजित किया जाता था लेकिन उन्होंने इस परंपरा को भी खत्म कर दिया और अब प्रदेश सरकार की सराहनीय उपलब्धियों को देखते हुए लोग हिमाचल में सरकार को दोबारा सत्ता में न लाने की परंपरा को अवश्य खत्म करेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि अब प्रदेश की जनता ने भाजपा सरकार को दोबारा सत्ता में लाने का मन बना लिया है।

जय राम ने कहा कि कांग्रेस नेता चुनाव को देखते हुए अब झूठे वादे करके प्रदेश की जनता को गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि यह अजीब है कि जिस पार्टी के पास अपनी गारंटी नहीं है वह राज्य के लोगों को दस गारंटी देकर लुभाने की कोशिश कर रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि

जा रही थी। इसकी कड़ी में दवा निरीक्षक हरीश कुमार ने मैसर्स आर्य फार्मा की हरियाणा नंबर की गाड़ी सुजूकी स्विफ्ट का पीछा किया और उसे बरोटीवाला में पकड़ लिया। गाड़ी की तलाशी लेने पर पाया गया कि गाड़ी चला रहा इसका ड्राइवर विक्रान्त सारटन डीएसआर दवा के 47 हजार कैप्सूल ले जा रहा है जिसका निर्माण मैसर्स पार्क फार्मास्यूटिकल्स, कालूडंडा ने किया है। इस पर हरीश ने राज्य दवा निर्यंत्रक को जानकारी दी और राज्य दवा निर्यंत्रक ने तुरंत दो टीमें गठित कर दी। एक टीम में दवा निरीक्षक करद, हरीश और प्रोमिला को शामिल किया गया जबकि दूसरी टीम में अनूप, लवली और अक्षय को शामिल किया गया। इन टीमों ने पुलिस के साथ मैसर्स आर्य फार्मा के परिसर में छापेमारी की।

## जिला सोलन के निजी स्कूल के तीन बच्चों में 'टोमेटो फ्लू' की पुष्टि नहीं

शिमला, 2 सितंबर (जनसत्ता)।

जिला सोलन के निजी विद्यालय में बीते रोज तीन बच्चों में बुखार और त्वचा पर रेशेज के मामलों में टोमेटो फ्लू नहीं पाया गया है लेकिन एहतियात के तौर पर इन बच्चों को पृथक्वास में रखा गया है। स्वास्थ्य विभाग के प्रवक्ता ने कहा कि निजी स्कूल में इस तरह की शिकायत मिलने के बाद मुख्याय चिकित्सा अधिकारी सोलन ने त्वरित प्रतिक्रिया दल के चिकित्सकों को बच्चों की जांच के लिए भेजा। विद्यालय के 370 बच्चों की जांच के लिए टोमेटो फ्लू के मामलों की पुष्टि नहीं हुई है। बुखार और त्वचा पर रेशेज अन्य त्वचा रोग से सम्बद्ध थे।

प्रवक्ता ने कहा कि एहतियातन उक्त बच्चों को पृथक्वास में रखने की हिदायत दी गई और विद्यालय के प्रधानाचार्य को अन्य संदिग्ध बच्चों में टोमेटो फ्लू या त्वचा रोग के लक्षण प्रकट होने पर इसकी जानकारी तुरंत स्वास्थ्य विभाग को देने का आग्रह किया गया है। विभागीय प्रवक्ता ने कहा कि प्रदेश में अभी तक टोमेटो फ्लू का कोई भी मामला प्रकाश में नहीं आया है व इसकी रोकथाम के लिए सबसे अच्छा उपाय उचित स्वच्छता है। टोमेटो फ्लू एक स्व सीमित संक्रामक रोग है क्योंकि इसके लक्षण कुछ दिनों के बाद खत्म हो जाते हैं। टोमेटो फ्लू की सही तथ्याधारित सूचना व जानकारी लें। ग्रामक अफवाहों से बचें, सतर्क-सजग आ जागरूक रह कर इस रोग के लक्षण दिखने पर नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में संपर्क करें।

## अगस्त में जीएसटी संग्रहण में 14 फीसद की वृद्धि : युनुस

शिमला: प्रदेश में अगस्त महीने के दौरान वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी संग्रहण में 14 फीसद की वृद्धि दर्ज की गई है। यह जानकारी देते हुए कर व आबकारी आयुक्त युनुस ने कहा कि अगस्त में 398 करोड़ रुपए जीएसटी संग्रहण किया गया है। इस वित्त वर्ष में प्रथम पांच माह में जीएसटी संग्रहण 2,255 करोड़ रुपए रहा है।

## आंगनवाड़ी सहायिका खाई में गिरी, मौत

कुल्लू, 2 सितंबर (जनसत्ता)।

जिले के बंजार में खाई में गिरने से आंगनवाड़ी सहायिका सना देवी (43) की मौत हो गई। सहायिका आंगनवाड़ी केंद्र धारा शलिंगा में कार्यरत थी और बंजार के गांव व डाकघर तूंग की रहने वाली थी। सूचना मिलते ही पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम कर स्वजनों को सौंपा दिया है।

प्राप्त जानकारी के मुताबिक गुरुवार को सना देवी आंगनवाड़ी केंद्र धारा शलिंगा से अपने घर की तरफ जा रही थी तो इस दौरान धारी के पास रास्ते से करीब 15 फीट नीचे खाई में जा गिरी। सिर में चोट लगने से वह गंभीर रूप से घायल हो गई। स्थानीय लोगों महिला को उपचार के लिए बंजार अस्पताल लाए, इस दौरान महिला ने रास्ते में साइरोपा के पास दम तोड़ दिया। बंजार अस्पताल पहुंचाने पर चिकित्सक ने महिला को मृत घोषित कर दिया।



In The Court Of  
Harpreet kaur Nafra  
JMJC -4, Jalandhar  
Sandeep Narang  
Vs  
Nazar  
CNR NO: PBJL03-024311-2019  
Next Date : 23-09-2022  
Publication Issued To: Nazar -  
Prop Of Ms City Sports Near  
Cine House Moothu Mukku  
Attingal Kerala 695101  
In above titled case, the accused that  
accused should appear in person or  
through counsel on 23-09-2022 at  
10:00 a.m. for details logon to:  
[https://highcourthd.gov.in/?rs=district\\_notice&district=Jalandhar](https://highcourthd.gov.in/?rs=district_notice&district=Jalandhar)  
JMJC-4, Jalandhar

ऋण वसूली न्यायाधिकरण- I, दिल्ली  
चतुर्थ तल, जीवन तारा बिल्डिंग संसद मार्ग,  
नई दिल्ली-110001

ओ. ए. नं. 99 /2020

भारतीय स्टेट बैंक

विरुद्ध आवेदक

मयंक रस्तोगी एवं अन्य

प्रतिवादी

1. मयंक रस्तोगी व अन्य पुत्र श्री संजीव

कुमार, जी-34 /यूजी-2, दिलशाद

कॉलोनी, नई दिल्ली-110095 ईस्ट दिल्ली

110095 ऑरि: विजयनगर कम्प्यूटेशन प्रो.

डि. बी-53/2, नारायण विहार, नई

दिल्ली-110021 प्रतिवादी 1

(2) विसर्ग एम.जी. हाउसिंग प्र. लि., 12वीं

मॉडल, हिनालय हाउस, 23, के.जी. मार्ग,

नई दिल्ली-110001 प्रतिवादी 2

जबकि उपरोक्त आवेदक ने आपके विरुद्ध

रुपये 39,21,104/- (रु. उनतालीस लाख

इकतीस हजार एक सौ चार मात्र) की वसूली

हेतु एक वाद स्थपित किया है तथा जबकि

न्यायाधिकरण को संतोषजनक रूप से यह

दर्शाया जा चुका है कि आकर्षक साधारण रूप

से सूचना दिया जाना संभव नहीं होने,

विज्ञापन के रूप में इस सूचना के माध्यम से

आपको दिनांक 12-09-2022 को पूर्व, 10.30

बजे माननीय रजिस्ट्रार के समक्ष उपस्थित

होने का निर्देश दिया जाता है। (अधिक

जानकारी के लिए कृपया डीआरटी की

वेबसाइट [www.tribunal.gov.in](http://www.tribunal.gov.in) देखें) फोन

: 011-23748473

ध्यान दें कि यदि आप उपरोक्त तिथि को इस

न्यायाधिकरण के समक्ष उपस्थित नहीं होने,

वाद की सुनवाई तथा निर्णय आपकी

अनुपस्थिति में किया जाएगा।

बल रही मामलों की स्थिति के कारण, सभी

मामलों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से

और उस उद्देश्य के लिए लिया जाएगा:-

(xxii) सभी अधिवक्ता/वाक्त्रण/सिस्को

वेबेक्स/ एप्लीकेशन/ सॉफ्टवेयर डाउनलोड

करेंगे;

(xxiii) 'रजिस्ट्रार/रिकवरी ऑफिसर-1/

और रिकवरी ऑफिसर-11 द्वारा प्राप्त की

जाने वाली सुनवाई के मामलों की अगली

तारीख के लिए "मीटिंग आईडी" और

"पासवर्ड" DRT की आधिकारिक तिथि से एक

दिन पहले उपलब्ध होगी। पब्लिक नोटिस हेतु

के तहत पोर्टल अर्थात "drt.gov.in"

(xxiv) किसी भी जानकारी हेतु, एक्वोकेटर/

लिटिगेंट्स संबंधित अधिकारी से फोन

011-23748473 पर संपर्क कर सकते हैं।

मैंने हस्ताक्षर और दस्त अंकित कर चुके हूँ।

नई दिल्ली, फोन: 011-23748473, ईमेल:

न्यायाधिकरण के आदेशानुसार,

रजिस्ट्रार

प्रतिवादी उत्तरवक्ता आगे की पूछताछ के लिए

उपलब्धि फोन नंबर के तहत संपर्क कर सकते हैं।

अनित के, वार, एल.बी, रजिस्ट्रार, डीआरटी-1,

नई दिल्ली, फोन: 011-23748473, ईमेल:

dr1delhi-dls@nic.in

## सेंट्रल विस्टा : नए प्रधानमंत्री कार्यालय के निर्माण के लिए पर्यावरणीय मंजूरी

जनसत्ता ब्यूरो  
नई दिल्ली, 2 सितंबर।

सेंट्रल विस्टा परियोजना के हिस्से के रूप में 'एजीक्यूटिव एन्क्लेव' के निर्माण को दिल्ली प्रदेश पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण (एसईआइए) ने मंजूरी दे दी है। इस एन्क्लेव में प्रधानमंत्री का नया कार्यालय और कैबिनेट सचिवालय का निर्माण किया जाएगा। दिल्ली प्रदेश विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एसईएसी) ने पिछले सप्ताह एसईआइए को परियोजना को पर्यावरण संबंधी मंजूरी देने की सिफारिश की थी। एसईआइए ने बुधवार को एक बैठक में परियोजना पर चर्चा की तथा इसे मंजूरी दे दी।

उन विभाग ने केंद्रीय लोक निर्माण विभाग (सीपीडब्ल्यूडी) को 23 अगस्त को दिल्ली पेड़ संरक्षण कानून, 1994 के तहत सेंट्रल विस्टा परियोजना स्थल से 807 में से 487 पेड़ों की उखाड़कर कहीं और लगाने की मंजूरी दी थी। बैठक में एसईआइए ने कहा कि इस परियोजना से निर्माण स्थल पर 60 फीसद पेड़ों को हटाना

जाएगा। सीपीडब्ल्यूडी अधिकारियों ने कहा कि इस प्रस्ताव को गत वर्ष दिसंबर में पर्यावरणीय मंजूरी के लिए भेजा गया था। परियोजनाओं को मंजूरी के लिए एसईआइए के पास भेजे जाने से

पहले उनका मूल्यांकन करने वाली एसईएसी ने इस महीने की शुरुआत में पेड़ों को उखाड़कर कहीं और लगाने के लिए दिल्ली सरकार की नीति के क्रियान्वयन की समीक्षा के लिए एक उप-समिति का गठन किया था। सरकार ने दिसंबर, 2020 में अधिसूचित की गई नीति में कहा था कि उखाड़कर कहीं और लगाने की मंजूरी दी थी। उनके विकास कार्यों के कारण प्रभावित 80

फीसद पेड़ों को किसी और स्थान पर लगाना होगा।

एसईएसी ने पहली बार 31 जनवरी को एक बैठक में प्रस्ताव पर गौर किया था।

**सिंदल सॉ लिमिटेड**  
सीआईएन - L27104UP1984PLC023979  
पंजीकृत कार्यालय: ए-1, यूपीएसआईडीसी इंड एरिया, नंदगढ़ रोड कोसी कला, जिला मथुरा (उ.प्र.) 281403

**नोटिस**

कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय और भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड द्वारा जारी परिपत्रों के अनुपालन में सूचना दी जाती है कि कंपनी की 37वीं वार्षिक आम बैठक मंगलवार, 27 सितंबर, 2022 को दोपहर 12:30 बजे (आईएसटी) वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ("वीसी")/अन्य ऑडियो वीडियो मीन्स ("ओएवीएम") के माध्यम से आयोजित की जायेगी एवं कंपनी की वार्षिक रिपोर्ट के साथ कंपनी की वार्षिक आम बैठक बुलाने के नोटिस 2 सितंबर, 2022 को इलेक्ट्रॉनिक रूप से कंपनी के उन सदस्यों को भेजा गया है, जो 19 अगस्त, 2022 को कंपनी के शेयर धारक हैं। एजीएम नोटिस और वार्षिक रिपोर्ट कंपनी की वेबसाइट [www.jindalsaw.com](http://www.jindalsaw.com), स्टॉक एक्सचेंज वाली बीएसई लिमिटेड और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड की वेबसाइट [www.bseindia.com](http://www.bseindia.com) और [www.nseindia.com](http://www.nseindia.com) पर भी क्रमशः उपलब्ध है।

एजीएम की सूचना में संदर्भित दस्तावेज एजीएम की सूचना के प्रसार की तारीख से सदस्यों द्वारा निरीक्षण के लिए इलेक्ट्रॉनिक रूप से उपलब्ध हैं। ऐसे दस्तावेजों का निरीक्षण करने के इच्छुक सदस्य [investors@jindalsaw.com](mailto:investors@jindalsaw.com) पर एक ई-मेल भेज सकते हैं।

**एजीएम के दौरान रिपोर्ट ई-वोटिंग और ई-वोटिंग:**

कंपनी अपने सदस्यों को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम ("ई-वोटिंग") द्वारा एजीएम में भाग लेने के लिए प्रस्तावों पर मतदान के अधिकार का प्रयोग करने की सुविधा प्रदान कर रही है। सदस्य अपना वोट नहीं देना ही नहीं है। रिपोर्ट ई-वोटिंग पर दूरस्थ रूप से भी डाल सकते हैं। कंपनी ई-वोटिंग सुविधा प्रदान करने के लिए एजीएम के रूप में नेशनल सिक्वोरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड ("एनएसडीएल") की सेवाओं को लिया गया है।

कंपनी के सदस्यों के रजिस्टर और शेयर अंतर्ण कितार 21 सितंबर, 2022 से 27 सितंबर, 2022 (दोनों दिन शामिल) तक वार्षिक आम बैठक में लाभांश के भुगतान के उद्देश्य से बंद रहेंगे।

एजीएम की सूचना में जानकारी और निर्देश प्रदान किया गया है जिसमें डीमैटेरियलाइज्ड मोड/फिजिकल मोड में शेयर रखने वाले सदस्यों और रिजल्टों अपना ईमेल पता पंजीकृत नहीं किया सदस्य द्वारा मतदान सहित दूरस्थ रूप से मतदान के तरीके शामिल हैं। कोई भी व्यक्ति, जो एजीएम की सूचना के प्रेषण के बाद कंपनी की सदस्य बन जाता है और कट-ऑफ तिथि (नीचे उल्लिखित) के अनुसार शेयर धारण करता है, सदस्य जो यूपए आईडी और पासवर्ड मूल गए हैं, वे इसे प्राप्त/उपलब्ध कर सकते हैं, एजीएम के नोटिस में भी दिया गया है।

रिपोर्ट ई-वोटिंग सुविधा निम्नलिखित मतदान अवधि के दौरान उपलब्ध होगी:  
रिपोर्ट ई-वोटिंग का प्रसारण : सितवार 24 सितंबर, 2022 को सुबह 9:00 बजे (आईएसटी)  
रिपोर्ट ई-वोटिंग की समाप्ति : सोमवार 26 सितंबर, 2022 को शाम 5:00 बजे (आईएसटी)

उपरोक्त अवधि के बाद रिपोर्ट ई-वोटिंग की अनुमति नहीं दी जाएगी और उपरोक्त अवधि की समाप्ति पर रिपोर्ट ई-वोटिंग नॉनयूस को एनएसडीएल द्वारा तुरंत निष्क्रिय कर दिया जाएगा।

एजीएम में भाग लेने वाले सदस्य जिन्होंने रिपोर्ट ई-वोटिंग द्वारा वोट नहीं डाला है, वे एजीएम में इलेक्ट्रॉनिक रूप से वोट कर सकते हैं। एक व्यक्ति, जिसे कट-ऑफ तिथि यानी 20 सितंबर 2022 को सदस्य के रजिस्टर में दर्ज किया गया है, केवल एजीएम में ई-वोटिंग या रिपोर्ट ई-वोटिंग की सुविधा का लाभ उठाने का हकदार होगा।

सदस्य एजीएम नोटिस में दिए गए ई-वोटिंग निदेश को पढ़ सकते हैं या <https://evoting.nsdl.com> पर जा सकते हैं और किसी भी प्रश्न के मामले में, आम सदस्यों के लिए अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (एफएक्यू) और ई-वोटिंग उपयोक्तार्ता मैन्युअल देख सकते हैं या <https://evoting.nsdl.com> के डाउनलोड अनुभाग में सदस्यों के लिए उपलब्ध है।

जिंदल सॉ लिमिटेड के लिए

हस्ता/—

सुनील के जैन

कम्पनी सचिव

एफसीएन-3056

**RAKAN STEELS LIMITED**  
CIN: L27320UP1985PLC007582  
R/O: NH-2 (1 km from Bara Toll Plaza), Umran, Rania, Kanpur Dehat-209311  
Corporate Office: Anand Palace, 10/499, Allan Ganj, Kanpur-208002  
E-Mail: [support@rakansteels.co.in](mailto:support@rakansteels.co.in)  
Ph: Regd. Office: +91-9598668666 WEB: [www.rakansteels.co.in](http://www.rakansteels.co.in)

**NOTICE**

NOTICE is hereby given that the 35TH Annual General Meeting (AGM) of the Company will be held on Friday, 30th September, 2022 at 03:00 P.M. at the Registered Office of the Company at NH-2 (1 km from Bara Toll Plaza), Umran, Rania, Kanpur Dehat-209311. In compliance with the relevant circulars, the Notice of the AGM and the Financial Statements (Standalone) for the financial year 2021-22, along with the Board's Report, Auditor's Report and other documents required to be attached thereto, have been sent to all the members of the Company whose email address are registered with the Company/Depository Participant(s). The aforesaid documents will also be available on the Company's website and on the website of the Stock Exchange, i.e. MSE Limited at [www.mse.in](http://www.mse.in). Pursuant to provisions of section 91 of the Companies Act, 2013 read with rule 10 of The Companies (Management and Administration) Rules 2014 and Regulation 42 of the SEBI (Listing Obligation and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the Register of Members and Share Transfer Register of the Company shall remain closed from 23rd September, 2022 to 30th September, 2022 (both days inclusive) for the purpose of AGM. Pursuant to provisions of Section 108 of Companies Act 2013 read with rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules 2014, as amended and Regulation 44 of SEBI (Listing Obligation and Disclosure Requirements) Regulations 2015, Company is pleased to provide its members the electronic facility (remote e-voting) to transact all the business mentioned in the notice through National Securities Depository Limited (NSDL). All the members are informed that:-

- The cut off date for determining the eligibility of the members to vote by remote e-voting or voting at the AGM is 22nd September, 2022.
- The remote E-voting shall commence on September 27, 2022 at 09:00 a.m. IST and end on September 29, 2022 at 05:00 p.m. IST. The remote e-voting shall not be allowed beyond the said date and time.
- A person, who has acquired shares and become member of the Company after the email sending date i.e. 02nd September, 2022 and holding shares on cut off date i.e. 22nd September, 2022, may obtain the procedure to login by sending request at [www.evoting.nsdl.com](mailto:www.evoting.nsdl.com). However, if the person is already registered with NSDL for e voting then he can use his existing login ID/User ID and password for casting the vote through e voting.
- Members holding shares in Physical Mode, who have not registered/updated their email addresses with the company, are requested to visit the website of the company's Registrar at [www.skyfinera.com](http://www.skyfinera.com) click on email registration and upload required documents therein.
- Members holding shares in dematerialised mode, who have not registered/updated their email addresses, are requested to register/update their email addresses with depository participants with whom they maintain their demat accounts.
- The Notice of AGM is available on the Company's website [www.rakansteels.co.in](http://www.rakansteels.co.in) and on NSDL website [www.evoting.nsdl.com](http://www.evoting.nsdl.com);
- The procedure of electronic voting is available in the Notice of the 35th Annual General Meeting as well as in the email sent to the Members and on NSDL website [www.evoting.nsdl.com](http://www.evoting.nsdl.com). In case of any queries pertaining to e-voting, member can e-mail to [evoting@nsdl.co.in](mailto:evoting@nsdl.co.in) and/or support@rakansteels.co.in;
- Members are requested to carefully read all the notes set out in the Notice of the AGM and in particular, manner of casting vote through remote e-voting or through ballot paper during the AGM.

Date: 03/09/2022  
Place- Kanpur

By the order of the Board  
For: Rakan Steels Limited  
Sd/- Manju Bansal  
Company Secretary

## जे.के. कॉटन लिमिटेड

सीआईएन : U17111UP1924PLC000275

पंजीकृत कार्यालय : कमला टावर, कानपुर-208001, उ.प्र. (इण्डिया)

फोन : +91 512 2371478-81, फैक्स : +91 512 2332665

ई-मेल : [abhishek.pandey@jkorg.co.in](mailto:abhishek.pandey@jkorg.co.in) वेबसाइट : [www.jkcotton.com](http://www.jkcotton.com)

### 99वीं वार्षिक आम सभा व पुस्तक बंद होने की जानकारी

कोविड-19 महामारी के मद्देनजर, कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय (MCA) ने दिनांक 8 अप्रैल, 2020, दिनांक 13 अप्रैल, 2020, दिनांक 5 मई, 2020, दिनांक 13 जनवरी, 2021 और दिनांक 5 मई, 2022 के परिपत्रों (परिपत्रों) द्वारा एक स्थल पर सदस्यों की भौतिक उपस्थिति के बिना, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (VC)/अन्य ऑडियो वीडियो मीन्स ("OAVM") के माध्यम से वार्षिक आम सभा (AGM) आयोजित करने की अनुमति दी थी। इन परिपत्रों और कंपनी अधिनियम, 2013 के संबंधित प्रावधानों के अनुपालन में AGM के नोटिस में बताये जाने वाले कारोबारों और संपादित करने के लिये जे के कॉटन लिमिटेड ("कंपनी") के सदस्यों की 99 वीं AGM VC/OAVM के माध्यम से शुकवार, 30 सितंबर, 2022 को दोपहर 02:00 बजे आयोजित की जायेगी।

उपरोक्त परिपत्रों के अनुसार, वार्षिक रिपोर्ट के साथ AGM के नोटिस केवल उन्हीं सदस्यों को इलेक्ट्रॉनिक मोड द्वारा भेजी जायेगी, जिनके ई-मेल पते डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट (DP) या कंपनी के पास पंजीकृत हैं। ये दस्तावेज कंपनी की वेबसाइट [www.jkcotton.com](http://www.jkcotton.com) पर, सेन्ट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड (CDSL) की वेबसाइट [www.evotingindia.com](http://www.evotingindia.com) पर भी उपलब्ध होंगे। सदस्य केवल VC/OAVM के माध्यम से AGM में उपस्थित होने और भाग लेने में सक्षम होंगे। AGM में शामिल होने के निर्देश AGM के नोटिस में प्रदान किये जायेंगे और VC/OAVM के माध्यम से AGM में शामिल होने वाले सदस्यों की उपस्थिति की गणना कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 103 के तहत कोरम की गणना के लिए की जायेगी।

कंपनी अपने सदस्यों को AGM के दौरान ई-वोटिंग प्रणाली के माध्यम से मतदान की सुविधा के साथ-साथ AGM के नोटिस में निर्धारित प्रस्तावों पर अपने वोट डालने में सक्षम बनाने के लिए अपने सदस्यों को दूरस्थ ई-वोटिंग सुविधा प्रदान करेगी। कंपनी ने सदस्यों को यह सुविधा प्रदान करने के लिए CDSL की सेवाएं ली हैं। इस संबंध में विस्तृत निर्देश AGM के नोटिस का हिस्सा बनेंगे।

जिन सदस्यों के ई-मेल पते DP या कंपनी के साथ पंजीकृत नहीं हैं, उनसे अनुरोध है कि वे नीचे दिए गए निर्देशों का पालन करते हुए अपने ई-मेल पते पंजीकृत करावें:

- फिजिकल शेयरधारकों के लिए: कृपा फोलियो नंबर, शेयरधारक का नाम, शेयर सर्टिफिकेट (आगे और पीछे) की स्कैन कॉपी, पैन (पैन कार्ड की सैफ अटेंटेस्टेड स्कैन कॉपी), आधार (आधार कार्ड की सैफ अटेंटेस्टेड स्कैन कॉपी) जैसे आवश्यक विवरण कंपनी को [abhishek.pandey@jkorg.co.in](mailto:abhishek.pandey@jkorg.co.in) पर ईमेल में जमा कर दें।
- डीमैट शेयरधारकों के लिए-कृपया अपनी ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर अपने संबंधित डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के साथ अपडेट करें। यह ई-वोटिंग और डिपॉजिटरी के माध्यम से वसुल मीटिंग में शामिल होने के लिए अनिवार्य है। कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 91 और उसके अंतर्गत बनाये गये नियमों के तहत एतद्वारा यह सूचित किया जाता है कि कंपनी के सदस्य के रजिस्टर और शेयर अन्तरण रजिस्टर शुकवार 23 सितंबर, 2022 से शुकवार, 30 सितंबर, 2022 तक (दोनों दिन सम्मिलित) AGM के उद्देश्य से बंद रहेंगे।

बोर्ड की आज्ञानुसार

हस्ता/—

(अभिषेक सिंघानिया)

प्रबंध निदेशक



स्थान: कानपुर  
दिनांक: 02.09.2022

## पेंशन घोटाला : मप्र सरकार ने नहीं दी मुकदमा चलाने की मंजूरी

इंदौर, 2 सितंबर (भाषा)।

इंदौर की विशेष अदालत ने वर्ष 2005 के कथित पेंशन घोटाले में भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव और तत्कालीन महापौर कैलाश विजयवर्गीय के खिलाफ दायर शिकायत पर कार्यवाही खत्म कर दी है क्योंकि 17 साल बीतने के बावजूद राज्य सरकार ने उन पर मुकदमा चलाने की मंजूरी नहीं दी। प्रदेश कांग्रेस इकाई के मीडिया विभाग के अध्यक्ष के.के. मिश्रा ने 33 करोड़ के इस कथित घोटाले को लेकर यह शिकायत दायर की थी।

विशेष न्यायाधीश मुकेश नाथ ने राज्य सरकार द्वारा विजयवर्गीय और अन्य तत्कालीन लोक

सेवकों के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी के अभाव की हवाला देते हुए शिकायत की कार्यवाही खत्म करने का आदेश 29 अगस्त (सोमवार) को जारी किया।

आदेश में कहा गया कि अभियोजन स्वीकृति की प्रत्याशा में शिकायत पर आगामी कार्यवाही नहीं की जा सकती है और मामले को अंततःकाल तक लंबित भी नहीं रखा जा सकता।

विशेष अदालत ने हालांकि अपने आदेश में जोड़ कि अगर शिकायतकर्ता को प्रदेश सरकार की अभियोजन स्वीकृति प्राप्त होती है, तो वह इस मामले में अदालती कार्यवाही बहाल कराने के लिए स्वतंत्र है।

## भारत जोड़ो यात्रा : राहुल गांधी को तिरंगा सौंपेगे तमिलनाडु के मुख्यमंत्री

जनसत्ता ब्यूरो

नई दिल्ली, 2 सितंबर।

कांग्रेस नेता राहुल गांधी सात सितंबर को 'भारत जोड़ो यात्रा' शुरू करने से पहले श्रीपेरंबदूर में पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के स्मारक पर प्रार्थना सभा में शामिल होंगे और कन्याकुमारी में एक कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे जहां तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन उन्हें राष्ट्र ध्वज सौंपेंगे।

महात्मा गांधी मंडपम में कार्यक्रम के दौरान स्टालिन भी मौजूद रहेंगे, जिसके बाद राहुल गांधी कांग्रेस के अन्य नेताओं के साथ उस सार्वजनिक रैली स्थल पर जायेंगे जहां से यात्रा शुरू की जाएगी। पार्टी ने गांधी सहित 118 नेताओं को 'भारत यात्रियों' के रूप में वर्गीकृत किया है जो कन्याकुमारी से श्रीनगर तक की दूरी तय करेंगे। वे प्रतिदिन औसतन 20-25 किमी की दूरी तय करेंगे। 'भारत जोड़ो यात्रा' वेबसाइट पर 37,000 से अधिक ऐसे आम लोगों ने भी पंजीकरण कराया है जो पार्टी से संबंधित नहीं हैं।

## कश्मीरी पंडितों की हत्याओं की जांच की मांग पर सुनवाई से इनकार

जनसत्ता ब्यूरो

नई दिल्ली, 2 सितंबर।

जम्मू-कश्मीर में कश्मीरी पंडितों के नरसंहार की एसआईटी जांच की मांग वाली याचिका पर सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट ने शुकवार को इनकार कर दिया। न्यायमूर्ति वीआर गवई और न्यायमूर्ति सीटी रविकुमार की पीठ ने याचिकाकर्ता को संबंधित अथॉरिटी के सामने जाने को कहा। इसके बाद याचिकाकर्ता ने याचिका वापस ले ली।

एक गैर सरकारी संगठन वी द सिटीजन ने यह याचिका दाखिल की थी। याचिका में कश्मीर में 1990 से 2003 तक कश्मीरी पंडितों और सिखों के संहार और अत्याचार की जांच के लिए एसआईटी के गठन की मांग की गई थी। साथ ही विस्थापितों के पुनर्वास की मांग भी की गई थी। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने रूटस इन कश्मीर संस्था की याचिका को भी खारिज कर दिया था। जिसमें 1989-90 में कश्मीरी पंडितों की हत्या की 215 घटनाओं की जांच की मांग की गई थी।

इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने रूटस इन कश्मीर संस्था की याचिका को भी खारिज कर दिया था।



स्थान: कानपुर  
दिनांक: 02.09.2022

## भारतीय साधारण बीमा निगम

(भारत सरकार की कंपनी)

पंजीकृत कार्यालय: 'सुरक्षा', 170, जे. टाटा रोड, चर्चगेट, मुंबई - 400 020  
टेली: + 91-22-2286 7000 फैक्स: + 91-22-2288 4010,  
वेबसाइट: [www.gicofindia.com](http://www.gicofindia.com), ई-मेल: [investors.gic@gicofindia.com](mailto:investors.gic@gicofindia.com),  
सीआईएन: L67200MH1972GOI016133, आईआरडीएआई पंजी. सं. 112

### 50 वीं वार्षिक आम बैठक की सूचना

**वार्षिक आम बैठक की सूचना:**  
एतद्वारा सूचित किया जाता है कि लागू एमसीए परिपत्रों और कंपनी अधिनियम तथा सेबी



# सामरिक उपलब्धि

स्वदेशी तकनीक से बने विमानवाहक पोत आइएनएस विक्रान्त के जलावतरण से भारत की सामरिक ताकत और आत्मविश्वास निरसंदेह काफी बढ़ गया है। करीब सोलह सौ सदस्यों वाले चालक दल के लिए तैयार किया गया यह युद्धपोत एक तरह से समुद्र में चलती-फिरती वायु और जलसेना छावनी की तरह काम करेगा। इस पर एक समय में करीब तीस हल्के लड़ाकू विमान और हेलिकाप्टर तैनात किए जा सकेंगे। इस तरह यह देश का सबसे बड़ा विमानवाहक पोत है। हालांकि अमेरिका, चीन और रूस के पास इससे कुछ अधिक क्षमता वाले पोत हैं, पर विक्रान्त के जलावतरण के बाद भारत अमेरिका, रूस, चीन, ब्रिटेन और फ्रांस की कतार में खड़ा हो गया है। भारत के पास एक और विमानवाहक पोत सक्रिय है- विक्रमादित्य। यानी अब भारत के पास दो ऐसे युद्धपोत हो गए हैं। चीन के पास भी इतने ही पोत हैं। विक्रान्त के संचालन से इसके जरिए मिंग आदि लड़ाकू विमानों को समुद्र में उतारने और उड़ान भरने की सुविधा उपलब्ध होगी। विक्रान्त खुद एक युद्धक जलपोत है। इस तरह हिंद महासागर में भारत की ताकत बढ़ गई है। स्वाभाविक ही विक्रान्त के संचालन से खासकर पाकिस्तान और चीन की चिंता बढ़ गई है। अभी तक हिंद महासागर में चीन का दबदबा बना हुआ था और अपनी सामरिक ताकत के बल पर वह भारत को धौंस देता रहता है। इससे उसका मनोबल कुछ कमजोर होगा।

विक्रान्त की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसे पूरी तरह स्वदेशी तकनीक से तैयार किया गया है। इसमें देश की करीब पांच सौ छोटी-बड़ी कंपनियों ने सहयोग दिया। इसके पहले वाला विक्रान्त युद्धपोत ब्रिटेन से मंगाया गया था। विक्रमादित्य रूस से खरीदा गया था। इस तरह विक्रान्त की सफलता के बाद भारत का स्वदेशी सैन्य साजो-सामान के मामले में आत्मनिर्भर बनने का संकल्प विक्रान्त के जलावतरण से साकार होता दिख रहा है। भारत उन देशों में है, जो अपने सैन्य साजो-सामान पर काफी धन खर्च करता है। इसलिए कई देश उससे सैन्य उपकरणों की खरीद आदि के लिए लालायित रहते हैं और इसके मद्देनजर अपने अंतरराष्ट्रीय रिश्तों और रणनीतियों में बदलाव भी करते रहते हैं। कई बार इसी आधार पर वे भारत पर दबाव बनाने का प्रयास करते देखे जाते हैं। दरअसल, कई देशों की अर्थव्यवस्था सैन्य साजो-सामान के कारोबार पर निर्भर है। वे बिचौलियों को मोटा कमीशन, घूस आदि देकर लड़ाकू विमान, हेलिकाप्टर, पनडुब्बी, हथियार आदि खरीदने का सौदा कराते रहते हैं। अगर भारत इस मामले में पूरी तरह आत्मनिर्भर बन जाता है, तो न सिर्फ इन अड़चनों से मुक्ति मिलेगी, बल्कि वह खुद एक सैन्य साजो-सामान के बाजार में खड़ा हो सकता है। इसका रास्ता साफ होता नजर आ रहा है। इसलिए भी हथियार बनाने वाले देशों को विक्रान्त का जलावतरण खटक रहा होगा।

सबसे बड़ी बात कि विक्रान्त की हिंद महासागर में मौजूदगी से चीन का एकाधिकार समाप्त होगा और वह भारत को जब-तब आंखें दिखाने से बचेगा। अभी भारत को हिंद महासागर में सबसे अधिक चुनौती चीन की तरफ से ही मिलती रही है। पाकिस्तान भी उसी की शह पर भारत को उकसाने का प्रयास किया करता था। अब वह ऐसा नहीं कर पाएगा, क्योंकि इस युद्धपोत में पानी के भीतर से आसमान में मार करने वाले अत्याधुनिक हथियार लगे हुए हैं। दुश्मन पनडुब्बियों की टोह लेने में भी आसानी दिेली है। सैन्य विशेषज्ञों का मानना है कि विक्रान्त के आने से हिंद प्रशांत और हिंद महासागर में शांति का वातावरण बनेगा।

## टकराव का हासिल

दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के बीच औपचारिक बैठकों तक में स्थिति जैसी होती जा रही है, उससे सवाल यह पैदा हो रहा है कि इससे राजधानी और यहां के लोगों का क्या भला हो रहा है! शुक्रवार को दोनों के बीच होने वाली साप्ताहिक बैठक टलने की वजह यह बताई गई कि चूँकि अरविंद केजरीवाल गुजरात के दो दिनों के दौरे पर हैं, इसलिए उपराज्यपाल के साथ होने वाली बैठक में वे शामिल नहीं हो पाएंगे। लेकिन लगातार तीसरी बार हर सप्ताह होने वाली बैठक में शामिल नहीं होना यह बताने के लिए काफी है कि दोनों के बीच कई मुद्दों पर हो रहे टकराव की वजह से पैदा होने वाला तनाव अब किस रूप में दिखने लगा है। सवाल है कि अगर उपराज्यपाल और मुख्यमंत्री के बीच होने वाली बैठक का मकसद राजधानी दिल्ली में सरकार चलाना और शासन का सहज रूप से कामकाज सुनिश्चित किया जाना है तो इसमें निजी आग्रहों की जगह क्यों होनी चाहिए। वहीं, अगर बैठकें नहीं हो पाने की वजह कोई आग्रह, तनाव या टकराव नहीं है तो क्या इसे शासन चलाने के लिए जरूरी कार्यों की प्राथमिकता सूची में कम महत्त्व का माना जा रहा है?

दरअसल, पिछले काफी समय से उपराज्यपाल और दिल्ली सरकार के बीच जिस स्तर की खींचतान चल रही है, उसमें यह साफ दिख सकता है कि इसकी वजह केवल तकनीकी बाधयताएं नहीं होंगी। दिल्ली में ‘आप’ की सरकार की ओर से कई पार्टी के नेता यहां के विकास को बाधित करने के आरोपों के साथ उपराज्यपाल को कठघरे में खड़ा करने की कोशिश करते रहे हैं। दूसरी ओर, उपराज्यपाल की ओर से कुछ तकनीकी आधार के चलते सरकारी कामकाज से संबंधित फाइलों पर सवाल उठाया जा रहा है। मसलन, उपराज्यपाल ने दिल्ली सरकार की ओर से भेजी गई सैतालीस फाइलों को इसलिए वापस भेज दिया कि उन पर संवैधानिक मानदंडों के मुताबिक मुख्यमंत्री के हस्ताक्षर नहीं थे। इस बीच, दिल्ली की आबकारी नीति से जुड़े विवाद ने कई स्तर पर जो संदेह खड़े किए हैं, वह अब एक सार्वजनिक बहस का विषय हो चुका है। फिर उपराज्यपाल ने दिल्ली के मुख्य सचिव से यहां के सरकारी स्कूलों में कक्षाओं के लिए अतिरिक्त कमरे बनाने से जुड़े भ्रष्टाचार के आरोपों के मामले में भी रिपोर्ट तलब की। जाहिर है, इन मसलों पर दिल्ली में ‘आप’ एक तरह से घिरी हुई है। यह बेवजह नहीं है कि आम आदमी पार्टी की ओर से भी उपराज्यपाल पर चौदह सौ करोड़ रुपए के घोटाले का आरोप लगाते हुए दावा किया गया कि जब वे खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग के अध्यक्ष के पद पर थे, उस दौरान यह घोटाला हुआ था। जाहिर है, दोनों पक्षों के बीच टकराव ने जो शक्ति अख्तियार कर लिया है, उसमें मामला अब केवल आपसी तनाव तक सीमित नहीं रहा है, बल्कि इसका असर अब राज्य के सामान्य कामकाज पर भी पड़ने लगा है। पिछले कई हफ्तों से जिस तरह उपराज्यपाल और मुख्यमंत्री के बीच बैठकें रह होने का जो क्रम चल रहा है, उसका हासिल आखिर क्या होने वाला है? दिल्ली को देश के सभी राज्यों से अलग और विशेष चेहरा देने का दावा करने वाले अरविंद केजरीवाल के लिए यहां के विकास और लोगों के हित प्राथमिक हैं या आपसी खींचतान के बीच पलता कोई अहं? वहीं, अगर उपराज्यपाल के सामने भी अगर कोई बड़ी बाधा नहीं है तो उन्हें भी टकराव या तनाव के बजाय जनहित में दोनों पक्षों के बीच सौहार्द के हालात बनाने हुए अपनी गरिमा को कायम रखने की जरूरत है, ताकि दिल्ली और यहां के लोगों के लिए एक बेहतर शासन और विकास सुनिश्चित किया जा सके।

## कल्पमेधा

**रहस्य सत्य का मित्र नहीं है। किसी भी आदमी को अपनी बुद्धि का बलिदान देकर विनम्र बनने की आवश्यकता नहीं है।**

– **वोल्तेयर**

## सरोज कुमार

**इतने बड़े घरेलू बाजार में मांग होती, तो निर्यात घटने के बाद भी विनिर्माण क्षेत्र प्रभावित नहीं होता, और रोजगार की परिस्थिति इतनी जटिल नहीं होती। मगर गलत आर्थिक नीतियों के कारण आम आबादी के पास मांग करने की शक्ति नहीं रह गई है। इसका खमियाजा रोजगार बाजार, और अंत में अर्थव्यवस्था को भुगतना है।**

**इतने बड़े घरेलू बाजार में मांग होती, तो निर्यात घटने के बाद भी विनिर्माण क्षेत्र प्रभावित नहीं होता, और रोजगार की परिस्थिति इतनी जटिल नहीं होती। मगर गलत आर्थिक नीतियों के कारण आम आबादी के पास मांग करने की शक्ति नहीं रह गई है। इसका खमियाजा रोजगार बाजार, और अंत में अर्थव्यवस्था को भुगतना है।**

**इतने बड़े घरेलू बाजार में मांग होती, तो निर्यात घटने के बाद भी विनिर्माण क्षेत्र प्रभावित नहीं होता, और रोजगार की परिस्थिति इतनी जटिल नहीं होती। मगर गलत आर्थिक नीतियों के कारण आम आबादी के पास मांग करने की शक्ति नहीं रह गई है। इसका खमियाजा रोजगार बाजार, और अंत में अर्थव्यवस्था को भुगतना है।**

बाजार जब रोजगार पैदा करना बंद कर दे तो समझिए अर्थव्यवस्था नीतिगत बीमारी की शिकार हो गई है, जिसका इलाज मुश्किल होता है। भारतीय अर्थव्यवस्था के साथ कुछ ऐसा ही जान पड़ता है। चिंता की बात यह है कि कुशल हाथ बेकार हैं, फिर भी श्रम बाजार सिकुड़ रहा है। भू-राजनीतिक परिस्थितियों के कारण बेशक दुनिया के देश कमोबेश कठिनाई का सामना कर रहे हैं, लेकिन भारत की कठिनाई अलग तरह की है। विशाल उपभोक्ता बाजार और उत्पादन की क्षमता होने के बावजूद यहां मांग और आपूर्ति का संकट है। बेरोजगारी की लंबी खिंचती परिस्थिति के बीच मांग में अतिरिक्त गिरावट की आशंका है। मांग खर्च पर निर्भर होती है और खर्च कमाई पर। कमाई की क्या स्थिति है, आंकड़े नहीं, जेब टटोल कर देख लीजिए।

मांग की एक नई खिड़की निर्यात में वृद्धि के साथ खुली थी, और उसके साथ ही रोजगार बाजार के पटरी

### भावना मासीवाल

हमारे देश की आजादी के पचहत्तर वर्ष पूरे हो गए हैं और इसे आजादी का अमृत महोत्सव के रूप में मनाया भी गया। इस महोत्सव के मूल में ब्रिटिश हुकूमत से भारत की आजादी है। हम बाहरी ताकतों से देश के आजाद होने का उत्सव हर वर्ष मनाते ही हैं, लेकिन यह वर्ष विशेष रूप से उल्लेखनीय है। एक तरफ जब पूरा देश आजादी के इस महापर्व के उल्लास और उमंग में था तो दूसरी तरफ राजस्थान के एक स्कूल में हुई घटना हमें देश के भीतर की अराजक एवं संकीर्ण मानसिकता से भरी ताकतों से घिरे होने का अहसास कराती है। बाहरी ताकतों से तो हमें आजादी मिल गई, और हम देशवासी फिर से बाहरी ताकतों से एकजुट होकर लड़ सकते हैं, अलग-अलग अपेक्षाएं और उनकी सीमाएं निर्धारित कर सकते हैं, लेकिन जो ताकतें देश के भीतर विराजमान हैं, उनसे लड़ना और उनकी सीमाओं का निर्धारण करना सरल नहीं है।

दरअसल, हम आजाद देश के नागरिक जरूर हैं, मगर भीतर से परंपरा के नाम पर कई विकृत रूढ़ियों से बंधे हैं। ये रूढ़ियां हमारे विचार व व्यवहार में इतनी अधिक संकीर्ण है कि समाज को भीतर से खोखला और

## कथनी-करनी

अण्णा का आई'ग' (संपादकीय, 1 सितंबर) पढ़ा। इस विषय में यही कहना है कि अरविंद केजरीवाल के गुरु अण्णा हजारे हैं। एक समय प्रधानमंत्री को लोकपाल के दायरे में लाने के लिए जब अण्णा हजारे ने अपना आंदोलन किया था, तब अपनी सरकारी नौकरी छोड़कर अरविंद केजरीवाल उस आंदोलन में शामिल हुए थे और आंदोलन का संचालन भी किया था। तब आंदोलन के समय ही केजरीवाल ने सरकार के खिलाफ आम आदमी पार्टी का गठन करने की भी घोषणा की थी। बाद में इसी पार्टी ने दिल्ली राज्य में विधानसभा का चुनाव लड़ कर जीता और फिर सरकार भी बनाई थी। वहीं केजरीवाल जब सच्चाई एवं ईमानदारी की कसमें खाने के बाद भी आज जब नैतिकता भूल बैठे हैं तो अण्णा हजारे उनसे नाराज हैं।

कारण स्पष्ट है कि अरविंद केजरीवाल जब उनके साथ थे, तब अण्णा हजारे उनकी ईमानदारी से काफी प्रभावित हुए थे, पर आज के समय में अरविंद केजरीवाल की आबकारी नीति से अण्णा हजारे काफी नाराज हैं। यही कारण है उन्होंने एक चिट्ठी भी केजरीवाल को लिखी, जिसमें उन्होंने सरकार की आबकारी नीति की आलोचना की और कहा कि आपकी पार्टी आजकल गलत नीति पर चल रही है... सरकार का शराब को बढ़ावा देना और रेवड़ी संस्कृति को बढ़ावा देना, दोनों ही एक तरह से गलत काम है। इनसे आम आदमी पंु एवं खोखला हो रहा है। हम तो यही कहेंगे कि जब आज के समय अरविंद केजरीवाल राष्ट्रीय स्तर के एक बड़े नेता हैं तो उन्हें अपनी ख्याति और साख का ध्यान रखना चाहिए। उन्हें अण्णा हजारे, जो उनके राजनीतिक गुरु भी हैं, की बात को ध्यान रखकर अपनी छवि पर लगते दाग को धोने का अवश्य प्रयास करना चाहिए।

– *मनमोहन राजावत राज, शाजापुर, मद्र*

# बढ़ते हाथ, घटते काम

पर लौटने की उम्मीद जगी थी। मगर भू-राजनीतिक परिस्थितियों के कारण दुनिया में मंदी की आहट के साथ यह खिड़की भी बंद होती दिख रही है। निर्यात घटया तो जाहिर है विनिर्माण का इंजन सुस्त पड़ जाएगा। रोजगार की पैदावार रुक जाएगी। भारतीय निर्यात में उछाल से उत्साहित कारपोरेट जगत ने 2021-22 में 791 परियोजनाओं के लिए 1,94,548 करोड़ रुपए निवेश की घोषणा की थी, जो 2020-21 की 576 परियोजनाओं के लिए 1,16,603 करोड़ रुपए निवेश बाजार में उतरता तो निश्चित रूप से रोजगार के अवसर बनते। मगर जब मांग की ही संभावना धूमिल हो चली है, तो ऐसी स्थिति में भला कौन निवेशक अपनी पूंजी गड़ूं में फँकना चाहेगा?

महामारी की रफ्तार थमने के बाद दुनिया के बाजार खुले तो मांग में भी तेजी आई। भारत ने 2022 में अब तक के रिकार्ड 421.89 अरब डालर का निर्यात किया। लेकिन रूस-यूक्रेन युद्ध ने परिस्थिति को पलट दिया है। उन्नत अर्थव्यवस्थाओं में मंदी की आहट के कारण मांग घटने लगी है। इसका असर भारत के निर्यात पर पड़ा है। जुलाई 2022 में भारत का निर्यात गिर कर 35.24 अरब डालर हो गया, जो जून में 35.51 डालर था।

क्रेडिट रेटिंग एजेंसी, इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च ने अपने एक अध्ययन रपट में कहा है कि निर्यात में वृद्धि के कारण भारत के विनिर्माण क्षेत्र में 2022 में जो तेजी आई थी, निर्यात में गिरावट के कारण वह 2023 में नहीं रहने वाली है। एजेंसी के अनुसार, रूस-यूक्रेन युद्ध के कारण उन्नत अर्थव्यवस्थाओं में मंदी की चिंता और चीन में कोविड नियंत्रण के कड़े उपायों के कारण भारत के विभिन्न क्षेत्रों में उत्पादन प्रभावित हुआ है। रपट में कहा गया है कि वित्त वर्ष 2016 से वित्त वर्ष 2020 के दौरान भारत का वार्षिक औसत निर्यात 297.02 अरब डालर रहा था, जो वित्त वर्ष 2019 में बढ़ कर 330.08 अरब डालर हो गया। और 2021-22 में यह रिकार्ड 421.89 अरब डालर पर पहुंच गया। निर्यात में यह वृद्धि मुख्य रूप से विनिर्मित वस्तुओं के निर्यात के कारण हुई। यानी विनिर्मित उत्पादों का निर्यात बढ़ने से औद्योगिक इकाइयों ने अपनी पूरी क्षमता के साथ उत्पादन किया, और इसके कारण 2022 में नौकरियों की उम्मीद भी वापस लौटी। लेकिन मंदी के आसन्न संकट ने इस उम्मीद पर पानी फेर दिया है।

भारतीय वस्तुओं और सेवाओं के दो सबसे बड़े

ग्राहक अमेरिका और यूरोप के लिए निर्यात की रफ्तार सुस्त पड़ गई है। वाणिज्यिक जानकारी एवं सांख्यिकी महानिदेशालय (डीजीसीआइएस) के आंकड़े बताते हैं कि यूरोप के लिए भारतीय निर्यात की वृद्धि दर जून 2022 में घट कर उनतालीस फीसद रह गई, जो अप्रैल 2022 में इकसठ फीसद और मई 2022 में चालीस फीसद थी। इसी तरह अमेरिका के लिए भारतीय निर्यात की वृद्धि दर जून में घट कर उनतीस फीसद रह गई, जो मई में बत्तीस और अप्रैल में इकतीस फीसद थी। वित्त वर्ष 2022-23 की प्रथम तिमाही में भारत ने यूरोप को 19.3 अरब डालर, और अमेरिका को 21.7 अरब डालर मूल्य की वस्तुओं-सेवाओं का निर्यात किया। भारतीय सामान के चौथे सबसे बड़े ग्राहक चीन के लिए निर्यात जून तिमाई में इकतीस फीसद घट कर 4.7 अरब डालर रह गया। भारत के कुल निर्यात में अमेरिका और यूरोप की सम्मिलित हिस्सेदारी 2022 में



तैंतीस फीसद थी, जबकि चीन की हिस्सेदारी पांच फीसद। यानी भारतीय निर्यात का अड़तीस फीसद हिस्सा संकट में है। निर्यात के इतने बड़े हिस्से के संकटग्रस्त होने से घरेलू उत्पादन पर कितना असर पड़ेगा, और इसका रोजगार पर क्या असर होगा, अंदाजा लगाया जा सकता है।

इस साल गेहूँ का उत्पादन दस से तीस फीसद घट गया। अब असमान बारिश के कारण धान का उत्पादन भी आठ फीसद कम होने का अनुमान है। यानी जिस कृषि क्षेत्र ने महामारी के दौरान रोजगार बाजार और अर्थव्यवस्था दोनों को सहारा दिया था, वहां से भी घरेलू मांग में किसी तरह की मदद मिलने की उम्मीद नहीं है। इतने बड़े घरेलू बाजार में मांग होती, तो निर्यात घटने के

## जड़ता की अंधी गलियां

अपंग बना रही हैं। यह अपंगता व्यक्ति के विचार और व्यवहार में देखी जा सकती है। हम चाह कर भी इससे बाहर नहीं आ पा रहे हैं। शायद यही वजह है कि कहीं कहीं अल्पमत में मासूम बच्चे पानी पीने के मटके को छू देने भर के कारण उसे अपनी जान से हाथ धोने की खबर आती है तो कहीं सौ ही होने के कारण यौन शोषण के त्रासद अपराध के दौर से गुजरना पड़ता है और जीवन भर अपने ही खिलाफ हुए अन्याय के खिलाफ अकेले लड़ना पड़ता है। हमारे आसपास ऐसी बहुत-सी घटनाएं होती रहती हैं जो हमें खुद से ही

सवाल करने पर मजबूर कराती है। लेकिन सच यह है कि हम उन सवालों के जवाब न पाकर व्यवस्था के प्रति आक्रोश जाहिर करने लगते हैं। यह आक्रोश कभी न्याय का मजबूत पक्ष बनता है तो कभी अन्याय का।

यह हमारे समय की विडंबना ही कहीं जाएगी कि एक तरफ हम देश को वैश्विक फलक पर मजबूत प्रतिनिधि के रूप में खड़ा करना चाहते हैं, हम एक राष्ट्र, प्रेम और सौहार्द का गीत गाते हैं, मगर वहीं हमारे ही बीच के कुछ लोग उस राष्ट्रभाव और एकता के बंधन को अपनी संकीर्ण, जड़ और हिंसक प्रवृति के कारण खंडित करते देखे जाते हैं। फिर वह जाति और जेंडर की संकीर्ण मानसिकता ही क्यों न हो। जबकि

### किसका विकास

एक़ सर्वे के अनुसार, भारत में आत्महत्या करने वालों में हर चौथा व्यक्ति दिहाड़ी मजदूर है। इस खबर को पढ़ने के बाद हर संवेदनशील भारतीय का मन व्यकुल होना स्वाभाविक है, पर विचार और विमर्श का विषय है कि अन्य तीन हिस्से कौन हैं। क्या देश के अन्य आत्महत्या करने वालों के विषय में चिंता और चिंतन नहीं होना चाहिए? आखिर कोई भी इंसान आत्महत्या क्यों करे?

एक अन्य खबर पुर्तगाल से आई जहां इलाज में देरी के कारण एक गर्भवती महिला की मौत के बाद विभागे के मंत्री ने पदत्याग कर दिया। कहने का आशय

यह कि असल वजह है जिम्मेदारी से भागना। अगर हमारे देश में भी जवाबदेही तय हो और नैतिक आधार को सर्वोपरि मानकर फैसले लिए जाएं तो शायद देश के किसी नागरिक को आत्महत्या करने की आवश्यकता ही न पड़े। हर जान कीमती है, रमेश हो या रियाज, आशा हो या अफसा, हर वर्ग जरूरी है दिहाड़ी मजदूर हो या किसान। व्यवस्था की भेंट कोई भी चढ़ता है तो ये निश्चित ही चिंता का विषय है।

– *मनोज, मेरठ, उप्र*

### वक्त का तकाजा

आज के समय हर क्षेत्र में तेजी से खपत बढ़ रही है। मोबाइल एप ने इस काम को और भी आसान बना दिया है। चाहे खाने-पीने की चीज हो या कोई इलेक्ट्रॉनिक

इस कसौटी पर नाकाम समाज और देश अपने न्यायपूर्ण होने का दावा नहीं कर सकता। यों भी किसी देश की उन्नति उसके नागरिकों के आपसी सहयोग व सौहार्द से होती है। जब आम नागरिक ही सामाजिक रूढ़ियों, जातिगत भेदभाव की बंधिशों से घिरा होगा तो हम किस राष्ट्र का विकास करेंगे। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपने ऐतिहासिक भाषण में कहा भी था कि ‘कोई भी देश तब तक महान नहीं बन सकता, जब

तक उसके लोगों की सोच या उनका काम संकीर्ण रहेगा’। यह एक देश और समाज के बनने

के लिए एक शर्त के तौर पर देखा जाना चाहिए। शिक्षा व्यक्ति को मनुष्य बनाती है, उसमें आत्मसम्मान, प्रेम, आजादी, सौहार्द, भाईचारे, समानता का भाव जगाती है। लेकिन हमारी शिक्षा व्यवस्था में आपसी सौहार्द से अधिक जातिगत तो कभी सामाजिक लिंग यानी जेंडर के मसले पर तो कभी क्षेत्रगत वैमनस्य का भाव देखने को मिलता है। यह भाव कभी श्रेश्ठा के झूठे बोध की ग्रंथि से तो कभी हीनता बोध की ग्रंथि से ग्रसित मिलता है। दोनों ही रिथितियों में यह समाज को खोखला और नई पीढ़ी को वैमनस्य के भाव से भर रहा है। यह वैमनस्य का भाव किताबी शिक्षा से अधिक व्यावहारिक शिक्षा और

उपकरण, आजकल सब कुछ घर बैठे ही उपलब्ध कराया जा सकता है। दवाइयों को घर तक उपलब्ध कराने के लिए भी ऐसे कई ऐप हैं जो वृद्ध एवं अस्थाय लोगों के लिए बेहद मददगार साबित हुए हैं। आज से दस साल पहले तक किसी ने नहीं सोचा था कि ई-कामर्स इतनी बड़ी क्रांति लेकर आएगा। लेकिन इस क्रांति का एक चिंतानजक पहलू जरूरत से ज्यादा बढ़ती खपत भी है।

लोगों की बढ़ती आय और ई-कामर्स की आसान दुनिया ने लोगों को खपत के मामले में लापरवाह बना दिया है और उन्हें अपने द्वारा मंगाई गई वस्तु भी जल्द से जल्द चाहिए।

लोग चाहते हैं कि उन्हें उनका सामान दो-तीन घंटे से लेकर दिन के अंत तक मिल जाए। ऐसे में ई-कामर्स कंपनियां अपने वितरण प्रबंधकों पर जल्द से जल्द वितरण करने का दबाव बनाती हैं। हाल ही में जॉमेटो द्वारा दस मिन्ट में डिलीवरी करने की घोषणा इस बात का प्रमाण है। उल्लेखनीय है कि ऐसे में वितरण कर्मचारी अपनी नौकरी बचाने के लिए बिना अपनी परवाह किए अपने काम को पूरा करने की कोशिश करेंगे। ऐसे में वे किसी हादसे का शिकार भी हो सकते हैं। अन्य कई तरह के नुकसान भी हो सकतेहैं।

इसलिए हमें अपनी जरूरत से ज्यादा हो रही खपत पर अंकुश लगाने की जरूरत है। वितरण कर्मचारी ‘मिंग वर्कर्स’ की श्रेणी में आते हैं, जिनकी सुरक्षा के लिए कोई बीमा या अन्य सुविधाएं अब तक उपलब्ध नहीं हैं। ऐसे में

बाद भी विनिर्माण क्षेत्र प्रभावित नहीं होता, और रोजगार की परिस्थिति इतनी जटिल नहीं होती। मगर गलत आर्थिक नीतियों के कारण आम आबादी के पास मांग करने की शक्ति नहीं रह गई है। इसका खमियाजा रोजगार बाजार, और अंत में अर्थव्यवस्था को भुगतना है।

संटर फार मॉनिटरिंग ग्रुप इंडियन इकोनामी (सीएमआईई) के आंकड़े बताते हैं कि भारतीय रोजगार बाजार इस समय एक विचित्र स्थिति में पहुंच चुका है। यह बूढ़ी और कम पढ़ी-लिखी श्रमशक्ति की एक बस्ती बन चुका है। यहां कामकाजी उम्र के पढ़े-लिखे युवाओं के लिए काम नहीं है। कामकाजी उम्र (15-24 वर्ष) का हो जाने के बाद भी युवा आबादी विद्यार्थी जीवन जीने को मजबूर हैं। वित्त वर्ष 2016-17 में जहां कामकाजी उम्र के लगभग पंद्रह फीसद लोग विद्यार्थी थे, वहीं 2019-20 में इस उम्र के विद्यार्थियों की संख्या बढ़ कर अठारह फीसद हो गई।

2020-21 में इक्कीस फीसद और 2021-22 में तेईस फीसद हो गईं। वित्त वर्ष 2016-17 और 2021-22 के बीच देश में कामकाजी आबादी 12.10 करोड़ बढ़ गई, जबकि इसी अवधि में श्रमशक्ति एक करोड़ घट गई।

वित्त वर्ष 2016-17 में देश में रोजगार में लगी कुल श्रमशक्ति का एक-चौथाई हिस्सा तीस साल तक की उम्र के लोगों का था। जो 2019-20 में घट कर इक्कीस फीसद और 2021-22 में अठारह फीसद रह गया। अर्थव्यवस्था के लिए यह एक खतरनाक संकेत है। किसी देश की कामकाजी युवा आबादी वहां की बड़ी पूंजी मानी जाती है। जब देश अपनी उपलब्ध पूंजी का ही उपयोग न कर पाए तो वह किस घाट लगेगा, कह पाना कठिन है।

भारतीय श्रम बाजार में पढ़े-लिखे लोगों के लिए भी जगह नहीं रह गई है। वित्त वर्ष 2018-19 में जहां स्नातक और परास्नातक श्रमिकों की हिस्सेदारी 13.4 फीसद थी, वहीं 2021-22 में यह घटकर 12.2 फीसद रह गई। भारतीय श्रमशक्ति का बड़ा हिस्सा छठी से बारहवर्षी पास लोगों का है। वित्त वर्ष 2016-17 में दसवीं, बारहवीं पास श्रमिकों का हिस्सा अठाईस फीसद था, जो 2021-22 में बढ़ कर अड़तीस फीसद हो गया। वित्त वर्ष 2016-17 में श्रमशक्ति में ऐसे श्रमिकों की हिस्सेदारी अठारह फीसद थी, जो 2021-22 में बढ़ कर उनतीस फीसद हो गई।

बाजार में मांग नहीं, श्रम बाजार में रोजगार नहीं, और निजी निवेशक तैयार नहीं। बढ़ते राजकोषीय घाटे के कारण सरकार के हाथ बंधे हुए हैं। फिर तो भविष्य बेरोजगारी और बदहाली का ही है।

जान से दूर किया जा सकता है, लेकिन इसे अपने हाल में या यथार्थिति में छोड़ देने के नतीजा यह होगा कि राजस्थान जैसी कितनी ही घटनाएं घटित होती रहेंगी और एक व्यक्ति की संकीर्ण मानसिकता पूरे समाज और राष्ट्र को कठघरे में खड़ा करती रहेगी।

हम इस सच से भी वाकिफ हैं कि हमारे समाज की इस जड़ मानसिकता को खाद पानी देने का काम राजनीति ने ही किया है। दरअसल, राजनीति इसी व्यवस्था को हथियार बनाकर अपना वोट बैंक तैयार करती है। यही वोट बैंक फिर समाज में राजनीति के समीकरण तैयार करता है और सड़ संकीर्ण मानसिकता का ही हिस्सा है कि हमारा समाज और जातिगत व्यवस्था के टूटने की बात की जाती है तो दूसरी ओर जाति के भीतर उप-जातियां अधिक मजबूत बनकर उभर रही हैं। यह हमारी सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्था को बदलने नहीं देना चाहते हैं, क्योंकि अगर समाज बदलता है तो वर्चस्वशाली जातियों की जातिगत राजनीति भी टूटने लगेगी और जड़ मानसिकताएं धीरे-धीरे समाप्त होने लगेगी। लेकिन यह एक आम आदमी का दिवास्वप्न ही है, क्योंकि आज भी राजनीति में वर्चस्वशाली समूह अपनी सुविधा के मुताबिक मुद्दे उभरने देते हैं और उसके हल की खोज करते हैं।

भारत सरकार को जल्द से जल्द इसका संज्ञान लेना होगा। आज यह एक विकल्प ही नहीं बल्कि समय की मांग है।

– *विवेक चौबे, हावड़ा*


### सियासी आंकड़े

हाल ही में योगी आदित्यनाथ सरकार के द्वारा अठारह ओबीसी जातियों को अनुसूचित जाति वर्ग में समाहित करने संबंधी अधिसूचना को इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने निरस्त कर दिया है। अदालत ने सरकार के कामकाज पर सख्त टिप्पणी करते हुए संबंधित अधिकारियों पर दंडात्मक कार्रवाई के लिए कहा है।

उपर प्रेक्षा की अठारहएसी जातियां हैं, जिन पर हमेशा राजनीतिक दलों की निगाह टिकी होती हैं। इन जातियों को 2005 में मुत्तयम सिंह यादव ने, 2016 में अखिलेश यादव और 2019 में योगी आदित्यनाथ की सरकार ने ओबीसी वर्ग से हटाकर अनुसूचित जाति वर्ग में शामिल करने संबंधित अधिसूचना जारी की थी। दरअसल यह एक राजनीतिक कलाबाजी अलावा कुछ नहीं है। उत्तर प्रदेश की इन अठारह जातियों में निषाद कुल मल्लाह, राजभर, भर बाथम, नौनिया जातियों की आबादी कुल मिलाकर बारह फीसद है, जिनको सभी राजनीतिक अपने पाले में करना चाहते हैं। इस प्रकरण में सिर्फ बसपा का स्पष्ट मत रहा है कि अगर बिना आरक्षण बढ़ाए बारह आबादी वर्ग से ओबीसी से अनुसूचित जाति वर्ग में शामिल किया जाता है तो यह न्यायसंगत नहीं है। यह अनुसूचित जाति वर्ग के हितों पर कुठाराघात होगा। यह किसी से छिपा नहीं है कि आरक्षण के बावजूद सार्वजनिक महकमों से लेकर लगभग हर स्तर पर अनुसूचित जातियों की हिस्सेदारी आज भी न्यायसंगत स्तर तक नहीं पहुंच सकी है। ऐसे में किसी तरह मिल सके उनके अधिकारों में ही कटौती की जाने लगेगी या उनका हिस्सा कम किया जाने लगेगा तो इसे कैसे देखा जाएगा?

– *वीरेंद्र कुमार जाटव, दिल्ली*





गुलाम नबी आजाद के कांग्रेस से रुखसत होने के बाद हरियाणा कांग्रेस में भी दो प्रतिद्वंद्वी चेहरे आमने-सामने आए। कांग्रेस नेतृत्व पर आरोपों की झड़ी लगाने वाले आजाद के घर उनसे मिलने के लिए अन्य असंतुष्ट नेताओं के साथ भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी पहुंचे थे। इसके बाद कांग्रेस नेता कुमारी शैलजा ने कहा कि नेताओं के इस कदम ने पार्टी के कार्यकर्ताओं को भ्रमित और निराश किया है। कुमारी शैलजा ने सवाल किया कि जब एक शख्स ने पार्टी छोड़ दी है तो उनसे मिलने जाने का क्या औचित्य है।



कांग्रेस में पिछले दो दशक में संगठनात्मक चुनाव नहीं हुए हैं। भारतीय राजनीति में जब कोई दल लंबे समय तक सत्ता में रहता है तो संगठनात्मक स्तर पर लोकतांत्रिक कवायद से बेपरवाह हो जाता है। आलाकमान का वचन ही शासन होता है। कभी शीर्ष के बल पर शीर्ष में रखे गए नेता जितनी तेजी से कांग्रेस नेतृत्व पर आरोप लगा कर पार्टी को अलविदा कह रहे हैं उतनी तेजी से तो पार्टी में सुधार संभव नहीं दिखता। इन नेताओं ने

## बेबाक बोल

2014 से पहले लोकतांत्रिक कांग्रेस की मांग नहीं की थी क्योंकि इन्हें सत्ता में अहम भागीदारी मिली थी तो संगठन मजबूत करने की जिम्मेदारी शायद विपक्षी दलों का काम समझ लिया गया था। आज जब कांग्रेस में संगठनात्मक चुनाव का एलान हो गया है तो देखना होगा कि चिट्ठी-क्रांति करने वाला समूह चुनाव में भाग लेता है या चुनावी प्रक्रिया खट्टी है कह कर मुंह फेर लेता है। कल तक दरबारी का बिल्ला लगा रखे नेताओं के बागी बोल पर बेबाक बोल।

# भाग दरबारी

## मुकेश भारद्वाज

गुल भी मानिंद-ए-खार हैं अब तो  
नंग-ए-फरसल-ए-बहार हैं अब तो  
- नामी नादरी

कांग्रेस के लिए यह समय राजनीतिक विपन्नता का है। राजनीतिक शक्ति के संसाधन में वह अर्थ से फर्श पर पहुंच चुकी है। जाहिर सी बात है कि यह समय पार्टी के उन लोगों के लिए बहुत कष्टकारी होगा जिन्होंने लंबे समय तक सत्ता का सुख भोगा है। अभी कांग्रेस महज दो जगहों पर सत्ता में है। पार्टी को अपने नेताओं के पास देने के लिए ज्यादा कुछ नहीं है सिवाय संघर्ष के लिए उत्साहित करने के। लेकिन, संघर्ष शब्द आदर्श रूप से जितना आकर्षक लगता है, व्यावहारिक रूप से उतना ही मुश्किल।

केंद्र की सत्ता से बेदखल होने के बाद जितनी जल्दी जी-23 का जन्म हुआ वह उतना भी आश्चर्यजनक नहीं था। लंबे समय से जनता से दूर नेताओं के लिए सबसे आसान काम था, चिट्ठी लिख कर पार्टी आलाकमान से अपनी नाराजगी जताना। दूसरी ओर, सबसे मुश्किल काम था, जनता के बीच जाकर उनकी नाराजगी दूर करना। चिट्ठी लिखी गई, मीडिया को दी गई और बहुचर्चित हुई। कांग्रेस को उपदेशों की झड़ी के साथ पार्टी छोड़ने वालों की लड़ी लग गई। जो कल तक खुद 'राग दरबारी' सप्तम सुर में गा रहे थे, आज वे कह रहे हैं कि कांग्रेस सुरक्षाकर्मियों (इशारा शायद केवी बायजू की ओर था जो राहुल गांधी की एस्प्रीजी सुरक्षा के पूर्व सदस्य हैं) और चपरसियों के हवाले

है। जरा सोचिए, दरबार की सुरक्षित कुर्सियों पर बैठने वाले लोगों के लिए सुरक्षाकर्मियों और अन्य कर्मचारियों के लिए कितनी घृणा है। आज गुलाम नबी आजाद उस खेमे के मुरीद हो रहे हैं जिसने राजनीति में इसी कथित सामंती संप्रांत मानसिकता को तोड़ा है। आजाद की सामंती सुर की भाषा ही उनकी अचकन पर लगा उनकी पहचान बताने वाला बिल्ला उचक-उचक कर दिखा रही है।

इसके पहले अपनी राज्यसभा की सदस्यता खत्म होते ही कपिल सिब्बल के अंदर भी वगावत की क्रांति आई और वे कांग्रेस को छोड़ कर समाजवादी पार्टी के कोटे से राज्यसभा सांसद बन गए। अभी हिमाचल प्रदेश कांग्रेस के लिए बड़ी चुनौती का मैदान है। वहां चुनाव आने वाले हैं और पार्टी को बहुत मेहनत करनी है। जाहिर सी बात है कि हिमाचल में कांग्रेस विपक्ष में है और वहां आम आदमी पार्टी का उभार तेजी से हो रहा है तो कांग्रेस को मुकाबले में रहने के लिए भी बहुत ज्यादा मेहनत करनी होगी। अब मेहनत करने से अच्छा है कि किसी भी तरह की जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ो। आनंद शर्मा ने हिमाचल में चुनौतियों का हिमालय देख आरोप और उपदेश का आसान रास्ता चुना।

चुनावों में लगातार मिल रही पार्टी की हार के बाद मनीष तिवारी से लेकर आनंद शर्मा तक पार्टी के संगठनात्मक ढांचे से



नाराज हैं। पार्टी के 23 वरिष्ठ नेताओं ने चिट्ठी लिख कर अपनी नाराजगी दिखाई। अब इनकी नाराजगी दूर करने का मौका आ गया है। कांग्रेस ने संगठनात्मक ढांचे में आम चुनाव का एलान कर दिया है। पार्टी का संदेश है कि लोकतांत्रिक तरीके से अध्यक्ष चुना जाए, चाहे वह राहुल गांधी हों या कोई और। अब, वे सभी नेता जिन्हें लगता है कि राहुल इस जिम्मेदारी के योग्य नहीं हैं उन्हें अध्यक्ष-पद के लिए चुनाव लड़ना चाहिए। पार्टी के संविधान के मुताबिक पार्टी का कोई भी सदस्य चुनाव लड़ सकता है। अध्यक्ष पद के लिए इंदिरा गांधी तक को चुनौती दी भी जा चुकी है। सीताराम केसरी को शरद पवार और राजेश पायलट ने चुनौती दी थी। सोनिया गांधी को जितेंद्र प्रसाद ने चुनौती दी थी।

डूबती हुई नाव से सबसे पहले वही भागते हैं जिनमें जहाज खेने का जज्बा न

बचा हो। अभी दरबारी पुराण छेड़ कर सवाल उठाने वाले लोग वही हैं जो नब्बे के दशक में मनमोहन सिंह के समय में कांग्रेस में उभरे। इन नेताओं का संबंध कभी भी जमीनी राजनीति से नहीं रहा है। इन सबने कांग्रेस की बनी-बनाई जमीन पर अपनी सुविधाजनक राजनीति की आलीशान इमारत बनाई। राहुल गांधी की अयोग्यता की दलील देने वाले सभी हुनरमंद नेता हैं जो कांग्रेस के आधार पर ही स्थापित हुए।

अब जब बना-बनाया आधार खिसक गया है तो इनके पास क्षमता नहीं है कि अपना आधार बनाने के लिए संघर्ष करें। कांग्रेस में लंबे समय से तो कोई आधार बनाने के लिए गया ही नहीं। आधार बनाने का सारा काम ऊपर से ही हुआ। ये सभी ऊपर से ही डाले गए नेतृत्व थे। नेतृत्व ने ही इन्हें उठा कर मंत्रिमंडल में लिया। ये हमेशा शीर्ष पर शीर्ष की बदीलत ही रहे। आज जब

इनके पांवों ने जमीन मांगी तो हवा में लटकने का सारा दोष भी शीर्ष पर ही डाल रहे।

राहुल गांधी की दिक्कत यह है कि कांग्रेस की कमान उन्हें तब मिली जब यह चौरफा संकटों से घिर चुकी थी। अब उनके पास तो ज्योतिरादित्य सिंधिया या जितिन प्रसाद की तरह भाजपा में चले जाने की सुविधा है नहीं। विरासती नेता का आरोप उन्हें झेलना है तो इस विरासत को दुरुस्त करने की जिम्मेदारी भी सिर्फ उन्हीं की

मानी जा रही है। दूर से तो राहुल गांधी को कोशिश ऐसी टीम खड़ी करने की दिख रही है जो जमीन से जुड़ी हुई संघर्षशील हो। राहुल संगठन का ढांचा भी दुरुस्त करने की कवायद में दिख रहे हैं। इन सब में सिर्फ आसमानी दलील वाले बेजमीनी नेता कहीं से भी योग्य नहीं ठहरते हैं। यहीं से विरोधाभास शुरू होता है। हर चुनावी हार के बाद नेताओं की पार्टी छोड़ने की सुविधाजनक दलील शुरू हो जाती है।

चाहे वे अशोक गहलोत हों या दिग्विजय सिंह, इन नेताओं में इस तरह का संकट नहीं दिखता है। सत्ता से दूर रहने की हताशा तो स्वाभाविक है लेकिन इनके पास अपनी बनाई जमीन है तो वापसी की उम्मीद भी रहती है। संकट में वे ज्यादा दिखे जो कांग्रेस की बनी-बनाई जमीन पर स्थापित किए गए। जो कभी सत्ता के गलियारे में आसमान से

टपके और अब सत्ता के लिए कहां जाएं की सोच पर अटके हैं।

भाजपा लगातार दूसरी पारी खेल रही है और आगे भी उसका भविष्य उज्ज्वल ही दिख रहा है। चुनाव सुधार के नाम पर चुनावी चंदे का भी सीधा-सीधा नुकसान कांग्रेस को हुआ है। ये लोग जैसे शाही नेता हैं जिन्होंने कांग्रेस की गरीबी के दिन नहीं देखे थे। ऐसी स्थिति में चाहे कपिल सिब्बल हों या गुलाम नबी आजाद, अपनी राजनीतिक आकांक्षाएं पूरी करने के लिए पार्टी छोड़ना ही बेहतर समझ रहे हैं।

पार्टी के संगठनात्मक ढांचे पर सवाल उठा रहे नेता आगे नजीर तभी बनेंगे जब वे सांगठनिक चुनाव का हिस्सा बन कांग्रेस में सुधार को लेकर अपनी गंभीरता दिखाएं। अगर आपने इस मौके का फायदा नहीं उठाया और सिर्फ प्रक्रियागत दोष निकाला तो यही माना जाएगा कि आप कांग्रेस के बने रहने के खेल में हिस्सा नहीं लेना चाहते हैं, बल्कि उसका खेल ही खराब कर देना चाहते हैं। जैसे कि सारे विपक्षी दल चुनाव से पहले ही ईवीएम का रोना रोने लगते हैं। वही, दिल्ली व पंजाब में उनकी जीत हो जाती है तो फिर उन्हें विपक्ष में कोई खामी नजर नहीं आती है। यानी हार के पहले ही आरोपों का प्रहार करने का रास्ता आप बना लेना चाहते हैं।

कांग्रेस के बागी नेता संगठनात्मक चुनाव में हिस्सा नहीं लेते हैं तो यही माना जाएगा कि आप में और विपक्ष में इतना ही फर्क है कि वे पार्टी के बाहर हैं और आप अंदर। अगर आपने चुनावों में हिस्सा लिया और 23 वोट ही हासिल कर लिए तो भी आप अपनी चिंताओं को वैधानिकता दे पाएंगे। नहीं तो यही माना जाएगा कि आप कोई नया रास्ता नहीं बनाना चाहते, सिर्फ पिछले दरवाजे से कुर्सी, बंगला ही सुरक्षित रखना चाहते हैं।

## गहराया संकट

रखंड में राजनीतिक अनिश्चितता शुकवार को तब और बढ़ गई जब राज्यपाल रमेश बैस रांची से दिल्ली चले गए। राजभवन के सूत्रों ने इसे गैर राजनीतिक यात्रा बताया पर माना यही जा रहा है कि वे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के सियासी भविष्य पर फैसला करने से पहले केंद्र सरकार से मंत्रणा करने के मकसद से गए हैं। इससे पहले यूपीए के प्रतिनिधि मंडल ने उनसे मुलाकात कर चुनाव आयोग की सिफारिश पर फैसला जल्द करने का आग्रह किया था। बैस ने एक तो यह बात मान ली थी कि चुनाव आयोग की सिफारिश उन्हें मिल चुकी है। दूसरे उन्होंने फैसला दो-तीन दिन में करने का भरसा भी दे दिया था। यह बात अलग है कि राज्यपाल पर फैसला करने के लिए कानूनन समय-सीमा की कोई बाधता नहीं है। चुनाव आयोग ने माना है कि हेमंत सोरेन ने मुख्यमंत्री रहते हुए निजी लाभ के लिए फैसला किया था। इस नाते उनकी विधानसभा सदस्यता का जाना तो यह ही माना जा रहा है। दुविधा बस इसे लेकर है कि उन्हें चुनाव लड़ने के अयोग्य ठहराया जाता है या नहीं? बताते हैं कि चुनाव आयोग ने राज्यपाल से ऐसी कोई सिफारिश नहीं की है। बहरहाल पहले चर्चा थी कि हेमंत विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा देकर मुख्यमंत्री पद पर बने रहेंगे। लेकिन अब उन्होंने दो मोर्चों पर रणनीति बनाई है। एक तो यूपीए के विधायकों को दल-बदली से बचाने के लिए उन्हें छ्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर भेजा है। दूसरे पांच सितंबर से विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया है, जिसमें बहुमत दिखाने की उनकी योजना है। वैसे इस तरह का संकट मनमोहन सरकार के दौर में एनएसी का अध्यक्ष होने के कारण सोनिया गांधी पर भी आया था। लेकिन उन्होंने एक तरफ तो लोकसभा की


## राजपाट

सदस्यता से इस्तीफा देकर उपचुनाव लड़ा था दूसरी तरफ मनमोहन सरकार ने कानून बदलकर एनएसी अध्यक्ष के पद को लाभ के पद के दायरे से बाहर कर दिया था। झारखंड के 81 सदस्यीय सदन में फिलहाल झामुमो के 30, कांग्रेस के 18 और राजद का एक यानी यूपीए के कुल 49 सदस्य हैं। भाजपा की अपनी सदस्य संख्या 26 और सहयोगी आजसू के दो सदस्य हैं। यूपीए को डर है कि हेमंत सोरेन के इस्तीफे की दशा में भाजपा उनके विधायकों की खरीद-फरोख्त कर खुद सरकार बना सकती है। यह बात अलग है कि अभी तक महाराष्ट्र की तर्ज पर उसे झारखंड में कोई एकनाथ शिंदे नहीं मिल पाया है। हालांकि कांग्रेस में सेंध आसान दिख रही थी पर पार्टी अपने विधायकों को बुरी नजर से बचाने की पुरजोर कोशिश कर रही है। इसी तरह झामुमो में भी टूट का खतरा फिलहाल तो टल गया ही दिखता है। लेकिन हकीकत तो राज्यपाल के फैसले के बाद ही सामने आ पाएगी कि सियासी घटनाक्रम क्या मोड़ लेगा।

## गले में फांस

केसीआर को पटना में पत्रकारों ने उलझा दिया। विपक्षी मोर्चे पर तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव इस समय केंद्र की सरकार और भाजपा के सबसे प्रबल विरोधी हैं। वे 2024 की तैयारी को अभी से अंजाम देना चाहते हैं। ममता बनर्जी के बाद वही एक चेहरा हैं जो भाजपा को कड़ी चुनौती देने की बात करते हैं। लेकिन तेलंगाना में भाजपा उन्हें कड़ी टक्कर दे रही है। इसलिए केसीआर के सामने अपना अस्तित्व बचाने का भी संकट है। तभी तो पटना में एलान किया कि वे 2024 में भाजपा मुक्त भारत बनाएंगे। लेकिन पत्रकारों ने उन्हें अपने जाल में फंसा लिया। सवाल दाग दिया कि क्या वे प्रधानमंत्री पद के लिए नीतीश को उम्मीदवारी का समर्थन करते हैं। केसीआर ने फर्माया कि इसका फैसला करने वाले वे कौन होते हैं। यह फैसला सब दल मिलकर करेंगे। दुविधा तो यही है कि विपक्षी एका हो पाए इससे पहले ही प्रधानमंत्री पद की उम्मीदवारी का सवाल गैर भाजपा विपक्ष के गले की फांस बन जाता है। कांग्रेस को अफसूत मान भी लें तो भी बाकी सारे गैर भाजपाई विरोधी दल एकजुट हो कहां पा रहे हैं।

## बात जिम्मेदारी की...



नूपुर शर्मा के विवाद ने भाजपा से जुड़े बुद्धिजीवियों के बीच एक विभाजन की रेखा खींच दी है। हाल ही में अजय सिंह की पुस्तक 'द आर्किटेक्ट आफ न्यू बीजेपी : हाउ नरेंद्र मोदी ट्रांसफॉर्म 'द पार्टी' के विमोचन समारोह में यह मुद्दा फिर बीच बहस में आया। कार्यक्रम में वरिष्ठ पत्रकार और इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र के अध्यक्ष रामबहादुर राय ने कहा कि भाजपा कभी काडर आधारित पार्टी नहीं थी, यह न तो आज काडर आधारित है और न आगे होगी। उन्होंने भाजपा को जनमानस पर आधारित और लोकतांत्रिक पार्टी के खाते में रखा। राय ने कहा कि अगर भाजपा काडर आधारित पार्टी होती तो नूपुर शर्मा का इस्तीफा नहीं होता या वे प्रवक्ता ही नहीं नियुक्त होते। राय ने यहां तक कहा कि अगर नूपुर शर्मा को पार्टी से निकाला गया तो उनके बयान की जिम्मेदारी लेते हुए भाजपा अध्यक्ष का भी इस्तीफा होना चाहिए था, जो नहीं हुआ। इस कार्यक्रम में गृह मंत्री राजनाथ सिंह व जम्मू-कश्मीर के उप-राज्यपाल मनोज सिन्हा भी मौजूद थे। हालांकि, राम बहादुर राय की इस टिप्पणी पर वहां मौजूद भाजपा के वरिष्ठ नेताओं ने मौन ही रखा।

(संकलन : मृगाल वल्लरी)

## आप में कुछ काला है

यह सियासत का वह सच है जिसने सफेद होने के हर दावे को झूठ बना दिया है। सियासत किसी मुल्क के दायरे में बंधी नहीं होती न ही किसी सूबे की मिलिकत। लिहाजा हिंदुस्तान की राजधानी के इलाकाई सूबे की सियासी सफेदी पर बहस चली तो हर परत काली निकली। अलग बात है कि सूबाई हुकूमत के उस पार खड़े सियासी खिलाड़ियों के गले में टंगी सफेदी मशीन वाले तमगो की चमक ज्यादा चटक हो गई है। बेशक दिल्ली की शराब नीति के पीछे कानूनी खामियां हो मगर मयखानों के इर्द-गिर्द उठे बंदर में खामियों का गुबार कम नहीं। कीचड़ कुछ इस कदर उछाली गई कि हर चेहरा काला नजर आने लगा। सबसे अलग दिखने वाली सियासी जमात को राजपूती खून का वास्ता देना पड़े तो शक की सुई का थम जाना लाजिम है। 'आप' तो पहले से ही उन भगोड़ों में शुमार है जो हर फर्जी शिकायत पर माफ़ीनामा लिए खड़े मिले। आने वाले महीनों की सियासी तपिश आज ही महसूस होने लगी है।

-एमके मिश्रा, रांची, झारखंड।



## आपके पत्र

## आम का जवाब बबूल

समस्त देशवासियों को मालूम है कि भारतीय राजनीतिक क्षितिज पर किस बुनियाद पर आम आदमी पार्टी का उदय हुआ था। उस पर भ्रष्टाचार के आरोप से दिल्ली सहित देश की जनता को जरूर निराशा हुई होगी। जांच के नतीजे तो भविष्य की गर्त में हैं। लेकिन फौरी तौर पर जो बात सामने नजर आई, विशेषकर छीटाकशी के दरमियान, वह यह थी कि बात हो रही थी आम की जवाब दिए जा रहे थे बबूल के बारे में। आप क्या परोस रहे हैं और यह सोच रहे हैं कि जनता वही सुनेगी तो यह गलतफहमी है। सही सवाल तो है कि अगर स्कूली व्यवस्था इतनी ही अच्छी है तो फिर अफसरों, मंत्रियों के कितने बच्चे वहां पढ़ते हैं? भ्रष्टाचार की जांच की आंच पड़ने मात्र से अस्मिता की पहचान की याद दिलाने की नौबत क्यों आई?

-मुकेश कुमार मनन, पटना।

## कठघरे में क्रांति

कहां अरविंद केजरीवाल भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए आए थे और अब उन्हीं आरोपों के कठघरे में हैं। असंगत और बकाना बातें करके जिस तरह केजरीवाल मनीष सिंसोदिया का बचाव कर रहे हैं उससे प्रतीत होता है कि वे भी कहीं न कहीं उसमें सम्मिलित हैं। अगर ऐसा न होता तो वे तत्काल सिंसोदिया को मंत्रिमंडल से हटा देते। धारा-302 के तहत दर्ज मामलों में से बहुत से मामले साक्ष्य के अभाव में सिद्ध नहीं होते तो क्या

## विशेष पन्ना कैसे लगा

इस विशेष पन्ने पर आपके टिप्पणियां हमें लगातार मिलते हैं। हर बार मुश्किल नहीं कि सारे पत्रों का हम इस्तेमाल कर पाएं। पर यह तय है कि आपके पत्रों से आपकी पसंद और विषयों के चुनाव में हमें मदद मिलती है। इस बार का यह विशेष पन्ना आपको कैसा लगा? आप अपनी राय भेज सकते हैं। हमारी ई-मेल आइडी है : vishesh.jansatta@expressindia.com

## एकतरफा कार्रवाई

इन दिनों विभिन्न जांच एजेंसियों की कार्यशीलता बढ़ गई है। इसका परिणाम है कि बड़ी मात्रा में काला धन भी बाहर आ रहा है। यह कार्यशीलता मुख्य रूप से विपक्षी नेताओं के खिलाफ ही दिख रही है। इसलिए इसका एक राजनीतिक संदेश भी जा रहा है। बिहार में सत्ता परिवर्तन होते ही जांच एजेंसियों का अति सक्रिय हो जाना इसका ताजा उदाहरण है। वही नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (सीएजी) जैसी संवैधानिक संस्था की अकर्मण्यता भी हमारे सामने है। देश में कोयला खनन और टू-जी घोटाले हुए जो सीएजी की रपटों से उजागर हुए थे। अब उस तरह की किसी रिपोर्ट से कोई हंगामा नहीं होता है।

-दल सिंह खरत, गाजीपुर, दिल्ली।

## कायाकल्प

आम आदमी पार्टी का यह कायाकल्प भारतीय राजनीति के लिए दुखद है। अब जनता विकल्प की किन बातों पर भरसा करेगी। इधर कुआं तो उधर खाई में से एक को चुनना होगा। इससे अच्छा तो यह होता कि आम आदमी पार्टी न तो स्थापित होती और न सपना दिखता।

-अंकुर सिंह, गाजियाबाद।



# कई खूबियां बनाती हैं नौसेना के युद्धपोत विक्रांत को खास

जन्सत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 2 सितंबर।

दो फुटबाल मैदानों के आकार के बराबर एक फ्लाइट डेक, 18 मंजिल की ऊंचाई, एक दिन में 16,000 चपाती बना सकने वाले रसोई के उपकरण, समुद्र में हर पल नजर रखने वाली प्रणाली, 2,500 किलोमीटर लंबी केबल जैसी विशेषताएं भारत के स्वदेश निर्मित पहले विमानवाहक

**तैरता नगर** पोत ‘आइएनएस’ विक्रांत को खास बनाती हैं।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने शुक्रवार को कोच्चि में ‘आइएनएस विक्रांत’ का जलावतरण किया और इसे ‘तैरता नगर’ तथा ‘तैरती हवाई पट्टी’ करार दिया जो 5,000 घरों को रोशन करने समान विद्युत का उत्पादन करने में सक्षम है। इस 45,000 टन वजनी युद्धपोत को आज जब भारतीय नौसेना में शामिल किया गया तो इसके फ्लाइट डेक पर एक उन्नत हल्का हेलिकाप्टर (एएलएच), एक कामोव–31 और एक मिग–29के खड़ा था। यदि किसी को जहाज के मार्ग और लाबी से गुजरना हो तो उसे लगभग 12 किमी चलना पड़ेगा।



युद्धपोत के नियंत्रण कक्ष में नौसेना का अधिकारी।

## क्षमता

*2,500 किमी* से अधिक की केबल

एक दिन में 16,000 चपातियां और 6,000 इडली

बनाने में सक्षम स्वचालित प्रणाली।

*सीटी स्कैन* मशीन के साथ पूरी तरह

कार्यात्मक अस्पताल, देश में युद्धपोत में पहला।

दो आपरेशन थिएटर, चालक दल के 1,600

सदस्य, 2,200 से अधिक कक्ष 18 मंजिल ऊंचाई।

### उपकरण

*आरएएन–40एल* 3डी हवाई निगरानी रडार

*एमएफ–स्टार* (नौसेना रडार प्रणाली)

टीएसीएन (सामरिक हवाई नौवहन प्रणाली)

*रेजिस्टर–ई* एंविएशन काम्प्लेक्स

श्वित ईडब्ल्यू सुट (पोत विस्फंक् मिसाइलों के खिलाफ रक्षा की एक इलेक्ट्रानिक परत)

*डाइवर* निगरानी प्रणाली

ईएलके–7036 वीयूएचएफ कोमिंट

लंबाई <span> </span> : 262.5 मीटर
चौड़ाई <span> </span> : 62.5 मीटर
विस्थापन <span> </span> : 42,800 टन
गति <span> </span> : 28 समुद्री मील
विद्युत उत्पादन क्षमता: 24 मेगावाट
7,500 समुद्री मील की कूजिंग रेंज
700 से अधिक सीढियां

## प्रधानमंत्री देश की सेवा में जुटे हैं तो परिवारवादी पार्टियां अपने परिवार बचाने में : नड्डु

जन्सत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 2 सितंबर।

भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डु ने शुक्रवार को कहा कि एक ओर देश की तस्वीर और तकदीर बदलने के लिए एक योद्धा के रूप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी

## भारत की बंदरगाह क्षमता आठ साल में दोगुनी हुई : प्रधानमंत्री

मंगलुरु (कर्नाटक), 2 सितंबर (भाषा)।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को कहा कि आधुनिक बुनियादी ढांचे का विकास विकसित भारत के निर्माण का मार्ग है और यही लोगों की आकांक्षा है।

उन्होंने कहा कि डबल इंजन की सरकार देश के लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए दिन रात मेहनत कर रही है। इसके साथ ही उन्होंने चुनावी राज्य कर्नाटक में लोगों की जरूरतों और आकांक्षाओं को तेजी से पूरा करने के लिए भाजपा सरकार की सराहना की। उन्होंने कहा, ‘आज का भारत, आधुनिक बुनियादी ढांचे के विकास पर ध्यान दे रहा है क्योंकि यही विकसित भारत के निर्माण का मार्ग है। आधुनिक बुनियादी ढांचे का निर्माण सुविधा बढ़ाने के साथ ही बड़े पैमाने पर नए रोजगार का भी निर्माण करता है।’

## थरूर ने निर्वाचन सूची सार्वजनिक करने की मांग की

पेज 1 का बाकी

रही है और पार्टी के भीतर इस पर बहस तेज हो गई है। सुत्रों ने बताया कि अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ने पर विचार कर रहे थरूर ने मिस्त्री को पत्र लिखा और निर्वाचन सूची प्रकाशित करने की मांग की। चुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया में 10 प्रस्तावक शामिल हैं जो प्रदेश कांग्रेस समिति (पीसीसी) के प्रतिनिधि (डेलिगेट) होंगे। सुत्रों ने बताया कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ने कहा है कि इन प्रतिनिधियों के बारे में जानना महत्वपूर्ण है क्योंकि अगर उनका नाम अंतिम सूची में नहीं आता तो नामांकन पत्र खारिज हो सकता है। नेताओं द्वारा लिखे गए पत्रों और निर्वाचन सूची के प्रकाशन की मांग को लेकर उठ रही आवाजों के बारे में पूछे जाने पर कांग्रेस ने इसे तवज्वो नहीं दी और कहा कि एक के बाद एक आवाजें उठ रही हैं कि राहुल गांधी को पार्टी का अगला अध्यक्ष होना चाहिए। पार्टी के प्रवक्ता गौरव वल्लभ ने कहा, ‘अगर आप देश के कोने–कोने के हर कार्यकर्ता से चाय पीते या खाना खाते समय पूछेंगे, तो वह यही कहेगा, हमारी इच्छा है कि राहुल गांधी कांग्रेस अध्यक्ष का पद संभालें।’ उन्होंने कहा, ‘कांग्रेस का चुनावी कार्यक्रम सबके सामने है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि पार्टी के अध्यक्ष पद का चुनाव कांग्रेस के संविधान और पूरी व्यवस्था के अनुसार होगा।’मनीष तिवारी, कार्ति चिदंबरम और थरूर ने बुधवार को भी पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए निर्वाचन सूची सार्वजनिक करने की मांग की थी। कांग्रेस के ‘जी 23’ समूह में शामिल रहे तिवारी के साथ ही थरूर ने पार्टी अध्यक्ष के चुनाव से जुड़े निर्वाचक मंडल की सूची सार्वजनिक नहीं किए जाने पर वस्तुतः सवाल खड़े करते हुए बुधवार को कहा था कि चुनाव से संबंधित पूरी प्रक्रिया निष्पक्ष और पारदर्शी होनी चाहिए। पार्टी के अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ने का इरादा जता चुके थरूर ने तिवारी से सहमति जताई और कहा कि हर किसी को यह जानने का हक है कि कौन नामित कर सकता है तथा कौन मतदान कर सकता है।

देश की सेवा में जुटे हुए हैं तो दूसरी ओर परिवारवादी पार्टियां अपने परिवार को, अपने

बेटे–बेटों, भतीजे और दामाद को बचाने में जी–जान से लगी हुई हैं। नड्डु दो दिन के हरियाणा के दौर पर हैं और शुक्रवार को कैथल में अमृतकाल संकल्प रैली को संबोधित कर रहे थे। नड्डु ने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व

में देश बदल रहा है और सफलता के नए आयाम स्थापित कर रहा है। उनके मार्गदर्शन में डबल इंजन वाली मनोहर लाल खट्टर सरकार हरियाणा के जन–जन के कल्याण के लिए कटिबद्ध भाव से काम कर रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस न तो वैचारिक पार्टी है, न राष्ट्रीय और न ही प्रादेशिक।

# ट्विटर ने जानबूझ कर देश के कानून की अवज्ञा की : केंद्र

बंगलुरु, 2 सितंबर (एजंसी)।

केंद्र सरकार ने कर्नाटक उच्च न्यायालय से कहा है कि ट्विटर ने ‘जानबूझकर’ भारत के कानूनों का पालन नहीं किया और उसकी अवज्ञा की तथा देश की सुरक्षा में इस सोशल मीडिया के कई भूमिका नहीं है। इलेक्ट्रनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (एमईआईटीवाई) ने गुरुवार को ट्वीट हटाने और अकाउंट ब्लाक करने से जुड़े सरकारी आदेशों के खिलाफ ट्विटर की ओर से दायर याचिका का विरोध करते हुए उच्च न्यायालय के समक्ष अपनी आपत्तियों के संबंध में पेश 101 पन्नों के बयान में यह दलील दी। राजनीतिक ट्वीट हटाने के निर्देश से संबंधित ट्विटर के दावों पर केंद्र ने कहा कि उसने सिर्फ असत्यापित खातों को ब्लाक करने के लिए कहा था। याचिका को

# रेलवे बोर्ड ने विभिन्न भत्तों की समीक्षा के लिए कहा

जन्सत्ता ब्यूरो

नई दिल्ली, 2 सितंबर।

परिचालन खर्च बढ़ने से चिंतित रेलवे बोर्ड ने सातों जोन से ‘अतिरिक्त समय अवधि’, रात्रिकालीन कार्य और यात्रा तथा ईंधन एवं रखरखाव के लिए मिलने वाले भत्तों की समीक्षा करने को कहा है।

रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष वीके त्रिपाठी ने तिमाही समीक्षा बैठक में पाया कि परिचालन से जुड़े खर्च काफी अधिक हैं। चालू वित्त वर्ष में मई तक सातों जोन में यह रेलवे के पिछले साल की समान अवधि के मुकाबले 26 प्रतिशत औसत वृद्धि से कहीं ऊपर है। ये जोन हैं पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे (37.9 प्रतिशत), उत्तर रेलवे (35.3 प्रतिशत), दक्षिण–मध्य रेलवे (34.8 प्रतिशत), दक्षिण–पश्चिम रेलवे (33.1 प्रतिशत), उत्तर–पश्चिम रेलवे

## भारतीय नौसेना को मिला नया ध्वज

परिचालन क्षमता का प्रतीक है।भारतीय नौसेना का मूल औपनिवेशिक काल में जाता है, और एक स्वतंत्र भारत के नौसैन्य बल के रूप में अपनी पहचान धारण से पहले इसके नामकरण में पिछली कुछ शताब्दियों में कई बदलाव हुए हैं।नेवल डाकघर।ई मुंबई (एनडीएम) में विरासत दीर्घ में एक पैनल पर प्रदर्शित जानकारी के अनुसार, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1612 में सूरत में अपनी गतिविधियों की शुरुआत की और उसके जहाजों को माननीय ईस्ट इंडिया कंपनी के मरीन के रूप में जाना जाता है। इसने कैंटन में सेंट जार्ज क्रास के साथ धारीदार ध्वज अपनाया।

सूरत से बंबई में गतिविधियों के स्थानांतरण के साथ, बांबे मरीन का गठन 1686 में किया गया था।वर्ष 1707 में, ब्रिटिश संघ के ध्वज से कैंटन में सेंट जार्ज क्रॉस को बदल दिया, और 1801 में ब्रिटिश ध्वज को विकर्ण के साथ लाल धारियों को शामिल करने के लिए संशोधित किया गया था। साल 1830 में, बांबे मरीन का नामबदलकर ‘हर मेजेस्टीज इंडियन नेवी’ कर दिया गया।नौसेना की आधिकारिक वेबसाइट के अनुसार, 1863 से 1877 तक इसका नाम ‘बांबे मरीन’ रहा और इसके बाद इसका नाम ‘हर मेजेस्टीज इंडियन मरीन’ कर दिया गया। 1892 में नाम ‘रायल इंडियन

# आइएनएस विक्रांत पूर्व सरकारों के सामूहिक प्रयासों का नतीजा : कांग्रेस

जन्सत्ता ब्यूरो

नई दिल्ली, 2 सितंबर।

कांग्रेस ने शुक्रवार को भारत के पहले स्वदेश निर्मित पोत ‘आइएनएस विक्रांत’ को राष्ट्र को समर्पित करने का श्रेय लेने के लिए केंद्र सरकार के दावे पर सवाल उठाया। पार्टी ने आरोप लगाया कि उन्होंने पूर्ववर्ती सरकारों के योगदान को उचित स्थान नहीं देकर पाखंड किया है।

पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने भारतीय नौसेना, उसके डिजाइन ब्यूरो और कोच्चि शिपयार्ड को बधाई दी और ‘आइएनएस विक्रांत’ को नौसेना के बेड़े में शामिल किए जाने को देश की समुद्री सुरक्षा की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया।

वरिष्ठ कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा कि यह ऐसी उपलब्धि है जिससे देश की मजबूती को बल मिलेगा। एक वीडियो साझा करते हुए रमेश

## नीतीश कुमार ने खुद को प्रधानमंत्री पद की दौड़ से बाहर बताया

पटना, 2 सितंबर (भाषा)।

भाजपा के साथ पिछले महीने गठबंधन टूटने के बाद बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के ‘राष्ट्रीय राजनीति’ में आने की चर्चा तेज हो गई है, लेकिन उन्होंने एक बार फिर कहा कि वह प्रधानमंत्री पद की दौड़ में शामिल नहीं हैं।जनता दल यूनाइटेड (जदयू) के मुख्यालय पर पत्रकारों के केंद्र की राजनीति में भूमिका निभाने संबंधी सवालों के जवाब में नीतीश का जवाब था, ‘छोड़िए ये सब बातें।’ वहीं, पार्टी के मुख्यालय पर लगे बड़े–बड़े पोस्टरों में से कुछ पर लिखा है ‘प्रदेश में दिखा, देश में दिखा।’ इन नारों से विभिन्न अर्थ निकाले जा सकते हैं।

वहीं दूसरी ओर नीतीश कुमार ने ‘भ्रष्ट लोगों को

## देश

ने यह भी कहा कि तत्कालीन रक्षा मंत्री एके एंटनी ने 12 अगस्त 2013 को भारत के पहले स्वदेशनिर्मित विमान वाहक पोत आइएनएस विक्रांत को ‘लॉच’ किया था। प्रधानमंत्री ने इसे आज बेड़े में शामिल किया है। आत्मनिर्भर भारत 2014 से पहले भी था। इससे जुड़े पूर्व प्रधानमंत्रियों के योगदान की भी सराहना की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि भारत के पहले स्वदेश निर्मित विमान वाहक पोत आइएनएस विक्रांत को राष्ट्र को समर्पित किया जाना 1999 के बाद की सभी सरकारों के सामूहिक प्रयासों का परिणाम है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेता कृष्णा मेनन ने ब्रिटेन से इसे हासिल करने में प्रमुख भूमिका निभाई थी।

रमेश ने कहा कि आइएनएस विक्रांत को नौसेना के बेड़े में शामिल किया जाना भारतीय नौसेना के इंजीनियरों, अधिकारियों और कोच्चि शिपयार्ड के कर्मचारियों को समर्पित है।

# नीतीश कुमार ने खुद को प्रधानमंत्री पद की दौड़ से बाहर बताया

## पोस्टर कर रहे अलग कहानी बयां

पटना, 2 सितंबर (भाषा)।

जनता दल यूनाइटेड (जदयू) के नेता नीतीश कुमार भले ही अपनी राष्ट्रीय महत्वाकांक्षा को लेकर स्पष्ट तौर पर कुछ भी नहीं कह रहे हों, लेकिन यहां पार्टी मुख्यालय के बाहर लगे पोस्टर कुछ अलग ही कहानी बयां करते हैं। इनमें से कुछ में जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना

बचाने के लिए धुवीकरण’ के तंत्र को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर शुक्रवार को निशाना साधा। उन्होंने यह भी याद दिलाने का प्रयास किया कि वह अटल बिहारी वाजपेयी सरकार के शासनकाल के दौरान केंद्र में थे। राज्य के पार्टी

## भारत व आस्ट्रेलिया प्रारंभिक शिक्षा, कौशल विकास में दीर्घकालिक सहयोग पर सहमत

जन्सत्ता ब्यूरो

नई दिल्ली, 2 सितंबर।

भारत और आस्ट्रेलिया प्रारंभिक शिक्षा व कौशल विकास के क्षेत्र में दीर्घकालिक सहयोग पर सहमत हो गए हैं। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धनंजय प्रधान ने शुक्रवार को कहा कि हमने ज्ञान के क्षेत्र में अपने मजबूत एवं विविधतापूर्व सहयोग एवं दीर्घकालिक द्विपक्षीय सहयोग को और गति प्रदान करने पर सहमति जताई है। दूसरी ओर, प्रधान ने इंडोनेशिया के शिक्षा मंत्री नदीम अनवर मकारिम के साथ भी बैठक की और समग्र सामरिक सहयोग की पूरी क्षमता को हासिल करने के लिए दोनों देशों के बीच अकादमिक एवं कौशल विकास भागीदारी को और मजबूत बनाने पर चर्चा की। प्रधान इन दिनों इंडोनेशिया के बाली में आयोजित जी20 समूह के शिक्षा मंत्रियों की बैठक में हिस्सा लेने गए हैं।

प्रधान ने शुक्रवार को आस्ट्रेलिया की प्रारंभिक

## देश में कोरोना संक्रमण के 6,168 मामले आए

जन्सत्ता ब्यूरो

नई दिल्ली, 2 सितंबर।

देश में एक दिन में कोरोना विषाणु संक्रमण के 6,168 मामले आने के बाद संक्रमितों की कुल संख्या 4,44,42,507 हो गई। वहीं, संक्रमण का इलाज करा रहे मरीजों की संख्या घटकर 59,210 रह गई है, जो कुल मामलों का 0.13 फीसद है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से शुक्रवार सुबह आठ बजे जारी आंकड़ों के अनुसार देश में संक्रमण से 21 और मरीजों की मौत होने के बाद मृतक संख्या 5,27,932 पर पहुंच गई है। इन 21 मौतों में वे दो लोग भी शामिल हैं, जिनके नाम संक्रमण से मौत के आंकड़ों का पुनःमिलान करते हुए केरल ने संक्रमण से जान गंवाने वाले मरीजों की सूची में डाले हैं। चौबीस घंटे में इलाज करा रहे मरीजों की संख्या में 3,538 की कमी दर्ज की गई है। मरीजों के ठीक होने की राष्ट्रीय दर बढ़कर 98.68 फीसद हो गई है।

साधा गया है, तो कुछ में उन्हें (कुमार को) एक ऐसा व्यक्ति बताया गया है, जो 2024 में बदलाव का सूत्रपात करेगा। एक पोस्टर में कहा गया है कि बिहार के मुख्यमंत्री ‘जुमला नहीं, हकीकत’ हैं, जबकि एक अन्य में ‘मन की नहीं, काम की’ बात कही गई है। इस तरह इन पोस्टर में कुमार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विरूद्ध पेश किया गया है।

पदाधिकारियों की बैठक से महज कुछ ही घंटे पहले पार्टी मुख्यालय पहुंचे नीतीश ने कहा कि वह शनिवार को होने वाली राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक और उसके एक दिन बाद होने वाली राष्ट्रीय परिषद की तैयारियां देखने आए हैं।

पदाधिकारियों की बैठक से महज कुछ ही घंटे पहले पार्टी मुख्यालय पहुंचे नीतीश ने कहा कि वह शनिवार को होने वाली राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक और उसके एक दिन बाद होने वाली राष्ट्रीय परिषद की तैयारियां देखने आए हैं।

## भारत व आस्ट्रेलिया प्रारंभिक शिक्षा, कौशल विकास में दीर्घकालिक सहयोग पर सहमत

जन्सत्ता ब्यूरो

नई दिल्ली, 2 सितंबर।

भारत और आस्ट्रेलिया प्रारंभिक शिक्षा व कौशल विकास के क्षेत्र में दीर्घकालिक सहयोग पर सहमत हो गए हैं। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धनंजय प्रधान ने शुक्रवार को कहा कि हमने ज्ञान के क्षेत्र में अपने मजबूत एवं विविधतापूर्व सहयोग एवं दीर्घकालिक द्विपक्षीय सहयोग को और गति प्रदान करने पर सहमति जताई है। दूसरी ओर, प्रधान ने इंडोनेशिया के शिक्षा मंत्री नदीम अनवर मकारिम के साथ भी बैठक की और समग्र सामरिक सहयोग की पूरी क्षमता को हासिल करने के लिए दोनों देशों के बीच अकादमिक एवं कौशल विकास भागीदारी को और मजबूत बनाने पर चर्चा की। प्रधान इन दिनों इंडोनेशिया के बाली में आयोजित जी20 समूह के शिक्षा मंत्रियों की बैठक में हिस्सा लेने गए हैं।

प्रधान ने शुक्रवार को आस्ट्रेलिया की प्रारंभिक

शिक्षा मंत्री एनी एली व यूनेस्को की सहायक महानिदेशक स्टेफानिया गियानिनी के साथ शिक्षा के क्षेत्र में सहयोग को प्रगाढ़ बनाने व प्रारंभिक एवं स्कूली शिक्षा में आपसी संफर्कों को गहरा बनाने पर चर्चा की। प्रधान ने आस्ट्रेलिया की प्रारंभिक शिक्षा मंत्री एनी एली के साथ बैठक के बाद कहा कि एली से आरंभिक शिक्षा एवं स्कूली शिक्षा के क्षेत्र में सहयोग को गहरा बनाने के बारे में सार्थक चर्चा हुई।

प्रधान ने कहा कि भारत और आस्ट्रेलिया के बीच उच्च शिक्षा, शोध और कौशल विकास के क्षेत्र में विविधतापूर्ण सहयोग है। उन्होंने कहा कि प्रारंभिक शिक्षा एवं स्कूली शिक्षा के क्षेत्र में संफर्कों को गहरा बनाने से दोनों देशों के बच्चों को सीखने का अवसर प्रदान करने के लिए मजबूत आधार बनाया जा सकेगा। प्रधान ने यूनेस्को की सहायक महानिदेशक स्टेफानिया गियानिनी के साथ भी बैठक की और 2030 के शिक्षा एजंडे पर चर्चा की।

# छेड़छाड़ का विरोध करने पर महिला को ट्रेन से फेंका, मौत

पेज 1 का बाकी

ने कहा, ‘प्रारंभिक जांच के दौरान यह पता चला है कि घटना में एक आरोपी शामिल था। हम उसकी पहचान करने की कोशिश कर रहे हैं और उसे जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा।’उन्होंने कहा कि जब ट्रेन टोहाना पहुंची, तो बिलख रहे बच्चे ने अपने पिता को घटना के बारे में बताया, जिसके बाद पुलिस को सूचित किया गया। उन्होंने बताया कि महिला का शव बाद में टोहाना से कुछ दूरी पर पटरियों के पास मिला। पुलिस अधिकारी ने कहा कि भारतीय दंड संहिता (आइपीसी) की धारा 302 (हत्या) और 354 (महिला का शील भंग करने के इरादे से हमला) के तहत मामला दर्ज किया गया है।

## तीस्ता सीतलवाड़ को अंतरिम जमानत

पेज 1 का बाकी

ने सालिसिटर जनरल तुषार मेहता की तीस्ता के खिलाफ दी गई तमाम दलीलों को दरकिनार करते हुए यह कदम उठाया। पीठ ने उन्हें हाईकोर्ट द्वारा मामले पर विचार किए जाने तक अपना पासपोर्ट सरेंडर करने के लिए कहा है।न्यायाधीशों ने कहा–तीस्ता एक महिला है। वह दो महीनों से हिरासत में हैं और जांच तंत्र को सात दिनों की अवधि के लिए हिरासत में पूछताछ का लाभ भी मिला है। तीस्ता के खिलाफ कथित अपराध 2002 से संबंधित हैं और अधिक से अधिक 2012 तक संबंधित दस्तावेज पेश करने की मांग की गई थी।

पीठ ने कहा–हमारे विचार में अपीलकर्ता अंतरिम जमानत पर रिहा होने की हकदार है। यह कहा जाना चाहिए कि जैसा कि सालिसिटर जनरल ने तर्क दिया था कि मामला अभी भी हाईकोर्ट के समक्ष विचाराधीन है, इसलिए हम इस पर विचार नहीं कर रहे हैं कि अपीलकर्ता को जमानत पर रिहा किया जाए या नहीं। उस पर हाईकोर्ट द्वारा विचार किया गया है। हम केवल इस दृष्टिकोण से विचार कर रहे हैं कि क्या मामले पर विचार के दौरान अपीलकर्ता की हिरासत पर जोर दिया जाना चाहिए।तुषार मेहता ने तीस्ता को अंतरिम जमानत न देने और मामले



**Malegaon Municipal Corporation, Malegaon**  
**Dist. Nashik, Maharashtra State**  
**Re E-Tender Notice No. Ws/Jal-Mal/02/2022-23**

The Commissioner Malegaon Municipal Corporation invites Online Tender in B-1 Format for the work of SEWERAGE SCHEME FOR MALEGAON CITY UNDER AMRUT ABHYAN, Tal. MALEGAON, Dist. Nashik, In the State of Maharashtra, Cost of Tender Rs. 5,47,59,932/- & for all relevant information that is scope of work, time table will be made available on web site https://www.mahatenders.gov.in/ form 03/09/2022 to detailed information.

Date : 03/09/2022 to 19/09/2022

Commissioner  
 Malegaon Municipal Corporation, Malegaon

"आइये उन सभी लोगों को याद कर जिनोंने हमारे देश के लिए अपने प्राणों की आहुती दी."

**आरसीआई इन्फ्रस्ट्रिज एण्ड टेक्नोलॉजीज लिमिटेड**  
**सीआईएन L74900DL1992PLC047055**

पंजीकृत कार्यालय फु इकाई नं. 421, चौथी मंजिल, बंदर ओपनर, नेत्रजी सुभाष प्लेस, पीतम्पुरा, दिल्ली-110034, दूरभाष : +91 11 4688182&+91 11 29731334  
 वेब : www.rcind.com, ई-मेल : compliance@rcind.com

**अती वार्षिक आम बैठक (एजीएम)**  
**ई-वोटिंग जानकारी तथा बंध क्लोजर की सूचना**

एतद्वारा सूचना दी जाती है कि 31वीं एजीएम की सूचना में निर्दिष्ट अनुसार व्यवसाय के लेन-देन के लिए कंपनी की तीसरी वार्षिक आम बैठक (एजीएम) बीडको कॉर्पोरेशन ('बीसी')/अन्य ऑनलाइन-विद्युत मतदान ('ऑनलाइन') के माध्यम से शुक्रवार 30 सितंबर, 2022 को प्रातः 10.30 बजे पूर्ण. (भा.मा.स.) आयोजित की जाएगी।

कंपनी अधिनियम, 2013 के लागू प्राधान्यों और उसके तहत बाजार पूंज निगमों तथा सामान्य परिषद संस्था 44 की धारा 170/2020, 2010 भा.सं. 02/2021 क्रमांकित अधिनियम 08 अक्टूबर, 2020, 13 अक्टूबर, 2020 अथवा 2020 और 13 जनवरी, 2021 के साथ प्रतिन भारतीय प्रतिभूति और निर्यात प्रांय (सूचीबद्ध) परिषद एवं संस्था अधिनियम, 2015 तथा कॉर्पोरेट मानक मंत्रालय (एनसीए) द्वारा जारी अन्य विनियमों और सेबी परिषद संस्था सेबी ('एनसी/सीएफडी/सीएमपी/सीआईएन/सीआईआर/बी/2011/13 क्रमशः दिनांक 12 मई, 2020/79 तथा सेबी ('एनसी/सीएफडी/सीएमपी/सीआईआर/बी/2011/13 क्रमशः दिनांक 12 मई, 2020 और 15 जनवरी, 2021 के अनुसार 31वीं एजीएम की सूचना और वार्षिक रिपोर्ट इलेक्ट्रॉनिक माध्यम में केवल उन सदस्यों के पास भेजी गई है जिनके ई-मेल पते कम्प्यूटराइजिडिटी प्रतिभागियों के साथ पंजीकृत है। एनसीए परिषदों और सेबी परिषदों के माध्यम से सदस्यों को एजीएम की सूचना और वार्षिक रिपोर्ट की भौतिक प्रतियां भेजने की आवश्यकता को समाप्त कर दिया गया है। सदस्यों को वार्षिक रिपोर्ट का इलेक्ट्रॉनिक प्रमाण 03 सितंबर, 2021 को प्राप्त कर लिया गया है। परंपरागत सूचना और वार्षिक रिपोर्ट कंपनी की वेबसाइट www.rcind.com और ई-मेल एक्सचेंज की वेबसाइट यानी www.bseindia.com पर उपलब्ध है।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 108 के प्राधान्यों के साथ पंजीकृत (प्रबंधन और प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 20 और सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटन अध्यादेश) विनियम, 2015 के विनियम 44 के प्राधान्यों तथा सामान्य बैठक (एनएस-2) पर सांख्यिक मातक के अनुपालन में, कंपनी नेमशन सिखायोरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) के माध्यम से अपने सदस्यों को वीसी/ओवरलैपीएम वोटिंग के माध्यम से एजीएम के स्थान के अलावा किसी अन्य स्थान से मतदान करने की पूर्ण/ओवरलैपीएम वोटिंग के माध्यम से मतदान के लिए रिपोर्ट ई-वोटिंग सुविधा प्रदान कर रही है। इस संबंध में प्रक्रियाचिद्वय-एजीएम की सूचना के नोटस में प्रदान किए गए हैं।

कट-ऑफ तिथि यानी 23 सितंबर, 2022 को मौलिक रूप में या डीमैमैरिजल/एनएसडीएम में शेयर रखने वाले कंपनी के सदस्य रिपोर्ट ई-वोटिंग द्वारा मतदान करने या वीसी/ओवरलैपीएम के माध्यम से वोटक में भाग लेने तथा वोटक में मतदान के पात्र होंगे। सदस्यों के वोटिंग अधिकार कट-ऑफ तिथि तक कंपनी की बुकला डिपॉजिटरी शेयर रजिस्ट्री के उनका शेयरों के अनुपालन में होंगे, रिपोर्ट ई-वोटिंग आरंभ मंगलवार 27 सितंबर 2022 (09.00 पूर्ण. भा.मा.स.) पर शुरू होगी और गुरुवार 29 सितंबर, 2022 (समय 05.00 बजे भा.मा.स.) को समाप्त होगी। इसके बाद मतदान के लिए एनएसडीएल द्वारा रिपोर्ट ई-वोटिंग मॉड्यूल को निष्क्रिय कर दिया जाएगा। एक बार सदस्यों के लिए एनएसडीएल द्वारा रिपोर्ट ई-वोटिंग मॉड्यूल को निष्क्रिय कर दिया जाने में इसे बदलने की अनुमति नहीं दी जाएगी। एजीएम से पहले रिपोर्ट ई-वोटिंग के जरिए वोट आने वाले सदस्यों की एजीएम में शामिल हो सकते हैं, लेकिन वे वोटबंद वोट आने के इच्छाकर नहीं होंगे।

कोई भी व्यक्ति, जो शेयर प्राप्त करता है और सूचना के प्रेषण के बाद कंपनी का सदस्य बन जाता है और कट-ऑफ तिथि यानी गुरुवार, 23 सितंबर 2022 तक शेयर रखता है, वह evoting@nsdl.co.in पर अनुसूचित मंत्रालय लॉगिन आईडी और पासवर्ड प्राप्त कर सकता है। हालांकि, यदि आप रिपोर्ट ई-वोटिंग के लिए पहले से ही एनएसडीएल के साथ पंजीकृत हैं तो आप अपना वोट आने के लिए अपने मौजूदा यूजर आईडी और पासवर्ड का उपयोग कर सकते हैं।

की गौरव सहाय, कर्माजी सहित (सदस्यता संख्या एफसीएनएक 46647), प्रेसिडेंट/कंपनी सचिव की ई-वोटिंग प्रक्रिया की निष्ठा और पारदर्शी तरीके से जांच करने के लिए सहायक रूप में नियुक्त किया गया है। सदस्य जो एजीएम के दौरान अपने विचार व्यक्त करना या प्रश्न पूछना चाहते हैं, वे 23 सितंबर, 2022 तक या इसके पहले तक, यानी, डीमैमैरिजल/फॉलियो को, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर का उल्लेख करते हुए कंपनी के पास अपने पंजीकृत ई-मेल के माध्यम से compliance@rcind.com पर इलमिगिड अनुसंधान पत्र की प्रतिलिपि के साथ संकेतकों के साथ और भी, डेन/अन्य महत्वपूर्ण सूचनाएं प्रेषित कर सकते हैं। डीमैमैरिजल/फॉलियो को भी शेयर पहले वाले शेयरधारकों से अनुसंधान के लिए अपने डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स के साथ अपने ईमेल पते को आइटोड करें।

ई-वोटिंग या वीसी/ओवरलैपीएम के माध्यम से एजीएम में भाग लेने से संबंधित किसी भी प्रश्न के मामले में, सदस्य www.evoting.nsdl.com के सहायक अनुभाग में उपलब्ध Frequently Asked Questions (FAQs) और e-voting नेशन उत्तरवर्ति लिट शार्डहोल्डर देखा सकते हैं या टोल फ्री नंबर 1800-1020-980 या 1800-224-430 पर कॉल कर या evoting@nsdl.co.in पर अनुसूचित मंत्र या नेमशन सिखायोरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड, डेड बंदव, ए-विंग, 4वां तल, कम्पन लिट कार्पोरेशन, सेनापति बाघत मार्ग, लोहार परेल, मुंबई-400013 से निर्मातिर ईमेल आईडी evoting@nsdl.co.in पर संपर्क करें।

**द दिल्ली सेफ डिपॉजिट क. लि.**  
**(CIN: L74899DL1937PLC000478)**  
**पंजी. कार्यालय: 86, जनपथ, नई दिल्ली-110001 (भारत)**  
**टेली: 011-43580400, 23320084, 23321902**  
**ईमेल:delsafe@dsgdgroup.co.in, वेब: www.dsggroup.co.in**

**सूचना**

एतद्वारा सूचना किया जाता है कि द दिल्ली सेफ डिपॉजिट कम्पनी लिमिटेड के शेयरधारकों की 84वीं एजीएम कोविड-19 महामारी की अनवरतता के कारण विडियो कॉन्फ्रेंस ("वीसी") अन्य ऑडियो विडियो माध्यमों ("ओवरलैपीएम") द्वारा शुक्रवार, 27 सितम्बर, 2022 को 10.00 बजे पूर्ण. में आयोजित की जाएगी जिसमें एजीएम की सूचना में संघित व्यवसायों को निष्पादित किया जाएगा। कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय ने (सर्वमुलत रिधि 8.4.2022, 13.4.2020, 5.5.2020, 13.01.2021 तथा 05.5.2022) तथा सेबी ने (सर्वमुलत रिधि 12.5.2020, 15.01.2021 तथा 13.05.2022) के द्वारा सूचना तथा वार्षिक रिपोर्ट की भौतिक प्रतियां शेयरधारकों को भेजने से रूट दी है तथा साथ ही वर्ष 2022 के दौरान इलेक्ट्रॉनिक पद्धति से वार्षिक आम सभा (एजीएम) के आयोजन की अनुमति दी है।

हा एतद्वारा सभी शेयरधारकों से आग्रह करते हैं कि वार्षिक रिपोर्ट, एजीएम की सूचना तथा कम्पनी से अन्य सभी सूचनाओं के प्रेषण के लिये अपना ईमेल आईडी अद्यतन कर लें।

कृपया ध्यान रहे कि 31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के वार्षिक रिपोर्ट की कोई भौतिक प्रति सदस्यों को एजीएम के दौरान अथवा उसके बाद नहीं भेजी जाएगी।

डिमेंटरिजल/एनएसडीएल पद्धति में शेयरधारक करने वाले शेयर धारकों से आग्रह है कि ईमेल पता, बैंक मैडेन्डर तथा मोबाईल नं. को अद्यतन करने के लिये अपने संबंधित डिपॉजिटरी पार्टिसिपैन्ट्स से सम्पर्क करें।

भौतिक रिपोर्ट में शेयर धारक करने वाले शेयरधारकों से आग्रह है कि अपना नाम, फोलियो नम्बर, शेयर प्रमाणपत्र (फ्रान्ट एण्ड बैक) की स्कैनड कॉपी, बैंक कार्ड की प्रतः, सत्यापित स्कैनड कॉपी तथा आधार कार्ड की प्रतः सत्यापित स्कैनड कॉपी प्रस्तुत कर रजिस्ट्रार तथा शेयर अंतरण अधिकारी-विंग शेयर सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड के पास अपना i) ईमेल आईडी तथा ii) बैंक मैडेन्डर पंजीकृत/अद्यतन कर लें।

वाछित दस्तावेजों के साथ उक्त विवरण विंग शेयर सर्विसेस प्रा.लि.-आरटीए के पास ईमेल आईडी: investor.dl@bigsharonline.com पर भेजी जा सकती है।

कृते, द दिल्ली सेफ डिपॉजिट कम्पनी लिमिटेड  
 हस्ता./-  
 विजय कुमार गुप्ता  
 प्रबंध निदेशक/आईओ  
 DIN-00243413

स्थान: नई दिल्ली  
 तिथि: 3.9.2022

कृते आरसीआई इन्फ्रस्ट्रिज एण्ड टेक्नोलॉजीज लिमिटेड  
 हस्ता./-  
 प्रिया सूर्यवती  
 (कम्पनी सचिव)

**CAPIRIGLOBAL CAPITAL LIMITED**

**कैप्री ग्लोबल कैपिटल लिमिटेड**

पंजीकृत एवं कॉर्पोरेट कार्यालय : 502, टॉवर-ए, नैनीताल सिडिबिज पार्क, सेनापति बाघत मार्ग, लोहार परेल, मुम्बई-400013  
 सहायक कार्यालय : कैप्री ग्लोबल कैपिटल लिमिटेड, 9-बी, दूसरी मंजिल, पुरा डेड, बंदर ओपनर, नई दिल्ली-110005

**परिशिष्ट-1V ए/ [निगम 8(6) एवं 9(1) के प्राधान्यों के साथ प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत अखिल अधिनियमों की विन्यां हेतु विक्रय सूचना। एतद्वारा जननाम्यक तथा निदेशक रूप से कर्तव्यारंभ की सूचना दी जाती है कि प्रतिभूत लेनदार की वेबसाइट पर कैप्री ग्लोबल कैपिटल लिमिटेड प्रिभूत लेनदार द्वारा रचनाम्यक/भौतिक कब्जा कर लिया गया है, नीचे वर्णित कर्तव्य से कैप्री ग्लोबल कैपिटल लिमिटेड प्रिभूत लेनदार/सेवा प्रदाता इंटर्नेट कनेक्टिविटी, नेटवर्क समस्या, सिस्टम क्रैश डाउन, पॉवर फेल्योर आदि के लिए उत्तरदायी नहीं होंगे।**

क. क्र.सं. 1. कर्तव्यारंभ की नाम 2. बकाया राशि

1. मेसर्स ओ.पी. इन्फ्रम मरैट ("कंजंदार")  
 2. श्री राम नारायण  
 3. श्रीमती लक्ष्मी देव (शह-कंजंदार)  
 लखन खाला सं. LNC6CKDTL0000004198  
 रजिस्ट्री 62,40,985/- (रजिस्ट्री बायवट लख चालीस हजार नौ सिपायें मार्च 07.12.2021 तक तथा प्रत्येक वर्ष 1000/-)

व्ययक सम्पत्ति का विवरण

1. ई-नीलामी की तिथि एवं समय  
 2. ईम्पटडी जमा करने की अंतिम तिथि एवं समय  
 3. अंतिम के निरीक्षण तथा माप में आने वाली राशि

मकान नं. 554, खेला/खाला सं. 5413/7025 में से, क्र.सं. 127.16/3490/908-910, 3582/999 (0-0-0-0-0-0) में से, फिरोज गंभी कालोनी-1, तलसरी प्लेस जिला नुसामा, हरियाणा में स्थित।

1. आश्रित मूल्य  
 2. सम्पत्ति की ईम्पटडी  
 3. अंतिम के निरीक्षण

आश्रित मूल्य : ₹. 39,50,000/- (रजिस्ट्री अंतिम राशि पचास हजार मात्र)  
 जमा होकर राशि : ₹. 3,95,000/- (रजिस्ट्री तीन लाख नवसत्तह हजार मात्र)  
 वृद्धि मूल्य : ₹. 20,00,00/- (रजिस्ट्री पचास हजार मात्र)

1. ई-नीलामी की तिथि : 20.09.2022 (3:00 बजे अप. से 4:00 बजे अप.)  
 2. केवाईडी सहित ईम्पटडी जमा करने की अंतिम तिथि : 19.09.2022  
 3. निरीक्षण की तिथि : 17.09.2022

विक्रय के विस्तृत नियम एवं शर्तों के लिए कृपया कैप्री ग्लोबल कैपिटल लिमिटेड प्रिभूत लेनदार की वेबसाइट [www.Capriglobal.in/auction/](http://www.Capriglobal.in/auction/) में प्रायथापित लिंक का सदस्य लें।

**अंतिमलाइन ई-नीलामी विक्रय की नियम एवं शर्तें :**

- सम्पत्ति की विक्री "जहाँ है जैसा है" की शर्तों पर आनिबद्ध तथा अंतिमलाइन वोटिंग के माध्यम से की जाएगी।
- विक्रय की विक्री सूचना में सम्पत्ति/अस्तिियों के विवरण (जैसे विवरण तथा माप) प्रिभूत लेनदार की सर्वोच्च जानकारी के अनुसार लिखे गये हैं और प्रिभूत लेनदार विक्रय की श्रुति, पलात यकता या विलोपन के लिए उत्तरदायी नहीं होगा। वास्तविक विस्तार तथा माप में आने को सुझाया है।
- प्रिभूत लेनदार द्वारा निमित्त ई-नीलामी विक्रय सूचना अपनी सर्विस/ए जमा करने हेतु जनसामान्य के लिए एक आपत्तना है और प्रिभूत लेनदार के पक्ष में कोई प्रतिवद्धता या प्रतिनिधयन नहीं नहीं निर्मित करती है और न करती हुई भी जायेगी। इच्छुक संविदाकारों को अपनी संविदा/ए जमा करने से पूर्व सम्पत्ति/अस्तिियों के स्वामित्व तथा वर्तमान दशा एवं सम्पत्ति को प्रभावित करने वाले दावों/बकायों के विषय में अपना स्वयंनत पड़ता/हटव/डिक्लियरिड सत्यापित करने की सलाह दी जाती है।
- नीलामी केवल वेबसाइट <https://sarfaesi.auctiontger.net> के माध्यम से "अंतिमलाइन इलेक्ट्रॉनिक माध्यम" में अथवा सेनापति बाघत मेसर्स ई-प्रोक्योरमेंट टेक्नोलॉजीज लिमिटेड, अहमदाबाद द्वारा प्रोवाइड किया/आउटडोर होना/एण्ड एण्ड के माध्यम से संचालित की जायेगी जो ई-नीलामी प्लेटफॉर्म के माध्यम से सेनापति की सम्पूर्ण प्रक्रिया की व्यवस्था तथा समन्वयन करेगी।
- संविदाकार अपने मन्चाहे स्थान से संविदा हेतु ई-नीलामी में भाग ले सकते हैं। इंटर्नेट कनेक्टिविटी की व्यवस्था संविदाकार को स्वयं सुनिश्चित करनी होगी। प्रिभूत लेनदार/सेवा प्रदाता इंटर्नेट कनेक्टिविटी, नेटवर्क समस्या, सिस्टम क्रैश डाउन, पॉवर फेल्योर आदि के लिए उत्तरदायी नहीं होंगे।
- विवरण, यथासा, प्रक्रिया तथा ई-नीलामी पर आनिबद्ध बोलों के लिए सम्भावित संविदाकार सेवा प्रदाता मेसर्स ई-प्रोक्योरमेंट टेक्नोलॉजीज लि. ऑक्शन दाहदार, अहमदाबाद (सम्पर्क नं. 079-079-68136880/68136837), श्री राम कुमार, मोबाइल नं. 8000023297, ई-मेल : ramprasad@auctiontger.net से सम्पर्क कर सकते हैं।
- ई-नीलामी विक्रय में भाग लेने के लिए इच्छुक संविदाकार को अधिक रूप से अपना नाम <https://sarfaesi.auctiontger.net> पर पंजीकृत करना होगा और यूजर आईडी तथा पासवर्ड प्राप्त करना होगा। इच्छुक संविदाकारों को सेवा प्रदाता द्वारा प्राप्त होने के तुरन्त बाद अपना पासवर्ड बदल लेने की सलाह दी जाती है।
- ई-नीलामी में भाग लेने हेतु इच्छुक संविदाकार को आश्रित मूल्य के 10% को प्रतिद्वे ईम्पटडी जमा करनी होगी जो 19 सितम्बर, 2022 को या इसके पूर्व "कैप्री ग्लोबल कैपिटल लिमिटेड" के पक्ष में डिमाण्ड ड्राफ्ट/एनईएफटी/आरटीजीएस के माध्यम से जमा करनी है।
- इच्छुक संविदाकार ईम्पटडी के प्रति डिमाण्ड ड्राफ्ट रिमिटेंड इच्छुक संविदा लिखित पत्र (प्रासू <https://sarfaesi.auctiontger.net> पर उपलब्ध है) एक मुहरबन्द लिफाफे में अधिकृत प्राधिकारी, कैप्री ग्लोबल कैपिटल लिमिटेड के सम्पत्ति, नई दिल्ली-110005 के पास अधिस्तन 19 सितम्बर, 2022 को 03.00 बजे अप. तक भेजने हैं। मुहरबन्द लिफाफे पर "कंजंदार का नाम" को सम्पत्ति हेतु क्लेन खाला सं. .... (जैसा ऊपर उल्लिखित है) में ई-नीलामी विक्रय में भाग लेने हेतु संविदा" लिखना होगा।
- ईम्पटडी सहित संविदा जमा करने की अंतिम तिथि समाप्त होने पर अधिकृत प्राधिकारी प्राप्त संविदाओं की जाँच करेगा और क्वालिफाइड संविदाकारों (जिनोंने आश्रित मूल्य से अधिक अपने को किये हैं) और प्रिभूत लेनदार के पास निर्दिष्ट ईम्पटडी जमा कर दी है। के विवरण की पुष्टि सेवा प्रदाता मेसर्स ई-प्रोक्योरमेंट टेक्नोलॉजीज लिमिटेड के पास करेगा ताकि केवल वे ही संविदाकार अंतिमलाइन इंटर्-से बोली/नीलामी प्रक्रिया में ई-नीलामी विक्रय में उल्लिखित तिथि एवं समय पर भाग ले सकें।
- क्वालिफाइड संविदाकारों के पक्ष इंटर्-से बोली क्वालिफाइड संविदाकारों द्वारा उन्नतम कोट की गयी बोली से प्राप्ता होगी। इंटर्-से बोली प्रक्रिया के दौरान "10" मिनट प्रत्येक का असीमित विस्तार समाप्त होगा अर्थात यदि बोली अंतिम विवरण से 10 मिनट के भीतर लगायी जाती है तो ई-नीलामी बोली का अंतिम समय प्रत्येक बार स्वतः हो 10 मिनट बढ़ जायेगा।
- एक बार लगायी बोली निरस्त नहीं होगी। संविदाकार को प्रदान यूजर आईडी से लागूगी गयी बोली केवल उसी के द्वारा लागूगी गयी सभी जायेगी।
- ई-नीलामी प्रक्रिया बन्द होने के तुरन्त बाद उन्नतम संविदाकार ई-मेल द्वारा अधिकृत प्राधिकारी, कैप्री ग्लोबल कैपिटल लिमिटेड, क्षेत्रीय कार्यालय प्लॉट सं. 3वीं, दूसरी मंजिल, पुरा डेड, नई दिल्ली-110005 तथा सेवा प्रदाता के पास ई-नीलामी विक्रय में सफल संविदाकार घोषित होने के लिए अपने द्वारा कोट की गयी अंतिम संविदा राशि की पुष्टि ई-मेल द्वारा करेगा।
- सफल संविदाकार को अपने पक्ष में होने पर संविदा राशि का 25% (ईम्पटडी सहित) विक्रय की 24 शर्तों के भीतर जमा करना होगा तथा शेष 75% राशि कैप्री ग्लोबल कैपिटल लिमिटेड के पक्ष में डीडी/ए/एनईएफटी/आरटीजीएस/बैंक द्वारा विक्रय की तिथि से 15 दिनों के भीतर जमा करनी होगी।
- सफल संविदाकार/नीलामी क्रेता द्वारा निर्धारित संविदा में उपयुक्त निर्दिष्ट राशिओं का भुगतान करने में चूक करने पर विक्रय निरस्त कर दी जायेगी और पहले से जमा राशि (ईम्पटडी सहित) जन्क कर ली जायेगी और सम्पत्ति को पुनः विक्रय कर रखा जायेगा।
- सफल संविदाकार के निवेदन पर अधिकृत प्राधिकारी अपने विवेक से संविदा राशि का शेष भाग जमा करने हेतु लिखित में अधिक समय की रवीकृति दे सकते हैं।
- सफल संविदाकार विक्रय मूल्य का 1% टीडीएस (विक्रय कार्यवाहियों में से) अदा करेगा और अधिकृत प्राधिकारी के पास टीडीएस प्रमाणपत्र जमा करेगा तथा अधिकृत प्राधिकारी द्वारा प्रस्तुत स्वीकृत करने की तिथि से 15 कार्यकारी दिनों के भीतर अथवा अधिकृत प्राधिकारी द्वारा उचित समझे जाने पर किसी अन्य विस्तारित तिथि तक ईम्पटडी समाप्त/निर्धारित करने के पररात विक्रय मूल्य की रवीकृति (1% टीडीएस कोट की प्रत्येक) जमा करनी होगी जिसमें असाफल रहने पर राशिय राशि जन्क कर ली जायेगी।
- नगर निगम/पंचायत कर, विजली की बकायों (यदि कोई) तथा किसी अन्य प्राधिकरण के बकायों (यदि कोई) का भुगतान विक्रय प्रमाणपत्र के निर्गमन से पूर्व सफल संविदाकार को करना होगा।
- संविदादा सम्पत्ति से सम्बन्धित समस्त विधिक बकायों पर विचार करते हुए तैयार की जायेगी।
- विक्रय प्रमाणपत्र सम्पूर्ण क्रय राशि/संविदा राशि जमा करने तथा सम्पूर्ण करों/प्रभारों के भुगतान के परिपेक्ष्य में आवश्यक प्रमाण का उल्लेख करने के उपरान्त ही सफल संविदाकार के पक्ष में अधिकृत प्राधिकारी द्वारा निर्गत की जायेगी।
- कनवीन्स, स्टैम्प ड्यूटी, पंजीकरण प्रभार एवं अन्य आकरियिक प्रभारों हेतु प्रयोच्य विधिक प्रभारों का वहन नीलामी क्रेता द्वारा किया जायेगा।
- अधिकृत प्राधिकारी विना कोई कारण बताये ई-नीलामी विक्रय को रथगित/निरस्त कर सकते हैं। यदि ई-नीलामी विक्रय निर्धारित तिथि के 15 दिनों से पूर्व किसी बाद की तिथि को रथगित की जाती है तो इसे सेवा प्रदाता को वेबसाइट पर प्रदर्शित किया जायेगा।
- अधिकृत प्राधिकारी का निर्णय अंतिम, बाध्यकारी तथा प्रश्नचिन्त रहित होगा।
- संविदा/ए जमा करने वाले समस्त संविदाकारों के लिए नामा जांचिका कट उन्होंने ई-नीलामी विक्रय के नियम एवं शर्तों को पढ़ और समझ लिया है और वे उनसे सहमत हैं।
- अधिकृत विवरण एवं पुष्टताछ के लिए सम्पर्क करें : अधिकृत प्राधिकारी, कैप्री ग्लोबल कैपिटल लिमिटेड, श्री गुरुजी गुप्ता, मोबाइल नं. 7400454137 तथा अन्य पुष्टताछ के लिए यूजीएम क्लेन चेतनवाला-7738039346.
- यह प्रकाशन उपर्युक्त तिथि/स्थान पर नीलामी विक्रय आगोजित होने के विषय में प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8(6) एवं 9(1) के अनुसार कश्चित्त उपयुक्त अज्ञा खाने के कंजंदार/बंधककर्ता/व्यक्तियों हेतु 15 (पन्द्रह) दिनों की सूचना भी है।
- विविध निवेश/वेतनाकर्ता : अंतिम निवेश/वेतनकर्ता से बोली लेनदार के संविदाकार स्वयं के हित में बन्द। न तो कैप्री ग्लोबल कैपिटल लिमिटेड और न ही सेवा प्रदाता ऐसे मामलों में संविदाकार के पक्ष पर किसी खासी/केवलर (इंटर्नेट प्लेनार, पॉवर फेल्योर आदि) के लिए उत्तरदायी होंगे। ऐसी विषय परिधिस्थित से बचने के लिए संविदाकार समस्त आवश्यक द्वावस्थाएँ/विकल्प जैसे बैंक-अप पॉवर सप्लायर तथा जो कुछ भी अन्य अधोश्रित हो, कर ले ताकि वे ऐसी विषय परिधिस्थित से निरपट्ट सकें और नीलामी में सफलतापूर्वक भाग ले सकें।

स्थान : दिल्ली,गुजरात तिथि : 03.09.2022  
 ह./- (अधिकृत प्राधिकारी) कैप्री ग्लोबल कैपिटल लिमिटेड

**कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड**  
 पंजीकृत कार्यालय: 27/01/2001/1997PLC009126, बी-2, कोट-वॉल, भांग भुली कॉलोनी, बंदर (पूर्व), मुंबई-400051, बी.सी. कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड, एटी मॉडल, नई दिल्ली-7, सेक्टर-126, फिरोज नगर, मोडल, नया मुंबई-201313

**आय और वित्तियन विवरण**

आय और वित्तियन विवरण (अनुसूचित) के अनुसार आंकड़ों को प्रदर्शित करने के लिए प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत अखिल अधिनियमों की विन्यां हेतु विक्रय सूचना। एतद्वारा जननाम्यक तथा निदेशक रूप से कर्तव्यारंभ की सूचना दी जाती है कि प्रतिभूत लेनदार की वेबसाइट पर कैप्री ग्लोबल कैपिटल लिमिटेड प्रिभूत लेनदार/सेवा प्रदाता इंटर्नेट कनेक्टिविटी, नेटवर्क समस्या, सिस्टम क्रैश डाउन, पॉवर फेल्योर आदि के लिए उत्तरदायी नहीं होंगे।

आय और वित्तियन विवरण (अनुसूचित) के अनुसार आंकड़ों को प्रदर्शित करने के लिए प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत अखिल अधिनियमों की विन्यां हेतु विक्रय सूचना। एतद्वारा जननाम्यक तथा निदेशक रूप से कर्तव्यारंभ की सूचना दी जाती है कि प्रतिभूत लेनदार की वेबसाइट पर कैप्री ग्लोबल कैपिटल लिमिटेड प्रिभूत लेनदार/सेवा प्रदाता इंटर्नेट कनेक्टिविटी, नेटवर्क समस्या, सिस्टम क्रैश डाउन, पॉवर फेल्योर आदि के लिए उत्तरदायी नहीं होंगे।

विवरण	अंतिम तिथि का विवरण	1. आयवर्तन का नाम	2. अंतिम तिथि का नाम
आय और वित्तियन विवरण (अनुसूचित) के अनुसार आंकड़ों को प्रदर्शित करने के लिए प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत अखिल अधिनियमों की विन्यां हेतु विक्रय सूचना। एतद्वारा जननाम्यक तथा निदेशक रूप से कर्तव्यारंभ की सूचना दी जाती है कि प्रतिभूत लेनदार की वेबसाइट पर कैप्री ग्लोबल कैपिटल लिमिटेड प्रिभूत लेनदार/सेवा प्रदाता इंटर्नेट कनेक्टिविटी, नेटवर्क समस्या, सिस्टम क्रैश डाउन, पॉवर फेल्योर आदि के लिए उत्तरदायी नहीं होंगे।	संघीय 1. वार्षिक आम बैठक 83 वर्ग गज, खरार नगर 32/4 गज, गली नंबर 10, आदर्श कॉलोनी, विहारपुर गाम दुधोहरा परगना लेनी तहसील और जिला गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश। संघीय 2. वार्षिक आम बैठक 56 वर्ग गज, खरार नगर 32/3 गज, गली नंबर 8, आदर्श कॉलोनी, विहारपुर गाम दुधोहरा परगना लेनी तहसील और जिला गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश। संघीय 3. वार्षिक आम बैठक 60 वर्ग गज, खरार नगर 31/3 गज, गली नंबर 11, आदर्श कॉलोनी, विहारपुर गाम दुधोहरा परगना लेनी तहसील और जिला गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश। संघीय 4. वार्षिक आम बैठक 50 वर्ग गज, खरार नगर 31/3 गज, गली नंबर 11, आदर्श कॉलोनी, विहारपुर गाम दुधोहरा परगना लेनी तहसील और जिला गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश। संघीय 5. वार्षिक आम बैठक 50 वर्ग गज, एच. नं. 113, खरार नं. 31/3 गज, गली नंबर 10, आदर्श कॉलोनी, विहारपुर गाम दुधोहरा परगना लेनी तहसील और जिला गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश।	1. आयवर्तन का नाम	2. अंतिम तिथि का नाम
आय और वित्तियन विवरण (अनुसूचित) के अनुसार आंकड़ों को प्रदर्शित करने के लिए प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत अखिल अधिनियमों की विन्यां हेतु विक्रय सूचना। एतद्वारा जननाम्यक तथा निदेशक रूप से कर्तव्यारंभ की सूचना दी जाती है कि प्रतिभूत लेनदार की वेबसाइट पर कैप्री ग्लोबल कैपिटल लिमिटेड प्रिभूत लेनदार/सेवा प्रदाता इंटर्नेट कनेक्टिविटी, नेटवर्क समस्या, सिस्टम क्रैश डाउन, पॉवर फेल्योर आदि के लिए उत्तरदायी नहीं होंगे।	संघीय 6. वार्षिक आम बैठक 56 वर्ग गज, खरार नगर 32/3 गज, गली नंबर 8, आदर्श कॉलोनी, विहारपुर गाम दुधोहरा परगना लेनी तहसील और जिला गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश। संघीय 7. वार्षिक आम बैठक 56 वर्ग गज, खरार नगर 31/3 गज, गली नंबर 11, आदर्श कॉलोनी, विहारपुर गाम दुधोहरा परगना लेनी तहसील और जिला गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश। संघीय 8. वार्षिक आम बैठक 50 वर्ग गज, एच. नं. 113, खरार नं. 31/3 गज, गली नंबर 10, आदर्श कॉलोनी, विहारपुर गाम दुधोहरा परगना लेनी तहसील और जिला गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश।	3. आय वित्तियन विवरण	4. व. क. में देय राशि
आय और वित्तियन विवरण (अनुसूचित) के अनुसार आंकड़ों को प्रदर्शित करने के लिए प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत अखिल अधिनियमों की विन्यां हेतु विक्रय सूचना। एतद्वारा जननाम्यक तथा निदेशक रूप से कर्तव्यारंभ की सूचना दी जाती है कि प्रतिभूत लेनदार की वेबसाइट पर कैप्री ग्लोबल कैपिटल लिमिटेड प्रिभूत लेनदार/सेवा प्रदाता इंटर्नेट कनेक्टिविटी, नेटवर्क समस्या, सिस्टम क्रैश डाउन, पॉवर फेल्योर आदि के लिए उत्तरदायी नहीं होंगे।	संघीय 9. वार्षिक आम बैठक 56 वर्ग गज, खरार नगर 32/3 गज, गली नंबर 8, आदर्श कॉलोनी, विहारपुर गाम दुधोहरा परगना लेनी तहसील और जिला गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश। संघीय 10. वार्षिक आम बैठक 56 वर्ग गज, खरार नगर 31/3 गज, गली नंबर 11, आदर्श कॉलोनी, विहारपुर गाम दुधोहरा परगना लेनी तहसील और जिला गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश। संघीय 11. वार्षिक आम बैठक 50 वर्ग गज, एच. नं. 113, खरार नं. 31/3 गज, गली नंबर 10, आदर्श कॉलोनी, विहारपुर गाम दुधोहरा परगना लेनी तहसील और जिला गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश। संघीय 12. वार्षिक आम बैठक 50 वर्ग गज, एच. नं. 113, खरार नं. 31/3 गज, गली नंबर 10, आदर्श कॉलोनी, विहारपुर गाम दुधोहरा परगना लेनी तहसील और जिला गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश। संघीय 13. वार्षिक आम बैठक 50 वर्ग गज, एच. नं. 113, खरार नं. 31/3 गज, गली नंबर 10, आदर्श कॉलोनी, विहारपुर गाम दुधोहरा परगना लेनी तहसील और जिला गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश। संघीय 14. वार्षिक आम बैठक 50 वर्ग गज, एच. नं. 113, खरार नं. 31/3 गज, गली नंबर 10, आदर्श कॉलोनी, विहारपुर गाम दुधोहरा परगना लेनी तहसील और जिला गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश। संघीय 15. वार्षिक आम बैठक 50 वर्ग गज, एच. नं. 113, खरार नं. 31/3 गज, गली नंबर 10, आदर्श कॉलोनी, विहारपुर गाम दुधोहरा परगना लेनी तहसील और जिला गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश। संघीय 16. वार्षिक आम बैठक 50 वर्ग गज, एच. नं. 113, खरार नं. 31/3 गज, गली नंबर 10, आदर्श कॉलोनी, विहारपुर गाम दुधोहरा परगना लेनी तहसील और जिला गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश। संघीय 17. वार्षिक आम बैठक 50 वर्ग गज, एच. नं. 113, खरार नं. 31/3 गज, गली नंबर 10, आदर्श कॉलोनी, विहारपुर गाम दुधोहरा परगना लेनी तहसील और जिला गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश। संघीय 18. वार्षिक आम बैठक 50 वर्ग गज, एच. नं. 113, खरार नं. 31/3 गज, गली नंबर 10, आदर्श कॉलोनी, विहारपुर गाम दुधोहरा परगना लेनी तहसील और जिला गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश। संघीय 19. वार्षिक आम बैठक 50 वर्ग गज, एच. नं. 113, खरार नं. 31/3 गज, गली नंबर 10, आदर्श कॉलोनी, विहारपुर गाम दुधोहरा परगना लेनी तहसील और जिला गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश। संघीय 20. वार्षिक आम बैठक 50 वर्ग गज, एच. नं. 113, खरार नं. 31/3 गज, गली नंबर 10, आदर्श कॉलोनी, विहारपुर गाम दुधोहरा परगना लेनी तहसील और जिला गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश। संघीय 21. वार्षिक आम बैठक 50 वर्ग गज, एच. नं. 113, खरार नं. 31/3 गज, गली नंबर 10, आदर्श कॉलोनी, विहारपुर गाम दुधोहरा परगना लेनी तहसील और जिला गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश। संघीय 22. वार्षिक आम बैठक 50 वर्ग गज, एच. नं. 113, खरार नं. 31/3 गज, गली नंबर 10, आदर्श कॉलोनी, विहारपुर गाम दुधोहरा परगना लेनी तहसील और जिला गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश। संघीय 23. वार्षिक आम बैठक 50 वर्ग गज, एच. नं. 113, खरार नं. 31/3 गज, गली नंबर 10, आदर्श कॉलोनी, विहारपुर गाम दुधोहरा परगना लेनी तहसील और जिला गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश। संघीय 24. वार्षिक आम बैठक 50 वर्ग गज, एच. नं. 113, खरार नं. 31/3 गज, गली नंबर 10, आदर्श कॉलोनी, विहारपुर गाम दुधोहरा परगना लेनी तहसील और जिला गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश। संघीय 25. वार्षिक आम बैठक 50 वर्ग गज, एच. नं. 113, खरार नं. 31/3 गज, गली नंबर 10, आदर्श कॉलोनी, विहारपुर गाम दुधोहरा परगना लेनी तहसील और जिला गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश। संघीय 26. वार्षिक आम बैठक 50 वर्ग गज, एच. नं.		















## गुमशुदा की तलाश



सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि एक महिला (फोटो में प्रदर्शित) नाम: रुपा देवी पत्नी: राघव साह निवासी: मकान नं. 38, टिकरी कलाँ दिल्ली जो दिनांक 18.04.2022 से थाना मुण्डका, दिल्ली के क्षेत्राधिकार से लापता है। इस संदर्भ में डी.डी. सं. 85ए दिनांक 22.04.2022 थाना मुण्डका, दिल्ली में दर्ज है। जिसका शारीरिक विवरण इस प्रकार है:-

**रुपा देवी**

उम्र: 40 वर्ष, कद: 5'2", रंग: सांवला, चेहरा: गोल, शरीर: पतला, कपड़े: पीले रंग की कमीज और काले रंग की सलवार तथा पैरों में चप्पल पहने हुये हैं।

यदि किसी व्यक्ति को इस गुमशुदा महिला के बारे में कोई जानकारी या सुराग मिले तो अधोहस्ताक्षरी को निम्नलिखित पते पर सूचित करने की कृपा करें। ई-मेल आईडी- [cic@cbi.gov.in](mailto:cic@cbi.gov.in) वेबसाइट <http://cbi.nic.in>

फोन: थाना मुण्डका, दिल्ली  
011-24368638, 24368641  
011-24368639  
दूरभाष सं. 9310677807, 7065036126

## South West Pinnacle

साउथ वेस्ट पिनेकल एक्सप्लोरेशन लिमिटेड  
सूचकांक: L13203HR2006PLC049480

पंजीकृत एवं ऑफिस कार्यालय: भूलू, प्लॉट नंबर 15, सेक्टर-44, गुडाम-122003  
फोन: +91 124 4235400; ईमेल: investors@southwestpinnacle.com;  
वेबसाइट: www.southwestpinnacle.com

## 16वीं वार्षिक आम बैठक की सूचना और बुक क्लोज़, रिपोर्ट तिथि, रिमोट ई-वोटिंग और अंतिम लाभांश के संबंध में जानकारी

- एतद्वारा नोटिस दिया जाता है कि:
- एजीएम की सूचना में निर्धारित साधारण और विशेष व्यवसाय के लेन-देन के लिए मैसर्स साउथ वेस्ट पिनेकल एक्सप्लोरेशन लिमिटेड ('कंपनी') के सदस्यों को 16वीं वार्षिक आम बैठक (एजीएम) बुकवार, 29 सितंबर, 2022 को अपराह्न 03:00 बजे (आपसटडी) केवल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ('वीसी') सुविधा/अन्य ऑडियो विजुअल साधनों ('ओवीएम') के माध्यम से आयोजित की जाएगी।
  - कारपोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा जारी परिपत्र संख्या 02/2022 दिनांक 05 मई, 2022 और परिपत्र संख्या 21/2021 दिनांक 14 सितंबर, 2021, 02/2021 दिनांक 13 जनवरी, 2021; 20/2020 दिनांक 05 मई, 2020; 17/2020 दिनांक 13 अप्रैल, 2020; 14/2020 दिनांक 08 अप्रैल, 2020 और कारपोरेट कार्य मंत्रालय ('एमसीए') द्वारा जारी अन्य परिपत्रों ('सामूहिक रूप से 'एमसीए परिपत्र') के रूप में संदर्भित) और सेबी के परिपत्रों दिनांक 13 मई, 2022, 15 जनवरी, 2021 और 12 मई, 2020 (सामूहिक रूप से 'सेबी संकुलन' के रूप में संदर्भित) के साथ पठित सेबी (सूचीबद्ध दायित्व और उद्घाटन अपेक्षाएं) विनियम 2015 ('सूचीबद्ध दायित्व और उद्घाटन अपेक्षाएं') विनियम, 2015 के विनियम 44 के अंतर्गत, कंपनी नेशनल सिस्कोप्टिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड ('एनएसडीएल') को इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग प्रणाली के माध्यम से एजीएम की सूचना बुकवार, 02 सितंबर, 2022 को केवल इलेक्ट्रॉनिक मोड के माध्यम से, केवल उन सदस्यों को, जिन्हें ई-मेल पते कंपनी या रजिस्ट्रार और शेयर ट्रान्स्फर एजेंट/डिपॉजिटरी के साथ पंजीकृत है, भेज दी है। एजीएम के नोटिस को भीतिक प्रतियां नतीके की आवश्यकता को एमसीए परिपत्रों और सेबी परिपत्रों के माध्यम से समाप्त कर दिया गया है।
  - इसके अतिरिक्त, अन्य बातों के साथ-साथ वित्तीय वर्ष 2021-22 को कंपनी की एकीकृत वार्षिक रिपोर्ट, 16वीं एजीएम की सूचना और व्याख्यात्मक विवरण कंपनी की वेबसाइट [www.southwestpinnacle.com](http://www.southwestpinnacle.com) और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का जिस पर कंपनी के शेयर सूचीबद्ध हैं यानी वेबसाइट [www.nseindia.com](http://www.nseindia.com) पर भी उपलब्ध हैं। इसकी एक प्रति नेशनल सिस्कोप्टिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड ('एनएसडीएल') को वेबसाइट [www.evoting.nsdl.com](http://www.evoting.nsdl.com) पर भी उपलब्ध है।
  - कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 108 के साथ पठित ब्याससोपहित कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम 2014 के नियम 20, भारत के कंपनी सचिवों के संस्थान द्वारा सामान्य बैठक और विनियमन पर जारी सचिवीय मानक-2 तथा सेबी (सूचीबद्ध दायित्व और उद्घाटन अपेक्षाएं) विनियम, 2015 के विनियम 44 के अंतर्गत, कंपनी नेशनल सिस्कोप्टिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड ('एनएसडीएल') को इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग प्रणाली के माध्यम से एजीएम की सूचना में उल्लिखित साधारण व्यवसाय और विशेष व्यवसाय के संबंध में एजीएम से पहले और उसके दौरान अपने सदस्यों को 'रिमोट ई-वोटिंग' और 'ई-वोटिंग' सुविधा प्रदान कर रही है। सभी सदस्यों को सूचित किया जाता है कि:
    - वीसी/ओवीएम के माध्यम से भाग लेने और भीतिक रूप में शेयर रखने वाले सदस्य या जिन्होंने अपना ई-मेल पता पंजीकृत नहीं किया है और ई-वोटिंग के माध्यम से अपना वोट डाल सकते हैं, सहीत एजीएम से पहले या उसके दौरान रिमोट ई-वोटिंग की प्रक्रिया के लिए निर्देश 16वीं एजीएम की सूचना के रूप में प्रदान की जा रही है।
    - रिमोट ई-वोटिंग साधन, 26 सितंबर, 2022 को सुबह 9:00 बजे मा.मा.से से शुरू होगी।
    - रिमोट ई-वोटिंग सुबहार, 28 सितंबर, 2022 को शाम 5:00 बजे मा.मा.से पर समाप्त होगी।
    - इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से या एजीएम में मतदान की पत्राति निर्धारित करने की कट-ऑफ तिथि बुकवार 22 सितंबर, 2022 है।
    - कोई भी व्यक्ति, जो कंपनी के शेयरों का अधिग्रहण करता है और एजीएम की सूचना के प्रेषण के बाद कंपनी का सदस्य बन जाता है और कट-ऑफ तिथि यानी 22 सितंबर, 2022 तक शेयर धारण करता है, [evoting.nsdl.com](http://evoting.nsdl.com) पर अनुभव भेककर लॉगिन आईडी और पासवर्ड प्राप्त कर सकता है। हालांकि, यदि कोई व्यक्ति पहले से ही ई-वोटिंग के लिए एनएसडीएल के साथ पंजीकृत है तो मौजूदा पुनः आईडी और पासवर्ड का उपयोग वोट डालने के लिए किया जा सकता है। कोई व्यक्ति जो कट-ऑफ तिथि के अनुसार सदस्य नहीं है, उसे एजीएम की सूचना को केवल जानकारी के उद्देश्य से माना जाएगा।
    - सदस्य ध्यान दें कि: क) रिपोर्ट ई-वोटिंग ऑनलाइन को एनएसडीएल द्वारा मतदान के लिए उक्त तिथि और समय के बाद निष्क्रिय कर दिया जाएगा और एका बार सदस्य द्वारा एक संकेतव्य वोट डालने के बाद, सदस्य को बाद में इसे बदलने की अनुमति नहीं दी जाएगी; ख) एजीएम के दौरान ई-वोटिंग प्रणाली की सुविधा भी उपलब्ध कराई जाएगी; ग) वे सदस्य जिन्होंने एजीएम से पहले रिमोट ई-वोटिंग द्वारा अपना वोट डाला है, वे भी एजीएम में शामिल हो सकते हैं लेकिन एजीएम में अपना वोट दोबारा डालने के हकदार नहीं होंगे; और घ) कोई व्यक्ति जिसका नाम सदस्यों के रजिस्टर में या डिपॉजिटरी द्वारा बनाए गए लाभांश खातों के रजिस्टर में कट-ऑफ तिथि तक दर्ज किया गया है, केवल वे ही एजीएम से पहले/उसके दौरान रिमोट ई-वोटिंग की सुविधा का लाभ उठाने का हकदार होंगे।
    - जिन सदस्यों ने अपना ई-मेल पता पंजीकृत नहीं किया है, उनसे अनुरोध है कि इलेक्ट्रॉनिक रूप में शक्ति शेयरों के संबंध में अपने डिपॉजिटरी प्रतिभागियों के माध्यम से डिपॉजिटरी (स्थायी और अस्थायी) या कंपनी के आउटरीट (अस्थायी आधार पर) अंतिम मैसर्स लिंक इन्टाइम इंस्टीटा प्रोवैटेड लिमिटेड के साथ <https://linkintime.co.in/emailregister.html> पर पंजीकृत करें (डोमेन रूप में 100% शेयरों के रूप में)।
  - किसी भी प्रश्न के मामले में, आप <https://www.evoting.nsdl.com> के डाउनलोड अनुभाग में उपलब्ध Frequently Asked Questions ("FAQs") for Shareholders तथा e-voting user manual for Shareholder शुरू सकते हैं या ईमेल द्वारा एनएसडीएल से [evoting@nsdl.com](mailto:evoting@nsdl.com) पर संपर्क कर सकते हैं।
  - जिन सदस्यों को एजीएम से पहले या उसके दौरान सहायता की आवश्यकता है, वे एनएसडीएल से [evoting@nsdl.com](mailto:evoting@nsdl.com) / 1800 1020 990 और 1800 224 430 पर संपर्क कर सकते हैं या कंपनी से [investors@southwestpinnacle.com](mailto:investors@southwestpinnacle.com) पर संपर्क कर सकते हैं।
  - तदनुसार, कंपनी के निदेशक मंडल ने रिमोट ई-वोटिंग प्रक्रिया की जांच के साथ-साथ एजीएम के दौरान निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से मतदान करने के लिए मैसर्स केकेएस एंड एसीएएस, कंपनी सचिव के प्रोप्राइटर श्री कृष्ण कुमार सिंह को नियुक्त किया है। रिमोट ई-वोटिंग और एजीएम के दौरान वोटिंग का परिणाम एजीएम के समापन के 48 घंटे के भीतर घोषित किया जाएगा। स्ट्रुक्चरल कर्पोरेट को रिपोर्ट के साथ घोषित परिणाम कंपनी की वेबसाइट [www.southwestpinnacle.com](http://www.southwestpinnacle.com) पर और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज को वेबसाइट, जिस पर कंपनी के शेयर सूचीबद्ध हैं यानी [www.nseindia.com](http://www.nseindia.com) पर भी उपलब्ध होंगे।
  - बुक क्लोज़, रिपोर्ट तिथि और अंतिम लाभांश के भुगतान के संबंध में विवरण क) अधिनियम की धारा 91 और सेबी विनियमों के विनियम 42 के अनुसार, 16वीं एजीएम और वित्तीय वर्ष 2021-22 के अंतिम लाभांश के भुगतान के उद्देश्य से सदस्यों का रजिस्टर और कंपनी की शेयर हस्तान्तरण पुस्तकें बुकवार, 29 सितंबर, 2022 से गुबुआ, 29 सितंबर, 2022 (दोनों दिन शामिल) तक बंद रहेंगी।
  - कंपनी ने बौद्ध द्वारा अनुसूचित वित्त वर्ष 2021-22 के लिए प्रति इक्विटी शेयर 0.50 रुपये का अंतिम लाभांश प्रदान करने के लिए कंपनी के सदस्यों को पत्राति निर्धारित करने के उद्देश्य से गुबुआ, 22 सितंबर, 2022 को 'रिपोर्ट तिथि' के रूप में निर्धारित किया है। उक्त लाभांश यदि अंतिम वार्षिक आम बैठक में अनुमोदित किया जाता है, तो उन सदस्यों को भुगतान किया जाएगा जिनके नाम बुकवार, 22 सितंबर, 2022 को व्यावसायिक घंटों के अंत में सदस्यों के रजिस्टर/लाभांश खातों की सूची में दर्ज होंगे।
  - संबंधित परिपत्रों के अनुसार, उन सदस्यों को लाभांश का भुगतान इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से किया जाएगा जिन्होंने अपने बैंक खाते का विवरण अपडेट किया है और लाभांश वारंट/डिमांड ड्राफ्ट/बैंक पंजीकृत पते पर भेजे जाएंगे।
  - तदनुसार, डीमैट फॉर्म में शेयर रखने वाले शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे अपने डीमैट खाते से जुड़े अपने बैंक खातों के संबंध में आवश्यक औचित्यकारता पूर्ण करें ताकि कंपनी संबंधित बैंक खातों को समय पर जमा कर सके। जिन सदस्यों ने अपने बैंक खातों के विवरण को अपडेट नहीं किया है, उनसे अनुरोध है कि वे या तो डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट (स्थायी आधार पर) या कंपनी के आउटरीट (अस्थायी आधार पर) यानी मैसर्स लिंक इन्टाइम इंस्टीटा प्रोवैटेड लिमिटेड को <https://linkintime.co.in/emailregister.html> पर अपेक्षित दस्तावेज जमा करके बैंक विवरण अपडेट करें। (डोमेन रूप में 100% शेयरों के रूप में)
  - सदस्य ध्यान दें कि वित्त अधिनियम, 2020 द्वारा संशोधित आयकर अधिनियम, 1961 के अनुसार, लाभांश आम शेयरधारकों के हाथों में 11 अप्रैल, 2022 से कर योग्य होगी और कंपनी को शेयरधारकों को देय लाभांश पर निर्धारित दरों पर खसत कर कर की कटौती करनी होगी। अधिक जानकारी के लिए, कृपया उस संवार को देखें जो पहले ही सदस्यों को भेजा गया था और एनएसडीएल की वेबसाइट और कंपनी की वेबसाइट यानी [www.southwestpinnacle.com](http://www.southwestpinnacle.com) पर भी उपलब्ध है।

बोर्ड के आदेशानुसार  
साउथ वेस्ट पिनेकल एक्सप्लोरेशन लिमिटेड

ह./-  
विकास जैन

स्थान: गुडाम  
दिनांक: 02.09.2022 अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक  
डीआईएन-00049217

This advertisement is for information purposes only and does not constitute an offer or an invitation or a recommendation to purchase, to hold or sell securities. This is not an announcement or the offer document. All capitalized terms used herein and not defined herein shall have the meaning assigned to them in the letter of offer dated August 26, 2022 the "Letter of Offer" or ("LOF") filed with the BSE Limited ("BSE") and the Securities and Exchange Board of India ("SEBI").

# 7NR RETAIL LIMITED

Our Company was originally incorporated on December 21, 2012, as "7NR Retail Private Limited" as a Private Limited Company under the provisions of the Companies Act, 1956 with the Registrar of Companies, Gujarat, Dadra and Nagar Haveli. Thereafter, our Company was converted into a Public Limited Company and accordingly the name of our Company was changed to "7NR Retail Limited" pursuant to a special resolution passed by our Shareholders at the EGM held on March 11, 2017. A fresh certificate of incorporation consequent upon conversion to Public Limited Company was issued on March 22, 2017 by Registrar of Companies, Ahmedabad, Gujarat.

**Corporate Identification Number:** L52320GJ2012PLC073076 | **Registered Office:** Godown No-1, 234/1+234/2, FF-69/3, Sadashiv Kanto, B/B Bajaj Process, Narol Chokdi, Narol, Ahmedabad – 382 405  
**Telephone:** + 91-97271-23838; **Email id:** info@7nrretailtd.in | **Website:** www.7nrretailtd.in | **Company Secretary:** Ms. Prachi Chobisa, Company Secretary and Compliance Officer

## PROMOTERS OF OUR COMPANY: MR. NIKUNJ AGRAWAL AND MR. UMANG TRIVEDI

### ISSUE PROGRAMME

ISSUE OPENS ON	LAST DATE FOR MARKET RENUNCIATION*	ISSUE CLOSES ON**
6th September, 2022	15th September, 2022	20th September, 2022

\*Eligible Equity Shareholders are requested to ensure that renunciation through off-market transfer is completed in such a manner that the Rights Entitlements are credited to the demat account of the Renounees on or prior to the Issue Closing Date.  
\*\*Our Board or a duly authorized committee thereof will have the right to extend the Issue period as it may determine from time to time, provided that this Issue will not remain open in excess of 15 (Fifteen) days from the Issue Opening Date. Further, no withdrawal of Application shall be permitted by any Applicant after the Issue Closing Date.

**ISSUE OF 11,66,95,000 EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF RE. 1/- EACH ("EQUITY SHARES") OF 7NR RETAIL LIMITED ("7NR" OR THE "COMPANY" OR THE "ISSUER" FOR CASH AT A PRICE OF RS. 1.40/- PER EQUITY SHARE (INCLUDING A SHARE PREMIUM OF RS. 0.40/- PER EQUITY SHARE) ("ISSUE PRICE") AGGREGATING UPTO RS. 16,33,73,000/- ON RIGHTS BASIS TO THE EXISTING EQUITY SHAREHOLDERS OF OUR COMPANY IN THE RATIO OF 1 (ONE) EQUITY SHARE FOR EVERY 1 (ONE) EQUITY SHARE HELD BY THE ELIGIBLE EQUITY SHAREHOLDERS ON THE RECORD DATE, I.E. 23RD AUGUST, 2022 (THE "ISSUE"). THE ISSUE PRICE IS 140 TIMES OF FACE VALUE OF THE EQUITY SHARES. FOR FURTHER DETAILS, PLEASE SEE THE CHAPTER TITLED "TERMS OF THE ISSUE" ON PAGE 145 OF THIS FINAL LETTER OF OFFER.**

ASBA	Simple, Safe, Smart way of Application - Make useoffit!!! *Application Supported by Blocked Amount (ASBA) is a better way of applying to issues by simply blocking the fund in the bank account, investors can avail the same. For further details read section on ASBA below.
------	---

In accordance with Regulation 76 of the SEBI ICDR Regulations, SEBI circular, bearing reference number SEBI/HO/CFD/DIL/2/CIR/P/2020/13 dated January 22, 2020, bearing reference number SEBI/HO/CFD/CIR/CFD/DIL/67/2020 dated April 21, 2020, SEBI circular bearing reference number SEBI/HO/CFD/DIL/2/CIR/P/2020/78 dated May 6, 2020 and SEBI circular bearing reference number SEBI/HO/CFD/DIL/1/CIR/P/2020/136 dated July 24, 2020 (Collectively hereafter referred to as "SEBI RightIssue Circulars") and SEBI circular SEBI/CFD/DIL/ASBA/1/2009/30/12 dated December 30, 2009, SEBI circular CIR/CFD/DIL/1/2011 dated April 29, 2011 and the SEBI circular, bearing reference number SEBI/HO/CFD/DIL/2/CIR/P/2020/13 dated January 22, 2020 (Collectively hereafter referred to as "ASBA Circulars"), all Shareholders desiring to make an Application in this Issue are mandatorily required to use either the ASBA process. Shareholders should carefully read the provisions applicable to such Applications before making their Application through ASBA. For details, see "Making of an Application through the ASBA Process" on page 148 of the Letter of Offer.

Please note that in accordance with Regulation 77A of the SEBI ICDR Regulations read with the SEBI Rights Issue Circulars, the credit of Rights Entitlements and Allotment of Equity Shares shall be made in dematerialized form only. Accordingly, Eligible Equity Shareholders holding Equity Shares in physical form as on Record Date and desirous of subscribing to Equity Shares in this Issue are advised to furnish the details of their demat account to the Registrar or our Company at least two working days prior to the Issue Closing Date, i.e. Friday, September 16, 2022, to enable the credit of their Rights Entitlements in their respective demat accounts at least one day before the Issue Closing Date i.e. Monday, September 19, 2022.

Eligible Equity Shareholders, who hold Equity Shares in physical form as on Record Date and who have opened their demat account after the Record Date, shall adhere to procedure for participating in this Issue mentioned on page 151 of the Letter of Offer.

Prior to the Issue Opening Date, the Rights Entitlements of those Eligible Equity Shareholders, among others, who hold Equity Shares in physical form, and whose demat account details are not available with our Company or the Registrar, shall be credited in a demat suspense escrow account opened by our Company namely 7NR Retail Limited - RightIssue Suspense Escrow Demat Account (Account Number -IN301330411212945)

In accordance with the SEBI Rights Issue Circulars, the Eligible Equity Shareholders, who hold Equity Shares in physical form as on Record Date and who have not furnished the details of their demat account to the Registrar or our Company at least two working days prior to the Issue Closing Date, i.e. Friday, September 16, 2022, shall not be eligible to make an Application for Rights Equity Shares against their Rights Entitlements with respect to the equity shares held in physical form.

**PROCEDURE FOR APPLICATION:** In accordance with Regulation 76 of the SEBI ICDR Regulations, the SEBI Rights Issue Circulars and the ASBA Circulars, all Shareholders desiring to make an Application in this Issue are mandatorily required to use either the ASBA process. Shareholders should carefully read the provisions applicable to such Applications before making their Application through ASBA. For details of procedure for application by the Resident Eligible Equity Shareholders holding Equity Shares in physical form as on the Record Date i.e. August 23, 2022, see "Procedure for Application by Eligible Equity Shareholders holding Equity Shares in physical form" on page 151 of the Letter of Offer.

**PROCEDURE FOR APPLICATION THROUGH THE ASBA PROCESS:** A shareholder, wishing to participate in this Issue through the ASBA facility, is required to have an ASBA enabled bank account with an SCSB, prior to making the Application. Shareholders desiring to make an Application in this Issue through ASBA process, may submit the Application Form in physical mode to the Designated Branches of the SCBS or online / electronic Application through the website of the SCBS (if made available by such SCBS) for authorizing such SCBS to block Application Money payable on the Application in their respective ASBA Accounts.

Shareholders should ensure that they have correctly submitted the Application Form and have provided an authorization to the SCBS, via the electronic mode, for blocking funds in the ASBA Account equivalent to the Application Money mentioned in the Application Form, as the case may be, at the time of submission of the Application.

**APPLICATION BY ELIGIBLE EQUITY SHAREHOLDERS HOLDING EQUITY SHARES IN PHYSICAL FORM:** Please note that in accordance with Regulation 77A of the SEBI ICDR Regulations read with the SEBI Rights Issue Circulars, the credit of Rights Entitlements and Allotment of Equity Shares shall be made in dematerialized form only. Accordingly, Eligible Equity Shareholders holding Equity Shares in physical form as on Record Date and desirous of subscribing to Equity Shares in this Issue are advised to furnish the details of their demat account to the Registrar or our Company at least two working days prior to the Issue Closing Date i.e. Friday, September 16, 2022, to enable the credit of their Rights Entitlements in their respective demat accounts at least one day before the Issue Closing Date i.e. Monday, September 19, 2022. They may also communicate with the Registrar with the help of the help@nseindia.com. (+91-44-40020710 / 0706 / 0741) and their email address (priya@cameoindia.com).

**ALLOTMENT OF THE RIGHTS EQUITY SHARES IN DEMATERIALIZED FORM:** PLEASE NOTE THAT THE EQUITY SHARES APPLIED FOR IN THIS ISSUE CAN BE ALLOTTED ONLY IN DEMATERIALIZED FORM AND TO THE SAME DEPOSITORY ACCOUNT IN WHICH OUR EQUITY SHARES ARE HELD BY SUCH SHAREHOLDERS ON THE RECORD DATE I.E. AUGUST 23, 2022.

**DISPATCH OF THE ABRIDGED LETTER OF OFFER ("ALOF") AND APPLICATION FORM:** The Dispatch of the ALOF and Application Form for the Issue was completed on September 01, 2022 by the Registrars to the Issue.

**CREDIT OF RIGHTS ENTITLEMENTS IN DEMAT ACCOUNTS OF ELIGIBLE EQUITY SHAREHOLDERS:** In accordance with Regulation 77A of the SEBI ICDR Regulations read with the SEBI Rights Issue Circulars, the credit of Rights Entitlements and Allotment of Equity Shares shall be made in dematerialized form only. Prior to the Issue Opening Date, our Company shall credit the Rights Entitlements to (i) the demat accounts of the Eligible Equity Shareholders holding the Equity Shares in dematerialized form; and (ii) a demat suspense escrow account (namely, 7NR Retail Limited Rights Issue Suspense Escrow Demat account) opened by our Company, for the Eligible Equity Shareholders which would comprise Rights Entitlements relating to (a) Equity Shares held in the account of the IEPF authority; or (b) the demat accounts of the Eligible Equity Shareholder which are frozen or the Equity Shares which are lying in the unclaimed suspense account (including those pursuant to Regulation 39 of the SEBI Listing Regulations) or details of which are unavailable with our Company or with the Registrar on the Record Date; and (c) Equity Shares held by Eligible Equity Shareholders holding Equity Shares in physical form as on Record Date where details of demat accounts are not provided by Eligible Equity Shareholders to our Company or Registrar; or (d) credit of the Rights Entitlements returned / reversed / failed; or (e) the ownership of the Equity Shares currently under dispute, including any court proceedings, if any; or (f) non-institutional equity shareholders in the United States.

**APPLICATIONS ON PLAIN PAPER UNDER ASBAPROCESS:** An Eligible Equity Shareholder in India who is eligible to apply under the ASBA process may make an Application to subscribe to this Issue on plain paper in case of non-receipt of Application Form as detailed above. In such cases of non-receipt of the Application Form through e-mail or physical delivery (where applicable) and the Eligible Equity Shareholder not being in a position to obtain it from any other source may make an Application to subscribe to this Issue on plain paper with the same details as per the Application Form that is available on the website of the Registrar, Stock Exchanges. An Eligible Equity Shareholder shall submit the plain paper Application to the Designated Branch of the SCBS for authorizing such SCBS to block Application Money in the said bank account maintained with the same SCBS.

Applications on plain paper will not be accepted from any Eligible Equity Shareholder who has not provided an Indian address or is a U.S. Person or in the United States.

Please note that the Eligible Equity Shareholders who are making the Application on plain paper shall not be entitled to renounce their Rights Entitlements and should not utilize the Application Form for any purpose including renunciation even if it is received subsequently.

The Application on plain paper, duly signed by the Eligible Equity Shareholder including joint holders, in the same order and as per specimen recorded with his / her bank, must reach the office of the Designated Branch of the SCBS before the Issue Closing Date and should contain the following particulars:

- Name of our Company, being 7NR Retail Limited;
- Name and address of the Eligible Equity Shareholder including joint holders (In the same order and as per specimen recorded with our Company or the Depository);
- Folio Number (in case of Eligible Equity Share holders who hold Equity Shares in physical form as on Record Date) / DP and Client ID;
- Except for Applications on behalf of the Central or State Government, the residents of Sikkim and the officials appointed by the courts, PAN of the Eligible Equity Shareholder and for each Eligible Equity Shareholder in case of joint names, irrespective of the total value of the Equity Shares applied for pursuant to this Issue
- Number of Equity Shares held as on Record Date;
- Allotment option - only dematerialized form;
- Number of Equity Shares entitled to;
- Number of Equity Shares applied for within the Rights Entitlements;
- Number of additional Equity Shares applied for, if any (applicable only if entire Rights Entitlements have been applied for);
- Total number of Equity Shares applied for;
- Total amount paid at the rate of Rs. 1.40/- per Equity Share;
- Details of the ASBA Account such as the SCBS account number, name, address and branch of the relevant SCBS;
- In case of non-resident Eligible Equity Shareholders making an application with an Indian address, details of the NRE/FCNR/NRO account such as the account number, name, address and branch of the SCBS with which the account is maintained;
- Authorisation to the Designated Branch of the SCBS to block an amount equivalent to the Application Money in the ASBA Account;
- Signature of the Eligible Equity Shareholder (in case of joint holders, to appear in the same sequence and order as they appear in the records of the SCBS); and
- All such Eligible Equity Shareholders are deemed to have accepted the following:
  - "I/ We will not offer, sell or otherwise transfer any of the Rights Equity Shares which may be acquired by us in any jurisdiction or under any circumstances in which such offer or sale is not authorized or to any person to whom it is unlawful to make such offer, sale or invitation except under circumstances that will result in compliance with any applicable laws or regulations. We satisfy, and each account for which we are acting satisfies, all suitability standards for Shareholders in investments of the type subscribed for herein imposed by the jurisdiction of our residence.
  - I/ We understand and agree that the Rights Entitlement and Rights Equity Shares may not be reoffered, resold, pledged or otherwise transferred except in an offshore transaction in compliance with Regulations, or otherwise pursuant to an exemption from, or in a transaction not subject to, the registration requirements of the US Securities Act.
  - I/ We (i) am/ are, and the person, if any, for whose account I/ we am/ are acquiring such Rights Entitlement and/ or the Rights Equity Shares is/ are, outside the U.S., (ii) am/ are not a "U.S. Person" as defined in ("Regulations"), and (iii) is/ are acquiring the Rights Entitlement and/ or the Rights Equity Shares in an offshore transaction meeting the requirements of Regulations.
  - I/ We acknowledge that the Company, our affiliates and others will rely upon the truth and accuracy of the foregoing representations and agreements."

In cases where Multiple Application Forms are submitted for Applications pertaining to Rights Entitlements credited to the same demat account or in demat suspense escrow account, as applicable, including cases where a Shareholders submits Application Forms along with a plain paper Application, such Applications shall be liable to be rejected.

Shareholders are requested to strictly adhere to these instructions. Failure to do so could result in an Application being rejected, with our Company and the Registrar not having any liability to the Shareholders. The plain paper Application form at will be available on the website of the Registrar at <https://rights.cameoindia.com/7nrretail>

Our Company and the Registrar shall not be responsible if the Applications are not uploaded by the SCBS or funds are not blocked in the Shareholders' ASBA Accounts on or before the Issue Closing Date.

### LAST DATE FOR APPLICATION:

The last date for submission of the duly filled in the Application Form or a plain paper Application is 20th September, 2022, i.e., Issue Closing Date. Our Board or any committee thereof may extend the said date for such period as it may determine from time to time, subject to the Issue Period not exceeding 15 days from the Issue Opening Date (inclusive of the Issue Opening Date).

If the Application Form is not submitted with an SCBS, uploaded with the Stock Exchanges and the Application Money is not blocked with the SCBS on or before the Issue Closing Date or such date as may be extended by our Board or any committee thereof, the invitation to offer contained in this Letter of Offer shall be deemed to have been declined and our Board or any committee thereof shall be at liberty to dispose of the Equity Shares hereby offered, as set out in "Basis of Allotment" mentioned below.

## REGISTRAR TO THE ISSUE

**CAMEO CORPORATE SERVICES LIMITED**  
Subramanian Building, 1 Club House Road, Chennai - 600 002 | **Tel :** +91 - 44 4002 0700  
**Email:** priya@cameoindia.com | **Investor Grievance Email id:** investor@cameoindia.com  
**Website:** <https://rights.cameoindia.com/7nrretail> | **Contact Person:** Ms. K. Sreepriya  
**SEBI Registration No:** INR000003753 | **CIN:** U67120TN1999PLC041613

**Date:** 2nd September, 2022  
**Place:** Ahmedabad

**Disclaimer:** Our Company is proposing, subject to receipt of requisite approvals, market conditions and other considerations, to issue Equity Shares on a rights basis and has filed a Letter of Offer with Stock Exchange i.e. BSE Limited. The Letter of Offer is available on the website of Stock Exchange where the Equity Shares are listed i.e. BSE at [www.bseindia.com](http://www.bseindia.com) and the website of the RTA i.e. Cameo Corporate Services Limited at <https://rights.cameoindia.com/7nrretail>. Investors should note that investment in equity shares involves a high degree of risk and are requested to refer to the Letter of Offer including the section "Risk Factors" beginning on page 23 of the Letter of Offer. This announcement has been prepared for publication in India and may not be released in the United States. This announcement does not constitute an offer of Rights Equity Shares for sale in any jurisdiction, including the United States, and any Rights Equity Shares described in this announcement may not be offered or sold in the United States absent registration under the US Securities Act of 1933, as amended, or an exemption from registration. There will be no public offering of Rights Equity Shares in the United States.

Please note that on the Issue Closing Date, (i) Applications through ASBA process will be uploaded until 5:00 P.M. (Indian Standard Time) or such extended time as permitted by the Stock Exchanges.

Please ensure that the Application Form and necessary details are filled in. In place of Application number, Shareholders can mention the reference number of the e-mail received from Registrar informing about their Rights Entitlement or last eight digits of the demat account. Alternatively, SCBS may mention their internal reference number in place of application number.

### PROCEDURE FOR RENUNCIATION OF RIGHTS ENTITLEMENTS:

The Eligible Equity Shareholders may renounce the Rights Entitlements, credited to their respective demat accounts, either in full or in part (a) by using the secondary market platform of the Stock Exchanges (the "On Market Renunciation"); or (b) through an off-market transfer (the "Off Market Renunciation"), during the Renunciation Period. The Shareholders should have the demat Rights Entitlements credited / lying in his / her own demat account prior to the renunciation. The trades through On Market Renunciation and Off Market Renunciation will be settled by transferring the Rights Entitlements through the depository mechanism.

Shareholders may be subject to adverse foreign, state or local tax or legal consequences as a result of trading in the Rights Entitlements. Shareholders who intend to trade in the Rights Entitlements should consult their tax advisor or stock-broker regarding any cost, applicable taxes, charges and expenses (including brokerage) that may be levied for trading in Rights Entitlements.

Please note that the Rights Entitlements which are neither renounced nor subscribed by the Shareholders on or before the Issue Closing Date shall lapse and shall be extinguished after the Issue Closing Date.

**Our Company accept no responsibility to bear or pay any cost, applicable taxes, charges and expenses (including brokerage), and such costs will be incurred solely by the Shareholders.**

### On Market Renunciation

The Eligible Equity Shareholders may renounce the Rights Entitlements, credited to their respective demat accounts by trading / selling them on the secondary market platform of the Stock Exchanges through a registered stock-broker in the same manner as the existing Equity Shares of our Company.

In this regard, in terms of provisions of the SEBI ICDR Regulations and the SEBI Rights Issue Circulars, the Rights Entitlements credited to the respective demat accounts of the Eligible Equity Shareholders shall be admitted for trading on the Stock Exchanges under ISIN INE413X20019 subject to requisite approvals. Prior to the Issue Opening Date, our Company will obtain the approval from the Stock Exchanges for trading of Rights Entitlements. No assurance can be given regarding the active or sustained On Market Renunciation or the price at which the Rights Entitlements will trade. The details for trading in Rights Entitlements will be as specified by the Stock Exchanges from time to time.

The Rights Entitlements are tradable in dematerialized form only. The market lot for trading of Rights Entitlements is one Rights Entitlements.

The On Market Renunciation



**क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र के समक्ष**  
**कारपोरेट कार्य मंत्रालय, बी-2 विंग, द्वितीय मंजिल, पर्यावरण भवन, सीजीओ काम्पलेक्स, नई दिल्ली-110003**

**कम्पनीज अधिनियम, 2013, की धारा 13 की उप-धारा (4) एवं कम्पनीज (निगमन) नियमन, 2014 के नियम 30 के उप-नियम (5) के कर्त्ताज (ए) के मामले में एवं**

**एस एस इन्फार्माट प्रॉवाइटे लिमिटेड (CIN:U52100DL2007PTC170504)**

**जिसका पंजीकृत कार्यालय प्लेट नं-7, तीसरी मंजिल, प्लॉट नं-4, दयानन्द विहार, दिल्ली-110092 के मामले में** .....याचिकाकर्ता

कम्पनीज अधिनियम, 2013 की धारा 13 के अन्तर्गत एतद्वारा आम जनता को सूचना प्रदान की जाती है कि कम्पनी की **बुधवार 31.08.2022** को सम्पन्न विशेष असाधारण सामान्य बैठक में पारित विशेष संकल्प में कम्पनी के मैमोरनडम ऑफ एसोशियेशन में बदलाव कर केन्द्रीय सरकार से पुष्टीकरण हेतु आवेदन करने का प्रस्ताव कर रही है ताकि कम्पनी का पंजीकृत कार्यालय **एनसीटी ऑफ दिल्ली** से **उत्तर प्रदेश राज्य** में स्थानान्तरित किया जा सके।

किसी भी व्यक्ति, जिसका इस प्रस्तावित पंजीकृत कार्यालय के बदलाव से हित प्रभावित होता हो, इसकी सूचना या तो **एनसीटी-21 के पोर्टल (www.mca.gov.in)** पर निवेशक शिकायत प्रश्न में दायित्व कर अथवा पंजीकृत डाक द्वारा विशेष के कारणां के सम्भाव तथा हित एवं विशेष के आधारों समर्थित शायथय की एक प्रति के साथ क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र, एनसीटी, बी-2 विंग, द्वितीय मंजिल, पर्यावरण भवन, सीजीओ काम्पलेक्स, नई दिल्ली-110003 को इस सूचना प्रकाशन के चौदह दिनों के भीतर प्रस्तुत कर साथ में उसकी एक प्रतिलिपि आवेदक कम्पनी को उसके ईमेल आईडी [legal@gulshanhomz.com](mailto:legal@gulshanhomz.com) को भी प्रेषित करे।

**आवेदक की ओर से**  
**हस्ता/—**  
**युक्ति नागपाल**  
**निदेशक**  
**स्थान: नई दिल्ली**  
**दिधि : 02.09.2022**  
**स्थान: नई दिल्ली**

**क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र के समक्ष**  
**कारपोरेट कार्य मंत्रालय, बी-2 विंग, द्वितीय मंजिल, पर्यावरण भवन, सीजीओ काम्पलेक्स, नई दिल्ली-110003**

**कम्पनीज अधिनियम, 2013, की धारा 13 की उप-धारा (4) एवं कम्पनीज (निगमन) नियमन, 2014 के नियम 30 के उप-नियम (5) के कर्त्ताज (ए) के मामले में एवं**

**जी डिजायन लैब प्राइवेट लिमिटेड (पूर्व में नूप्रियोयुजी लिब्लकीन प्राइवेट लिमिटेड के नाम से विदित) (CIN:U45400DL2007PTC164128)**

**जिसका पंजीकृत कार्यालय प्लेट नं-7, तीसरी मंजिल, प्लॉट नं-4, दयानन्द विहार, दिल्ली-110092 के मामले में** .....याचिकाकर्ता

कम्पनीज अधिनियम, 2013 की धारा 13 के अन्तर्गत एतद्वारा आम जनता को सूचना प्रदान की जाती है कि कम्पनी की **बुधवार 31.08.2022** को सम्पन्न विशेष असाधारण सामान्य बैठक में पारित विशेष संकल्प में कम्पनी के मैमोरनडम ऑफ एसोशियेशन में बदलाव कर केन्द्रीय सरकार से पुष्टीकरण हेतु आवेदन करने का प्रस्ताव कर रही है ताकि कम्पनी का पंजीकृत कार्यालय **एनसीटी ऑफ दिल्ली** से **उत्तर प्रदेश राज्य** में स्थानान्तरित किया जा सके।

किसी भी व्यक्ति, जिसका इस प्रस्तावित पंजीकृत कार्यालय के बदलाव से हित प्रभावित होता हो, इसकी सूचना या तो **एनसीटी-21 के पोर्टल (www.mca.gov.in)** पर निवेशक शिकायत प्रश्न में दायित्व कर अथवा पंजीकृत डाक द्वारा विशेष के कारणां के सम्भाव तथा हित एवं विशेष के आधारों समर्थित शायथय की एक प्रति के साथ क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र, एनसीटी, बी-2 विंग, द्वितीय मंजिल, पर्यावरण भवन, सीजीओ काम्पलेक्स, नई दिल्ली-110003 को इस सूचना प्रकाशन के चौदह दिनों के भीतर प्रस्तुत कर साथ में उसकी एक प्रतिलिपि आवेदक कम्पनी को उसके ईमेल आईडी [legal@gulshanhomz.com](mailto:legal@gulshanhomz.com) को भी प्रेषित करे।

**आवेदक की ओर से**  
**हस्ता/—**  
**दीपक कपूर**  
**निदेशक**  
**स्थान: नई दिल्ली**  
**दिधि : 02.09.2022**  
**स्थान: नई दिल्ली**

**क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र के समक्ष**  
**कारपोरेट कार्य मंत्रालय, बी-2 विंग, द्वितीय मंजिल, पर्यावरण भवन, सीजीओ काम्पलेक्स, नई दिल्ली-110003**

**कम्पनीज अधिनियम, 2013, की धारा 13 की उप-धारा (4) एवं कम्पनीज (निगमन) नियमन, 2014 के नियम 30 के उप-नियम (5) के कर्त्ताज (ए) के मामले में एवं**

**एसओ जेओ इन्फार्माटिकल्स प्राइवेट लिमिटेड (CIN:U45200DL2006PTC155904)**

**जिसका पंजीकृत कार्यालय प्लेट नं-7, तीसरी मंजिल, प्लॉट नं-4, दयानन्द विहार, दिल्ली-110092 के मामले में** .....याचिकाकर्ता

कम्पनीज अधिनियम, 2013 की धारा 13 के अन्तर्गत एतद्वारा आम जनता को सूचना प्रदान की जाती है कि कम्पनी की **बुधवार 31.08.2022** को सम्पन्न विशेष असाधारण सामान्य बैठक में पारित विशेष संकल्प में कम्पनी के मैमोरनडम ऑफ एसोशियेशन में बदलाव कर केन्द्रीय सरकार से पुष्टीकरण हेतु आवेदन करने का प्रस्ताव कर रही है ताकि कम्पनी का पंजीकृत कार्यालय **एनसीटी ऑफ दिल्ली** से **उत्तर प्रदेश राज्य** में स्थानान्तरित किया जा सके।

किसी भी व्यक्ति, जिसका इस प्रस्तावित पंजीकृत कार्यालय के बदलाव से हित प्रभावित होता हो, इसकी सूचना या तो **एनसीटी-21 के पोर्टल (www.mca.gov.in)** पर निवेशक शिकायत प्रश्न में दायित्व कर अथवा पंजीकृत डाक द्वारा विशेष के कारणां के सम्भाव तथा हित एवं विशेष के आधारों समर्थित शायथय की एक प्रति के साथ क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र, एनसीटी, बी-2 विंग, द्वितीय मंजिल, पर्यावरण भवन, सीजीओ काम्पलेक्स, नई दिल्ली-110003 को इस सूचना प्रकाशन के चौदह दिनों के भीतर प्रस्तुत कर साथ में उसकी एक प्रतिलिपि आवेदक कम्पनी को उसके ईमेल आईडी [legal@gulshanhomz.com](mailto:legal@gulshanhomz.com) को भी प्रेषित करे।

**आवेदक की ओर से**  
**हस्ता/—**  
**दीपक कपूर**  
**निदेशक**  
**स्थान: नई दिल्ली**  
**दिधि : 02.09.2022**  
**स्थान: नई दिल्ली**

**एवन मर्केटाइल लिमिटेड**  
**पंजीकृत कार्यालय: सेक्टर नौलेख पार्क, प्लॉट नंबर 18ए और 18बी, इन्डिया-125, नोएडा, उत्तर प्रदेश-201301 (एनपी)**

**ई-मेल: [avonsecantile@gmail.com](mailto:avonsecantile@gmail.com); वेबसाइट: [www.avonsecantile.co.in](http://www.avonsecantile.co.in)**  
**सीआईएन: L17118UP1985PLC026582**

**37वीं वार्षिक आम बैठक, बड़ी सभापन और ई-वोटिंग की सूचना के प्रेषण के समापन के संबंध में सूचना**

एतद्वारा सूचना दी जाती है कि आईओ रिस्ट्रन्ड लिमिटेड के सदस्यों की 37वीं वार्षिक आम बैठक (‘एनवीएम’) रविवार, 25 सितंबर, 2022 को पूर्वाह्न 11:00 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंस (‘वीसी’)) या अन्य ऑडियो विड्युअल संचारण (‘ऑडियो/वी’) के माध्यम से एनवीएम आयोजन की सूचना में बिना पर अनुपचार व्यापक करने के लिए आयोजित की जाएगी। हमेशा और सेबी द्वारा जारी निर्देशन परिपत्रों के अनुसार, एनवीएम की सूचना कंपनी की विधिगत रूप से 2021-22 की वार्षिक रिपोर्ट के साथ कंपनी के सदस्यों को उनके पंजीकृत ई-मेल पते पर ई-मेल द्वारा भेजी गई है। कंपनी ने 2 सितंबर, 2022 को एक वार्षिक रिपोर्ट के साथ एनवीएम बुलने की सूचना भेजने का काम पूरा कर लिया है।

जिन सदस्यों ने अभी तक अपने ई-मेल पते पर ई-मेल प्राप्त नहीं किए हैं, उनसे अनुरोध है कि वे अपने ई-मेल पते को अपने संबंधित डिजिटल/डिजिटल/डिजिटल (डिजिटल) रूप में धारित शेयरों के संबंध में। या साथ संबंधित लिमिटेड, कंपनी के रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट (आरटीए) (भौतिक रूप में धारित शेयरों के संबंध में) के पास पंजीकृत कराए।

सदस्यों को एतद्वारा सूचित किया जाता है कि 37वीं वार्षिक आम बैठक की सूचना और कंपनी की वार्षिक रिपोर्ट कंपनी की वेबसाइट ([www.avonsecantile.co.in](http://www.avonsecantile.co.in)) पर भी उपलब्ध है। एनवीएम की सूचना प्रदान किया गया है और ई-वोटिंग सिस्टम/डिजिटल लिमिटेड (एनएसडीएल) की ई-वोटिंग वेबसाइट [www.evoting.nsdl.com](http://www.evoting.nsdl.com) पर भी उपलब्ध है।

सदस्यों को यह भी सूचित किया जाता है कि कंपनी अधिनियम, 2013 (‘अधिनियम’) की धारा 108 के अनुसार, समय-समय पर संशोधित इस्के तहत बनाए गए प्राधिकृत निर्देशन के साथ पठित, सेबी (‘सेबी’) द्वारा दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताओं विनियमावली 2015 (‘सूचीकृत विनियमवली’) के अनुच्छेद 44 के साथ और उल्लेख परिपत्रों के अनुपालन में, कंपनी अपने सदस्यों को एनवीएम के दौरान रिपोर्ट ई-वोटिंग (एनवीएम) पर धारित और एनवीएम के दौरान ई-वोटिंग की सुविधा प्रदान कर रही है ताकि वे 37वीं एनवीएम में धारित किए जाने वाले प्रस्तावों पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से वोट दे सकें। सदस्यों को आमो सूचित किया जाता है कि ई-वोटिंग सुविधा के लिए पात्र सदस्यों का पता लगाने के उद्देश्य से कट-ऑफ तिथि रविवार, 17 सितंबर, 2022 निर्धारित की गई है। एक व्यक्ति, जिसका नाम कट-ऑफ तिथि को सदस्यों के रजिस्ट्रार से या डिजिटल/डिजिटल द्वारा रखे गए एनवीएम स्वामित्व के रजिस्ट्रार में दर्ज किया गया है, केवल वही रिपोर्ट ई-वोटिंग के साथ-साथ एनवीएम के दौरान ई-वोटिंग की सुविधा का लाभ उठाने का अधिकारी होगा।

सदस्यों से यह ध्यान देना कि अनुरोध किया जाता है कि रिपोर्ट ई-वोटिंग प्रक्रिया गुरुवार, 22 सितंबर, 2022 को प्रातः 9:00 बजे प्रारंभ होगी और शनिवार, 24 सितंबर, 2022 को प्रातः 5:00 बजे तक चरुकी रहेगी। इस्के बाद, एनएसडीएल द्वारा रिपोर्ट ई-वोटिंग मॉड्यूल को निष्क्रिय कर दिया जाएगा। एक बार किसी सदस्य द्वारा किसी संकल्प पर वोट डालने के बाद, उसे बाद में इसे बदलने की अनुमति नहीं दी जाएगी। जिन सदस्यों ने रिपोर्ट ई-वोटिंग के माध्यम से अपना वोट नहीं डाला है, वे एनवीएम के दौरान इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपना मतदान अधिकारों का प्रयोग कर सकते हैं। जिन सदस्यों ने एनवीएम से पहले रिपोर्ट ई-वोटिंग द्वारा अपना वोट डाला है, वे भी एनवीएम में शामिल हो सकते हैं।

कंपनी के दौरान फिर से वोट डालने के हकदार नहीं होंगे।

कंपनी ने श्री अनिल जैन (सदस्यता संख्या और सीपी. संख्या 509349), चार्टर्ड एकाउंटेंट की ई-वोटिंग प्रक्रिया की निगरान और पारदर्शी तरीके से जांच करने के लिए संकेतक रूप में नियुक्त किया है।

कंपनी के दौरान रिपोर्ट ई-वोटिंग, एनवीएम में नाम लेने और ई-वोटिंग के लिए विस्तृत प्रक्रिया/निर्देश 37वीं एनवीएम आयोजन की सूचना में समाविष्ट है।

सदस्यों के लिए वोट डालने के लिए रिपोर्ट ई-वोटिंग सुविधा एनएसडीएल की ई-वोटिंग वेबसाइट [www.evoting.nsdl.com](http://www.evoting.nsdl.com) पर उपलब्ध है या सदस्य [www.evoting.nsdl.com](http://www.evoting.nsdl.com) के अनुपालन अनुसार पर उपलब्ध शेयरधारकों के लिए अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (एफएक्यू) और शेयरधारकों के लिए ई-वोटिंग उपयोगकर्ता मनुअल का सर्वे में सहायता है या टोल फ्री नंबर 1800 1200 990 और 1800 22 44 39 पर कॉल कर सकते हैं या [evoting@nsdl.co.in](mailto:evoting@nsdl.co.in) पर निवेदन कर सकते हैं।

ई-वोटिंग के संबंध में किसी भी प्रश्न या शिकायत को सूची दिशा सोनी, कंपनी सचिव, ई-मेल पता: [avonsecantile@gmail.com](mailto:avonsecantile@gmail.com), संपर्क नंबर: 9950444400 द्वारा प्रेषित, प्रकट/बताया जा सकता है। कोई भी व्यक्ति जो ई-मेल के माध्यम से सूचना और वार्षिक रिपोर्ट भेजने के साथ संचालन करता है, लेकिन कट-ऑफ तिथि के अनुसार शेयर रखता है, वह सेबी/ऑडियो/वी के माध्यम से सूचना प्रदान करने का प्रयोग कर सकता है। ऐसे सदस्य एनवीएम के दौरान रिपोर्ट ई-वोटिंग या ई-वोटिंग के माध्यम से अपने वार्षिक अधिकार का प्रयोग कर सकते हैं और वार्षिक रिपोर्ट और एनवीएम आयोजन की सूचना की एक प्रति के लिए ई-मेल संचार के माध्यम से आरटीए को [investor@massvac.com](mailto:investor@massvac.com) पर एक मांग भेज सकते हैं और साथ ही ई-वोटिंग के लिए गुरु आईडी और पारदर्शी प्रदान करने के लिए अपने संबंधित विकल्पों अनुसंधान आईडी चयन कनाटेड आईडी/फोटो/वोट के साथ उसकी एक प्रति कंपनी को [avonsecantile@gmail.com](mailto:avonsecantile@gmail.com) पर भेज सकते हैं। यदि शेयरधारक व्यक्तिगत शेयरधारक है और ई-वोटिंग मॉड में शेयर रखता है तो वह ई-वोटिंग अनुरोध में बताए गए अनुपचार प्राप्तित चरणक को सक्रिय कर सकता है।

सूचित 37वीं एनवीएम का आयोजन, उक्त परिपत्रों के अनुसार वारसी/ऑडियो/वी के माध्यम से किया जाएगा उक्त सदस्यों की व्यक्तिगत उपस्थिति को समाप्त कर दिया गया है। तदनुसार, सदस्यों द्वारा प्राचीन की नियुक्ति की सुविधा उपलब्ध नहीं होगी।

एतद्वारा यह सूचना भी दी जाती है कि अधिनियम की धारा 91 और सूचीकरण विनियमवली की अनुच्छेद 42 के प्रावधानों के अनुसार, कंपनी के सदस्यों की वार्षिक और अन्य अंतरिम वार्षिक रिपोर्ट 18 सितंबर 2022 से लेकर 31 अक्टूबर 25 सितंबर 2022 (दोनों दिन सम्मिलित) तक 37वीं एनवीएम को प्रयोग करने में सक्षम है।

**निदेशक मंडल के आदेशानुसार**  
**दूधू एवन मर्केटाइल लिमिटेड**  
**हस्ता/—**  
**(दिशा सोनी)**  
**कंपनी सचिव**  
**एनवीएम: 42944**

**दिनांक: 02 सितंबर, 2022**  
**स्थान: नोएडा**

**ऋण वसूली न्यायाधिकरण-11, दिल्ली**  
**चतुर्थ तल, जॉनन तारा बिल्डिंग**  
**संपद मार्ग, नई दिल्ली-110001 के समक्ष**

**ओए सं., 172/19**  
**डीबीएस बैंक इंडिया लिमिटेड**  
**रजमेड नं. लि. एच अच**  
**सेवा में**

**विवाद**  
**अवेदक**  
**प्रतिवादी**

**दिनांक: 03.08.2022**

**प्रतिवादीगण**

1. रजमेड प्रा. लि.  
 2. आरएसी होल्डिंग प्रा. लि.  
 3. फोर्टिस हेल्थकेयर होल्डिंग प्रा. लि.  
 प्रतिवादी सं. 1 से 3

4. 54, जयपथ, नई दिल्ली-110001  
 5. एनएससी होल्डिंग प्रा. लि.  
 6. फोर्टिस हेल्थकेयर होल्डिंग प्रा. लि.  
 प्रतिवादी सं. 1 से 3

7. 64, जयपथ, नई दिल्ली-110001  
 8. टीसीएम रिजिड, उछा तल, टावर ए, जीआईएस सेक्टर-125, नोएडा, जिला जी. पी. नगर, उत्तर प्रदेश  
 9. श्री. प्रायस प्लैटिनम, नू तल, डी-3, डिस्ट्रि. सेंटर, साकेत, नई दिल्ली-110017

जाकि उपरोक्त ऋण आवेदक (की) ने आप के विरुद्ध रु. 4,51,76,849.62 /— (रु. चार करोड़ इश्यावन लाख छहसह हजार आठ सौ उचात्स तथा पैसे बाराठ मात्र) की वसूली के लिए एक वाद स्थापित किया है तथा जाकि न्यायाधिकरण को संतोषप्रद रूप से यह शर्तियां जा चुका है कि आपको साधारण रूप से सूचना दिया जाना संभव नहीं है, इसलिए, विभाजन के रूप में इस सूचना के माध्यम से आपको दिनांक 07.09.2022 को पूर्व. 10.30 बजे इस न्यायाधिकरण में उपस्थित होने का निर्देश दिया जाता है।

ध्यान दें कि यदि आप उपरोक्त तिथि को इस न्यायाधिकरण के समक्ष उपस्थित नहीं होंगे, वाद की सुनवाई तथा निर्णय आपकी अनुपस्थिति में किया जाएगा।

**वैशिक मामूरी की वर्तमान स्थिति के कारण, सभी मामलों की सुनवाई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से की जाएगी और उस प्रयोजन हेतु:—**

(i) सभी अनिवार्य/विवादी “Cisco Webex” एप्लिकेशन/सॉफ्टवेयर डाउनलोड करेंगे;  
 (ii) माननीय पीठ अधिकारी/रजिस्ट्रार द्वारा मामलों की सुनवाई की फगली स्थिति हेतु “Meeting ID” तथा “Password” डीआरटी के अधिकारिक पोर्टल नामतः फगलपहचानगणक पर दैनिक कार्य सूची के अंतर्गत स्वतः प्रकाशित किया जाएगा।  
 (iii) किसी कायाधिकार की स्थिति में, अधिवक्ता/विवादी संबंधित पदाधिकारी से फोन नंबर 23474847 पर सम्पर्क कर सकते हैं।

मेरे हस्ताक्षर और इस न्यायाधिकरण की मोहर के तहत 03 अगस्त, 2022 को दिया गया।

न्यायाधिकरण के आदेश द्वारा  
**सहायक रजिस्ट्रार,**  
 डीआरटी-11, दिल्ली

**क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र के समक्ष**  
**कारपोरेट कार्य मंत्रालय, बी-2 विंग, द्वितीय मंजिल, पर्यावरण भवन, सीजीओ काम्पलेक्स, नई दिल्ली-110003**

**कम्पनीज अधिनियम, 2013, की धारा 13 की उप-धारा (4) एवं कम्पनीज (निगमन) नियमन, 2014 के नियम 30 के उप-नियम (5) के कर्त्ताज (ए) के मामले में एवं**

**कालेर रीयलकॉम प्राइवेट लिमिटेड (CIN:U45400DL2010PTC203747)**

**जिसका पंजीकृत कार्यालय प्लेट नं-7, तीसरी मंजिल, प्लॉट नं-4, दयानन्द विहार, दिल्ली-110092 के मामले में** .....याचिकाकर्ता

कम्पनीज अधिनियम, 2013 की धारा 13 के अन्तर्गत एतद्वारा आम जनता को सूचना प्रदान की जाती है कि कम्पनी की **बुधवार 31.08.2022** को सम्पन्न विशेष असाधारण सामान्य बैठक में पारित विशेष संकल्प में कम्पनी के मैमोरनडम ऑफ एसोशियेशन में बदलाव कर केन्द्रीय सरकार से पुष्टीकरण हेतु आवेदन करने का प्रस्ताव कर रही है ताकि कम्पनी का पंजीकृत कार्यालय **एनसीटी ऑफ दिल्ली** से **उत्तर प्रदेश राज्य** में स्थानान्तरित किया जा सके।

किसी भी व्यक्ति, जिसका इस प्रस्तावित पंजीकृत कार्यालय के बदलाव से हित प्रभावित होता हो, इसकी सूचना या तो **एनसीटी-21 के पोर्टल (www.mca.gov.in)** पर निवेशक शिकायत प्रश्न में दायित्व कर अथवा पंजीकृत डाक द्वारा विशेष के कारणां के सम्भाव तथा हित एवं विशेष के आधारों समर्थित शायथय की एक प्रति के साथ क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र, एनसीटी, बी-2 विंग, द्वितीय मंजिल, पर्यावरण भवन, सीजीओ काम्पलेक्स, नई दिल्ली-110003 को इस सूचना प्रकाशन के चौदह दिनों के भीतर प्रस्तुत कर साथ में उसकी एक प्रतिलिपि आवेदक कम्पनी को उसके ईमेल आईडी [gaurav.kumar@gulshanhomz.com](mailto:gaurav.kumar@gulshanhomz.com) को भी प्रेषित करे।

**आवेदक की ओर से**  
**हस्ता/—**  
**दीपक कपूर**  
**निदेशक**  
**स्थान: नई दिल्ली**  
**दिधि : 02.09.2022**  
**स्थान: नई दिल्ली**

**प्रप्र सं. आईएनसी-26**  
 [कम्पनी (निगमन) विनियमावली 2014 के नियम 30 के अनुसार प्रकट]

एक पत्र से सूचित करने में कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय के परिवर्तन के लिए समाधान पर में प्रकाशन करने के लिए विज्ञापन

**क्षेत्रीय निदेशक,**  
**उत्तरी क्षेत्र के समक्ष**  
 कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 की उप-धारा (4) तथा कम्पनी (निगमन) विनियमावली, 2014 के नियम 30 के उप-नियम (5) के कर्त्ताज (ए) के मामले में

तथा

विकेंद्रकार इटरेन्स प्राइवेट लिमिटेड, कम्पनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत निर्मित कंपनी जिसका पंजीकृत कार्यालय: यूनिट नं. 207, एनसीए-अग्रवाल सिटी कम्प्लेक्स, प्लॉट नं. 1, डेस्ट. सेंटर, मल्लम प्लेस, सेक्टर-3, गौंधी, नई दिल्ली-110085 नं. है, के मामले में

एतद्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि ‘दिल्ली स्प क्षेत्र’ से ‘निलेश चरण’ में उल्लेख पंजीकृत कार्यालय को परिवर्तित करने के लिए कम्पनी को समझ करने के लिए सूचना, 22 जुन 2022, को आयोजित असाधारण आमिका में पारित विशेष प्रस्ताव के अनुसार कम्पनी के मैमोरनडम ऑफ एसोशियेशन के परिवर्तन की पुष्टि के लिए कम्पनी के सदस्य, 2013 की धारा 13 के अंतर्गत एक विशेष संस्कार के अधिनियम के साथ आवेदन करने का प्रस्ताव कर रहे हैं। कंपनी के पंजीकृत कार्यालय के इस परिवर्तन/परिवर्तन में यदि किसी व्यक्ति का हित प्रभावित होता हो, वे एनसीटी-21 पोर्टल ([www.mca.gov.in](http://www.mca.gov.in)) पर निवेशक शिकायत प्रश्न दर्ज करके अथवा उसके निचे प्रेषित किए जाने वाले प्रस्ताव के आवेदक कम्पनी को उसके ईमेल के माध्यम से सूचना के प्रकाशन की तिथि से चौदह दिनों के भीतर अपने हित को प्रकृतित तथा अपनी अपनी आपत्ति क्षेत्रीय निदेशक, के पते: की-2 विंग, 21 तल, पर्यावरण भवन, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, नई दिल्ली-110003 में आम करके या आम करके या आम करके या आम करके के माध्यम से

विकेंद्रकार इटरेन्स प्राइवेट लिमिटेड  
 यूनिट नं. 207, एनसीए-अग्रवाल सिटी कम्प्लेक्स, प्लॉट नं. 1, डेस्ट. सेंटर, मल्लम प्लेस, सेक्टर-3, गौंधी, नई दिल्ली-110085

विकेंद्रकार इटरेन्स प्राइवेट लिमिटेड के लिए स्थान: नई दिल्ली तथा उसकी ओर से तिथि: 02.9.2022

**कुमराकुपा फ्रॉन्टियर होटल्स प्रा.लि.**  
**CIN:U55101DL2001GOI112143**  
**पंजी कार्या: क्लोप कॉम्प्लेक्स, को-8, 5वां तल, 7 गौंधी रोड, दिल्ली-110085**

एतद्वारा सूचित किया जाता है कि कम्पनी के सदस्यों की 21वीं वार्षिक आम सभा (एनवीएम) बुधवार, 28 सितंबर, 2022 को 11:00 बजे में होटल “ए अशोक”, चाणक्यपुरी, नई दिल्ली-110021 में आयोजित की जाएगी जिसमें सदस्यों को अलग से प्रेषित की गई सूचना में वर्णित व्यवसायों को निम्नलिखित किया जाएगा।

एतद्वारा यह भी सूचित किया जाता है कि कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 91 के अनुसार, कम्पनी के सदस्यों के रजिस्टर तथा कम्पनी की शेयर अंतरण पुस्तकें 24 सितंबर, 2022 से 28 सितंबर, 2022 (दोनों दिनों सहित) तक एनवीएम तथा लाभांश, यदि कोई हो, के भुगतान के उद्देश्य से बंद रहेंगे।

कृते, कुमराकुपा फ्रॉन्टियर होटल्स प्रा.लि. हस्ता/—  
 (मनीश कुमार)  
**सचिव-ईआर**

**स्थान: नई दिल्ली**  
**तिथि: 3 सितंबर, 2022**

**प्रप्र संख्या आईएनसी-26**  
 (कम्पनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 30 के अनुसार प्रकट में)

**केन्द्रीय सरकार, क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र, नई दिल्ली के समक्ष**  
 कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 की उपधारा (4) और कंपनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 30 (5) (ए) के मामले में

आर

**हाकिश इन्फ्राटैक प्राइवेट लिमिटेड (CIN:U31904HR2018PTC073487)**

जिसका पंजीकृत कार्यालय: दुकान संख्या-10, प्रथम तल पार्थनाथ सिटी मॉल, फरीदाबाद, हरियाणा-121007 में है, के मामले में

....आवेदक कंपनी/ याचिकाकर्ता

एतद्वारा सार्वजनिक सूचना दी जाती है कि यह कंपनी केन्द्रीय सरकार के समक्ष कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 13(4) के अधीन आवेदन का प्रस्ताव करती है, जिसमें कंपनी का पंजीकृत कार्यालय “हरियाणा राज्य” से “उत्तर प्रदेश राज्य” में स्थानान्तरित करने के लिए 26 अगस्त, 2022 को आयोजित असाधारण सामान्य बैठक में पारित विशेष संकल्प के संदर्भ में कंपनी के संलग्न ज्ञापन में संशोधन की पुष्टि की मांग की गई है।

कंपनी के पंजीकृत कार्यालय के प्रस्तावित स्थानान्तरण से यदि किसी व्यक्ति का हित प्रभावित होता है तो वह व्यक्ति या तो निवेशक शिकायत प्रकृत फाइल कर एनसीटी-21 पोर्टल ([www.mca.gov.in](http://www.mca.gov.in)) में शिकायत दर्द कर सकता है या एक आपन पत्र लिखने उनके हित का प्रचार और उल्लेख विशेष का कारण उल्लिखित है, के साथ अपनी आपत्ति क्षेत्रीय निदेशक को इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से चौदह (14) दिनों के भीतर क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र, कारपोरेट कार्य मंत्रालय, बी-2 विंग, उत्तर तल, पंडित दीनदयाल अरोरिया भवन, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, नई दिल्ली-110003 पर पंजीकृत डाक द्वारा भेज सकते हैं और सूचना हित आवेदक कंपनी को उनके निम्नलिखित पंजीकृत कार्यालय पते पर भी भेजें।

दुकान संख्या-10, प्रथम तल पार्थनाथ सिटी मॉल, फरीदाबाद, हरियाणा-121007

आवेदक के लिए और आवेदक की ओर से **हाकिश इन्फ्राटैक प्राइवेट लिमिटेड**  
**हस्ता/—**  
**महान नं. 406, परिधम में —**  
**15क्रीट चौकी रोड, उत्तर में —**  
**महान नं. 402, दक्षिण में —**  
**महान नं. 408**

दिनांक: 02.09.2022 **दीपक ससेन (निदेशक)**  
**स्थान: फरीदाबाद डीआईएन: 02909102**

**Form No. INC-26**  
 [Pursuant to rule 30 of the Companies (Incorporation) Rules, 2014]  
 Advertisement to be published in the newspaper for change of Registered office of the company from one state to another Before the Central Government (REGIONAL DIRECTOR) NORTHERN REGION

In the matter of M/s Workdone Private Limited having its Registered Office at Plot No. 2, Sector-32 Gurgaon, Haryana - 122011.

.....Petitioner

Notice is hereby given to the General Public that the company proposes to make application to the Central Government under section 13 of the Companies Act, 2013 seeking confirmation of alteration of the Memorandum of Association of the Company in terms of the special resolution passed at the Extra ordinary general meeting held on Saturday, 20th of August, 2022 to enable the company to change its Registered Office from "State of Haryana" to "State of Chhatisgarh".

Any person whose interest is likely to be affected by the proposed change of the registered office of the company may deliver either on the MCA-21 portal ([www.mca.gov.in](http://www.mca.gov.in)) by his/her investor complaint form or cause to be delivered or send by registered post of his/her objections supported by an affidavit stating the nature of his/her interest and grounds of opposition to the Regional Director at the address Regional Director, Northern Region, B-2 Wing, 2nd floor, Paryavaran Bhawan, CGO Complex, New Delhi-110003, Delhi, within fourteen days of the date of publication of this notice with a copy to the applicant company at its registered office at the address mentioned below.

Plot No. 2, Sector-32 Gurgaon, Haryana - 122001.

For and on behalf of **WORLDONE PRIVATE LIMITED** (Director)  
 DIN: 00053627  
 Plot No. 2, Sector-32, Gurgaon, Haryana-122001 Date: September 2, 2022 Place: Gurgaon

**प्रेसीजन इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड**  
**CIN: L32104DL1979PLC009590**

**पंजी. कार्यालय: डी-1081, न्यू फ्रेड्स कॉलोनी, नई दिल्ली-110025**  
**ईमेल: [cs@pel-india.in](mailto:cs@pel-india.in), वेबसाइट: [www.pel-india.in](http://www.pel-india.in)**  
**फोन: 1202551556/7 फैक्स: 120-2524337**

**सूचना**

क) शेयरधारकों ध्यान रहे कि कम्पनी की 43वीं वार्षिक आम सभा विडियो कॉन्फ्रेंस (“वीसी”) अथवा ऑडियो विड्युअल संचारण (“ऑडियो/वी”) सुविधा द्वारा बुधवार, 28 सितंबर, 2022 को 12.00 बजे आय. में आयोजित होगी। कॉफीड-19 महामाती को देखते हुए कॉफीड कार्य मंत्रालय (एनसीटी) ने एनसीटी साधारण सर्व्यूजर सं. 03/2022 तिथि 5 मई, 2022 के साथ पारित एनसीटी साधारण सर्व्यूजर सं. 20/2020, 5 मई, 2020, साधारण सर्व्यूजर सं. 02/2021 तिथि 13 जनवरी, 2021, साधारण सर्व्यूजर सं. 19/2021 तिथि 8 दिसम्बर, 2021 तथा 21/2021 तिथि 14 दिसम्बर, 2021 एवं सेबी द्वारा जारी सर्व्यूजर सं. SEBI/HO/DDHS/DDHS/Div2/PCIR/2022/079 तिथि 03 जुन, 2022 के द्वारा कम्पनी को किसी सामूहिक स्थान पर सदस्यों की शारीरिक उपस्थिति के बिना विडियो कॉन्फ्रेंसिंग अथवा ऑडियो विड्युअल माध्यमों से एनवीएम के आयोजन की अनुमति दी गई है जिसमें भारत सरकार तथा भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सेबी) के विचार निर्देशों के अनुसार सभा की सूचना में निहित व्यवसायों को निम्नलिखित किया जाएगा।

ख) उक्त सर्व्यूजर के अनुपालन में दिन वॉट 2021-22 के वार्षिक रिपोर्ट के साथ एनवीएम की सूचना इलेक्ट्रॉनिक पद्धति से पूरे सभी शेयरधारकों को भेजी जायेगी जिन्हें ईमेल पते रजिस्ट्रार तथा शेयर अंतरण एजेंट/डिजिटल/डिजिटल/डिजिटल के पास सूचीबद्ध है।

ग) ईमेल पते के पंजीकरण/अपडेटिंग का तत्काल:

i) डिजिटल/डिजिटल/डिजिटल पद्धति में शेयर धारित करने वाले शेयरधारकों से अनुरोध है कि अपने डिजिटल/डिजिटल/डिजिटल के माध्यम से अपने संबंधित डिजिटल/डिजिटल के पास अपना ईमेल पते मनीकॉर्ड नंबर पंजीकृत कराएँ।

ii) भौतिक पद्धति में शेयर धारित करने वाले शेयरधारकों से अनुरोध है कि [compliances@sky-linert.com](mailto:compliances@sky-linert.com) पर कम्पनी के रजिस्ट्रार तथा शेयर अंतरण एजेंट (स्काइइन्डिया फाइनेंशियल सर्विसेस प्रा. लि.) के पास अपना ईमेल पता तथा मोबाइल नंबर प्रस्तुत करें।

घ) 43वीं एनवीएम की सूचना तथा हित वॉट 2021-22 का वार्षिक रिपोर्ट कम्पनी की वेबसाइट [www.pel-india.in](http://www.pel-india.in) टिफिक एक्सवैरु अर्न्तु वीडियो रिपोर्ट के माध्यम से उपलब्ध [www.bsceindia.com](http://www.bsceindia.com) तथा एनएसडीएल की वेबसाइट [www.evoting.nsdl.com](http://www.evoting.nsdl.com) पर भी उपलब्ध होगा।

ड. शेयरधारक के पास इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग प्रणाली द्वारा एनवीएम की सूचना में वर्णित व्यवसायों पर धारित जाने अपना मतदान करने का अवसर होगा। डिजिटल/डिजिटल/डिजिटल पद्धति, भौतिक पद्धति में शेयर धारित करने वाले शेयरधारकों का अथवा ऐसे शेयरधारकों जिन्होंने अपने ईमेल पते पंजीकृत नहीं कराये हैं, के लिये रिपोर्ट/वीसी की प्रक्रिया शेयरधारकों के लिये सूचना में उपलब्ध कराई जाएगी।

क) 43वीं एनवीएम की सूचना शेयरधारकों को लागू होने वाले कानूनों के अनुसार निम्न समय पर उनके पंजीकृत ईमेल पते पर भेजी जाएगी।

**प्रेसीजन इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के लिये**  
**व्यवसाय**  
**व्यवसाय गुरु**  
**कम्पनी सचिव सह अनुपालन अधिकारी**

**सोनल मर्केटाइल लिमिटेड**  
**पंजीकृत कार्यालय: 365, वियनम प्लाजा, तीसरी मंजिल, सेक्टर-3, गौंधी, नई दिल्ली-85 सीआईएन: L51221DL1985PLC022433, दूरभाष: 011-49091471**

**ई-मेल: [sonalmercantile@yahoo.in](mailto:sonalmercantile@yahoo.in),**







<b>CAPRI GLOBAL</b> HOUSING FINANCE LIMITED	<b>कैप्री ग्लोबल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड</b> पंजीकृत एवं कॉर्पोरेट कार्यालय: 602, टॉवर-ए, भेनिगुल्ला विमानच पार्क, सेनापति बाग, मात, लोख परब, मुंबई-400013 परिचलन कार्यालय: कैप्री ग्लोबल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड, 9-बी, हितिव उत, पूसा रोड, राजेन्द्र चेत, नई दिल्ली-110060
<b>परिशिष्ट-IV-ए [निगम 8(6) का प्रावधान देखें]</b> <b>अवल सम्पत्तियों की बिक्री हेतु विषय सूचना</b>	
प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) निगमावली 2002 के नियम 8(6) के प्रावधान के साथ पठित नितीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिरण एंव पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के तहत अवल परिसंपत्तियों की बिक्री हेतु ई-नीलामी बिक्रम सूचना। एतद्वारा जनसामान्य को तथा विशेष रूप में ऋणकर्ता(ओं) एवं गारंटर(री) को सूचना दी जाती है कि प्रतिभूत लेनदार के पास बंककत/ प्रभारित नीचे वर्णित अवल सम्पत्ति, जिस पर कैप्री ग्लोबल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी, प्रतिभूत लेनदार द्वारा रचनात्मक/भौतिक आधिपत्य प्रवण कर लिया गया है, वह नीचे वर्णित ऋणकर्ता से कैप्री ग्लोबल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड प्रतिभूत लेनदार को देय-मुल्य निर्मांकित राशि की वसूली हेतु निम्नलिखित तिथियों पर “जैसी है जहां है”, “जैसी है जो है” एवं “यहां जो कुछ भी है” आधार पर बेची जायेगी। आरक्षित मूल्य, ईंपकी राशि तथा सम्पत्ति के विवरण नीचे वर्णित हैं।	

क्र.सं.	1. ऋणकर्ता(ओं) के नाम 2. बकाया राशि	बंधकवृत्त संपत्ति के विवरण	1. ई-नीलामी की तिथि एवं समय 2. बराज जमा करने की अंतिम तिथि 3. संपत्ति निरीक्षण की तिथि एवं समय	1. आरक्षित मूल्य 2. संपत्ति की बराज 3. बुद्धिशील मूल्य
1.	1. श्री विद्या सिंह (“ऋणकर्ता”) 2. श्यामजी (अपु ब्रह्म) (सह-ऋणकर्ता) ऋण खाता संख्या LNLHGUR000028307 रु. 25,93,390/- (रुपय पच्चीस लाख तिरानबे हजार तीन सौ नव्वे मात्र) 31.08.2022 के अनुसार लागू योग्य भावी ब्याज के साथ	प्लेट सं. 102, प्रथम तल (आगे माएं हाथ की ओर), क्षेत्राधिमाण 550 वर्ग फुट, जो मूबई सं. 1074 व 1074ए पर निर्मित, गली सं. 3 में, खेवट/खाता सं. 1405/1916, खसरा सं. 6310/161(1-1-0), 157(2-13-0) में से, राम नुडगवा, हरियाणा राज् के रूप में विदित	1. ई-नीलामी तिथि: 11.10.2022 (3.00 से 4.00 बजे के मध्य) 2. केवाईसी के साथ बराज जमा करने की अंतिम तिथि: 10.10.2022 3. निरीक्षण की तिथि: 08.10.2022	आरक्षित मूल्य: रु. 20,45,000/- (रुपय बीस लाख पैंतासि हजार मात्र) बरोहर राशि जमा: रु. 2,05,000/- (रुपय दो लाख पांच हजार मात्र) बुद्धिशील मूल्य: रु. 10,00,00/- (रुपय दस हजार मात्र)

बिक्री के विस्तृत निगमों एवं शर्तों के लिए कृपया कैप्री ग्लोबल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के प्रतिभूत लेनदार की वेबसाइट अर्थात् [www.CapriGlobal.in/auction/](http://www.CapriGlobal.in/auction/) में उपलब्ध लिंक का सन्दर्भ लें।  
**ऑनलाइन ई-नीलामी बिक्री के नियम एवं शर्त:**

- सम्पत्ति की बिक्री “जैसी है जहां है, वहां जो कुछ भी है एवं विना वसूली आधार” पर की जा रही है। क्योंकि बिक्री विना किसी आश्चरित एवं क्षतिपूर्ति के है।
- ई-नीलामी बिक्री सूचना में विनिर्दिष्ट सम्पत्ति/परिसंपत्तियों के विवरण (जैसे विस्तार तथा नाम) प्रतिभूत लेनदार की सवीजन जानकारी के अनुसार लिखे गये हैं और प्रतिभूत लेनदार किसी त्रुटि, त्रुटिपूर्ण-विवरण या त्रुटि के लिए उत्तरदायी नहीं होंगे। वास्तविक विस्तार तथा नाम में अंतर हो सकता है।
- प्रतिभूत लेनदार द्वारा निर्मित ई-नीलामी बिक्री सूचना अपनी सिध्दाएं जमा करने हेतु जनसामान्य के लिए एक आमंत्रण है और यह प्रतिभूत लेनदार के पक्ष में कोई प्रतिबद्धता या अभिवेदन संस्थापित नहीं करती और संस्थापित करती हुई नहीं मानी जायेगी। इच्छुक सविदाकारों को प्रतिभूत लेनदार के साथ अपने हकदारों विवेकों का अनुशीलन करने और अपनी सिध्दाएं जमा करने से पूर्व सम्पत्ति /परिसंपत्तियों के स्थायित्व तथा वर्तमान दशा एवं सम्पत्ति को प्रमाँनित करने वाले दार्ज/बकायों के विषय में अपनी स्वतन्त्र पुरातान/सुविधित परिश्रम करने की सलाह दी जाती है।
- नीलामी/बोलीदान केवल वेबसाइट <https://sarfaesi.auctiontiger.net> के माध्यम से “ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक मोड” में अथवा सेवा प्रदाता मेसर्स ई-प्रोक्वोरमेंट टेक्नोलॉजीज लिमिटेड, अहमदाबाद,जो ई-नीलामी प्लेटफॉर्म के माध्यम से नीलामी की सम्पूर्ण प्रक्रिया की व्यवस्था तथा सम्पन्नन करेगे, द्वारा प्राकानित ऑक्शन टाइगर मोबाइल एप के माध्यम से संचालित की जायेगी।
- सविदाकार अपने नमनाबे स्थान से सविदान हेतु ई-नीलामी में भाग ले सकते हैं। इंटरनेट कनेक्टिविटी की व्यवस्था सविदाकार को स्वयं सुनिश्चित करनी होगी। प्रतिभूत लेनदार/सेवा प्रदाता इंटरनेट कनेक्टिविटी, नेटवर्क सम्पत्था, सिस्टम क्रेश डाउन, पाँवर फ्लेयॉउ आदि के लिए उत्तरदायी नहीं उठएएर जा सकेंगे।
- विवरण, सहायता, प्रक्रिया तथा ई-नीलामी पर ऑनलाइन बोलीदान के लिए सम्बन्धित सविदाकार सेवा प्रदाता मेसर्स ई-प्रोक्वोरमेंट टेक्नोलॉजीज लि. ऑक्शन टाइगर, अहमदाबाद (सम्पर्क नं. 079. 6813680680/68136837), श्री राम कुमार, मोबाइल नं. 8000023297, श्री ई-मेल [ramprasad@auctiontiger.net](mailto:ramprasad@auctiontiger.net) से सम्पर्क कर सकते हैं।
- ई-नीलामी बिक्री में भाग लेने के लिए इच्छुक सविदाकारों को अग्रिम रूप से अपने नाम <https://sarfaesi.auctiontiger.net> पर पंजीकृत करने होंगे और यूरर आईडी तथा पासवर्ड प्राप्त करने होंगे। इच्छुक सविदाकारों को सेवा प्रदाता की ओर से प्राप्त होने के तुरन्त बाद केवल अपना पासवर्ड बदल लेने की सलाह दी जाती है।
- ई-नीलामी में भाग लेने हेतु इच्छुक सविदाकारों को आरक्षित मूल्य (उपरोक्त अधिकांशवार) के 10% की प्रतिदेय ईंपकी जमा करनी होगी जो 10 अक्टूबर, 2022 को या इससे पूर्व “कैप्री ग्लोबल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड” के पक्ष में डिमांड ड्राफ्ट/एनईएफटी/आरटीजीएस के माध्यम से जमा करनी है।
- इच्छुक सविदाकारों को, ईंपकी के प्रति डिमांड ड्राफ्ट रेगिस्ट्रिड सहित विधिवत भरे गए सविदा प्रपत्र (<https://sarfaesi.auctiontiger.net> पर उपलब्ध है) एक मुहरबन्द लिफाफे में प्राधिकृत अधिकारी, कैप्री ग्लोबल कौपिटल लिमिटेड को सम्पत्तित, क्षेत्रीय कार्यालय प्लॉट सं. 9बी, दूसरी मंजिल, पूसा रोड, राजिंदर चेत, नई दिल्ली-110 060 के पास अधिकायम 10 अक्टूबर 2022 को 03.00 बजे अप तक भेजने होंगे। मुहरबन्द लिफाफे पर “कर्जदार का नाम” की सम्पत्ति हेतु ऋण खाता सं. .... (जैसा ऊपर उल्लिखित है) में ई-नीलामी बिक्री..... में भाग लेने हेतु संविदा” लिखा होना चाहिए।
- ईंपकी सहित सविदाएं जमा करने की अन्तिम तिथि समाप्त होने पर प्राधिकृत अधिकारी अपने द्वारा प्राप्त सविदाओं की जाँच करेगे और योग्य सविदाकारों (जिन्होंने आरक्षित मूल्य से अधिक के मूल्य पर अपनी बोडिया कोट की हैं और प्रतिभूत लेनदार के पास निर्दिष्ट ईंपकी जमा कर दी हैं) के विवरण की पुष्टि सेवा प्रदाता मेसर्स ई-प्रोक्वोरमेंट टेक्नोलॉजीज लिमिटेड के पास करेगे ताकि ई-नीलामी बिक्री सूचना में उल्लिखित तिथि एवं समय पर केवल वे सविदाकार ही ऑनलाइन परस्पर बोलीदान/नीलामी प्रक्रियाओं में भाग ले सकें।
- योग्य सविदाकारों के मध्य परस्पर बोलीदान, योग्य सविदाकारों द्वारा उन्मुख की गई उच्चतम बोली के साथ प्रारम्भ होगा। परस्पर बोलीदान की प्रक्रिया के दौरान यहां “10” मिनट प्रत्येक का अर्थातित विस्तारकृत समय होगा अर्थात यदि बोली अन्तिम विस्तार के 10 मिनट के भीतर लगायी जाती है तो ई-नीलामी बोली का अन्तिम समय प्रत्येक बार सक्त: ही 10 मिनट बढ़ जायेगा।
- एक बार लगाई गयी बोली निरस्त या वापस नहीं होगी। सविदाकार को प्रस्त यूरर आईडी से लगायी गयी समस्त बोडियां, केवल उसी के द्वारा लगायी गयी मानी जायेगी।
- ई-नीलामी प्रक्रियाओं के बन्द होने के तुरन्त बाद उच्चतम सविदाकार, ई-नीलामी बिक्री प्रक्रियाओं में सफल सविदाकार के रूप में घोषित होने के लिए, ई-ब्लेड द्वारा प्राधिकृत अधिकारी, कैप्री ग्लोबल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड, क्षेत्रीय कार्यालय/प्लॉट सं. 9बी, दूसरी मंजिल, पूसा रोड, राजिंदर नगर, नई दिल्ली-110 060 तथा सेवा प्रदाता दोनों के पास, अपने द्वारा कोट की गयी अन्तिम सविदा राशि की पुष्टि करेगा।

- सफल सविदाकारों को अपने पक्ष में घोषित होने पर सविदा राशि का 25% (ईंपकी सहित) बिक्री के दिन ही 24 घंटे के अंदर जमा करना होगा तथा बोली राशि की शेष 75% राशि कैप्री ग्लोबल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के पक्ष में आहारित डीडी/बैं ऑर्डर/एनईएफटी/आरटीजीएस/बैंक ड्राइ बिक्री की तिथि से 15 दिनों के भीतर जमा करनी होगी।
- सफल सविदाकार/नीलामी क्रेता द्वारा निर्धारित समय में उरुपुक्त निर्दिष्ट राशियों का मुगुतान करने में सूरक करने पर बिक्री निरस्त कर दी जायेगी और पहले से जमा राशि (ईंपकी सहित) जब कर ली जायेगी और सम्पत्ति को पुन: बिक्री पर रज रिया जायेगा।

- सफल सविदाकार के निवेदन पर प्राधिकृत अधिकारी अपने पूर्ण विवेक से सविदा राशि का शेष भाग जमा करने हेतु लिखित में अधिक समय की स्वीकृति दे सकते हैं।
- सफल सविदाकार बिक्री मूल्य का 1% टीडीएस (बिक्री कार्यालयों में से) (यदि लागू है) जमा करेगा और प्राधिकृत अधिकारी जमा करेगा तथा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा प्रस्ताव स्वीकार करने की तिथि से 15 कार्यकारी दिनों के भीतर अथवा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा उचित समझे जाने पर किसी अन्य विस्तारित तिथि तक ईंपकी समायाजित करने के पश्चात बिक्री मूल्य की सम्पूर्ण राशि (1% टीडीएस कटौती को घटाकर) जमा करनी होगी जिसमें अस्फल रहने पर धरोहर राशि खर्च कर ली जायेगी।
- नगर निगम/पंचायत कर, बिजली के बकाये (यदि कोई) तथा किसी अन्य प्राधिकरण के बकाये (यदि कोई) का मुगुतान बिक्री प्रमाणपत्र के निगमन से पूर्व सफल सविदाकार को करना होगा। सविदाएं सम्पत्ति से सम्बन्धित समस्त विधिक बकायों पर विचार करते हुए तैयार की जायेगी।
- सम्पूर्ण क्रय राशि/सविदा राशि जमा करने तथा सम्पूर्ण करें/प्रभारों के मुगुतान के परिश्रेय में आवश्यक प्रमाण प्रस्तुत करने के उपरान्त ही बिक्री प्रमाणपत्र प्राधिकृत अधिकारी द्वारा सफल सविदाकार के पक्ष में निर्गत किया जाएगा।
- कम्प्लैर, स्टैम्य मुद्रक, पंजीकरण प्रभार एवं अन्य आकरिक प्रभारों हेतु प्रयोच्य विधिक प्रभारों का मुगुतान नीलामी क्रेता द्वारा वहन किया जायेगा।
- प्राधिकृत प्राधिकारी विना कोई कारण बताये ई-नीलामी बिक्री प्रक्रियाओं को स्थगित/निरस्त कर सकते हैं। यदि ई-नीलामी बिक्री, बिक्री की निश्चित तिथि के 30 दिनों से पूर्व किसी बाद की तिथि को स्थगित की जाती है तो इसे सेवा प्रदाता की वेबसाइट पर प्रदर्शित किया जायेगा।
- प्राधिकृत अधिकारी का निर्णय अन्तिम, बाध्यकारी तथा प्रमररहित होगा।
- सविदाएं जमा करने वाले समस्त सविदाकारों के लिए नाम जायेगा कि उन्होंने ई-नीलामी बिक्री के निगमों एवं शर्तों को पढ़ और समझ लिया है और वे उरन्ते सहमत हैं।
- संपत्ति में पड़ी हूरी चल वस्तु या मस (यदि कोई) बिक्रय के साथ रिया जानेवाला ऑफर नहीं है।
- अधिक विवरणों एवं पुरातान के लिए सम्पर्क करें: प्राधिकृत प्राधिकारी, कैप्री ग्लोबल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड, श्री प्राधान्य सम्पत्त, मोबाइल नं. 7400445137 /9990275365 पर, तथा अन्य पूछताछों के लिए सुभी कल्पना वेतनवाला को 7738039346 पर संपर्क करें।
- यह प्रकानन उरुपुक्त तिथि/स्थान पर नीलामी बिक्री आयोजित होने के विषय में प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) निगमावली 2002 के नियम 8(6) के अनुसार उक्त उरुपुक्त ऋण खाते के कर्जदार/बंधककर्ता/जमानतियों हेतु 30 (तीस) दिनों की सूचना भी है।
- विशेष निवेदन/वेताननी: अन्तिम निम्न/सेकण्ड में बोली लगाने से सविदाकार स्वयं के हित में बर्चें। न तो कैप्री ग्लोबल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड और न ही सेवा प्रदाता ऐसे मामलों में सविदाकार की ओर से किसी भी तरह के (इन्टरनेट बिक्रता, विद्वत बिक्रता आदि) के लिए उत्तरदायी होंगे। ऐसी विषम परिस्थिति से बचने के लिए सविदाकारों से अनुरोध है कि समस्त अनिवार्य व्यवस्थाएं/विकल्प, जैसे बैंक-अप विद्वतपूर्ण तथा जो कुछ भी अन्य अपेक्षित हो, तैयार कर दें ताकि वे ऐसी विषम परिस्थिति से निपट सकें और नीलामी में सफलतापूर्वक भाग ले सकें।

स्थान: दिल्ली दिनांक: 03.09.2022

<b>CAPRI GLOBAL</b> CAPITAL LIMITED	<b>कैप्री ग्लोबल कैपिटल लिमिटेड</b> पंजीकृत एवं कॉर्पोरेट कार्यालय: 602, टॉवर-ए, भेनिगुल्ला विमानच पार्क, सेनापति बाग, मात, लोख परब, मुंबई-400013 परिचलन कार्यालय: कैप्री ग्लोबल कैपिटल लिमिटेड, 9-बी, हितिव उत, पूसा रोड, राजेन्द्र चेत, नई दिल्ली-110060
<b>परिशिष्ट-IV-ए [निगम 8(6) का प्रावधान देखें]</b> <b>अवल सम्पत्तियों की बिक्री हेतु विषय सूचना</b>	
प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) निगमावली 2002 के नियम 8(6) के प्रावधान के साथ पठित नितीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एंव पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के तहत अवल परिसंपत्तियों की बिक्री हेतु ई-नीलामी बिक्रम सूचना। एतद्वारा जनसामान्य को तथा विशेष रूप में ऋणकर्ता(ओं) एवं गारंटर(री) को सूचना दी जाती है कि प्रतिभूत लेनदार के पास बंककत/ प्रभारित नीचे वर्णित अवल सम्पत्ति, जिस पर कैप्री ग्लोबल कैपिटल लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी, प्रतिभूत लेनदार द्वारा रचनात्मक/भौतिक आधिपत्य प्रवण कर लिया गया है, वह नीचे वर्णित ऋणकर्ता से कैप्री ग्लोबल कैपिटल लिमिटेड प्रतिभूत लेनदार को देय-मुल्य निर्मांकित राशि की वसूली हेतु निम्नलिखित तिथियों पर “जैसी है जहां है”, “जैसी है जो है” एवं “यहां जो कुछ भी है” आधार पर बेची जायेगी। आरक्षित मूल्य, ईंपकी राशि तथा सम्पत्ति के विवरण नीचे वर्णित हैं।	

क्र. सं.	1. ऋणकर्ता(ओं) के नाम 2. बकाया राशि	बंधकवृत्त संपत्ति के विवरण	1. ई-नीलामी की तिथि एवं समय 2. बराज जमा करने की अंतिम तिथि 3. संपत्ति निरीक्षण की तिथि एवं समय	1. आरक्षित मूल्य 2. संपत्ति की बराज 3. बुद्धिशील मूल्य
1.	1. श्री भूपेंद्र सिंह (“ऋणकर्ता”) 2. सुशी मनवती देवी अर्थात् सुनी देवी (सह-ऋणकर्ता) ऋण खाता संख्या LNCGCPJGLT000005055 एवं LNCGCPURL000009209 रु. 39,56,823 /- (रुपय उन्तासित लाख छपन हजार आठ सौ तेईस मात्र) 31.08.2022 के अनुसार लागूयोग्य भावी ब्याज के साथ	संपत्ति विवरण एमसीएस नं. 253/5 (क्षेत्र 4 मा मारता), वार्ड नं. 5, फिका/एम्सू नं. 219, 6/2/1 (2-0), 6/1 (2-8), 7/1/1/ (0-13), 7/2/2 (3-5), शिव कॉलोनी, सोहना, नुडगवा, हरियाणा-122003	1. ई-नीलामी तिथि: 11.10.2022 (3.00 से 4.00 बजे के मध्य) 2. केवाईसी के साथ बराज जमा करने की अंतिम तिथि: 10.10.2022 3. निरीक्षण की तिथि: 08.10.2022	आरक्षित मूल्य: रु. 25,15,000/- (रुपय पचीस लाख पंद्रह हजार मात्र) बरोहर राशि जमा: रु. 2,51,500/- (रुपय दो लाख इक्कावन हजार पांच सौ मात्र) बुद्धिशील मूल्य: रु. 10,00,00/- (रुपय दस हजार मात्र)
2.	1. श्री राकेश अरोडा (“ऋणकर्ता”) 2. श्रीमती वंदना अरोडा 3. श्री वेम अरोडा (सह-ऋणकर्ता) ऋण खाता संख्या LNCGCCHA1T0000006211 रु. 22,26,447/- (रुपय अठ्ठास लाख छबीस हजार चार सौ सैतालीस मात्र) 31.08.2022 के अनुसार लागूयोग्य भावी ब्याज के साथ	संपूर्ण तृतीय तल छताधिकारों के साथ जो निर्मित संपत्ति सं. 4/51 है जिसका क्षेत्राधिमाण 100 वर्ग गज है और जो रमेरा नगर, दिल्ली-110015 में स्थित है	1. ई-नीलामी तिथि: 11.10.2022 (3.00 से 4.00 बजे के मध्य) 2. केवाईसी के साथ बराज जमा करने की अंतिम तिथि: 10.10.2022 3. निरीक्षण की तिथि: 08.10.2022	आरक्षित मूल्य: रु. 48,40,000/- (रुपय अड़तालीस लाख चालीस हजार मात्र) बरोहर राशि जमा: रु. 4,84,000/- (रुपय चार लाख चौरासी हजार मात्र) बुद्धिशील मूल्य: रु. 20,00,00/- (रुपय बीस हजार मात्र)
3.	1. मेसर्स बालाजी केपिटलव संघ (“ऋणकर्ता”) 2. श्री विद्या सिंह देवी (सह-ऋणकर्ता) 3. श्रीमती सविता देवी (सह-ऋणकर्ता) ऋण खाता संख्या LNCGCZAD1T0000004605 एवं LNCGCPURL000009200 एवं LNBLAZD000051846 रु. 29,15,544/- (रुपय उन्तासि लाख पंद्रह हजार पांच सौ चौबालीस मात्र) 31.08.2022 के अनुसार लागूयोग्य भावी ब्याज के साथ	एक दुकान जो मूलतः पर है जिसका प्राइवेट नंबर 02 है जो छताधिकारों के विना, जिसका क्षेत्राधिमाण 17.65 वर्ग मीटर, निर्मित संपत्ति नगर निगम सं. 1202 के एक भाग के रूप में, वार्ड सं. VIII, झुली मोहल्ला, कृष्ण पाली म, सीताराम नगर, दिल्ली-110006 में स्थित है और इस प्रकार परिशीनित है: पूर्व- आम दीवाल और अन्य दुकानें, पश्चिम- आम दीवाल और अन्य दुकानें, उत्तर- मोहल्ला झुली, दक्षिण- आम दीवाल और संपत्ति का भाग	1. ई-नीलामी तिथि: 11.10.2022 (3.00 से 4.00 बजे के मध्य) 2. केवाईसी के साथ बराज जमा करने की अंतिम तिथि: 10.10.2022 3. निरीक्षण की तिथि: 08.10.2022	आरक्षित मूल्य: रु. 31,20,000/- (रुपय इकतीस लाख बीस हजार मात्र) बरोहर राशि जमा: रु. 3,12,000/- (रुपय तीन लाख बारह हजार मात्र) बुद्धिशील मूल्य: रु. 20,00,00/- (रुपय बीस हजार मात्र)

बिक्री के विस्तृत निगमों एवं शर्तों के लिए कृपया कैप्री ग्लोबल कैपिटल लिमिटेड के प्रतिभूत लेनदार की वेबसाइट अर्थात् [www.CapriGlobal.in/auction/](http://www.CapriGlobal.in/auction/) में उपलब्ध लिंक का सन्दर्भ लें।  
**ऑनलाइन ई-नीलामी बिक्री के नियम एवं शर्त:**

- सम्पत्ति की बिक्री “जैसी है जहां है, वहां जो कुछ भी है एवं विना वसूली आधार” पर की जा रही है। क्योंकि बिक्री विना किसी आश्चरित एवं क्षतिपूर्ति के है।
- ई-नीलामी बिक्री सूचना में विनिर्दिष्ट सम्पत्ति/परिसंपत्तियों के विवरण (जैसे विस्तार तथा नाम) प्रतिभूत लेनदार की सवीजन जानकारी के अनुसार लिखे गये हैं और प्रतिभूत लेनदार किसी त्रुटि, त्रुटिपूर्ण-विवरण या त्रुटि के लिए उत्तरदायी नहीं होंगे। वास्तविक विस्तार तथा नाम में अंतर हो सकता है।
- प्रतिभूत लेनदार द्वारा निर्मित ई-नीलामी बिक्री सूचना अपनी सिध्दाएं जमा करने हेतु जनसामान्य के लिए एक आमंत्रण है और यह प्रतिभूत लेनदार के पक्ष में कोई प्रतिबद्धता या अभिवेदन संस्थापित नहीं करती और संस्थापित करती हुई नहीं मानी जायेगी। इच्छुक सविदाकारों को प्रतिभूत लेनदार के साथ अपने हकदारों विवेकों का अनुशीलन करने और अपनी सिध्दाएं जमा करने से पूर्व सम्पत्ति /परिसंपत्तियों के स्थायित्व तथा वर्तमान दशा एवं सम्पत्ति को प्रमाँनित करने वाले दार्ज/बकायों के विषय में अपनी स्वतन्त्र पुरातान/सुविधित परिश्रम करने की सलाह दी जाती है।
- नीलामी/बोलीदान केवल वेबसाइट <https://sarfaesi.auctiontiger.net> के माध्यम से “ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक मोड” में अथवा सेवा प्रदाता मेसर्स ई-प्रोक्वोरमेंट टेक्नोलॉजीज लिमिटेड, अहमदाबाद,जो ई-नीलामी प्लेटफॉर्म के माध्यम से नीलामी की सम्पूर्ण प्रक्रिया की व्यवस्था तथा सम्पन्नन करेगे, द्वारा प्राकानित ऑक्शन टाइगर मोबाइल एप के माध्यम से संचालित की जायेगी।
- सविदाकार अपने नमनाबे स्थान से सविदान हेतु ई-नीलामी में भाग ले सकते हैं। इंटरनेट कनेक्टिविटी की व्यवस्था सविदाकार को स्वयं सुनिश्चित करनी होगी। प्रतिभूत लेनदार/सेवा प्रदाता इंटरनेट कनेक्टिविटी, नेटवर्क सम्पत्था, सिस्टम क्रेश डाउन, पाँवर फ्लेयॉउ आदि के लिए उत्तरदायी नहीं उठएएर जा सकेंगे।
- विवरण, सहायता, प्रक्रिया तथा ई-नीलामी पर ऑनलाइन बोलीदान के लिए सम्बन्धित सविदाकार सेवा प्रदाता मेसर्स ई-प्रोक्वोरमेंट टेक्नोलॉजीज लि. ऑक्शन टाइगर, अहमदाबाद (सम्पर्क नं. 079-6813680/68136837), श्री राम कुमार, मोबाइल नं. 8000023297, श्री ई-मेल [ramprasad@auctiontiger.net](mailto:ramprasad@auctiontiger.net) से सम्पर्क कर सकते हैं।
- ई-नीलामी बिक्री में भाग लेने के लिए इच्छुक सविदाकारों को अग्रिम रूप से अपने नाम <https://sarfaesi.auctiontiger.net> पर पंजीकृत करने होंगे और यूरर आईडी तथा पासवर्ड प्राप्त करने होंगे। इच्छुक सविदाकारों को सेवा प्रदाता की ओर से प्राप्त होने के तुरन्त बाद केवल अपना पासवर्ड बदल लेने की सलाह दी जाती है।
- ई-नीलामी में भाग लेने हेतु इच्छुक सविदाकारों को आरक्षित मूल्य (उपरोक्त अधिकांशवार) के 10 की प्रतिदेय ईंपकी जमा करनी होगी जो 10 अक्टूबर, 2022 को या इससे पूर्व “कैप्री ग्लोबल कैपिटल लिमिटेड” के पक्ष में डिमांड ड्राफ्ट/एनईएफटी/आरटीजीएस के माध्यम से जमा करनी है।
- इच्छुक सविदाकारों को, ईंपकी के प्रति डिमांड ड्राफ्ट रेगिस्ट्रिड सहित विधिवत भरे गए सविदा प्रपत्र (<https://sarfaesi.auctiontiger.net> पर उपलब्ध है) एक मुहरबन्द लिफाफे में प्राधिकृत अधिकारी, कैप्री ग्लोबल कैपिटल लिमिटेड को सम्पत्तित, क्षेत्रीय कार्यालय प्लॉट सं. 9बी, दूसरी मंजिल, पूसा रोड, राजिंदर चेत, नई दिल्ली-110 060 के पास अधिकायम 10 अक्टूबर 2022 को 03.00 बजे अप तक भेजने होंगे। मुहरबन्द लिफाफे पर “कर्जदार का नाम” की सम्पत्ति हेतु ऋण खाता सं. .... (जैसा ऊपर उल्लिखित है) में ई-नीलामी बिक्री..... में भाग लेने हेतु संविदा” लिखा होना चाहिए।
- ईंपकी सहित सविदाएं जमा करने की अन्तिम तिथि समाप्त होने पर प्राधिकृत अधिकारी अपने द्वारा प्राप्त सविदाओं की जाँच करेगे और योग्य सविदाकारों (जिन्होंने आरक्षित मूल्य से अधिक के मूल्य पर अपनी बोडिया कोट की हैं और प्रतिभूत लेनदार के पास निर्दिष्ट ईंपकी जमा कर दी हैं) के विवरण की पुष्टि सेवा प्रदाता मेसर्स ई-प्रोक्वोरमेंट टेक्नोलॉजीज लिमिटेड के पास करेगे ताकि ई-नीलामी बिक्री सूचना में उल्लिखित तिथि एवं समय पर केवल वे सविदाकार ही ऑनलाइन परस्पर बोलीदान/नीलामी प्रक्रियाओं में भाग ले सकें।
- योग्य सविदाकारों के मध्य परस्पर बोलीदान, योग्य सविदाकारों द्वारा उन्मुख की गई उच्चतम बोली के साथ प्रारम्भ होगा। परस्पर बोलीदान की प्रक्रिया के दौरान यहां “10” मिनट प्रत्येक का अर्थातित विस्तारकृत समय होगा अर्थात यदि बोली अन्तिम विस्तार के 10 मिनट के भीतर लगायी जाती है तो ई-नीलामी बोली का अन्तिम समय प्रत्येक बार सक्त: ही 10 मिनट बढ़ जायेगा।
- एक बार लगाई गयी बोली निरस्त या वापस नहीं होगी। सविदाकार को प्रस्त यूरर आईडी से लगायी गयी समस्त बोडियां, केवल उसी के द्वारा लगायी गयी मानी जायेगी।
- ई-नीलामी प्रक्रियाओं के बन्द होने के तुरन्त बाद उच्चतम सविदाकार, ई-नीलामी बिक्री प्रक्रियाओं में सफल सविदाकार के रूप में घोषित होने के लिए, ई-ब्लेड द्वारा प्राधिकृत अधिकारी, कैप्री ग्लोबल कैपिटल लिमिटेड, क्षेत्रीय कार्यालय/प्लॉट सं. 9बी, दूसरी मंजिल, पूसा रोड, राजिंदर नगर, नई दिल्ली-110 060 तथा सेवा प्रदाता दोनों के पास, अपने द्वारा कोट की गयी अन्तिम सविदा राशि की पुष्टि करेगा।

- सफल सविदाकारों को अपने पक्ष में घोषित होने पर सविदा राशि का 25% (ईंपकी सहित) बिक्री के दिन ही 24 घंटे के अंदर जमा करना होगा तथा बोली राशि की शेष 75: राशि कैप्री ग्लोबल कैपिटल लिमिटेड के पक्ष में आहारित डीडी/बैं ऑर्डर/एनईएफटी/आरटीजीएस/बैंक ड्राइ बिक्री की तिथि से 15 दिनों के भीतर जमा करनी होगी।
- सफल सविदाकार/नीलामी क्रेता द्वारा निर्धारित समय में उरुपुक्त निर्दिष्ट राशियों का मुगुतान करने में सूरक करने पर बिक्री निरस्त कर दी जायेगी और पहले से जमा राशि (ईंपकी सहित) जब कर ली जायेगी और सम्पत्ति को पुन: बिक्री पर रज रिया जायेगा।
- सफल सविदाकार के निवेदन पर प्राधिकृत अधिकारी अपने पूर्ण विवेक से सविदा राशि का शेष भाग जमा करने हेतु लिखित में अधिक समय की स्वीकृति दे सकते हैं।
- सफल सविदाकार बिक्री मूल्य का 1% टीडीएस (बिक्री कार्यालयों में से) (यदि लागू है) जमा करेगा और प्राधिकृत अधिकारी जमा करेगा तथा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा प्रस्ताव स्वीकार करने की तिथि से 15 कार्यकारी दिनों के भीतर अथवा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा उचित समझे जाने पर किसी अन्य विस्तारित तिथि तक ईंपकी समायाजित करने के पश्चात बिक्री मूल्य की सम्पूर्ण राशि (1% टीडीएस कटौती को घटाकर) जमा करनी होगी जिसमें अस्फल रहने पर धरोहर राशि खर्च कर ली जायेगी।
- नगर निगम/पंचायत कर, बिजली के बकाये (यदि कोई) तथा किसी अन्य प्राधिकरण के बकाये (यदि कोई) का मुगुतान बिक्री प्रमाणपत्र के निगमन से पूर्व सफल सविदाकार को करना होगा। सविदाएं सम्पत्ति से सम्बन्धित समस्त विधिक बकायों पर विचार करते हुए तैयार की जायेगी।
- सम्पूर्ण क्रय राशि/सविदा राशि जमा करने तथा सम्पूर्ण करें/प्रभारों के मुगुतान के परिश्रेय में आवश्यक प्रमाण प्रस्तुत करने के उपरान्त ही बिक्री प्रमाणपत्र प्राधिकृत अधिकारी द्वारा सफल सविदाकार के पक्ष में निर्गत किया जाएगा।
- कम्प्लैर, स्टैम्य मुद्रक, पंजीकरण प्रभार एवं अन्य आकरिक प्रभारों हेतु प्रयोच्य विधिक प्रभारों का मुगुतान नीलामी क्रेता द्वारा वहन किया जायेगा।
- प्राधिकृत प्राधिकारी विना कोई कारण बताये ई-नीलामी बिक्री प्रक्रियाओं को स्थगित/निरस्त कर सकते हैं। यदि ई-नीलामी बिक्री, बिक्री की निश्चित तिथि के 30 दिनों से पूर्व किसी बाद की तिथि को स्थगित की जाती है तो इसे सेवा प्रदाता की वेबसाइट पर प्रदर्शित किया जायेगा।
- प्राधिकृत अधिकारी का निर्णय अन्तिम, बाध्यकारी तथा प्रमररहित होगा।
- सविदाएं जमा करने वाले समस्त सविदाकारों के लिए नाम जायेगा कि उन्होंने ई-नीलामी बिक्री के निगमों एवं शर्तों को पढ़ और समझ लिया है और वे उरन्ते सहमत हैं।
- संपत्ति में पड़ी हूरी चल वस्तु या मस (यदि कोई) बिक्रय के साथ राशि जानेवाला ऑफर नहीं है।
- अधिक विवरणों एवं पुरातान के लिए सम्पर्क करें: प्राधिकृत प्राधिकारी, कैप्री ग्लोबल कैपिटल लिमिटेड, श्री सुशील गुप्ता, मोबाइल नं. 7400445137 पर, तथा अन्य पूछताछों के लिए सुभी कल्पना वेतनवाला को 7738039346 पर संपर्क करें।
- यह प्रकानन उरुपुक्त तिथि/स्थान पर नीलामी बिक्री आयोजित होने के विषय में प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) निगमावली 2002 के नियम 8(6) के अनुसार उक्त उरुपुक्त ऋण खाते के कर्जदार/बंधककर्ता/जमानतियों हेतु 30 (तीस) दिनों की सूचना भी है।
- विशेष निवेदन/वेताननी: अन्तिम निम्न/सेकण्ड में बोली लगाने से सविदाकार स्वयं के हित में बर्चें। न तो कैप्री ग्लोबल कैपिटल लिमिटेड और न ही सेवा प्रदाता ऐसे मामलों में सविदाकार की ओर से किसी भी तरह के (इन्टरनेट बिक्रता, विद्वत बिक्रता आदि) के लिए उत्तरदायी होंगे। ऐसी विषम परिस्थिति से बचने के लिए सविदाकारों से अनुरोध है कि समस्त अनिवार्य व्यवस्थाएं/विकल्प, जैसे बैंक-अप विद्वतपूर्ण तथा जो कुछ भी अन्य अपेक्षित हो, तैयार कर दें ताकि वे ऐसी विषम परिस्थिति से निपट सकें और नीलामी में सफलतापूर्वक भाग ले सकें।

स्थान: दिल्ली दिनांक: 03.09.2022

हस्ता./- (प्राधिकृत अधिकारी) कैप्री ग्लोबल कैपिटल लिमिटेड

# 16 जनसत्ता | 3 सितंबर, 2022 | व्यापार/देश

रुपया 26 पैसे फिसल कर

79.82 प्रति डालर पर

**मुंबई, 2 सितंबर (भाषा)।**

आयातकों की मजबूत डालर मांग व एशियाई मुद्राओं में गिरावट के अनुरूप अंतरबैंक विदेशी मुद्रा विनिमय बाजार में शुक्रवार को रुपया 26 पैसे लुढ़क कर 79.82 (अस्थायी) प्रति डालर पर बंद हुआ।

## जनसत्ता क्लासीफाइड

मैं शौलता प्रसाद साहू पुत्र सुन्दरलाल, दिलकुमा गाईन, सरचेट क्वार्टर, कैंटोनमेंट, लखनऊ उ.प. 206002 मेरी पुत्री के स्कूल के दरतावेजों में नाम आकृती कुमारी अंकिता है अतः सही नाम आकृती कुमारी अंकिता है एवं मेरा नाम शौलता प्रसाद साहू है अतः सही नाम शौलता प्रसाद साहू है।

<b>सार्वजनिक सूचना</b> सर्व सहायकों को सूचित किया जाता है कि मेरी व्यक्तिगत श्रीमती अनु उपाध्याय, पत्नी श्री अशोक कुमार उपाध्याय, निवासी श्री- 275 , प्रीत विहार, दिल्ली-110092 , ने अपने पिता श्री सुरेश चन्द्र वर्मा, माता श्रीमती नंदा शर्मा, बड़ी बहन श्रीमती सन्ध्या शर्मा व सौमित्र भाइयार द्वारा लागूभार में हुए विवाह के वैवाहिक जीवन में हस्तक्षेप करने व मानविक रूप से परेशान करने की वजह से हर तरीके के रिश्ता खत्म कर दिया है। मेरी व्यक्तिगत के पिता श्री अशोक कुमार उपाध्याय व श्री मन्मथ विन्देश्वर कर दिए हैं। मेरी मुवबिकरण एवं उनके पति के नाम से इन लोगों के
--



# SBI भारतीय स्टेट बैंक, तनावग्रस्त आस्ति वसूली शाखा-II (51521)

तृतीय और चतुर्थ तल स्टेट बैंक हाऊस, 18/4, आर्या समाज रोड, करोल बाग, दिल्ली-110005, फोन नं. 011-28752163, फैक्स नं. 28755674 ईमेल : sbi.51521@sbi.co.in

**परिशिष्ट IV-क, (नियम 8(6) का परन्तुक देखें) चल/अचल सम्पत्ति के विक्रय हेतु विक्रय नोटिस**  
**ई-नीलामी दिनांक 20.09.2022 हेतु सूचना**

**प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के अधिनियम 2002 के परन्तुक के साथ पठित वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अधीन अचल सम्पत्ति को विक्रय हेतु ई-नीलामी विक्रय नोटिस**

आम जनता को और विशेष रूप से उधारकर्ता, बंधककर्ता और गारंटर्स को यह नोटिस दिया जाता है कि नीचे वर्णित चल/अचल सम्पत्तियों की धारा 13(4) जो प्रतिभूत लेनदार के पास गिरवी/प्रभारित है, का (सांकेतिक/भौतिक) कब्जा, प्रतिभूत लेनदार के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा लिया गया है, जो "जहां है, जैसा है" और जो कुछ भी है" के आधार पर निम्नवर्तित उधारकर्ता, गारंटर्स और बंधककर्ताओं को प्रत्याभूतदाता, से प्रतिभूत लेनदार भारतीय स्टेट बैंक की नीचे वर्णित रूप की बकाया राशि की वसूली हेतु दिनांक 20.09.2022 को बेचा जाएगा। आरक्षित मूल्य और अग्रिम धनराशि नीचे वर्णित रूप में होगी।

**सम्पत्ति के निरीक्षण की तिथि एवं समय: 18.09.2022 को पूर्वा. 11.00 बजे से अर्पा 03.00 बजे तक**

इच्छुक बोलीदाता ई-नीलामी बंद होने से पूर्व एम्पएसटीसी के पास प्री-बिड ईमेल की जमा कर सकते हैं। एम्पएसटीसी के बैंक खाते में भुगतान की प्राप्ति और ई-नीलामी वेबसाइट में इस तरह की जानकारी को अपडेट करने के बाद ही बोलीदाता को प्री-बिड ईमेल का फ़ीडबैक दिया जाएगा। बैंकिंग प्रक्रिया के अनुसार इसमें कुछ समय लग सकता है और इसलिए बोलीदाताओं को अपने हित में सलाह दी जाती है कि किसी भी अंतिम समय की समस्या से बचने के लिए बोली पूर्व ईमेल की राशि अग्रिम रूप से जमा करें।

**ई-नीलामी की तिथि व समय 20-09-2022 को पूर्वा. 11.00 बजे से अर्पाई 03.00 बजे तक 4 घंटे प्रत्येक 10 मिनट की अवधि के असीमित विस्तार के साथ**

क्र. सं.	कर्जदार(रों) / गारंटर(रों) का नाम	वसूली हेतु बकाया राशि जिसके लिए सम्पत्ति की बिक्री की जा रही है	सम्पत्ति(यों) का विवरण और टाइटिल डीड धारक का नाम	आरक्षित मूल्य (₹), जिससे कम में सम्पत्ति की बिक्री की जाएगी धरोहर राशि (ईएमडी) आरक्षित मूल्य का 10% बोली वृद्धि राशि	सम्पर्क हेतु नाम एवं मो.
1	मैसर्स ऑक्सीजन इन्फ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपर्स प्रा. लि., 2433, भूतल, तिलक गली, चूना मंडी, पहाड़गंज, दिल्ली-110055 गारंटर मनीषा गौर और पवन गौर, प्लेटे नं. ९-304, पार्थनाथ मेजोरिटेड, प्लॉट नंबर 18 ए, वैभव खंड, इंदिरापुरम, गाजियाबाद	₹ 71,49,040/- दिनांक 19.05.2016 तक और मविथ का ब्याज एवं अतिरिक्त प्रभार	रिहायशी प्लॉट नं. ९-304, तृतीय तल, ब्लॉक-ए, पर्वनाथ मेजोरिटेड, प्लॉट नं. 18ए, वैभव खंड, इंदिरापुरम, गाजियाबाद में स्थित, क्षेत्रफल 1396 वर्ग फीट, यह सम्पत्ति श्रीमती मनीषा गौर और पवन गौर के नाम पर है। (भौतिक कब्जा बैंक के पास है।)	₹ 78.43 लाख ₹ 7.84 लाख ₹ 1.00 लाख	श्री धीरज कुमार मो. 9560205656 श्री डिगम्बर एस बिन्द मो. 9971846693
2	मैसर्स अर्जुन ट्रेडर्स, ई-74, मनसा राम पार्क, उत्तम नगर, दिल्ली-110059 और मैसर्स विशाल ट्रेडर्स, ई-48/46ए भूतल, मनसा राम पार्क, उत्तम नगर, दिल्ली-110059	₹ 47.93 लाख (अर्जुन ट्रेडर्स) और ₹. 138.72 लाख (विशाल ट्रेडर्स) (दिनांक 31.03.2022) तक (कुल ₹. 186.65 लाख) और मविथ का ब्याज एवं प्रभार	भूमि एवं पवन प्लॉट नं. 45-46ए, ब्लॉक ई, मनसा राम पार्क उत्तम नगर, दिल्ली-110059 में स्थित, क्षेत्रफल 154.07 वर्ग गज (128.82 वर्ग मी.) 200. 00 वर्ग गज (167.00 वर्ग मी.) में से, यह सम्पत्ति श्रीमती हेमा सिंह पत्नी नेपाल सिंह के नाम पर है। (भौतिक कब्जा बैंक के पास है।)	₹ 142.28 लाख ₹ 14.23 लाख ₹ 1.00 लाख	श्री धीरज कुमार मो. 9560205656 श्री डिगम्बर एस बिन्द मो. 9971846693
3	मैसर्स डिजिटल इंटीग्रेटेड टेक्नोलॉजीज प्रा. लि., पंजीकृत कार्यालय ए42, सेक्टर 63, नोएडा, जिला जी बी नगर, सूची 201301 गारंटर: मैसर्स एस 3 सिनॉर्जी प्रा. लि., पंजीकृत कार्यालय: प्लॉट नं. 110, ज्ञान खंड -1, इंदिरापुरम, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश-201010	₹ 7,40,44,363/- दिनांक 06-08-2021 तक और मविथ का ब्याज एवं अतिरिक्त प्रभार	श्री होल्डर सम्पत्ति जोकि पॉकेट-ए, एफ, इंडीएन माल के पीछे, कौशाम्बी, तहसील और जिला गाजियाबाद में स्थित, यह सम्पत्ति मैसर्स एस 3 सिनॉर्जी प्रा. लि. के नाम पर है। क्षेत्रफल 854.36 वर्ग मी. (भौतिक कब्जा बैंक के पास है।)	₹ 880.00 लाख ₹ 88.00 लाख ₹ 1.00 लाख	श्री धीरज कुमार मो. 9560205656 श्री डिगम्बर एस बिन्द मो. 9971846693
4	मैसर्स सिंचल इंटरप्राइजेज (प्रोप्राइटर) श्री गौरव कुमार अग्रवाल पुत्र श्री प्रवेश कुमार अग्रवाल, निवासी: 127, भाई पांडेय, जिला हापुड़ - 245101 (यूपी), श्रीमती हेमलता और श्री प्रवेश कुमार अग्रवाल	कैश क्रेडिट ₹. 25.50 लाख दिनांक 06.02. 2019 तक और होम लोन ₹. 68.56 लाख दिनांक 04.09.2021 तक (कुल मविथ का ब्याज एवं अतिरिक्त प्रभार	रिहायशी मकान नं. 4, खसरा नं. 2688 और 2699 का हिस्सा, मोहल्ला रामगंज, जिला हापुड़ में स्थित, क्षेत्रफल 104.55 वर्ग मी., यह सम्पत्ति श्रीमती हेमलता के नाम पर है। चौकी: पूरव में - 18' चौड़ा, पश्चिम में - 18' चौड़ा, उत्तर में - श्री देवेन्द्र कुमार जगजी का प्लॉट नं. 5, दक्षिण में - प्लॉट नं. 3 (भौतिक कब्जा बैंक के पास है।)	₹ 77.75 लाख ₹ 7.80 लाख ₹ 0.10 लाख	श्रवण कुमार झा मो. 7408433898 आर के पोपली मो. 9891161345
5	श्री क्षितिज सरपाल पुत्र देवेंद्र सरपाल	₹ 29.86 लाख दिनांक 31-05-2020 तक और मविथ का ब्याज एवं अतिरिक्त प्रभार	रिहायशी सम्पत्ति मकान नं. 5-जे/27, नॉर्थ ईस्ट हिस्सा, द्वितीय तल, एनएच-5, एनआईटी, फरीदाबाद में स्थित, यह सम्पत्ति श्री क्षितिज सरपाल पुत्र देवेंद्र सरपाल के नाम पर है। (भौतिक कब्जा बैंक के पास है।)	₹ 29.07 लाख ₹ 2.91 लाख ₹ 0.10 लाख	श्रवण कुमार झा मो. 7408433898 आर के पोपली मो. 9891161345

खाता/वालेट जिसमें ईएमडी भेजी जाती है: मैसर्स एम्पएसटीसी लिमिटेड के साथ इस्वी ई-नीलामी साइट <https://www.mstcecommerce.com/auctionhome/ibapi/index.jsp> पर पंजीकृत बोलीदाताओं के निजी वालेट एनईएफटी के माध्यम से। बोलीदाताओं को सुरक्षित मूल्य की ईएमडी मैसर्स एम्पएसटीसी लिमिटेड की ई-नीलामी वेबसाइट <https://www.mstcecommerce.com/auctionhome/ibapi/index.jsp> पर इसके पास अनुरक्षित अपने बोलीदाता खाते पर जाकर चालान द्वारा अपने बैंक के एनईएफटी द्वारा अंतरित करनी होगी। किसी सहायता हेतु कृपया एम्पएसटीसी हेल्पडेस्क को नं. 033-40602403, 033-40609118, 033-40645316 पर तथा /अथवा प्राधिकृत अधिकारी (सम्पर्क हेतु व्यक्ति) को कॉल करें।

**ई-नीलामी के नियम एवं शर्तें निम्नानुसार हैं:**

- ई-नीलामी "जहां है, जैसा है, जो कुछ भी है के आधार पर" पर आयोजित की जा रही है तथा "ऑनलाइन" संचालित की जाएगी। नीलामी बैंक के अनुमोदित सेवा प्रदाता एम्पएसटीसी ई-कॉमर्स के माध्यम से उनके वेबपोर्टल <https://www.mstcecommerce.com/auctionhome/ibapi/index.jsp> पर संचालित की जाएगी।
- प्राधिकृत अधिकारी के संश्लेष ज्ञान और जानकारी के अनुसार, सम्पत्ति/यों पर कोई ऋणभार नहीं है। तथापि, इच्छुक बोलीदाताओं को ऋणभार, नीलामी में रखी गई सम्पत्ति के स्वामित्व तथा सम्पत्ति को प्रभावित करने वाले दावों/अधिकारों/ बकाया राशियों के संबंध में अपनी स्वयं स्वतंत्र जांच, अपनी बोली देने से पहले, कर लेनी चाहिए। ई-नीलामी विज्ञापन बैंक की कोई वचनबद्धता निर्मित नहीं करता है और न कोई वचनबद्धता या प्रतिनिधित्व करता समझा जाएगा। सम्पत्ति/यां, बैंक को ज्ञात और अज्ञात सम्पत्त विद्यमान और भावी ऋणभारों सहित बेची जा रही है। प्राधिकृत अधिकारी/ प्रत्यक्ष क्रेडिटर किसी तृतीय पक्ष दावों/अधिकारों/ देय राशियों के लिए जिम्मेदार नहीं होगा।
- सफल बोलीदाता की धरोहर राशि जमा (ईएमडी) बिक्री प्रतिक्रिया के अंश के रूप में रोक कर रखी जाएगी तथा असफल बोलीदाताओं की ईएमडी वापस कर दी जाएगी। धरोहर राशि जमा पर कोई ब्याज नहीं दिया जाएगा। सफल बोलीदाता को बिक्री मूल्य की 25 प्रतिशत राशि, प्राधिकृत अधिकारी द्वारा बोली मूल्य की मंजूरी पर तत्काल जमा करनी होगी तथा बिक्री मूल्य की शेष राशि बिक्री के 15वें दिन या उससे पहले जमा करनी होगी। सफल बोलीदाता द्वारा राशि जमा करने में बूक करने की स्थिति में पहले जमा की चुकी गई राशि जब कर ली जाएगी तथा सम्पत्ति की पुनः नीलामी की जाएगी और सम्पत्ति/राशि के संबंध में चुककर्ता बोलीदाता को कोई दावा/अधिकार नहीं होगा।
- बिक्री के विस्तृत नियम एवं शर्तों के लिए कृपया बैंक के सेवा प्रदाता के वेबपोर्टल <https://www.mstcecommerce.com/auctionhome/ibapi/index.jsp> तथा बैंक के पीएलए <https://www.sbi.co.in> पर उपलब्ध करवाया गया लिंक देखें।

दिनांक: 01-09-2022, स्थान: नई दिल्ली प्राधिकृत अधिकारी, भारतीय स्टेट बैंक, एसएआरबी-11, करोल बाग, (शाखा कोड 51521)

# SBI भारतीय स्टेट बैंक, तनावग्रस्त आस्ति वसूली शाखा-II

एचबीआई हाऊस, चौथा तल, 18/4, आर्या समाज रोड, करोल बाग, दिल्ली-110005, ईमेल : sbi.51521@sbi.co.in

**नियम-8 (1) प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के अंतर्गत कब्जा सूचना**

जबकि अयोधस्ताक्षरी ने वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण एवं प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 (2002 का 54) के तहत भारतीय स्टेट बैंक, 18/4, एचबीआई हाऊस, चौथा तल, आर्या समाज रोड, नई दिल्ली का प्राधिकृत अधिकारी होने के नाते तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(2) के तहत प्रस्तुत शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित कर्जदारों को निम्नलिखित दिनांकों को मांग नोटिस जारी किया था, जिसमें मांग नोटिस में लिखित बकाया राशि उक्त नोटिस की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के अन्दर भुगतान करने को कहा गया था।

उधारकर्ता/ गारंटर उक्त राशि का भुगतान करने में असफल हो गये हैं इसलिए एतद्वारा उधारकर्ता तथा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि अयोधस्ताक्षरी ने इसमें नीचे वर्णित सम्पत्तियों का कब्जा, उक्त अधिनियम की धारा 13 (4), उक्त नियमों के नियम 8 के साथ पठित के अधीन उन्हे प्रदत्त शक्तियों के इस्तेमाल के अंतर्गत निम्नलिखित दिनांकों को ले लिया है।

उधारकर्ताओं को विशेष रूप से और सर्वसाधारण को सामान्य रूप से चेतावनी दी जाती है कि वे निम्न सम्पत्तियों के साथ लेन-देन न करें तथा सम्पत्ति के साथ कोई भी लेन-देन भारतीय स्टेट बैंक, 18/4, एचबीआई हाऊस, चौथा तल, आर्या समाज रोड, नई दिल्ली के प्रभार वाले निम्नांकित बकाया राशि के अधीन होगा।

उधारकर्ताओं का ध्यान एक्ट की धारा 13 की उप धारा (8), के प्राक्चानों के अंतर्गत सुरक्षित परिसंपत्तियों के मुक्त करने हेतु उपलब्ध समय सीमा की ओर आकर्षित किया जाता है।

क्र. सं.	खाते / कर्जदार का नाम एवं पता	बंधक सम्पत्ति का विवरण	मांग सूचना की तारीख		बकाया राशि (धारा 13/2 नोटिस में उल्लिखित राशि)
			कब्जा सूचना की तारीख	प्रवर्तन सूचना की तारीख	
1	श्री किशन सिंह पुत्र श्री गोमुख सिंह (स्वाकर्ता), एच-22बी, नजफगढ़ रोड के पास, कुंवर सिंह नगर, नानौली, पश्चिमी दिल्ली, दिल्ली-110041। सी/ओ रिचो प्रा. लि., प्लॉट नं.-72 फेज-1, उद्योग विहार गुडगांव हरियाणा	एच-1404, एच-ब्लॉक, 13वां तल, टेरा एलिगंस अलवर एक्सप्रेस हाईवे नं. 25, मिनाड़ी अलवर राजस्थान-301019 में स्थित, यह सम्पत्ति श्री किशन सिंह पुत्र श्री गोमुख सिंह के नाम पर है।	19-07-2022 30-08-2022	30-08-2022	₹. 31,11,029.00 दिनांक 28. 03.2022 तक और संवित्दायक दर से उक्त राशि मविथ का ब्याज, लागत, प्रभार इत्यादि सहित
2	श्री प्रशांत कुमार पुत्र श्री रौतेंद्र कुमार सिंह (स्वाकर्ता), बी-163, भूतल तल, सेक्टर-22, नोएडा मंदर डेयरी आउटलेट के पास गीतमन्द नगर यु.पी. 201301, 130 शिव मंदिर गांव के पास-झुमड़ी पोस्ट-बलडीया, बामराही बांका विहार 813207 और नैस कोंपरेशन लि. बी-1/1-1, प्रथम तल, मोहन कोऑपरेटिव इंडस एस्टेट मेट्रो पिलर नं. - 335 के पास, दिल्ली-110044	जी-1508, टॉवर-जी, 14वीं मंजिल, टेरा एलिगंस, अलवर एक्सप्रेस हाईवे नंबर 25, मिनाड़ी राजस्थान में स्थित, यह सम्पत्ति श्री प्रशांत कुमार पुत्र श्री रौतेंद्र कुमार सिंह के नाम पर है।	28-03-2021 30-08-2022	30-08-2022	₹. 38,09,134.00 दिनांक 28. 03.2022 तक और संवित्दायक दर से उक्त राशि मविथ का ब्याज, लागत, प्रभार इत्यादि सहित

दिनांक: 30-08-2022, स्थान: नई दिल्ली हस्ता/— प्राधिकृत अधिकारी, भारतीय स्टेट बैंक

**पंजाब नैशनल बैंक** Punjab National Bank

पंजाब नैशनल बैंक (भारत सरकार का एक उपक्रम)

प्राधान कार्यालय: प्रभार एवं क्रेडिट सामग्री विभाग पहली मंजिल, सी-13, सेक्टर-1, नोएडा-201301 (उ.प्र.)

**95 GSM MICR पेपर के 2,50,000 KGs की खरीद के लिए ई-निविदा**

आई.बी.ए. अनुमोदित पेपर मिलों या उनके नामित वितरकों से खुली निविदाएं 95 जीएसएम. एन.आई.सी.ए. पेपर के 2,50,000 किलोग्रामों की खरीद के लिए बैंक के ई-प्रोक्वोरमेंट पोर्टल के माध्यम द्वारा आमंत्रित की जाती है।

अधिक जानकारी के लिए इच्छुक बोलीदाता निविदा दस्तावेज देख सकते हैं जिसे बैंक के ई-प्रोक्वोरमेंट पोर्टल <https://tender.pnbnet.in> या बैंक की वेबसाइट [www.pnbindia.in](http://www.pnbindia.in) से डाउनलोड किया जा सकता है।

दूरी पत्रक नेमन बैंक, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी डिपार्टमेंट, पहली मंजिल, सी-13 सेक्टर-1, नोएडा (एपी) से काम के घंटों के दौरान 03.09.2022 से 19.09.2022 तक किसी भी कार्य दिवस पर व्यक्तिगत रूप से भी प्राप्त किया जा सकता है।

बैंक के ई-प्रोक्वोरमेंट पोर्टल के माध्यम से ई-निविदा जमा करने की अंतिम तिथि 19.09.2022 अर्थात् 01.00 बजे तक है।

(मुख्य प्रबंधक)

**UNIMODE OVERSEAS LIMITED**

304A/III/107, III<sup>rd</sup> Floor, Ravinder Plaza, Abdul Aziz Road, Karol Bagh, New Delhi-110005  
 Email ID: unimodeoverseaslimited@gmail.com, Website: www.unimodeoverseas.in  
 CIN No. L51909DL1992PLC048444, TEL. NO. 011-43685156

**NOTICE OF 30<sup>th</sup> ANNUAL GENERAL MEETING**

Notice is hereby given that the 30<sup>th</sup> Annual General Meeting of M/s UNIMODE OVERSEAS LIMITED will be held on Friday, 30<sup>th</sup> September, 2022 at Ravinder Plaza, III Floor, Abdul Aziz Road, Karol Bagh, New Delhi-110005, at 2:30 P.M. through Remote e-voting facility.

Notice of 30<sup>th</sup> AGM together with the Annual Report of the Company for the financial year 2021-2022, will be sent electronic mode to those Members whose e-mail addresses are registered with the Company/ Depositories participants in terms of the circular issued by the MCA and SEBI. The said Notice and Annual Report are also being hosted in the Company's Website at <https://www.unimodeoverseas.in> and on website of e-voting Agency-NSDL at <http://www.evoting.nsdl.com>

In compliance with the provision of Section 108 of the Companies Act, 2013, rules made there under and Regulation 44 of the SEBI Listing Regulations, 2015, Members are provided with the facility to cast their vote electronically through remote e-voting services provided by NSDL on all resolutions set forth in the Notice of AGM.

The remote e-voting period begins on Tuesday, 27<sup>th</sup> September, 2022 (09:00 A.M.) and ends on Thursday, 29<sup>th</sup> September, 2022 (05:00 P.M.). The remote e-voting module shall be disabled by NSDL for voting thereafter.

The cut-off date to be eligible to vote by electronic means is Friday 23<sup>rd</sup> September, 2022. The share transfer books and Register of Members of the Company will remain close during the period from Saturday, 24<sup>th</sup> September, 2022 to Friday, 30<sup>th</sup> September, 2022 (Both day inclusive).

For UNIMODE OVERSEAS LIMITED  
 Sd/-  
 Place: New Delhi Bhuwan Singh Taragi  
 Date: 02.09.2022 Company Secretary & Compliance Officer

**"IMPORTANT"**

Whilst care is taken prior to acceptance of advertising copy, it is not possible to verify its contents. The Indian Express (P) Limited cannot be held responsible for such contents, nor for any loss or damage incurred as a result of transactions with companies, associations or individuals advertising in its newspapers or Publications. We therefore recommend that readers make necessary inquiries before sending any monies or entering into any agreements with advertisers or otherwise acting on an advertisement in any manner whatsoever.

**कोटला मुबारकपुर (डी-0973) शाखा**

139-ए, अर्जुन नगर, कोटला मुबारकपुर, नई दिल्ली-110003  
 फोन: 011-24657200/43860050, ईमेल: d0973@psb.co.in

**कब्जा सूचना**

जैसा कि, वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन (अधिनियम) 2002 के अंतर्गत पंजाब एंड सिंध बैंक, कोटला मुबारकपुर शाखा के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के [नियम 3] के साथ पठित धारा 13 (12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अयोधस्ताक्षरी ने मांग सूचना तिथि 09.04.2021 जारी कर ऋणधारक/गारंटर्स -1) श्री मदनलाल, पुत्र श्री सरमा राम, प्रॉप्राइटर : मै. प्रभान गार्मैन्ट्स, पता : 1581/13, 2 रा तल, गोविन्दपुरी, कालकाजी, नई दिल्ली-110019 (ऋणधारक) 2. स्व: श्रीमती जोगिन्दर कौर, पत्नी श्री मदन लाल (द्वारा कानूनी उत्तराधिकारियों) निवासी: 1581/13, 2 रा तल, गोविन्दपुरी, कालकाजी, नई दिल्ली-110019 (गारंटर) 3. श्री अजित कुमार, पुत्र सरमा राम, निवासी 1581/13, 2 रा तल, गोविन्दपुरी, कालकाजी, नई दिल्ली-110019 (गारंटर को उक्त) चूना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर सूचना में वर्णित राशि ₹. 16,66,080.79 (रु. सोलह लाख छियासठ हजार अस्सी एवं पैसे उन्मासी मात्र) वापस लौटाने का निर्देश दिया था।

ऋणधारक, इस राशि को वापस लौटाने में विफल रहे, अतः एतद्वारा ऋणधारक तथा आम जनता को सूचित किया जाता है कि आज, 1 सितंबर, 2022 को अयोधस्ताक्षरी ने उक्त निम्नलिखित के नियम के साथ पठित अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (4) के अंतर्गत उन्हे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अयोधस्ताक्षरी ने यहां नीचे वर्णित सम्पत्ति का कब्जा कर लिया है। विशेष रूप से ऋणधारक/गारंटर्स को एतद्वारा सतर्क किया जाता है कि वे यहां नीचे वर्णित सम्पत्ति का व्यवसाय न करें तथा इन सम्पत्तियों का किसी भी तरह का व्यवसाय 31.3.2021 की र. 16,66,080.79 तथा उस पर ब्याज के लिये पंजाब एंड सिंध बैंक, बीओ-कोटला मुबारकपुर के चार्ज के अधीन होगा।

ऋणधारक का ध्यान प्रतिभूत परिसंपत्तियों को विमोचित करने के लिये उपलब्ध समय के संदर्भ में अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (8) के प्राक्चानों के प्रति आकृष्ट की जाती है।

**अचल सम्पत्तियों का विवरण**

स्व. श्रीमती जोगिन्दर कौर के स्वामित्व में उप-रिजिस्ट्रार-V, दिल्ली के कार्यालय के अंतर्गत दरवाजे नं. 17615, बुक नं. 1, वॉल्यूम नं. 11595, पेज 151-157, तिथि 31.10.2011 के रूप में लिखित पंजीकृत एच. नं. 1581/13, 2 तल, गोविन्दपुरी, कालकाजी, नई दिल्ली-110019 में शामिल सम्पत्ति माप 100 वर्ग यार्ड्स का समी माग तथा हिस्सा।

तिथि : 01.09.2022 प्राधिकृत अधिकारी  
 स्थान : नई दिल्ली पंजाब एंड सिंध बैंक

**वी कांगड़ा को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड**

सी-29, कम्पोजी सेक्टर, पंचा रोड, जयपुर, नई दिल्ली-110058  
 फोन : 011-25611941, 25611942, 25611943, 25611944  
 ई-मेल: [lagal@kangrabank.com](mailto:lagal@kangrabank.com), [legal@kangrabank.com](mailto:legal@kangrabank.com) वेबसाइट: [www.kangrabank.com](http://www.kangrabank.com)

**परिशिष्ट IV (नियम 8(1) देखें) आधिपत्य सूचना (अचल संपत्ति हेतु)**

जबकि, अयोधस्ताक्षरता ने "वी कांगड़ा को-ऑपरेटिव बैंक लि." प्रथम कार्यालय सी-29, सामुदायिक केंद्र, पंचा रोड, जयपुर, नई दिल्ली-110058 में, जिसका पंजीकृत कार्यालय 1916, चूना मंडी, पहाड़ गंज, नई दिल्ली-110055 में स्थित है, के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 (2002 का 54) के अंतर्गत एवं प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम (8) के साथ पठित वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण के प्रयोगांगत, बैंक ने एक मांग सूचना दिनांकित 04.02.2019 निर्गत की थी, जिसमें उधारकर्ता की पत्नी श्री शर्मा पुत्र स्वामी मरत राम शर्मा निवासी ए-2/128-ए, भूतल, लॉरेस रोड, दिल्ली-110035, यहां पर श्री श्री राजीव शर्मा पुत्र स्वामी मरत राम शर्मा द्वारा शिव श्रेय टूर एंड ट्रेवल, दूकान नं. 101, आवासीय मॉडर्न बाजार, लॉरेस रोड, दिल्ली-110035 को मालिकता एवं जमानदार श्रीमती ज्योति शर्मा पत्नी श्री राजीव शर्मा निवासी ए-2/128-ए, भूतल, लॉरेस रोड, दिल्ली-110035 को भी सूचना में उल्लिखित राशि ₹. 42,16,101/- (रुपए ब्यासिस लाख सोलह हजार एक सौ एक मात्र) का, सूचना की तिथि से लेकर के भुगतान की तिथि तक समय-समय पर इस ऋण खाता हेतु लाल अनुसारा अंतर प्राधिकृत ब्याज एवं अन्य शुल्कों के साथ, उक्त सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के अंदर प्रतिभूतगान करने को कहा गया था।

उपर वर्णित उधारकर्ता, बंधककर्ता एवं जमानदार राशि का प्रतिभूतगान करने में विफल हो चुके हैं, अतएव एतद्वारा उधारकर्ता नामित उधारकर्ता, बंधककर्ता, जमानदार को तथा जमानदार को सूचित किया जाता है कि बैंक ने यहां शर्मा निम्न लिखित संपत्ति का, प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम (8) के साथ पठित वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 13 की उप-धारा (4) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों के प्रयोगांगत, 31 अगस्त 2022 को, मौखिक आधिपत्य ग्रहण कर लिया है।

उधारकर्ता, बंधककर्ता, जमानदार को विशेष रूप में तथा जमानदार को एतद्वारा सामान्य रूप से सावधान किया जाता है कि बंधककृत संपत्ति का लेन-देन न करें तथा संपत्ति का कोई व बिक्री भी न करें का लेन-देन, ₹. 42,16,101/- की एक राशि का, सूचना की तिथि से लेकर के वसूलीकरण की तिथि तक समय-समय पर इस ऋण खाता हेतु लाल अनुसारा मांगी ब्याज, दांडिक ब्याज एवं अन्य शुल्कों के साथ, और उक्त राशि की वसूली करने में बैंक द्वारा उपगत समस्त लागतों हेतु "वी कांगड़ा को-ऑपरेटिव बैंक लि." के प्रभारभी होगा।

उधारकर्ता, बंधककर्ता एवं जमानदार का ध्यान/कानूनि निम्न वर्णित बंधककृत संपत्ति/प्रतिभूत परिसंपत्ति के मोनार्थ उपलब्ध समय के संदर्भ में वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 13 की उप-धारा (8) के प्राक्चानों की ओर भी आमंत्रित किया जाता है।

**संपत्ति का विवरण**

विद्यार्थी आस्ति/ आधिपत्य सूचना/ आधिपत्य सूचना की तिथि से 18.9.2022 तक और संवित्दायक दर से उक्त राशि मविथ का ब्याज, लागत, प्रभार इत्यादि सहित

दिनांक: 31.08.2022 प्राधिकृत अधिकारी, कोटला मुबारकपुर शाखा, कोटला मुबारकपुर, नई दिल्ली-88

**पंजाब नैशनल बैंक** Punjab National Bank

...रुको के प्राधिकृत (A GOVERNMENT OF INDIA UNDERTAKING) ...the name you can BANK upon!

**सर्किल सचिव केंद्र, पूर्वी दिल्ली, पॉकेट-ई, मंगू विहार, फेज-11, दिल्ली-110001**  
 ई-मेल: [cs8075@pnb.co.in](mailto:cs8075@pnb.co.in), फोन नंबर (कार्या): 011-22778758,22785289

**कब्जा सूचना (अचल संपत्ति के लिए)**

जबकि, अयोधस्ताक्षरता वित्तीय संघर्षों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित अधिनियम, 2002 के तहत पंजाब नैशनल बैंक, सर्किल सचिव केंद्र पूर्वी दिल्ली, पॉकेट-ई, मंगू विहार, फेज-11, दिल्ली के अधिकृत अधिकारी होने के नाते, और प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(2) के तहत प्रस्तुत शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिनांक 05.01.2021 को एक मांग नोटिस जारी किया जिसमें मैसर्स गोतम केमिस्टल कंपनी (उधारकर्ता), कार्यालय ब्लॉक-33, सीसी कॉलोनी, आर.पी. बाग, दिल्ली-110007, श्रीमती मीना छाबड़ा पत्नी श्री निरीश छाबड़ा (मालिक), निवासी सी-33, सीसी कॉलोनी, आर.पी. बाग, दिल्ली-110007, यहां भी-7966, श्यामदेव दौलतपुर, दिल्ली-110007, यहां भी- 27 ए/2, एम.आई.ई., बसुंदरपुर, आंध्र, हरियाणा-124507, श्री गौतम छाबड़ा पुत्र निरीश छाबड़ा (गारंटर सह बंधक), निवासी सी-33, सीसी कॉलोनी, आर.पी. बाग, दिल्ली-110007 के अनुसार नोटिस में उल्लिखित राशि ₹.8187003.95 (रुपये इक्यासी लाख सत्तासी हजार तीन और पैंसठ पैसे मात्र), जो कि 30.06.2022 की तिथि के अनुसार र. 11954611.95 (रुपये एक करोड़ उन्नीस लाख चौवन हजार छह सौ ग्यारह और पंचावने पैंसा मात्र ) और उस पर अतिरिक्त ब्याज, खर्च और अन्य शुल्क आदि के साथ नोटिस की तिथि तक लेन-देन पंजाब नैशनल बैंक, सर्किल सचिव केंद्र पूर्वी दिल्ली, सीएससी, पहली मंजिल, पॉकेट-ई, मंगू विहार, फेज-11, दिल्ली की 11.02.2020 के अनुसार र. 8187003.95 (रुपये इक्यासी लाख सत्तासी हजार तीन और पैंसठ पैसे मात्र) , जो कि 30.06.2022 की तिथि के अनुसार र. 11954611.95 (रुपये एक करोड़ उन्नीस लाख चौवन हजार छह सौ ग्यारह और पंचावने पैंसा मात्र ) और उस पर अतिरिक्त ब्याज, खर्च और अन्य शुल्क आदि प्रभार के अधीन होगा।

**अचल संपत्ति का विवरण**

श्री गौतम छाबड़ा पुत्र श्री निरीश छाबड़ा (गारंटर) के नाम पर दिल्ली राज्य सरकार कर्मचारी सहकारी हाउस बिल्डिंग सोसाइटी लिमिटेड, सीसी कॉलोनी, सामने रामा प्रताप बाग, दिल्ली-110007 में स्थित श्री होल्डर संघर्षा डी 33, माफेक्टर 200 वर्ग गज की छत के बिना दूरी दूसरी



**दिल्ली जल बोर्ड: रा.रा. क्षेत्र दिल्ली सरकार**  
 कार्यालय: एसीई (डीआर) परि-III, द्वारा कार्यालयक अभियंता (सी) डीआर-VIII  
 यमुना विहार सौवैज प्रोशन संवर्ध (डा. अम्बेदकर कॉलेज के समीप), दिल्ली-110094  
 फोन: 011-22813593, ईमेल: eecedr8@gmail.com

**प्रेस एनआईटी सं. 08 (2022-23), ईईसी डीआर-VIII**

क्रम सं.	कार्य का विवरण	अनुमानित अनुबंध मूल्य (इंजीनी/निविदा राशि) (₹.क.)	योजना सं. (इंजीनी/निविदा) (₹.क.)	निविदा तिथि (₹.क.)	निविदा जारी की तिथि/निविदा अंतिम तिथि	ई-प्रमाण संचालन के माध्यम से निविदा प्रारंभ की तिथि/निविदा अंतिम तिथि/समय
1.	महोदय जेल दिल्ली के निजक वकीलवार रोड से लगे इडिफिन अचल कर्मचारी के इलेक्ट्रिक पम्प के समीप एवं विहार में 3.85 एम्पकीटी इन्सुलेशन के पत्रो और कारखाना वाला का निर्माण।	54224214/-	108500/-	1000/-	2022_DJB 228669-1 दिनि 2.9.2022	23.9.2022 के 3.00 बजे

इस संदर्भ में अधिक विवरण वेबसाइट <https://govtprocurement.delhi.gov.in> पर देखें।  
 पी.आर.ओ. (जल) द्वारा जारी  
 विज्ञा. सं. जे.एन.सी. 318 (2022-23)  
 "कोरोना रोकें; मारक पहने; शारीरिक दूरी का पालन करें; हाथों को स्वच्छ रखें"

### महाराष्ट्र के तारापुर में परमाणु संयंत्र पर तैनात सीआइएसएफ जवान लापता

पालघर, 2 सितंबर (भाषा)। महाराष्ट्र में पालघर जिले के तारापुर में परमाणु विद्युत संयंत्र में तैनात केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआइएसएफ) के एक जवान लापता होने की जानकारी मिली है। एक पुलिस अधिकारी ने शुक्रवार को बताया कि जवान मनोज यादव के लापता होने को लेकर गुरुवार को पालघर थाने में गुमशुदगी शिकायत दर्ज कराई गई। उन्होंने बताया कि यादव हाफपल और 30 कारतूस के साथ लापता हैं। उन्होंने कहा कि कालोनी में यादव अकेले रहते थे और अन्य कर्मियों को लगा कि कुछ समय बाद वह लौट आएंगे लेकिन नहीं लौटे।

### आग लगने की घटनाओं के बाद ई-वाहन बैटरी प्रावधान बदलेगे

जनसत्ता ब्यूरो नई दिल्ली, 2 सितंबर। देश में इलेक्ट्रिक वाहनों (ई वाहन) में बार बार हो रही आग लगने की घटनाओं के बाद केंद्र सरकार ने वाहनों में प्रयुक्त होने वाली बैटरी के प्रावधान बदलने का निर्णय लिया है। प्रावधानों में बदलाव इस मामले में बनी विशेष समिति की सिफारिश के आधार पर किया जा रहा है और इस प्रावधानों के माध्यम से केंद्र सरकार ने प्रयोग की जा रही बैटरी की क्षमता बढ़ाने की पहल की है। इसके लिए सड़क और परिवहन मंत्रालय ने एक प्रारूप तैयार किया गया है और आम जनता से सुझाव मांगे हैं। ई वाहनों में इस साल की शुरुआत में ही बड़ी संख्या में आग लगने के मामले सामने आए थे और गर्मियों बढ़ने के साथ इन मामलों की संख्या भी बढ़ गई थी। इसके बाद केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्रालय ने एक विशेष समिति का गठन किया था। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने यह समिति टाटा नरसिंह राव (निदेशक, एआरसी, हैदराबाद) की अध्यक्षता में बनाई थी। समिति की रिपोर्ट के बाद ही केंद्र सरकार ने बैटरी संबंधी मौजूदा नियमों में बदलाव का प्रारूप तैयार किया है। विशेषज्ञ समिति ने एक अक्टूबर, 2022 से नए बैटरी प्रावधान लागू करने की सिफारिश की है। संशोधनों में बैटरी सेल, बीएमएस, आन-बोर्ड चार्जर, बैटरी पैक का प्रारूप, आंतरिक सेल में शार्ट सर्किट से आग लगने के कारण थर्मल प्रसार आदि से संबंधित अतिरिक्त सुरक्षा आवश्यकताएं शामिल हैं। बताया जा रहा है कि एल श्रेणी (चार पहियों से कम वाले मोटर वाहन) के मोटर वाहनों की अपनी विशिष्ट आवश्यकताएं हैं। साथ ही एम श्रेणी (यात्रियों को ले जाने वाली कम से कम चार पहिया मोटर गाड़ी) और एम श्रेणी (माल ढोने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला कम से कम चार पहियों वाला मोटर वाहन, जो माल के अलावा लोगों को भी ले जा सकता है) के मोटर वाहनों की अलग आवश्यकताएं होती हैं। इसलिए बैटरी प्रावधानों में संशोधन किया जा रहा है।

**SBI भारतीय स्टेट बैंक** तनावकहस्त आस्टिस वसूली शाखा-11  
 एसबीआई हाऊस, चौथा तल, 18/4, आर्या समाज रोड, करोल बाग, दिल्ली-110005, ईमेल: [sbi.51521@sbi.co.in](mailto:sbi.51521@sbi.co.in)

श्री रेशम सिंह पुत्र श्री मनबीर सिंह, प्लैट सी-359, कारगिल वीर आवास अपार्टमेंट, सेक्टर-18ए, द्वारका, नई दिल्ली-110075  
 श्री रेशम सिंह (प्रोपराईटर), मैसर्स लैक्रेस इंटर वर्ल्ड, के-266, साइट-बी, यूपीएसआईडीसी इंडस्ट्रियल एरिया, कासना, ग्रेटर नोएडा-201310  
 श्री रेशम सिंह पुत्र श्री मनबीर सिंह, बी-401, उपकारी अपार्टमेंट, प्लॉट नं. 09, सेक्टर-12, द्वारका, नई दिल्ली-110078

विषय: गिरवी रखे हुए प्लैट से घरेलू सामान हटाने के लिए नोटिस  
 यह सूचित किया जाता है कि बैंक ने सीएमएम आदेश, द्वारका कोर्ट, दिनांक 27.07.2022 के अनुसार 25.08.2022 को बंधक रखी गई संपत्ति (प्लैट सी-359, कारगिल वीर आवास अपार्टमेंट, सेक्टर-18ए, द्वारका, नई दिल्ली) का भौतिक कब्जा ले लिया है। उक्त बंधक सम्पत्ति में उपरोक्त ऋणी का घरेलू सामान नहीं हटाया गया जबकि कब्जे की कार्यवाही की पूर्व सूचना दी गयी थी। अतः उपरोक्त ऋणी को यह निर्देशित किया जाता है कि अपना उपरोक्त सामान बंधक सम्पत्ति से 7 दिवस के अंतर्गत उपयुक्त खर्चें भरने के पश्चात हटा लें अन्यथा इसे कोर्ट के अंतर्गत उपयुक्त निस्तारण किया जायेगा तथा इसके खर्चों की वसूली उपरोक्त ऋणी से की जाएगी।

दिनांक 02-09-2022, स्थान: नई दिल्ली  
 हस्ता/— प्राधिकृत अधिकारी, भारतीय स्टेट बैंक

**पंजाब नैशनल बैंक Punjab National Bank**  
 ...भरोसे का प्रतीक! ...the name you can BANK upon!

**मण्डल सत्रा केन्द्र, मण्डल कार्यालय लखनऊ**  
 (पीएचबी आईटी), प्रथम तल, राम मनोहर लोहिया अस्पताल के सामने, विभूति बिल्डिंग, गोमती नगर, लखनऊ-226010 ईमेल: [cs8272@pnbc.co.in](mailto:cs8272@pnbc.co.in)

**वित्तीय अस्तित्व का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम-2002(संशुद्धि एक्ट 2002) का प्रवर्तन मांग नोटिस**  
 आप सभी निम्नलिखित पार्टियों को एतद्वारा आहोदस्ताक्षरी सूचित करता है कि आप सभी के खिलाफ बैंक ने वित्तीय अस्तित्व का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अन्तर्गत कार्रवाई प्रारम्भ करने हुए एक्ट की धारा 13 (2) के अन्तर्गत आप सभी को अलग-अलग रजिस्ट्रार सदर द्वारा नीचे बर्णित विधियों को नोटिस भेजी गई थी जोकि बगैर ताम्गिनी हुए वापस आ गई है। इसलिए आप सभी को एतद्वारा सूचित किया जाता है कि इन नोटिस के 60 दिन के अन्दर आप संलग्न / प्रेषक रूप से बकाया राशि अदा कर दें अन्यथा बैंक बहुत बड़े की धारा 13 (4) के अन्तर्गत निम्नलिखित सम्पत्तियों के प्रति बकाया राशि मध्य खातों व एक्ट के अन्तर्गत अपेक्षित लागत की वसूली के लिए कार्यवाही शुरू कर देगा। यह कठना आवश्यक नहीं है कि बैंक के पास और कोई उपाय न होने के कारण यह सूचना बहर किसी पूर्वाग्रह के जारी की जा रही है। ऋणियों, गारन्टरों, बन्धककर्ताओं तथा जनसाधारण को आगाह किया जाता है कि निम्नलिखित सम्पत्तियों के प्रति कोई संव्यवहार न करें और इन सम्पत्तियों के प्रति किये गये संव्यवहार पर यदि कोई कार्य होता है, तो ब्याज सहित बैंक को बकाया राशि हेतु पहला अधिकार पंजाब नेशनल बैंक का होगा।

खाता/कार्यकारी/पुनर्गठनकर्ता का नाम एवं पता	बंधक सम्पत्ति का विवरण	मांग सूचना की तिथि	नोटिस की रचना(%)
चक्रवर्ती/जमानतकर्ता/बंधककर्ता-श्रीमती संगीता शर्मा पत्नी श्री प्रदीप शर्मा, द्वारा इनके (स्वामित्व संगीता शर्मा पत्नी श्री प्रदीप शर्मा) को कानूनी उपरोक्तिका 1. श्री श्याम, 2. श्री अरुण दोनों निवासी: (1) प्लैट नंबर 3 म नं. 15, तृतीय तल गुडगाँव परियोजना निवासी लखनऊ 226004। (2) निवासी: मकान नं. 13/1/16 सेक्टर-13 विकास नगर लखनऊ (3) ईडी सेक्टर-ए-35 कपूरथला अलीगंज लखनऊ। जमानतकर्ता-श्री अशोक कुमार त्रिपाठी निवासी डी-1/248, सेक्टर-एफ रिंग रोड निकट इंडीजीनियरिंग कॉलेज जानकीपुरम लखनऊ। खाता संख्या 873500N00000077 और 87350090000000025 शाखा: माला चौड़ा, लखनऊ (873500)	सभी मांग हुए हिस्सों सहित मकान नं.-13/1/16, सेक्टर-13 विकास नगर लखनऊ क्षेत्र 167.62 वर्गमीटर जोकि श्रीमती संगीता शर्मा के नाम पर है। विलेख के अनुसार चौदहवीं: उत्तर-मकान सं.- 13/1/15, पश्चिम-मकान सं.- 13/1/17 पूर्व-मकान सं.- 13/1/30, पश्चिम-16 मीटर चौड़ी सड़क	02-08-2022	दि. 31.07.2022 को ₹. 20,78,225.00 (स्वयं बैंक लाल अडाखत हज़ार से ली पश्चिम ब्याज सहित अन्य एवं अन्य खर्च)

आप को महतब हो सकती है कि (1) मूल नोटिस/लिखावा जो आपको सम्बोधित है तथा डाक अधिकारियों द्वारा वापस को गई है, जो शाखा से प्राप्त कर एवं (2) संशुद्धि एक्ट 2002 के अन्तर्गत कार्यवाही से बचने के लिए नोटिस जारी होने की तिथि से 60 दिनों के भीतर सम्पूर्ण बकाया धाराशेषी ब्याज एवं अन्य खर्चें सहित का भुगतान कर दें।  
 दिनांक 02.09.2022, स्थान: लखनऊ प्राधिकृत अधिकारी

**पंजाब नैशनल बैंक Punjab National Bank**  
 ...भरोसे का प्रतीक! ...the name you can BANK upon!

**सख सेक्टर, क्षेत्रीय कार्यालय: बरेली**  
 पी-18/बी, प्रथम तल, डी.डी. पुरम, बरेली  
 Ph: 0581-2520446 (Fax)  
 E-mail: [cs8194@pnbc.co.in](mailto:cs8194@pnbc.co.in)

**कब्जा धारण की सूचना**  
 अधोहस्ताक्षरी जो कि पंजाब नेशनल बैंक ने सफरसी एक्ट 2002 के अंतर्गत प्राप्ति त अधिकारी ने है धारा 13(2) जिसे सिक्योरिटी इंडेस्ट्र (इंफोर्समेंट) नियम 2002 के साथ पढ़ा जाये, में प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए मांग सूचना जारी की थी तथा ऋणी को मांग सूचना में उल्लिखित धनराशि जिसका विवरण नीचे दिया गया है का भुगतान नोटिस को दिनांक सूचना प्राप्त के 60 दिनों के भीतर करने को कहा गया था भुगतान करने में असमर्थ रहने के कारण ऋणी/मोटोजर तथा सामान्य जनता को सूचना दी जाती है कि अधोहस्ताक्षरी ने उपरोक्त एक्ट की धारा 13 (4) जिसे इंफोर्समेंट नियम 8 के साथ पढ़ा जाये में प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए निम्न वर्णित सम्पत्तियों का कब्जा दिनांक 27, 28 अप्रैल एवं 2 मई 2022 को प्राप्त कर लिया है ऋणी व मोटोजर को विशिष्ट रूप से तथा सामान्य रूप से सतर्क किया जाता है कि निम्न सम्पत्तियों का सौदा न करें तथा सम्पत्ति के साथ किसी भी प्रकार का व्यवहार/लेन-देन पंजाब नेशनल बैंक की सम्बन्धित शाखा की ऋण राशि, ब्याज एवं अन्य व्यय को भार के आधीन होगा। जिन सम्पत्तियों पर कब्जा किया गया उनका विवरण इस प्रकार है।

क्र. सं.	ऋणी खाते का नाम व पता गारन्टर का नाम व पता शाखा का नाम	धारा 13 (2) के अंतर्गत बकाया राशि एवं मांग सूचना दिनांक	गिरवी रखी अचल सम्पत्तियों का विवरण
1.	ऋणी: श्री यशदीप पाण्डेय पुत्र श्री रविचन्द्र पाण्डेय एवं श्रीमती मिथिलेश पाण्डेय पत्नी श्री रविचन्द्र पाण्डेय गारन्टर: श्री धर्मन मौर्य पुत्र श्री सोनपाल मौर्य पीएनबी, घूरान तलेय्या, शाहजहाँपुर	रु. 35,12,369/- + दिनांक 01.05.2022 से ब्याज एवं अन्य खर्चें सूचना दिनांक 25.05.2022 एवं प्रतिकात्मक दिनांक 01.09.2022	आवासीय मकान के साम्यिक बन्धक गाटा सं. 28 क्षेत्रफल 92.94 वर्ग मी. श्री यशदीप पाण्डेय पुत्र श्री रविचन्द्र पाण्डेय के नाम स्थित ग्राम चिनौर, पर. व तह. सदर जिला, शाहजहाँपुर विक्की विलेख के अनुसार बुक सं. 01, बाल्यू सं. 10060, पेज नं. 325 से 368, क्रम सं. 4676, दिनांक 27.04.2016 को उप रजिस्ट्रार सदर से पंजीकृत चौहदद्वी: पूरब - नव खरीददार राजेश वर्मा, पश्चिम - शोप आराजी विक्रेता, उत्तर- रास्ता कच्चा 18फिट चौड़ा, दक्षिण - रास्ता कच्चा 18फिट चौड़ा
2.	ऋणी: मैसर्स अमन ट्रेडर्स प्रोपराइटर: श्री अशरफ अली पुत्र श्री अख्तर अली गारन्टर: श्री अख्तर अली पुत्र श्री अहमद अली, श्री मो. सलीम पुत्र श्री इकरार अहमद एवं श्री मो. कलीम पुत्र श्री नसीम पीएनबी, घूरान तलेय्या, शाहजहाँपुर	रु.35,14,593.42/- + दिनांक 01.05.2022 से ब्याज एवं अन्य खर्चें सूचना दिनांक 26.05.2022 एवं प्रतिकात्मक दिनांक 01.09.2022	1. आवासीय प्लाट के साम्यिक बन्धक क्षेत्रफल 278.32 वर्ग मी. श्री अशरफ अली पुत्र श्री अख्तर अली के नाम स्थित ग्राम नागिया बहाव पर. व तह. सदर, जिला शाहजहाँपुर विक्की विलेख के अनुसार बुक सं. 01, खण्ड सं. 9731, पेज नं. 69 से 104, क्रम सं. 13828, दिनांक 26.10.2015 को उप रजिस्ट्रार सदर से पंजीकृत चौहदद्वी: पूरब - (बिक्री हुई) आराजी आसिफ खान वाली, पश्चिम - (बिक्री हुई) आराजी आसिफ खान वाली, उत्तर- (बिक्री हुई) आराजी आसिफ खान वाली, दक्षिण - कच्चा रास्ता 2. आवासीय प्लाट के साम्यिक बन्धक क्षेत्रफल 190.64 वर्ग मी. श्री अख्तर अली पुत्र श्री अहमद अली के नाम स्थित जई जलालनगर, तह. सदर, जिला शाहजहाँपुर विक्की विलेख के अनुसार बुक सं. 01, खण्ड सं. 3335, पेज नं. 257 से 270, क्रम सं. 2977, दिनांक 01.05.2004 को उप रजिस्ट्रार सदर से पंजीकृत चौहदद्वी: पूरब - नत्थू खान का मकान, पश्चिम - आराजी एवं हिगू खान का मकान, उत्तर-खण्डजा रास्ता, दक्षिण - मकान एवं आराजी रामभुवन 3. आवासीय सम्पत्ति के साम्यिक बन्धक खसरा सं. 467 का भाग क्षेत्रफल 98.14 वर्ग मी. श्री मो. कलीम पुत्र श्री मो. नसीम एवं श्री मो. सलीम पुत्र श्री इकरार अहमद के नाम स्थित ग्राम सतवान बुजुर्ग पर. व तह. सदर, जिला शाहजहाँपुर विक्की विलेख के अनुसार बुक सं. 01, खण्ड सं. 8658, पेज नं. 87 से 110, क्रम सं. 2672, दिनांक 26.02.2014 को उप रजिस्ट्रार सदर से पंजीकृत चौहदद्वी: पूरब - प्रसादी एवं अन्य का मकान, पश्चिम - 20फिट कच्चा रास्ता, उत्तर- आराजी सईद खान, दक्षिण - आराजी सईद खान
4.	ऋणी: मैसर्स स्काई प्रिन्टर्स प्रोपराइटर/बन्धककर्ता: श्री फहीम अहमद पुत्र श्री नईम अहमद गारन्टर: श्री मो. असलम पुत्र श्री इमरान अली, श्री बजरंग लाल जोगिंडू पुत्र श्री सिद्धी करन जोगिंडू, श्री निशाहत अहमद पुत्र श्री नईम अहमद पीएनबी, शाहजहाँपुर (यूपी).	रु.14,92,364.50/- + दिनांक 01.02.2022 से ब्याज एवं अन्य खर्चें सूचना दिनांक 07.02.2022 एवं प्रतिकात्मक दिनांक 31.08.2022	आवासीय मकान/प्लाट के साम्यिक बन्धक क्षेत्रफल 152.54 वर्ग मी. श्री फहीम अहमद पुत्र नईम अहमद के नाम स्थित मोहल्ला सिंजई, तह. सदर, जिला शाहजहाँपुर विक्की विलेख के अनुसार बुक सं. 01, जिल्द सं. 7693, पेज नं. 93 से 130, क्रम सं. 9108, दिनांक 22.08.2012 को उप रजिस्ट्रार सदर, शाहजहाँपुर से पंजीकृत चौहदद्वी: पूरब - नाले के बाद पक्का रास्ता, पश्चिम - वारिसान अमीर हसन का मकान, उत्तर- नत्थू वाला का मकान एवं हवलदार पाल एवं रमेश पाल, दक्षिण - वारिसान हरद्वारी लाल का मकान एवं हवलदार आदि

नोट: किसी भी प्रकार की त्रुटि के लिए अंग्रेजी में प्रकाशित अंग्रेजी के विज्ञापन को वरीयता दी जायेगी  
 दिनांक: 3.09.2022 स्थान: बरेली प्राधिकृत अधिकारी

**केनरा बैंक Canara Bank**  
 ...भरोसे का प्रतीक! ...the name you can BANK upon!

पी-34, 3रा तल, हीरोए प्रॉपिय कॉम्प्लेक्स, मूलचन्द अस्पताल के सामने, लाजपत नगर, दिल्ली-24  
 ई-मेल: [cb19208@canarabank.com](mailto:cb19208@canarabank.com)  
 दूरभाष: 011-79674647

**बिक्री सूचना**  
 प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 8(6) के प्रावधानों के साथ पठित वित्तीय परिस्थितियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अंतर्गत अचल सम्पत्तियों की बिक्री के लिए ई-नीलामी बिक्री सूचना एतद्वारा आम जनता तथा विवेक रूप से ऋणधारक(कों) तथा गारन्टर(रों) को सूचित किया जाता है कि प्रतिभूति क्रेडिटर के पास गिरवी रखी गई/बन्धक नीचे वर्णित अचल सम्पत्ति जिसका केनरा बैंक की दयावशकत अर्थात् प्रवर्तन (शेष) शाखा, सी-34, 3रा तल, डीडीए ऑफिस-सह-श्रीमती कर्मलेश, मूलचन्द अस्पताल के सामने, नई दिल्ली-1100024 के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा भौतिक कब्जा किया गया है, केनरा बैंक को सेंम शाखा के मैसर्स युनाइटेड कोल्ड चैन एण्ड फूड प्रोसेसिंग लिमिटेड, पंजीकृत कार्यालय: सी-88, न्यू फूट मार्केट, आजापुरा, दिल्ली-110033, जमानत: श्री अभिनव वर्मा, श्री प्रदीप वर्मा, श्रीमती ज्योति वर्मा से मैसर्स युनाइटेड कोल्ड चैन एण्ड फूड प्रोसेसिंग लिमिटेड को स्वयंक्रत ब्याज रु. 104,36,83,439 (रुपये एक ली चार करोड़ छहस लाख सित्तरा हजार चार सौ उन्नालीस मात्र) तथा 01.10.2017 से ब्याज एवं लागतों की वसूली के लिये 27.09.2022 को "बैंस है जई है।" "सी भी बैंस है।" तथा "जे कुछ भी चाहूँ है।" आधार पर बिक्री की जायेगी।

1. ज्ञात ऋणधार, यदि कोई, सहित अचल सम्पत्ति का विवरण तथा पूर्ण माली: औद्योगिक सम्पत्ति फ्लॉट सं. 95/14 एवं 17, जंती कुलान रोड, ग्राम कुंडली, सोनीपत (हरियाणा) के क्षेत्र में स्थित, माप 8468.17 वर्ग गज, मैसर्स युनाइटेड कोल्ड चैन एण्ड फूड प्रोसेसिंग के नाम पर।  
 संचर्दी: पूर्व: अन्य खाली प्लॉट, उत्तर: मैसर्स ओसराम साइट फेक्ट्री सम्पत्ति का आंशिक मूल्य रु. 25,00,00,000/- (एक सौ पच्चीस करोड़ मात्र) तथा मध्य भरोहर राशि रु. 2,50,00,000/- (रुपये दो करोड़ पचास लाख मात्र) होगी।  
 बैंक की जानकारी के अनुसार उपर्युक्त सम्पत्ति पर कोई ऋणधार नहीं है।  
 स्थानीय स्वशासन का बकाया देय (सम्पत्ति कर, पानी सौकरेंज, बिजली बिल आदि: बैंक के संज्ञान में नहीं)  
 2. संयंत्र तथा मशीनों का पूर्ण विवरण: फ्लॉट सं. 95/14 एवं 17(6-13), जंती कुलान रोड, ग्राम कुंडली, सोनीपत (हरियाणा) के क्षेत्र में स्थित भूमि पर संयंत्र तथा मशीनें, माप 8468.17 वर्ग गज, मैसर्स युनाइटेड कोल्ड चैन एण्ड फूड प्रोसेसिंग के नाम पर।  
 मशीनों के लिये आंशिक मूल्य रु. 83,00,000/- (रुपये तिरासी लाख मात्र) तथा धरोहर राशि मुमानत रु. 8,30,00,000/- (रुपये आठ लाख तीस हजार मात्र) है।  
 बैंक की जानकारी के अनुसार उपर्युक्त सम्पत्ति पर कोई ऋणधार/बकाया नहीं है।  
 नोट: सम्पत्ति तथा मशीनों एक साथ बेची जायेगी।  
 मध्य भरोहर राशि 23.09.2022 को 5.00 बजे अप. तक जमा की जायेगी। सम्पत्ति का निरीक्षण 20.09.2022 को 11.30 बजे पूर्ण।  
 सं. 3.30 बजे अप. तक अधिकृत प्राधिकारी को पूर्ण अनुमति लेकर किया जा सकता है।  
 बिक्री के विस्तृत नियम एवं शर्तों के लिए कृपया केनरा बैंक की वेबसाइट (<https://www.canarabank.com>) तथा सेवा प्रदाता की वेबसाइट <https://indianbanksclearing.com> में प्राथमिक लिंक "ई-अंशक" का संचर्दी में या अधिकृत प्राधिकारी, केनरा बैंक, सेंम शाखा, सी-34, 3रा तल, डीडीए ऑफिस कॉम्प्लेक्स, मूलचन्द अस्पताल के सामने, लाजपत नगर, नई दिल्ली-1100024, दूरभाष नं. 011-79674647, 9653220988, 8979872232 से किसी भी कार्यदिनस में कार्यालय घण्टों के दौरान सम्पर्क करें।  
 तिथि: 2 सितंबर, 2022  
 स्थान: नई दिल्ली प्राधिकृत अधिकारी केनरा बैंक

**LIC HFL एलआईसी हाऊसिंग फाइनेंस लिमिटेड**  
 पंजीकृत कार्यालय: बॉम्बे लाईफ लिमिटेड, दूसरा तल, 45/47, वीर नरसिंह नगर, मुम्बई-400001  
 ई-मेल: [cs8118@lichousingfinance.com](mailto:cs8118@lichousingfinance.com)

**कब्जा सूचना (अचल सम्पत्ति के लिए) [नियम 8(1) देखें]**  
 एतद्वारा सूचित किया जाता है कि वित्तीय परिस्थितियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन और प्रतिभूति हित (द्वितीय) अध्यादेश, 2002 (2002 का अध्यादेश 3) के प्रवर्तन और प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8 के साथ पठित धारा 13(12) के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए एलआईसी हाऊसिंग फाइनेंस लिमिटेड ने लेखाओं के अधीन वर्णित राशि को कथित सूचना की तिथि से साठ दिनों के भीतर पुनर्गठन करने के लिए एक मांग सूचना जारी की। कथित कर्जदार राशि का भुगतान करने में असफल रहे इसलिए एतद्वारा कर्जदार और आम जनता को सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने कथित नियम के नियम-9 के साथ पठित कथित अधिनियम की धारा 13(4) के अंतर्गत अधिकारों का उपयोग करते हुए प्रत्येक खाते के सम्मुख तिथि को नीचे वर्णित सम्पत्तियों को अपने कब्जे में ले लिया है। विशेषकर कर्जदारों और आम जनता को सूचित किया जाता है कि नीचे वर्णित सम्पत्ति के साथ कोई भी लेनदेन न करें और सम्पत्ति का कोई भी लेनदेन एलआईसी हाऊसिंग फाइनेंस लिमिटेड के प्रभार और उस पर आगे ब्याज के भुगतान के अधीन होगा। जिस सम्पत्ति का कब्जा लिया गया है उसका विवरण निम्नानुसार है:

क्र. सं.	कर्जदार एवं गारंटर का नाम	बंधक/चाई संपत्ति का विवरण	मांग सूचना की तिथि	कब्जा की तिथि	13(2) सूचना के अनुसार बकाया राशि
1.	आवेदक: मिस अरुणा दास (ऋण खाता सं. 14011051533)	प्लॉट नं. डी-21, दूसरी मंजिल, अशोक एन्क्लेव, पॉस्ट-1, फरीदाबाद, हरियाणा से युक्त सम्पत्ति के सभी भाग एवं हिस्से। क्षेत्रफल 615 वर्ग फीट। निम्नानुसार धारा है:- उत्तर: सड़क दक्षिण: अन्य की भूमि पूर्व: प्लॉट नं. डी 20 पश्चिम: प्लॉट नं. डी 22	30.05.2022	01.09.2022	रु.4,94,038.21 (चार लाख चौरानबे हजार अड़तीस रुपये एवं इक्कीस पैसे मात्र) प्लस उस पर ब्याज एवं अन्य शुल्क

कर्जदार का ध्यान प्रतिभूति परिस्थितियों के विभाजन के लिए उपलब्ध समय के संदर्भ में, अधिनियम की धारा 13(6) के प्रावधानों की ओर आकर्षित किया जाता है।  
 दिनांक: 01/09/2022 स्थान: फरीदाबाद प्राधिकृत अधिकारी, एलआईसी हाऊसिंग फाइनेंस लि.

प्रदेश के 131 जेलों में 12,000 से अधिक बंदी आजीवन कारावास की सजा काट रहे हैं। उन्होंने कहा कि आजीवन कारावास की सजा प्राप्त बंदियों के संबंध में जो नई नीति तैयार की गई है, उसमें जघन्य अपराधियों को कोई राहत नहीं मिलेगी। आतंकी गतिविधियों और नाबालिगों से बलात्कार के अपराधियों का कारावास 14 वर्ष में समाप्त नहीं होगा। मध्यप्रदेश में ऐसे अपराधियों को अंतिम सांस तक कारावास में रखा जाने का प्रावधान किया गया है। अधिकारियों ने बताया, 'ऐसे अपराधियों में विभिन्न अधिनियम में आतंकवादी गतिविधियों में लिप्त पाए गए दोषी, नाबालिग से बलात्कार के दोषी, सामूहिक बलात्कार कारावास से दंडित बंदियों की रिहाई की अवधि की प्रस्तावित नीति 2022 पर चर्चा हुई। उल्लेखनीय है कि वर्तमान में प्रदेश में वर्ष 2012 की नीति लागू है। वर्तमान में

**पंजाब नैशनल बैंक Punjab National Bank**  
 ...भरोसे का प्रतीक! ...the name you can BANK upon!

मण्डल सत्रा, गाजियाबाद, केजे-13, कनिपूर, गाजियाबाद - 201001, नोन: 8283810870, 9971720088, ई-मेल: [cs8228@pnbc.co.in](mailto:cs8228@pnbc.co.in)

**सूचि पत्र**  
 दिनांक 12.08.2022 को इस समाचार पत्र (जनसत्ता) में छपे विज्ञापन ई-नीलामी सूचना के संदर्भ में आम जनता को विवेक रूप से उपायकर्ता को सूचित किया जाता है कि श्रीमती गीताजी सक्सेना एवं श्री अनिल कुमार सक्सेना (क्र.सं. 1) और श्री सुखदेव राव पुत्र श्री विठ्ठल राव (क्र.सं. 2) की सम्पत्तियों की ई-नीलामी की तिथि 20.09.2022 के स्थान पर संशोधित ई-नीलामी की तिथि 20.09.2022 (पंद्रह अगस्त) शेष खाते / विवरण पूर्वानुसार रहेगी।  
 प्राधिकृत अधिकारी, पंजाब नेशनल बैंक

**पंजाब नैशनल बैंक Punjab National Bank**  
 ...भरोसे का प्रतीक! ...the name you can BANK upon!

मण्डल सत्रा केन्द्र, पश्चिमी दिल्ली, 9/80, प्रथम तल, पी-ब्लॉक, कर्नाट सर्कस, नई दिल्ली 110001

**सूचि पत्र**  
 दिनांक 10.08.2022 को इस समाचार पत्र में छपे विज्ञापन अचल सम्पत्तियों के विक्रय हेतु ई-नीलामी विक्रय नोटिस में शाखा करमपुरा शाखा के कर्जदार मैसर्स केनरी फूडविपर इंडिया (क्र.सं. 1), की सम्पत्ति प्रथम तल, ए-1/155 पश्चिम विहार, नई दिल्ली में स्थित के संदर्भ में आम जनता को सूचित किया जाता है कि यह सम्पत्तियां अब बिक्री के लिए उपलब्ध नहीं हैं। इन संपत्तियों को बैंक ने 16.09.2022 को होने वाली ई-नीलामी प्रक्रिया से वापस ले लिया है। शेष अन्य खाते / विवरण पूर्वानुसार रहेगी। प्राधिकृत अधिकारी, पंजाब नेशनल बैंक

**केनरा बैंक Canara Bank**  
 ...भरोसे का प्रतीक! ...the name you can BANK upon!

शाखा/कार्यालय के लिए निम्न स्थानों पर हस्तिलिखित बोलियों के प्रणाली के तहत स्वीकृत वास्तविक स्थान के लिए सांकेतिक से प्रस्ताव आमंत्रित है। बैंक के विनिर्देशानुसार इसके निर्माण हेतु कुल 25 किलोवाट लोड के साथ तैयार होना चाहिए।  
 बैंक का नाम: 1. मालीवाड़ा चौक, गाजियाबाद, क्षेत्रफल (वर्गमीटर) 2000 - 2500।  
 विवरण बैंक की वेबसाइट <http://www.canarabank.com> पर प्रकाशित किया गया है। आवश्यक आवेदन फार्म उपरोक्त कार्यालय से प्राप्त किया जा सकता है या बैंक की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 17.09.2022 दोपहर 3 बजे तक और निविदा खुलने की तिथि 19.09.2022 अपराह्न 4 बजे है। इसके अलावा यदि कोई सूचना, सूचि पत्र, संशोधन होगा तो बैंक की वेबसाइट पर प्रकाशित किया जायेगा। बैंक बिना कारण ब्याप आवेदन को स्वीकृत/अस्वीकृत करने का अधिकार अपने पास सुरक्षित रखता है। सम्पत्ति का मूल्यांकन से प्राप्त प्रस्तावों को अस्वीकार किया जा सकता है।  
 स्थान: गाजियाबाद सहायक महाप्रबन्धक क्षेत्रीय दिनांक 03.09.2022 कार्यालय, गाजियाबाद

**पंजाब नैशनल बैंक Punjab National Bank**  
 ...भरोसे का प्रतीक! ...the name you can BANK upon!

मण्डल सत्रा केन्द्र, पश्चिमी दिल्ली, 9/80, प्रथम तल, पी-ब्लॉक, कर्नाट सर्कस, नई दिल्ली 110001

**सूचि पत्र**  
 दिनांक 24.08.2022 को इस समाचार पत्र में छपे विज्ञापन अचल सम्पत्तियों के विक्रय हेतु ई-नीलामी विक्रय नोटिस में शाखा ओल्ड एजिंटर नगर के कर्जदार मैसर्स एन.डी. टेक्सटाइल्स (क्र.सं. 5), की सम्पत्ति मुनिस्विल नं. 11830, मूल, खसरा नं. 3712/2529, प्लॉट नं. 11, ब्लॉक 2-ए, बस्ती वैद्य, सत नगर, करोल बाग, दिल्ली-110005 में स्थित के संदर्भ में आम जनता को सूचित किया जाता है कि यह सम्पत्तियां अब बिक्री के लिए उपलब्ध नहीं हैं। इन संपत्तियों को बैंक ने 16.09.2022 को होने वाली ई-नीलामी प्रक्रिया से वापस ले लिया है। शेष अन्य खाते / विवरण पूर्वानुसार रहेगी। प्राधिकृत अधिकारी, पंजाब नेशनल बैंक

**पंजाब नैशनल बैंक Punjab National Bank**  
 ...भरोसे का प्रतीक! ...the name you can BANK upon!  
 (A GOVERNMENT OF INDIA UNDERTAKING)

**मंडल सत्रा केन्द्र, प्लॉट नं. 5, इन्स्टीट्यूशनल एरिया, सैक्टर-32, गुडगाँव-122001**

**अचल सम्पत्तियों की ई-नीलामी हेतु बिक्री सूचना**  
 प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 8(6) के परन्तुक के साथ पठित वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अधीन अचल सम्पत्तियों के विक्रय हेतु ई-नीलामी विक्रय नोटिस,  
 आम जनता को और विशेष रूप से कर्जदार और गारंटरों को यह नोटिस दिया जाता है कि नीचे वर्णित अचल सम्पत्तियां जो प्रतिभूत लेनदार के पास बंधक/प्रभारित हैं, का सांकेतिक/वास्तविक कब्जा(नीचे वर्णित अनुसार), प्रतिभूत लेनदार पंजाब नेशनल बैंक के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा लिया गया है, को "जहाँ है, जैसा है और जो कुछ भी है" के आधार पर बेचा जाएगा। बकाया राशि की वसूली, कर्जदार(रों) और गारंटर(रों), आरक्षित मूल्य और धरोहर राशि का विवरण नीचे दी गई तालिका के अनुसार

**प्रत्याभूत परिसम्पत्तियों की बिक्री की अनुसूची**

शाखा का नाम	खाते का नाम	कर्जदार/गारंटर खाते का नाम एवं पता	बंधक अचल सम्पत्तियों का विवरण/स्वामित्व का नाम	आरक्षित मूल्य (लाख रु. में)	नीलामी की तिथि
-------------	-------------	------------------------------------	--	-----------------------------	----------------



खबर कोना




पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के एक जिले में बाढ़ की वजह से घर छोड़कर आई एक महिला रेनबसेरे में अपने बच्चों के साथ।

# शुक्रवार को दोपहर की नमाज के समय हुआ विस्फोट

## अफगानिस्तान : हेरात शहर की मस्जिद में धमाका, 18 की मौत

हेरात, 2 सितंबर (एपी)।

उत्तरी अफगानिस्तान के हेरात शहर में शुक्रवार को एक मस्जिद में धमाका हुआ। इस धमाके में एक प्रमुख मौलवी समेत कम से कम 18 लोगों की मौत हो गई जबकि 21 अन्य घायल हो गए। तालिबान के अधिकारियों ने इस बाबत जानकारी देते हुए बताया कि हेरात शहर की गुजारगाह मस्जिद में शुक्रवार दोपहर की नमाज के समय यह विस्फोट हुआ। गौरतलब है कि जुमे की नमाज के दौरान आमतौर पर अधिक भीड़ होती है। इस विस्फोट में मुजीब-उल रहमान अंसारी की भी मौत हो गई, जो एक प्रमुख मौलवी थे। पिछले दो दशकों में अफगानिस्तान की पश्चिम-समर्थित सरकारों की आलोचना के लिए अंसारी को पूरे अफगानिस्तान में पहचाना जाता था। अंसारी को



तालिबान का करीबी समझा जाता है, जिसने विदेशी बलों के वापस जाने के बाद पिछले साल देश की सत्ता पर नियंत्रण हासिल किया था। तालिबान के मुख्य प्रवक्ता जबीउल्लाह मुजाहिद ने धमाके में अंसारी की मौत की पुष्टि की है। वहीं

तालिबान के अधिकारियों ने बताया कि हेरात शहर की गुजारगाह मस्जिद में शुक्रवार दोपहर की नमाज के समय यह विस्फोट हुआ। हादसे में मुजीब-उल रहमान अंसारी की भी मौत हो गई, जो एक प्रमुख मौलवी थे।

एक हेरात एंगुलेंस सेंटर के एक अधिकारी मोहम्मद दाउद मोहम्मदी ने कहा कि एंगुलेंस से 18 मृत और 21 घायलों को अस्पताल लाया गया है। शुक्रवार के इस धमाके की अब तक किसी संगठन ने जिम्मेदारी नहीं ली है।

## सू की को तीन साल की सजा आज श्रीलंका लौटेंगे गोटाबाया

कैंका, 2 सितंबर (एपी)।

म्यांमा की एक अदालत ने शुक्रवार को देश की अपदस्थ नेता आंग सान सू की को चुनावी धोखाधड़ी में सलिप्तता का दोषी करार देते हुए उन्हें तीन साल कैद की सजा सुनाई। सैन्य शासित देश में सू की को पहले ही कई अन्य मामलों में दोषी ठहराया जा चुका है और 17 साल की सजा सुनाई जा चुकी है। ऐसे में इस सजा के बाद उन्हें अब और अधिक समय जेल में काटना होगा। इससे सू की की 'नेशनल लीग फार डेमोक्रेसी पार्टी' का अस्तित्व भी खतरे में आ गया है। सेना ने देश में 2023 में नए सिरे से चुनाव कराने की घोषणा की है। सू की की पूर्व सरकार के दो वरिष्ठ सदस्यों को भी मामले में तीन साल की जेल की सजा सुनाई गई है। गौरतलब है कि एक फरवरी 2021 को म्यांमा की सेना ने देश की बागडोर अपने हाथ में ले ली थी और सू की तथा म्यांमा के कई बड़े नेताओं को हिरासत में ले लिया था। सू की की पार्टी ने पिछले आम चुनाव में भारी जीत हासिल की थी, लेकिन सेना का कहना है कि चुनाव में व्यापक धमामे पर धांधली हुई।

कोलंबो, 2 सितंबर (भाषा)।

श्रीलंका के पूर्व राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे शनिवार तड़के थाईलैंड से स्वदेश लौटेंगे। आधिकारिक सूत्रों ने शुक्रवार को इस बात की पुष्टि की। राजपक्षे श्रीलंका में अभूतपूर्व आर्थिक संकट के बीच उनके तत्काल इस्तीफे की मांग को लेकर महीनों से जारी विरोध-प्रदर्शनों के नौ जुलाई को हिंसक रूप अख्तियार करने के बाद 13 जुलाई को देश छोड़कर भाग गए थे। उस समय प्रदर्शनकारियों ने कोलंबो में राष्ट्रपति आवास सहित कई अन्य सरकारी इमारतों पर धावा बोल दिया था। आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि राजपक्षे शनिवार सुबह श्रीलंका लौटेंगे। हालांकि, उनकी उड़ान के बारे में अभी कोई जानकारी हासिल नहीं हो सकी है। यह भी स्पष्ट नहीं है कि वह कोलंबो के पूर्वी उपनगर मिरिहाना स्थित अपने निजी आवास में उठरेंगे या नहीं। राजपक्षे पहले श्रीलंका वायुसेना के विमान के जॉर्ज कोलंबो से मालदीव भागे थे। मालदीव से वह सिंगापुर रवाना हुए थे, जहां से उन्होंने 14 जुलाई को अपना इस्तीफा भेजा था।

# शुभेंदु की फरियाद सुप्रीम कोर्ट ने ठुकराई

जनसत्ता ब्यूरो नई दिल्ली, 2 सितंबर।

ममता बनर्जी की तरफ से कलकत्ता हाईकोर्ट में दायर चुनाव याचिका को दूसरे हाईकोर्ट में भेजने की मांग वाली भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी की याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने अनुमति देने से इनकार कर दिया। न्यायमूर्ति धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति हिमा कोहली की पीठ ने कहा कि वह उच्च न्यायालयों के इस विकल्प की अनुमति नहीं दे सकती। जिस उच्च न्यायालय का अधिकार क्षेत्र है, मामले की सुनवाई वही होगी। पीठ ने अधिकारी को चुनाव याचिकाकर्ता के मुकदमे की अध्यक्षता करने वाले कलकत्ता उच्च न्यायालय के न्यायाधीश से संपर्क करने की स्वतंत्रता दे दी। न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ ने कहा कि याचिका को स्थानांतरित करने से संदेश जाएगा कि



पीठ ने अधिकारी को चुनाव याचिकाकर्ता के मुकदमे की अध्यक्षता करने वाले कलकत्ता उच्च न्यायालय के न्यायाधीश से संपर्क करने की स्वतंत्रता दे दी।

सुप्रीम कोर्ट कलकत्ता उच्च न्यायालय में विश्वास की कमी जता रहा है। हस्तक्षेप करने से इनकार करते हुए न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ ने माना कि उच्च न्यायालय को उनके अधिकार क्षेत्र के मुकदमे पर नियंत्रण रखने में सक्षम होना चाहिए। अधिकारी ने वरिष्ठ वकील हरीश साल्वे के माध्यम से पीठ को अपनी दुर्दशा से अवगत कराया। उन्होंने कहा कि कलकत्ता में चुनावी याचिका की सुनवाई के लिए माहौल अनुकूल नहीं है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने खुद एक पत्र

लिखा है। जिसमें कहा गया है कि क्योंकि उन्होंने न्यायाधीशों की नियुक्ति में से एक का विरोध किया था, इसलिए उन्हें एक संबंधित मामले की सुनवाई से खुद को अलग कर लेना चाहिए। जिन न्यायाधीशों ने अधिकारी के अनुकूल राहत प्रदान की है, उन्हें राज्य प्रशासन का कोप भुगतना पड़ा है। उन्होंने कहा कि एक न्यायाधीश के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। जिन्होंने पश्चिम बंगाल में वर्तमान सरकार के प्रतिकूल आदेश पारित किए हैं। वहां जो हो रहा है, वह चिंताजनक है। पीठ ने कहा कि उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के साथ-साथ अन्य न्यायाधीशों के पास यह सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त शक्तियां हैं कि चुनाव याचिका पर सुनवाई के दौरान अनुकूल माहौल बनाए रखा जाए। उनके कंधे इससे निपटने के लिए काफी चौड़े हैं। साल्वे ने जवाब दिया कि उन्होंने न्यायाधीशों के खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा नहीं खटखटाया है।

## सत्ता में आए तो एमएसपी पर खरीदेंगे फसलें : केजरीवाल रचनात्मकता को बढ़ावा देने के लिए विकसित होंगे 'माडल विद्यार्थी क्लब'

जनसत्ता ब्यूरो नई दिल्ली, 2 सितंबर।

आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने गुजरात में उनकी सरकार बनने पर किसानों की पांच फसलों को न्यूनतम मूल्य (एमएसपी) पर खरीदने का वादा किया है। उन्होंने कहा कि अगले साल से अगर बाजार में गेहूं, चावल, कपास, चना व मूंगफली के दाम एमएसपी से कम रहें तो सरकार इन पांच फसलों को एमएसपी पर खरीदेगी। वे शुक्रवार को अपने दो दिवसीय दौरे पर गुजरात पहुंचे थे और एक

सभा को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने गुजरात में सरकार बनने पर दिल्ली की तर्ज पर गुजरात में भी फसल बर्बाद होने पर 20 हजार रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से किसानों को मुआवजा देने का भी वादा किया। उन्होंने कहा कि हर बार सरकार फसल की एमएसपी जारी तो कर देती है, लेकिन बाजार में कोई एमएसपी पर फसल खरीदता नहीं है। अगर कोई किसान एमएसपी पर अपनी फसल बेचना चाहता है, तो सरकार उसकी फसल खरीदेगी। वो सीधे सरकार को एमएसपी पर अपनी फसल भेज सकता है। अगले साल से अगर बाजार में पांचों फसलों का दाम एमएसपी से कम मिल रहा है।

जनसत्ता ब्यूरो नई दिल्ली, 2 सितंबर।

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (एआइसीटीई) देश के तकनीकी शिक्षा संस्थानों के विद्यार्थियों में रुचि, रचनात्मकता एवं नैतिक मूल्यों को प्रोत्साहित करने की योजना (स्पाइसेज) के तहत 'विद्यार्थी क्लबों' को 'माडल क्लब' के रूप में विकसित करेगी। इसके तहत विविध प्रकार की गतिविधियों के माध्यम से विद्यार्थियों के कार्यों, रुचियों, कल्पनाशक्ति, नवाचार एवं नैतिक मूल्यों को बढ़ावा दिया जाएगा। परिषद के एक अधिकारी ने बताया कि इसके तहत एआइसीटीई से मान्यता प्राप्त संस्थान से एक मौजूदा विद्यार्थी

## पूर्वानुमान युवा आबादी में 2011 से गिरावट से नामांकन में आ रही कमी : एनसीईआरटी स्कूलों में नामांकन में आएगी गिरावट

जनसत्ता ब्यूरो नई दिल्ली, 2 सितंबर।

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद (एनसीईआरटी) के एक अध्ययन में यह पूर्वानुमान व्यक्त किया गया है कि 2011 से शुरू होकर 2025 तक स्कूलों में विद्यार्थियों के सकल नामांकन में 14 फीसद से अधिक गिरावट आएगी। वहीं, लड़कों की तुलना में लड़कियों के दाखिले में दो फीसद कमी आएगी। एनसीईआरटी के शैक्षणिक सर्वेक्षण प्रकोष्ठ (इएसडी) के अध्ययन में कहा गया है कि 5-10 साल के दौरान अनुसूचित जाति वर्ग के विद्यार्थियों के दाखिले में कोई बदलाव नहीं आएगा, जबकि 2023-24 के बाद अनुसूचित जनजाति वर्ग के विद्यार्थियों का दाखिला स्थिर हो जाएगा। रिपोर्ट में कहा गया है कि दाखिला आबादी से जुड़ा होता है,



एसे में 6-11, 11-14 और 14-16 साल के आयु वर्ग के बच्चों की आबादी में गिरावट का प्रभाव हर वर्ग में दाखिले पर दिखाई देता है। '2025 तक स्कूलों में दाखिले का पूर्वानुमान एवं लक्षण' शीर्षक से रिपोर्ट में एनसीईआरटी द्वारा कराए गए राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण (एनएसएस) और शिक्षा पर एकीकृत जिला सूचना प्रणाली के आंकड़ों को लिया गया है। अध्ययन में 21 राज्यों के एनएसएस रिपोर्ट पर विचार किया गया है और 2011

के बाद से आबादी को ध्यान में रखा गया है। इसमें कहा गया है कि पूर्वोत्तर राज्यों में आंकड़ों में काफी उतार चढ़ाव देखा गया है और कुछ आंकड़े भी उपलब्ध नहीं थे। 2011 तक प्राथमिक शिक्षा के स्तर तक नामांकन ऊपर की ओर गया, लेकिन 2011 के बाद से दाखिले में गिरावट आई और यह 2025 तक तक जारी रहेगा। इसमें कहा गया है कि 2011 से 2025 तक नामांकन में गिरावट की दर 14.37 फीसद रहेगी और इसमें लड़कों के दाखिले में 13.28 फीसद और लड़कियों के दाखिले में 15.54 फीसद गिरावट आएगी। उच्च प्राथमिक स्तर पर लड़के एवं लड़कियों के नामांकन में गिरावट 2016 से शुरू हुई और सकल नामांकन गिरावट 9.47 फीसद रही। इसमें लड़कों के दाखिले में 8.07 फीसद और लड़कियों के नामांकन में 10.94 फीसद गिरावट आई।

# अर्जेंटीना की उपराष्ट्रपति की हत्या की कोशिश नाकाम

## हमलावर ने तान दी थी पिस्तौल, लेकिन चली नहीं

ब्यूनस आयर्स, 2 सितंबर (एपी)।

अर्जेंटीना के राष्ट्रपति अल्बर्टो फर्नांडीज ने बताया कि देश की उपराष्ट्रपति क्रिस्टीना फर्नांडीज के घर के बाहर उनकी हत्या करने की कोशिश की गई। एक हमलावर ने उन पर पिस्तौल तान दी थी, लेकिन वह चली नहीं। अधिकारियों ने बताया कि गुरुवार रात हुई घटना के तुरंत बाद सदिग्ध हमलावर को पकड़ लिया गया। राष्ट्रपति ने घटना के बाद एक राष्ट्रीय प्रसारक से कहा कि एक व्यक्ति ने उनके सिर पर (गुरुवार रात) हथियार ताना। उन्होंने कहा कि गोली नहीं चली, जबकि उसने ट्रिगर खींच दिया था। उपराष्ट्रपति क्रिस्टीना फर्नांडीज 2007 से 2015 तक देश की राष्ट्रपति भी रह चुकी हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि उपराष्ट्रपति को कोई चोट नहीं आई है। सदिग्ध हमलावर उनके समर्थकों के बीच खड़ा था, जिसे घटना के तुरंत बाद पकड़ लिया गया। मौके पर मौजूद जिना दे बर्डी ने बताया कि उन्होंने ट्रिगर खींचने की आवाज सुनी थी। उन्होंने कहा कि सुरक्षाकर्मियों के सदिग्ध को पकड़ने तक उन्हें एहसास नहीं हुआ था कि वह किसी हथियार की आवाज है। राष्ट्रपति अल्बर्टो फर्नांडीज ने इसे 1983 में देश में लोकतंत्र बहाल होने के बाद की अभी तक की सबसे गंभीर घटना बताया। घटना ऐसे समय में हुई है, जब उपराष्ट्रपति के खिलाफ उनके 2007-2015 के राष्ट्रपति कार्यकाल के दौरान भ्रष्टाचार के कथित कृत्यों के संबंध में मुकदमे चल रहे हैं।



उपराष्ट्रपति क्रिस्टीना फर्नांडीज के सिर पर पिस्तौल ताने हुए हमलावर (घेरे में)।

लगाभग छूटा नजर आ रहा है। एक अधिकारी ने बताया कि हमलावर की पहचान ब्राजील के नागरिक फर्नांडो आंद्रे सबागो मोर्टेएल के तौर पर हुई है। उसका कोई आपराधिक रिकार्ड नहीं है। उसके पास .32-कैलिबर बर्सा पिस्तौल थी। राष्ट्रपति ने उपराष्ट्रपति के साथ एकजुटता व्यक्त करने और लोगों को इस घटना से उबरने का समय देने के लिए शुक्रवार को छुट्टी की घोषणा की है। गौरतलब है कि एक अभियोजक ने पिछले सप्ताह सावजनिक कार्यों में कथित भ्रष्टाचार से जुड़े मामले में फर्नांडीज को 12 साल की सजा देने की मांग की थी, जिसके बाद से उपराष्ट्रपति के समर्थक उनके साथ एकजुटता दिखाने के लिए उनके घर के आसपास सड़कों पर जमा होते रहे हैं। सरकार के अधिकारियों ने इस घटना को हत्या का प्रयास बताया है।

स्थानीय टेलीविजन चैनल पर प्रसारित घटनास्थल के वीडियो में फर्नांडीज अपने घर के बाहर समर्थकों से घिरे अपने वाहन से बाहर निकलती दिख रही हैं। तभी एक व्यक्ति पिस्तौल जैसी दिखने वाली कोई एक वस्तु लिए नजर आ रहा है। हालांकि, उपराष्ट्रपति वहां से निकलने में कामयाब रही। वीडियो में मौके पर मौजूद उपराष्ट्रपति के समर्थक भी स्तब्ध नजर आ रहे हैं। सोशल मीडिया पर प्रसारित असत्यापित वीडियो में हथियार फर्नांडीज के चेहरे को

विचित्र सजियों मास्सा ने कहा कि जब विचारों पर नफरत व हिंसा थोपी जाती है, तो समाज बर्बाद हो जाते हैं और आज जैसी स्थिति उत्पन्न होती है। यह हत्या का प्रयास है। राष्ट्रपति अल्बर्टो फर्नांडीज की सरकार में मंत्रियों ने एक प्रेस विज्ञप्ति जारी कर कहा कि वे उपराष्ट्रपति की हत्या के प्रयास की कड़ी निंदा करते हैं।



इंतजार हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में निर्वासित तिब्बती संसद की 62वीं स्थापना वर्षगांठ पर प्रस्तुति देने की प्रतीक्षा में तिब्बती बच्चे।



खबर कोना



वेक गणराज्य के प्राग में यूरोबास्केट ग्रुप डी बास्केटबाल मैच के दौरान फिनलैंड के खिलाफ इजराइल के जेक कोहेन चुनौती देते हुए।

जडेजा चोट के कारण एशिया कप से बाहर, अक्षर लेंगे जगह

दुबई, 2 सितंबर (भाषा)।

भारतीय हरफनमौला रविंद्र जडेजा घुटने की चोट के कारण शुक्रवार को एशिया कप के बचे हुए मैचों से बाहर हो गए और टीम में उनकी जगह अक्षर पटेल लेंगे। जडेजा ने भारत की टूर्नामेंट के शुरुआती मुकाबले में पाकिस्तान के खिलाफ जीत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। बीसीसीआइ ने एक बयान में कहा, 'अखिल भारतीय सीनियर चयन समिति ने मौजूदा एशिया कप में रविंद्र जडेजा की जगह अक्षर पटेल को चुना है।' इसके अनुसार, 'रविंद्र जडेजा को दाएं पैर के घुटने में चोट लगी है और वह टूर्नामेंट से बाहर हो गए हैं। वह इस समय बीसीसीआइ की चिकित्सा टीम की देखरेख में हैं।' बयान में कहा गया, 'अक्षर पटेल को टीम में 'रैटडबाय' खिलाड़ियों में चुना गया था, वह जल्द ही दुबई में टीम से जुड़ेंगे।'

मैनचेस्टर यूनाइटेड की प्रीमियर लीग में लगातार तीसरी जीत

लीस्टर, 2 सितंबर (एपी)।

मैनचेस्टर यूनाइटेड ने लीस्टर सिटी को 1-0 से हराकर इंग्लिश प्रीमियर लीग (ईपीएल) फुटबाल प्रतियोगिता में अपनी लगातार तीसरी जीत दर्ज की। यूनाइटेड के स्टार खिलाड़ी क्रिस्टियानो रोनाल्डो फिर से मैच के आखिरी क्षणों में ही मैदान पर उतरें। जादौन सांचो के 23वें मिनट में किए गए गोल से यूनाइटेड ने बढ़त बनाई और आखिर तक उसे बरकरार रखा। यूनाइटेड ने इससे पहले लिंवरपूल और साउथम्पटन को हराया था। रोनाल्डो ने 68वें मिनट में मैदान पर कदम रखा और उन्होंने इसके बाद अपनी जीवंत छाप छोड़ी। उनका बाईसिकल किंक से लगाया गया एक शाट मामूली अंतर से गोल में जाने से रह गया था। कर अपने करियर का दूसरा डब्ल्यूटीए खिताब जीता।

राष्ट्रमंडल खेल में नहीं खेल पाना निराशाजनक : नवजोत

बंगलुरु, 2 सितंबर (भाषा)।

भारतीय महिला हाकी टीम की मिडफील्डर नवजोत कौर ने कहा कि राष्ट्रमंडल खेल जैसी बड़ी खेल प्रतियोगिता में नहीं खेल पाना निराशाजनक था। वह कोविड-19 से संक्रमित होने के कारण इस प्रतियोगिता में नहीं खेल पाई थी। यह 27 वषीय खिलाड़ी बर्मिंघम पहुंचने पर कोविड-19 से संक्रमित पाई गई थी और उन्हें स्वदेश लौटना पड़ा था। भारत की तरफ से 200 से अधिक अंतरराष्ट्रीय मैच खेल चुकी नवजोत ने यहां राष्ट्रीय शिविर से इतर कहा, 'इस तरह से टीम को छोड़ना बेहद निराशाजनक था। इसे स्वीकार करना मेरे लिए बहुत मुश्किल था।' उन्होंने कहा, 'मैं इससे पहले कभी किसी बड़े टूर्नामेंट में खेलने से नहीं चुकी थी इसलिए पहली बार अपने करिअर में इस तरह की परिस्थिति से पार पाना मेरे लिए आसान नहीं था।'

कल्याण ने भूटिया को हराया, पहले खिलाड़ी जो बने अध्यक्ष

नई दिल्ली, 2 सितंबर (भाषा)।

अखिल भारतीय फुटबाल महासंघ (एआइएफएफ) को अपने 85 साल के इतिहास में शुक्रवार को पहली बार कल्याण चौबे के रूप में पहला ऐसा अध्यक्ष मिला जो पूर्व में खिलाड़ी रह चुके हैं। चौबे ने अध्यक्ष पद के चुनाव में पूर्व दिग्गज फुटबालर बाइचुंग भूटिया को हराया।

सिक्किम के रहने वाले 45 वर्षीय भूटिया का नामांकन पत्र भरते समय उनके राज्य संघ का प्रतिनिधि भी प्रस्तावक या अनुमोदक नहीं बना था। पिछले लोकसभा चुनाव में पश्चिम बंगाल के कृष्णनगर सीट से हारने वाले भाजपा के राजनीतिज्ञ चौबे कभी भारतीय सीनियर टीम से नहीं खेले हालांकि वह कुछ अवसरों पर टीम का हिस्सा रहे थे। उन्होंने हालांकि आयु वर्ग के टूर्नामेंट में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत का प्रतिनिधित्व किया था। वह मोहन बागान और ईस्ट बंगाल के लिए गोलकीपर के रूप में खेले हैं। भूटिया और चौबे एक समय ईस्ट बंगाल में साथी खिलाड़ी थे।

कर्नाटक फुटबाल संघ के अध्यक्ष और कांग्रेस के विधायक एनए हारिस ने उपाध्यक्ष के एकमात्र पद पर जीत दर्ज की। उन्होंने राजस्थान फुटबाल संघ के मानवेंद्र सिंह को 29-5 से हराया। अरुणाचल प्रदेश के किपा अजय ने आंध्र प्रदेश के गोपालकृष्णा कोसाराजू को 32-1 से हराकर कोषाध्यक्ष पद हासिल किया। कोसाराजू ने अध्यक्ष पद के लिए भूटिया के नाम का प्रस्ताव रखा था जबकि मानवेंद्र ने उसका समर्थन किया था। कार्यकारिणी के 14 सदस्यों के लिए इतने ही उम्मीदवारों ने

अखिल भारतीय फुटबाल महासंघ (एआइएफएफ)



भूटिया ने चुनाव के बाद अपनी पहली प्रतिक्रिया में कहा, ' मैं भारतीय फुटबाल की बेहतर की लिए भविष्य में भी काम करता रहूंगा। कल्याण को बधाई। मुझे उम्मीद है कि वह भारतीय फुटबाल को आगे लेकर जाएंगे।' उन्होंने कहा, 'भारतीय फुटबाल प्रशंसकों का आधार जिन्होंने मेरा समर्थन किया। मैं चुनाव से पहले भी भारतीय फुटबाल के लिए काम कर रहा था और आगे भी इसे जारी रखूंगा। हां में कार्यकारी समिति का सदस्य हूं।'

मोहन बागान और ईस्ट बंगाल के पूर्व गोलकीपर 45 वर्षीय चौबे ने 33-1 से जीत दर्ज की। उनकी जीत पहले ही तय लग रही थी क्योंकि पूर्व कप्तान भूटिया को राज्य संघों के प्रतिनिधियों के 34 सदस्यीय निर्वाचक मंडल में बहुत अधिक समर्थन हासिल नहीं था।

नामांकन भरा था और उन्हें निर्विरोध चुना गया। एआइएफएफ के चुनाव के साथ ही भारतीय फुटबाल में पिछले कुछ महीनों में चले नाटकीय घटनाक्रम का भी पताक्षेप हो गया। इस दौरान भारतीय फुटबाल ने दिसंबर 2020 में चुनाव न कराने के कारण पूर्व अध्यक्ष प्रफुल्ल पटेल को बर्खास्त होते हुए देखा। इसके बाद प्रशासकों की समिति गठित की गई जिसे बाद में उच्चतम न्यायालय ने बर्खास्त कर दिया था। विश्व

फुटबाल की सर्वोच्च संस्था फीफा ने 'तीसरे पक्ष के अनुचित प्रभाव' का हवाला देकर इस बीच भारत को निलंबित भी कर दिया था। नई कार्यकारी समिति में जीपी पालगुना, अविजीत पाल, पी अनिलकुमार, वलंका नताशा अलेमाओ, मालोजी राजे छत्रपति, मेनला एथेनपा, मोहन लाल, आरिफ अली, के नीबी सेखोज, लालनधिंलोवा हमर, दीपक शर्मा, विजय बाली और सैयद इमत्याज हुसैन शामिल हैं।



मुकाबला स्पेन के राफेल नडाल यूएस ओपन टेनिस चैंपियनशिप के दूसरे दौर के दौरान इटली के फेबियो फोगनिनी को शाट रिटर्न करते हुए।

'केंद्रीय मंत्री ने चुनाव के नतीजों को प्रभावित किया'

नई दिल्ली, 2 सितंबर (भाषा)।

राजस्थान फुटबाल संघ प्रमुख और कांग्रेस नेता मानवेंद्र सिंह ने शुक्रवार को आरोप लगाया कि केंद्रीय मंत्री किरन रिजौजू ने अखिल भारतीय फुटबाल महासंघ (एआइएफएफ) के चुनावों के नतीजे को 'प्रभावित' किया। अध्यक्ष पद के लिए चुनाव में महान भारतीय फुटबालर बाइचुंग भूटिया को पश्चिम बंगाल से भाजपा नेता और ईस्ट बंगाल के पूर्व साथी कल्याण चौबे से 1-33 से करारी हार झेलनी पड़ी।

राजस्थान के पूर्व सांसद सिंह ने पत्रकारों से कहा, 'चुनाव प्रक्रिया के दौरान हस्तक्षेप जारी रहा और बीती रात केंद्रीय मंत्री (रिजौजू) ने संघ के सदस्यों पर दबाव बनाया कि उन्हें बाइचुंग के लिए चोट नहीं करना चाहिए।' उन्होंने कहा,

एआइएफएफ

कांग्रेस नेता मानवेंद्र सिंह ने दावा किया कि केंद्रीय कानून मंत्री रिजौजू ने चुनाव की पूर्व संध्या पर राज्य संघ सदस्यों के होटल जाकर उन्हें भूटिया के खिलाफ वोट देने का दबाव बनाया।

'मुझे लगता है कि यह हस्तक्षेप अस्वीकार्य है और भारतीय फुटबाल के लिए नुकसानदायक है। फुटबाल तो पहले ही परेशानी में घिरी है और अब यह परेशानी और ज्यादा बढ़ जाएगी।'

जापान ओपन : कड़ी चुनौती पेश करने के बाद क्वार्टर फाइनल में हारे प्रणय

ओसाका, 2 सितंबर (भाषा)।

एचएस प्रणय को शुक्रवार को यहां विश्व चैंपियनशिप के कांस्य पदक विजेता चीनी ताइपे के चाउ तिएन चेन से तीन गेम तक चले संघर्षपूर्ण मुकाबले में हार का सामना करना पड़ा। इससे जापान ओपन सुपर 750 बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारत की चुनौती भी समाप्त हो गई। इस 30 वर्षीय भारतीय खिलाड़ी ने आखिर तक हार नहीं मानी लेकिन चाउ ने भी किसी तरह की डिलाई नहीं बरती और एक घंटा 20 मिनट तक चले इस मैच में 21-17, 15-21, 22-20 से जीत दर्ज की। बाकी खिलाड़ियों के जल्दी बाहर होने के बाद भारत की उम्मीदें प्रणय पर ही टिकी थीं।

सुपर 750 बैडमिंटन टूर्नामेंट

निरंतर अच्छा प्रदर्शन कर रहे प्रणय ने पहला गेम गंवाने के बाद अच्छी वापसी की और तीसरे व निर्णायक गेम में भी आखिरी क्षणों तक खुद को मुकाबले में

बनाए रखा। इस मैच से पहले पिछले दो मैचों में चाउ पर जीत दर्ज करने वाले प्रणय ने पहले गेम में शुरु से दबाव बना दिया था।

पिछले कुछ समय से निरंतर अच्छा प्रदर्शन कर रहे प्रणय ने पहला गेम गंवाने के बाद अच्छी वापसी की और तीसरे व निर्णायक गेम में भी आखिरी क्षणों तक खुद को मुकाबले में बनाए रखा। इस मैच से पहले पिछले दो मैचों

में चाउ पर जीत दर्ज करने वाले प्रणय ने पहले गेम में शुरु से दबाव बना दिया था और एक समय यह 12-8 से बहुत पर थे। चाउ ने हालांकि प्रणय की गलतियों का फायदा उठाया और जल्द ही 15-14 से आगे हो गए।

राफेल नडाल ने की शानदार वापसी, स्वियातेक भी जीतीं

न्यूयार्क, 2 सितंबर (एपी)।

राफेल नडाल पहला सेट गंवाने और गलती से अपनी नाक को चोट पहुंचाने के बावजूद यूएस ओपन टेनिस टूर्नामेंट के अगले दौर में जगह बनाने में सफल रहे जबकि महिलाओं में दो बार की फ्रेंच ओपन चैंपियन इगा स्वियातेक ने आसान जीत दर्ज की। बाईस बार के ग्रैंड स्लैम चैंपियन नडाल ने फेबियो फोगनिनी पर 2-6, 6-4, 6-2, 6-1 से जीत दर्ज की। इस बीच चौथे सेट में गलती से वह अपने ही रैकेट से नाक पर चोट लगा बैठे जिससे उनकी नाक से खून बहने लग गया था। स्वियातेक ने 2017 की यूएस ओपन विजेता स्लोएन स्टीफंस को दूसरे दौर में 6-3, 6-2 से

हराकर इस सत्र में अपनी डब्ल्यूटीए टूर की 50वीं जीत दर्ज की। महिला वर्ग में पिछले साल से फाइनल में पहुंचने वाली चार खिलाड़ियों में से अब केवल छठी वरीयता प्राप्त आर्यना सबालेका ही टूर्नामेंट में बनी हुई हैं। उन्होंने दूसरे सेट में 5-<math>3</math> से पिछड़ने के बाद शानदार वापसी करके काया कानेपी को 2-6, 7-6 (8), 6-4 से हराया। लेकिन चौथी वरीयता प्राप्त पाउला बडोसा को क्रोएशियाई पेट्रा मार्टिच से 6-7 (5), 6-1, 6-2 से हार का सामना करना पड़ा। महिला वर्ग में गुरुवार को जिन अन्य खिलाड़ियों ने जीत दर्ज की उनमें जेसिका पेगुला, गारबिने मुगुरुजा, बेलिंडा बेनसिच और विक्टोरिया अजाररंका शामिल हैं।

विजय विश्व चैंपियनशिप के लिए भारत की 48 सदस्यीय टीम में

नई दिल्ली, 2 सितंबर (भाषा)।

ओलंपिक रजत पदक विजेता विजय कुमार को आगामी आइएसएसएफ विश्व चैंपियनशिप के लिए भारतीय निशानेबाजी टीम में चुना गया। वह लंदन ओलंपिक खेलों में पोंडियम स्थान हासिल करने के बाद अपने पहले बड़े टूर्नामेंट में खेलेंगे। भारतीय राष्ट्रीय राइफल संघ (एनआरएआइ) ने मिस्र के काहिरा में 12 से 25 अक्टूबर तक होने वाली विश्व चैंपियनशिप के लिए 48 सदस्यीय भारतीय राइफल और पिस्टल टीम की घोषणा की। लंदन ओलंपिक में 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल रजत पदक विजेता पिस्टल निशानेबाज ने इस साल राष्ट्रीय टीम में वापसी की थी।

उन्होंने कंधे की गंभीर चोट के कारण ब्रेक लिया था। शिमला में हिमाचल प्रदेश पुलिस मुख्यालय (पीएचक्यू) में तैनात पुलिस उपाधीक्षक विजय ने पांच साल के अंतराल बाद प्रतिस्पर्धी निशानेबाजी में वापसी की थी। पांच बार के राष्ट्रमंडल खेलों के स्वर्ण पदक विजेता विजय 2017 में सेना छोड़कर हिमाचल प्रदेश पुलिस से जुड़ गए थे। क्रोएशिया के ओसिजेक में 19 सितंबर से शुरू हो रही शाटपन विश्व चैंपियनशिप के लिए 24 सदस्यीय टीम पहले ही घोषित हो चुकी है। मौजूदा टीम में कई निशानेबाज पहली बार विश्व चैंपियनशिप में हिस्सा लेंगे जिसमें विजय और अंजुम मोहगिल (विश्व चैंपियनशिप की पूर्व पदक विजेता) अनुभव लेकर आएंगे।

बीसीसीआइ ने पिछले साल ई-नीलामी में खरीदा था नीरज चोपड़ा का भाला

नई दिल्ली, 2 सितंबर (भाषा)।

पिछले साल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्मृति चिन्हों के संग्रह की जब ई नीलामी हुई थी तब ओलंपिक चैंपियन नीरज चोपड़ा का भाला बीसीसीआइ ने डेढ़ करोड़ रुपये में खरीदा था। भारतीय क्रिकेट बोर्ड के एक अधिकारी ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। चोपड़ा ने तोक्यो ओलंपिक से लौटने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निवास पर उनसे मुलाकात में उन्हें अपना भाला उपहार में दिया था। इस भाले समेत कई चीजों की ई नीलामी की गई जिनसे मिली रकम 'नमामि गंगे कार्यक्रम' को गई। यह नीलामी सितंबर-अक्टूबर 2021 में हुई थी। बीसीसीआइ के एक अधिकारी ने कहा, 'बीसीसीआइ ने नीरज के भाले पर बोली लगाई थी। इसके अलावा भी कुछ और वस्तुओं पर बोली लगाई। नमामि गंगे एक नेक काम है और बोर्ड के पदाधिकारियों को लगा कि देश के प्रमुख खेल संगठनों में से एक होने के नाते यह देश के प्रति हमारा कर्तव्य है।' बीसीसीआइ ने कोरोना महामारी के दौरान भी 'पीएम केयर्स फंड' में 51 करोड़ रुपये दिए थे। बोर्ड ने चोपड़ा के भाले के अलावा भारतीय पैरालम्पिक दल के हस्ताक्षर वाला अंगवस्त्र भी एक करोड़ रुपये में खरीदा था। चोपड़ा का भाला ई नीलामी में सबसे महंगा बिका जबकि भवानी देवी की तलवार सवा करोड़ रुपये में और पैरालम्पिक चैंपियन सुमित अतिल का भाला एक करोड़ 20 हजार रुपये में बिका। लवलीना बोरगोहेन के मुक्केबाजी दस्ताने 91 लाख रुपये में बिके। ई नीलामी में 1348 स्मृति चिन्ह बिके जिनमें खेलों से जुड़े सामान भी थे।

विलियम्स बहनों की जोड़ी हारी टेनिस दर्शकों ने खड़े होकर किया अभिवादन

महिला युगल के पहले दौर में हारीं सेरेना और वीनस

न्यूयार्क, 2 सितंबर (एपी)।

सेरेना और वीनस विलियम्स साढ़े चार साल बाद जब कोर्ट पर एक साथ उतरी तो उन्होंने हर पल का भरपूर लुफ्त उठाया लेकिन विश्व टेनिस की मशहूर विलियम्स बहनों की जोड़ी को यूएस ओपन के महिला युगल के पहले दौर में हार का सामना करना पड़ा। विलियम्स बहनों को फ्लॉरिंग मीडोज में लूसी हेराडेका और लिंडा नोस्कोवा की चेक गणराज्य की जोड़ी ने 7-6 (5), 6-4 से हराया। वीनस और सेरेना जब कोर्ट से बाहर निकल रही थी तो दर्शकों ने खड़े होकर उनका अभिवादन किया। उनकी प्रतिद्वंद्वी भी उनका सामना करके अभिभूत थी। ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट में पदापग कर रही 17

विलियम्स बहनों ने इससे पहले आखिरी बार फ्रेंच ओपन 2018 में जोड़ी बनाई थी। यह चौथा अवसर है जबकि किसी ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट के महिला युगल में उन्हें पहले दौर में हार का सामना करना पड़ा।

वर्षीय नोस्कोवा ने कहा, 'जब मुझे पता चला कि हमें उन दोनों का सामना करना है तो मैं अवाक रह गई। मेरे कहने का मतलब है कि वे दोनों दिग्गज हैं और मैं हमेशा उनकी विशेषकर

सेरेना की प्रशंसक रही हूं। वह शुरू से मेरी आदर्श रही हैं।' उनकी साथी हेराडेका ने कहा, 'मुझे अब भी विश्वास नहीं हो रहा है कि हमने उन पर जीत दर्ज की है। मुझे अफसोस है कि

रिजिस्ट्रेशन नं. 42500/1987 वर्ष 28 अंक 230 हवाई शुल्क: 30 पैसा-पुणेतर गज, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, रावपुर और फिलाई 50 पैसा-काठमांडू, उदयपुर और ओगो एक रुपया-लेह, वागामसी और ओगो, 50 पैसा-खुबुहो, रंची और ओगो। दि इंडियन एक्सप्रेस प्राइवेट लिमिटेड के लिए मुकेश कुमार भटनागर द्वारा आईई.प्र.स. सी-5 इस्टीमेशनल एरिया, सेक्टर-6, पंचकुला-134109, (हरियाणा) से मुद्रित और एससीओ-2441-42, फॉट फ्लोर, जगदीश जैलर्स के ऊपर, सेक्टर 22-सी, चंडीगढ़-160022 से प्रकाशित। फोन नं. 0172-5024400, 0172-5024444, ई-मेल: janchd@expressindia.com फैक्स संपादकता : 0172-5024422, विज्ञापन: 0172-5024426. बॉर्ड अध्यक्ष: विवेक गोयनका, कार्यकारी संपादक: मुकेश भारद्वाज \*पीआरबी अधिनियम के तहत खबरों के चयन के जिम्मेदार। कार्यवाहक: दि इंडियन एक्सप्रेस प्राइवेट लिमिटेड। सर्वाधिकार सुरक्षित। लिखित अनुमति लिए, बगैर प्रकाशित सामग्री या उसके किसी अंश का प्रकाशन या प्रसारण नहीं किया जा सकता।